खण्ड-359, अंक-10
गुरूवार, 28 माघ, शक संवत् 1904
(17 फरवरी, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 359 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	1335
प्रश्नोत्तर	...	1341
आजमगढ जनपद के ग्रामीण अंचलों में राशन कार्ड पर खाद्यान्न की आपूर्ति न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1441
बाढ़ पीड़ित क्षेत्र फरीदपुर, जनपद बरेली के कृषकों से उत्पीड़न के साथ की जा रही राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1441
शासन द्वारा शीत-गृहों में आलू रखने के रेट घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1442
प्रदेश के जनपदों में शासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि न भेजने से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1442
सिचाई राज्य मंत्री, श्री गोपाल रामदास पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में उनका स्पष्टीकरण	...	1443
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	...	1452
वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	...	1457
गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल-संस्था तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के बोर्ड में कार्य करने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना	....	1496
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	1497
गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता, श्री ओंकार सिंह की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	....	1498
आजमगढ़ के वकीलों के ऊपर कथित पुलिस ज्यादतियों के विरुद्ध वकीलों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा	....	1505
नत्थियां	...	1520

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 17 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—360

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथसिंह,श्री(उर्फ अनिल सिंह)(फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी)
(उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित)
आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)

गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौढ़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूँ)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूँ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)

बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झाँसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खाँ, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूँ)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण महेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)

राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल. श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपूर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र. श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपूर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद)
(उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)

विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)

सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 17 फरवरी, 1983

तारांकित प्रश्न

के० जी० एम०सी०, लखनऊ के प्रिंसिपल, डा० के० पी० भार्गव का टेक्नीकल डायरेक्टर के पद हेतु चयन

***1 —श्री राम आसरे पासवान —**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० जी० आई०, लखनऊ के टेक्नीकल डायरेक्टर के पद पर के०जी०एम०सी, लखनऊ के प्रिंसिपल (डा० के० पी० भार्गव) को नियुक्त करने का क्या आधार है ? प्रदेश के अन्य मेडीकल कालेजों के सीनियर डाक्टर्स में से चयन क्यों नहीं किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी) —

डा० के० पी० भार्गव. प्रिंसिपल, के०जी०एम०सी०, लखनऊ को पी० जी० आई०, लखनऊ के टेक्नीकल डायरेक्टर के पद पर कभी नियुक्त नहीं किया गया । अन्य मेडीकल कालेजों के सीनियर डाक्टर्स में से चयन करने की बाध्यता का प्रश्न नहीं उठता है ।

***2 —श्री राम आसरे वर्मा —**

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, पीलीभीत में कार्यरत लिपिकों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

***3—श्री रियासत हुसेन —**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, पीलीभीत में कितने ऐसे लिपिक इस समय कार्यरत हैं जिनके बारे में आर० एस० एस० संस्था की शाखाओं में भाग लेने के संबंध में शिकायतें मिलने पर एल०आई०यू० द्वारा जांच की गई है ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह) —

कोई नहीं ।

श्री रियासत हुसैन —

श्री न्, मा० मंत्री जी को कोई शिकायती-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है, तो मेरा कहना है की शिकायती-पत्र ही कहीं लापता कर दिया गया, इसलिये मेरी सूचना के आधार पर क्या मंत्री जी इस विषय में पीलीभीत में इनके विभाग का जो कार्यालय है, उसमें लोगों की गतिविधियों पर जांच करायेंगे ?

श्री हरि सिंह —

यदि विधायक जी ऐसी सूचना देंगे तो जरूर जाँच करवा लेंगे ।

जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर द्वारा नान-लेवी सीमेन्ट के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश

***4—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—**

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंन्ट के संदर्भ में शासन के रेडियो ग्राम संख्या 1583/29-8-47 (सीमेन्ट)/82 दिनांक 8 मार्च, 82 के विपरीत गोरखपुर जिलापूर्ति अधिकारी ने सीमेन्ट विक्रेताओं के नाम एक आदेश दिनांक 15 जुलाई, 82 को जारी कर यह नियन्त्रण लगा दिया है कि बिना उनकी स्वीकृति के किसी उपभोक्ता को नियंत्रण मुक्त सीमेंट (नान लेवी सीमेन्ट) नहीं बेची जायेगी ? यदि हां, तो जिलाधिकारी के हस्ताक्षर विहीन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा इस आदेश का आधार एवं औचित्य क्या है ?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)—

जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर द्वारा नान-लेवी सीमेन्ट के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश दिनांक 15 जुलाई, 1982 में एक निर्देश यह दिया गया है कि नान-लेवी सीमेंट के लाइसेन्सी सीमेंट की आमद की सूचना 48 घंटे के अन्दर पूर्ति कार्यालय में अनिवार्यतः देंगे और उसका वितरण उपभोक्ताओं को तभी करेंगे जब उसका भौतिक सत्यापन क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा करा लिया गया हो। जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर का उक्त आदेश दिनांक 15 जुलाई, 1982 शासन के रेडियोग्राम संख्या-1583/29-8-47 (सीमेंट)/82 दिनांक 8 मार्च, 1982 के प्रतिकूल नहीं है एवं नियमानुकूल है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर, ने वितरण की स्थिति से एक भयंकर भ्रष्टाचार का सर्जन किया है जिसके सम्बन्ध में समाचार पत्रों की मेरे पास कटिंग है, उनके द्वारा अवैध रूप से दिये गये परमिटों की फोटो स्टेट कापी है, वह आदेश जो शासन के खाद्य सचिव ने किये हैं उनकी फोटो स्टेट कापी है, उन्होंने अपने अधिकारों से विरत होकर काम किया है और भारी भ्रष्टाचार किया है, तो क्या मन्त्री जी इन तथ्यों की जांच करायेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

श्रीमन्, मा० सदस्य ने जो कहा है वह वहां नहीं हो रहा है। उसका काम नियमानुकूल था, रेडियोग्राम मेरे समक्ष है, कहें तो श्रीमन् पढ़ दूं। उसने कोई प्रतिकूल काम नहीं किया, यह बात दूसरी है कि उसने उत्साह ज्यादा दिखा दिया है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो आदेश वहां भेजा गया है, क्या उसकी पृष्ठभूमि में यह बात सही है कि गोरखपुर के मौहल्ला मुहदीपुर में लगभग 400 बोरा सीमेंट एक स्टाकिस्ट के यहाँ से उठायी गयी जबकि उस नाम का वहां न कोई मकान था और न वह व्यक्ति था, क्या इस सन्दर्भ में यह सब प्रक्रिया हुई है ? यदि हां, तो वह पूरा मामला क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, मा० सदस्य जो कह रहे हैं यदि वह चाहेंगे तो उसकी जानकारी प्राप्त

करके जांच करा लेंगे, लेकिन प्रश्न है कि जैसे पंजाब और हरियाणा में गेहूँ आ सकता है और यदि आया तो हमारे विभाग को मालूम नहीं है कि कितना आया और कहाँ से आया हम क्या करें, तो हम सूचना चाहते हैं और जो सूचना आये, उस पर नियंत्रण यदि चाहते हैं कि हम करें, तो हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए, कितना आया और कहां से, यही जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर ने किया है । इसलिए यह उनका कार्य नियमानुकूल है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो आदेश नान-लेवी सीमेंट के बारे में सरकार ने जारी किया है, ठीक है, लेकिन क्या सरकार उसी प्रकार के कोई आदेश लेवी सीमेंट के बारे में भी करने की व्यवस्था करेगी ? और यदि उसने किया है, तो वह क्या है ? और क्या आप उसे पढ़ने की कृपा करेंगे ? यह दोनों प्रकार की सीमेंट हमारे नियंत्रण में और व्यवस्था के अधीन होनी चाहिए । डी० एस० ओ०, गोरखपुर के खिलाफ यह जो प्रश्न किया गया, उसी के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री जी को जानकारी मिली है कि उनके कार्यालय से बिना नाम के फर्जी सीमेंट के तमाम परमिट जारी हुए थे और इस संबंध में क्या शासन ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

डी०एस०ओ० और ए०डी०एम० आपूर्ति के खिलाफ कार्यवाहियां हो रही हैं, लेकिन जो प्रश्न आज पूछा गया है, वह उसमें असम्बद्ध है, और हमारा रेडियोग्राम जो गया है, उसमें लेवी और नान-लेवी दोनों के ही नियंत्रण का प्राविधान एक ही में है । वह हमारे सामने है, कहें तो मैं पढ़ दूँ ?

स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों द्वारा बी०एच०सी० भेजने में विलम्ब

*5—**श्री राजकुमार राय**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें अगस्त, 1982 में प्रदेश में स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों के लापरवाही से बी०एच०सी० भेजने में सरकार को लाखों रुपये की बरबादी का पत्र मिला था ? यदि हाँ, तो उसमें किस व्यक्ति का दायित्व निश्चित किया गया ?

श्री हरि सिंह—

जी हाँ, शिकायत की जाँच कराई गयी थी । जाँच में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं पाया गया । अत: किसी व्यक्ति पर दायित्व निश्चित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजकुमार राय—

मेरा यह पत्र मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित उन जिलों के बारे में था, जहां बी०एच०सी० जानी थी और मेरी जानकारी है कि बी०एच०सी० गोरखपुर में पहले भेजी गई और पहले कुछ और जिलों में भेजी गई थी, जहां पर लोग मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित नहीं थे । बाद में जो पीड़ित जिले थे, उनसे वह मंगा ली गई, इस बीच बहुत से लोग वहाँ पर इस मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित हो गये । तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पहले कभी गोरखपुर को बी०एच०सी० भेजी गई थी और बाद में वहाँ से मंगा ली गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

जी नहीं। 80-81 में जहां बी. एच. सी. भेजी गयी थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इस मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप हुआ था। मैं भी उन जिलों में गया था, लेकिन कहीं से भी बी. एच. सी. वापस नहीं मंगायी गई है।

श्री राजकुमार राय—

मान्यवर, मेरी निश्चित सूचना है कि जुलाई, अगस्त व सितम्बर-इन तीन महीनों में कभी न कभी गोरखपुर से बी. एच. सी. वापस मंगा ली गयी है, तो क्या इसको मंत्री जी सही मानकर इस मामले की जांच करायेंगे और उस जांच में मुझे भी इन्वाल्वड करने की कृपा करेंगे, ताकि मैं सम्बन्धित सबूत उसमें पेश कर सकूँ ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मंगाई ही नहीं गई तो जाँच हम क्या करायें ?

श्री हुकम सिंह—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, उन्हीं की शिकायत पर उन्होंने जांच करायी है और अब भी वह यही कह रहे हैं और अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कह रहे हैं कि वह वहां से वापस मंगायी गई है, तो क्या इसकी जांच में उनसे भी जानकारी की गयी थी कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उसके समर्थन में उन्हें क्या कहना है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, बी. एच. सी. भारत सरकार से हमको उपलब्ध हुई, जितने जिले उनमें मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित थे, वहाँ पर बी. एच. सी. भेज दी गयी थी और वापस नहीं मंगाई गयी, तो जांच क्या करायेंगे ?

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि माननीय सदस्य की शिकायत पर यह जांच आपने कराई, तो जब जांच आपने कराई, तो क्या माननीय सदस्य से भी जानकारी की गयी थी ? जो जांच आपने कराई है, वह माननीय सदस्य की शिकायत पर कराई है, तो क्या माननीय सदस्य से भी जांच के दौरान में पूछताछ की गयी थी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, 112 टन गोरखपुर में बी. एच. सी. रही और 122 टन का गोरखपुर में छिड़काव हुआ। आपके माध्यम से माननीय सदस्य से मैं कहना चाहता हूँ कि जब 122 टन में से कोई वापस नहीं कराई गयी, तो जांच किसकी कराई जाय।

के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति, प्रोन्नति आदि के संबंध में विचार

*6 — **श्रीमती प्रेमवती तिवारी**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के०जी०एम०सी० लखनऊ एक स्पेसिए-लाइज्ड मेडिकल कालेज है और यहां का टीचिंग स्टाफ भी अपने विषय का विशेषज्ञ है ?

यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि उक्त कालेज के टीचिंग स्टाफ के प्रमोशन तथा नियुक्तियों के लिए चयन अखिल भारतीय स्तर पर खुले रूप में आयुर्विज्ञान संस्थान के किसी वरिष्ठ डाक्टर की अध्यक्षता में हो ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

जी हां, परन्तु के०जी० मेडिकल कालेज लखनऊ के टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति, प्रोन्नति आदि के सम्बन्ध में जो व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान है उसमें परिवर्तन लाने का शासन का अभी कोई विचार नहीं ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, के०जी०एम०सी० एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल कालेज है और यहां का टीचिंग स्टाफ भी अपने विषय का विशेषज्ञ है, माननीय मंत्री जी ने यह तो स्वीकार किया । लेकिन उसके आगे यह कहा कि के०जी० मेडिकल कालेज लखनऊ के टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति, प्रोन्नति आदि के संबंध में जो व्यवस्था वर्तमान में विद्यमान है, उसमें परिवर्तन लाने का शासन का अभी कोई विचार नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि वह कौन से ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से इनको वह अवसर नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी प्रोन्नति नहीं की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, प्रोमोशन किये गये, 17 प्रतिशत जगह खाली थी, 17 प्रतिशत प्रोन्नति कर दी गयी, मान्यवर ।

कानपुर विकास प्राधिकरण के तत्तकालीन अधिशासी अभियन्ता, श्री एच० एन० दुबे के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता के सम्बन्ध में जांच

*7—**श्री मोहन सिंह—**

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस० एस० सिद्धू, आई० ए० एस०, उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण ने 26-11-77 को अपने गोपनीय पत्र द्वारा श्री एच० एन० दुबे, अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण कानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता और धन के गबन के संबंध में जांच कराने हेतु कोई पत्र शासन को लिखा था जिस पर 23-3-78 को उप सचिव, नगर विकास ने अपने पत्र द्वारा श्री एम० बी० सिंह, ढेसी, निदेशक, स्वायत शासन विभाग को जांच अधिकारी नियुक्त किया था ? यदि हां, तो इस जांच के दौरान श्री एच० एन० दुबे अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कौन-कौन से आरोप सत्य पाये गये और उनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

नगर विकास मन्त्री (श्री राम सिंह खन्ना)

कानपुर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री एच० एन० दुबे के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता के संबंध में जांच हेतु 26-11-77 को एक पत्र श्री एस० एस० सिध्दू, तत्कालीन उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण ने शासन को लिखा था । मामले की जाँच हेतु तत्तकालीन निदेशक स्थानीय निकाय श्री एम० बी० सिंह ढेसी को शासन के पत्र दिनांक 23-3-78 द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था । आरोपों को सम्बन्धित अधिकारी पर तामील करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, अपेक्षा यह की जाती है कि जो मूल प्रश्न हो उसका समग्र उत्तर दे दिया जाना चाहिये। माननीय मन्त्री जी ने हमारे प्रश्न के उत्तरार्ध का कोई उत्तर नहीं दिया है। मैंने पूछा है कि अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या-क्या आरोप सत्य पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही शासन ने की है ? इसका उत्तर मन्त्री जी ने नहीं दिया।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, चार्जशीट उनको दी जा रही है। 78-79 तक आप इसे रखे रहे। इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, 1978 में एक जांच कमेटी बनी और कुछ आरोप सत्य पाये गये। इन्क्वारी हुये 5 साल हो गये हैं अब आप चार्जशीट दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह चार्जशीट क्या है और इतने विलंब से देने का क्या कारण है ? देसी साहब रिटायर हो गये हैं, चार्जशीट तामील कराने में ही आपको 5 साल लगे हैं।

श्री राम सिंह खन्ना -

मान्यवर, चार्जशीट कहें तो मैं पढ़कर सुनाये देता हूँ। जैसा आप कह रहे हैं उसके लिये हम आप सभी जानते हैं कि 78 से लेकर अब तक आपने सवाल किया है तब पता चला कि मामला दबाया गया है। जैसे मुझे पता चला मैंने कहा कि चार्जशीट तामील की जाय।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

माननीय मन्त्री जी उत्तर के संदर्भ में, जो जाँचकर्ता थे, वह रिटायर हो गये हैं और 5 वर्ष हो गये हैं अभी तक चार्जशीट नहीं दी गयी। जिनके विरुद्ध जांच चल रही है, वह कब रिटायर हो रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह—

उनका प्रमोशन हो गया है, मुख्य अभियन्ता उनको बना दिया गया है, लम्बी रिश्वत के बाद।

श्री राम सिंह खन्ना—

यह आपको गलतफहमी है, कोई प्रमोशन नहीं हुआ है।

श्री मोहन सिंह—

आप बता दें कि इस वक्त वह कहाँ है ?

श्री रियासत हुसैन -

क्या माननीय मन्त्री जी उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिसने चार्जशीट देने में 5 साल लगा दिये ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इस मामले में छानबीन हुयी। ऐसा था कि दो विभाग थे आवास और नगर पालिका, तो उन्होंने कहा कि काम तो आवास में हुआ है। जब माननीय मोहन सिंह सरकार चला रहे थे तो उस वक्त तक रखे रहे और मुझ पर नाराज हो रहे हैं। जो बात आप अधूरी छोड़ गये हैं, वह पूरी होगी।

श्री मोहन सिंह—

मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त···

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। पहले आप प्रश्न करने की अनुमति लें।

श्री मोहन सिंह—

मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त वह किस पद पर कार्यरत हैं। वह लखनऊ विकास प्राधिकरण में मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं क्या यह सही है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

उस वक्त भी वह इक्जीक्यूटिव इन्जीनियर थे और इस वक्त भी इक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। यह सबसे सीनियर थे इसलिये विकास प्राधिकरण में काम की देखभाल कर रहे हैं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि उस समय मोहन सिंह जो सरकार चला रहे थे और आज वे चला रहे हैं, तो दो सरकारों के बीच में आरोपित व्यक्ति सरक कर निकल गया। जो जाँच अधिकारी थे, वे रिटायर हो चुके हैं। लेकिन विभाग ने यह आवश्यक नहीं समझा कि यह जाँच किसी अन्य अधिकारी को दे दी जाय। तो जिस अधिकारी ने इस जाँच को दबा कर रखा, उसने अपने कर्तव्यों के पालन में तत्परता नहीं दिखायी, क्या उसके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इसे देख लेंगे। मान्यवर, चार्ज शीट सर्व करने के लिए आदेश कर दिये गये हैं। इन्होंने इसे ढाई वर्ष रोका था, हमें ढाई महीने का समय तो दे दीजिए।

***8—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

[दिनाँक 10-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 20 द्वारा उत्तरित]

कुष्ठ सेवा आश्रम, गोरखपुर के रोगियों द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिया गया ज्ञापन

9* — श्रीमती गोरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 30 अप्रैल, 82 को कुष्ठ सेवा आश्रम,

गोरखपुर के रोगियों ने जिला अधिकारी, गोरखपुर को कुष्ठ सेवा आश्रम की गड़बड़ियों तथा अनियमित ढंग से रोगियों को निकालने के सम्बन्ध में एक ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो क्या जिला अधिकारी ने लिखित बातों की जांच करायी थी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये ? और अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरि सिंह—

जी हां । जाँच के तथ्य तथा कार्यवाही का विवरण सलंग्न है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ.....पर ।)

श्रीमती गौरी देवी –

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि जब डी० एम० गोरखपुर की रिपोर्ट में शिकायतें सही पायी गयीं, तब दोबारा स्वास्थ्य सेवा निदेशक से जांच क्यों करायी जा रही है ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, इसलिए जांच करायी जा रही है क्योंकि वहाँ पर जो कुष्ट रोगी भर्ती हैं, उनको पर्याप्त सुविधाएँ दिलायी जा सकें । मान्यवर, यह एक संस्था है, इस पर हमारा पूर्ण रूप से ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है । हम तो केवल 35 हजार रुपये इस संस्था को देते हैं । हम चाहते हैं कि उस रिपोर्ट की जाँच पड़ताल करा लें । मानवता के दृष्टिकोण से इस संस्था पर अंकुश लगाना जरूरी है, इसलिए जांच-पड़ताल करवा रहे हैं । इससे जो इनकी शिकायतें हैं, वह दूर हो जायेंगी ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिलाधिकारी की जांच के बाद, आपने दूसरे को इसकी जांच सौंप दी । तो जिलाधिकारी की रिपोर्ट क्या है, जिलाधिकारी की रिपोर्ट से आप संतुष्ट हैं कि नहीं । जिस अधिकारी ने उस मामले की जाँच की है, गलत जाँच की है, तो उस अधिकारी के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, हम लोग जांच से संतुष्ट हैं । जिलाधिकारी ने गलत जांच नहीं की । हम तो यह देखते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन जो इस सेवा संस्था को 35 हजार रुपया देता है, उस रुपये का क्या यूटिलाइजेशन है । उस रिपोर्ट की हम जांच करा रहे हैं ।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर यह इस 35 हजार रुपये की बात बता रहे हैं तो क्या जांच अधिकारी ने उस धन के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट दी है कि नहीं ? अगर दी है, तो फिर दुबारा जांच क्यों करायी जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, जो इन्होंने रिपोर्ट दी है, उसमें हम जानकारी मिली है कि अस्पताल का काम ठीक नहीं चल रहा है रोगियों को दवाएं नहीं मिल रही हैं, उनको तकलीफ है, ट्रस्ट में विवाद है, यह डी०एम० की रिपोर्ट है । स्वास्थ्य मंत्रालय की हैसियत से हम

इतना कर रहे हैं कि वहां के मरीजों को सुविधाएं दिलायी जा सकें, अस्पताल के काम काज को ठीक कराया जा सके। हम इसलिए उसकी विभाग से जांच करा रहे हैं।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, स्वास्थ्य सेवा निदेशक को कब तक रिपोर्ट देने के लिए लिखा गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जांच रिपोर्ट कब तक आयेगी यह तो नहीं लिखा गया है मगर यह लिखा गया है कि शीघ्र से शीघ्र अवगत करादें।

श्री भीखालाल—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि कुष्ठ आश्रम एक ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है और उस ट्रस्ट में एक ही परिवार के ज्यादातर सदस्य हैं। यह परिवार प्रभावशाली है उसका शासन पर असर है इस वजय से डी० एम० ने जो रिपोर्ट दी है जिसमें गड़बड़ी सही पायी गयी ऐक्शन न हो इसलिये निदेशक से शासन कार्यवाही चलवा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो कहा वही तो हम कर रहे हैं।

जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा एवं अहिरौरी को शक्कर एवं मिट्टी के तेल का आवंटन

***10—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—**

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा एवं अहिरौरी की साधन सहकारी समितियों ने पिछले 6 माह से ग्रामीण जनता को वितरण करने के लिए शक्कर एवं मिट्टी का तेल नहीं उठाया है ? क्या यह सही है कि उक्त वितरण प्रणाली 20 सूत्रीय कार्यक्रम का एक अंग है ? यदि हां, तो शासन ने इस वितरण प्रणाली को ठीक प्रकार से न चलाने वाले अधिकारियों के खिलाफ दिनांक 17-8-82 तक क्या कार्यवाही की ?

श्री वासुदेव सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

6-7 महीने का प्रश्न है एक जिले के दो ब्लाक के सम्बन्ध में मामला था। माननीय मंत्री जी उस सर्वोच्च पीठ पर भी बैठ चुके हैं जहां से हम सदस्य लोगों को संरक्षण मिलता है। माननीय मंत्री जी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को आप स्थगित करदें इसका एक दिन में जबाब आ सकता है।

श्री वासुदेव सिंह—

मैं अभी जबाब दे सकता हूँ, लेकिन ब्योरेवार सवाल माननीय सदस्य न करें।

कितना-कितना किस महीने में दिया गया यह यहाँ नहीं है फिर साधन सहकारी समिति का मामला है। माननीय सदस्य जानते हैं। हम लिखेंगे। जवाब आयेगा हरदोई जिले का मामला है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 6 महीने से इन ब्लाकों को शक्कर और मिट्टी के तेल का कितना आवंटन हुआ और कितना उठाया गया, यदि नहीं उठाया गया, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जितना उपयुक्त है जवाब दूँगा और आगे पूछेंगे तो जैसा मेरे ऊपर उस कुर्सी पर बैठने की बात कही गयी तो उसी के अनुसार मैं जब स्वयं सन्तुष्ट नहीं हूँ इस उत्तर से तभी तो सूचना एकत्रित की जा रही है, जबाब दिया गया।

समथर नगरपालिका जिला झांसी में खुखदैनी मन्दिर के सामने सार्वजनिक स्थल पर होलिका दहन

***11—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समथर नगरपालिका, जिला झांसी के अन्तर्गत खुखदैनी मन्दिर के सामने सार्वजनिक स्थल पर जो विगत सैकड़ों वर्षों से होलिका जलाने के लिए प्रयोग में लिया जाता रहा है पर अबैध रूप से कब्जा कर सब्जी बोई जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उक्त स्थान को होली के पर्व पर होलिका जलाने के लिए रिक्त कराये जाने की कार्यवाही करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं।

उस स्थान पर होलिका दहन पूर्ववत् होता रहेगा।

श्री थम्मन सिंह गहलोत—

मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि वहां पर सब्जी उगायी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से इसीलिये पूछना चाहता हूँ कि उस जमीन पर किसने कब्जा किया है और कौन अधिकारी जाँच करने के लिये गया था तथा उसने क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

वहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। उस स्थान पर यथावत् होलिका जलेगी, सिर्फ नगरपालिका ने उसका सौन्दर्यीकरण किया है।

श्री थम्मन सिंह गहलोत—

सौन्दर्यीकरण नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि उस जमीन पर आपके राज्य

नोट:— तारांकित प्रश्न 11 श्री थम्मन सिंह गहलोत की रुचि पर लिया गया।

मन्त्री जी का हस्तक्षेप है इसीलिये मैंने यह सबाल पूछा था। वहां पर सब्जी उगायी जा रही है सौन्दर्यीकरण नहीं हो रहा है। मंत्री जी इस संबंध में स्पष्ट घोषणा करें कि वहां पर कौन अधिकारी जाँच के लिये गये थे और उनकी क्या रिपोर्ट आयी है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, इसको हमने स्पष्ट कर दिया है। मन्दिर को साफ रखने के लिये और उसको चित्ताकर्षक बनाने के लिए किया जा रहा है। किसी को वहां जाने से रोक नहीं होगी।

जालौन जिला पूर्ति अधिकारी, श्री दीपक शर्मा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच

*12—**श्री दलगंजन सिंह—**

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति श्री कमलेश कुमार पाण्डेय 16 जुलाई, 1982 को जालौन जिला पूर्ति अधिकारी श्री दीपक शर्मा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने उरई गये थे ? यदि हां, तो उक्त डी० एस० ओ० के विरुद्ध क्या आरोप थे और जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां। श्री के० के० पाण्डे, उप सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग, जिला पूर्ति अधिकारी, जालौन के विरुद्ध शिकायतों पर जांच करने दिनांक 16 जुलाई, 1982 को उरई गये थे।

जिला पूर्ति अधिकारी, उरई के विरुद्ध लोगों के साथ अभद्रता का व्यवहार करने, कांग्रेस सम्बन्धित दुकानदारों की दुकानें निरस्त करने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित दुकानों को समर्थन देने, पाम आयल तथा रैपसीड आयल के वितरण में गम्भीर अनियमितता बरतने एवं एक स्थानीय पत्रकार की दुकान को निरस्त कर थाने में एफ०आई०आर० दर्ज कराने के, आरोप लगाये गये थे।

पाम आयल में हुई अनियमितता के आधार पर पूर्ति कार्यालय के दो कर्मचारी निलम्बित किये गये हैं। शेष आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये।

श्री दलगंजन सिंह—

मान्यवर, यों तो भ्रष्टाचार का नमूना इस प्रदेश की सरकार है।

श्री अध्यक्ष

प्रश्न करें।

श्री दलगंजन सिंह—

पूर्ति विभाग ने भ्रष्टाचार का उदाहरण इस सवाल के जबाब से दिया है। जो जबाब आया है उसमें खाद्य मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि आरोप लगाये गये थे डी० एस० ओ० के खिलाफ और निलम्बित किये गये 2 साधारण कर्मचारी। उन्होंने डी० एस० ओ० के खिलाफ आरोप लगाये हैं तो आरोप क्या प्रमाणित नहीं पाये गये

और क्या जो कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है उनके नाम और उनके पद बतायेंगे और उनके विरुद्ध आरोप क्या थे ?

श्री वासुदेव सिंह—

जिस डी. एस. ओ. के खिलाफ शिकायत थी वह छुट्टी पर था जिस समय की शिकायत है और उसने केवल एक को पाम आयल का आवंटन किया था। उसके न रहने पर, वह दोषी कैसे, सवाल यह है कि राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर हम अपने पक्ष की बात करेंगे और आप अपने पक्ष की तो काम नहीं चलेगा। प्रशासनिक मामले में कार्यवाही हो गई है। जो आयुक्त हैं, वे गये और जांच पूरी की, कहिये तो पूरी रिपोर्ट पढ़ दूँ, दो कर्मचारी निलम्बित कर दिये गये हैं और एक चपरासी को माफ कर दिया गया है क्यों कि उसने माफीनामा लिख दिया। मैं यही कहूँगा कि उसके अन्दर जाने की जरूरत नहीं है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

डी० एस० ओ० छुट्टी पर गया था। पाम आयल में गड़बड़ी पायी गयी, दो निरीक्षक निलम्बित किये गये। तो पाम आयल का आवंटन किसी अधिकारी ने किया होगा ? तो किस अधिकारी से हस्ताक्षर से आवंटन हुआ और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वासुदेव सिंह—

यह जो डी० एस० ओ० था। वह छुट्टी पर था, इसका कोई दोष नहीं है। सारे आरोप जो उसके खिलाफ लगाये गये हैं सब भ्रम पर और मिथ्या पर आधारित हैं।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

जिस अवधि में सम्बन्धित डी. एस. ओ. छुट्टी पर था उस अवधि में कौन अधिकारी चार्ज होल्ड कर रहे थे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि उस अधिकारी ने अनियमितता की या नहीं की, उसने नहीं की।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

एक आरोप यह था कि आर० एस० एस० के दुकानकारों को ज्यादा प्रोत्साहन देते थे, तो क्या इसकी भी जांच कराई गयी और क्या कोई शासन के ऐसे आदेश हैं कि आर. एस. एस. के दुकानदारों को सहायता नहीं दी जाय ?

श्री वासुदेव सिंह—

इस पर जांच करने की न तो कोई हिम्मत करता है और न हीं करनी चाहिए। अगर सदन की कोई कमेटी बनाना चाहें या श्री राम स्वरूप वर्मा जी जाँच करें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

वार्ड नं० — 2 राघव नगर देवरिया में सार्वजनिक मुख्य मार्ग उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में पत्र

*13— **श्री नन्द किशोर सिंह—**

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि वार्ड नं.— 2 राघव नगर

देवरिया में सी. सी. रोड से श्री देव नारायण जायसवाल के वाउन्ड्री वाल के मध्य से होते हुए सी. सी. ट्रैक तक सार्वजनिक मुख्य मार्ग उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नागरिकों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा दिनांक 14-4-82, 30-4-82 एवं 25-7-82 का कोई प्रार्थना-पत्र उन्हें एवं कन्ट्रोलिंग अथारिटी नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है यदि हां तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हां ।

महायोजना पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के साथ-साथ इसका भी निस्तारण किया जावेगा ।

श्री नन्द किशोर सिंह —

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा० मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि, जैसा कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा, जी हाँ, तो प्रतिनिधियों ने जो अपने प्रार्थना-पत्र दिये हैं, उसमें मुख्य मुख्य मांगे क्या हैं और कितनी मांगों पर कार्यवाही हो गयी है कतनी बाकी हैं ?

श्री रामसिंह खन्ना—

यह 14-2-82, 30-4-82 को इसके बारे में प्रार्थना-पत्र दिये गये थे कंट्रोलिंग अथारिटी को । जो महा योजना तैयार हो रही है, उस पर आपत्तियां मांगी गयी हैं उनके साथ-साथ जो सुझाव आये हैं, उनका भी निस्तारण हो जायेगा ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने जो जबाब दिया है कि सी. सी. टैंक और जो मुख्य सड़कें हैं उसके बीच केवल वाउन्ड्रीवाल तक लाकर छोड़ दिया है, दो फलांग तक सड़क बनी है । तो क्या कंट्रोलिंग अथारिटी जो गोरखपुर में बैठते हैं उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी है । अगर भेजी है तो वह क्या है ?

(नगर विकास मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष —

मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है बिना आज्ञा के खड़े न हों ।

श्री रामसिंह खन्ना —

दोनों सड़कों के बीच से सड़क निकालने का मामला है । महा योजना जो बनी है उसके साथ साथ विचार हो जायेगा । जब निर्णय होगा आपके सुझावों पर भी निर्णय हो जायेगा ।

श्री फिरन्गी प्रसाद बिशारद—

पुनः दोहरा देता हूँ । कुछ दूर तक सी सी ट्रेक आकर रुकी है, फिर आगे सड़क है । बीच में बाउन्डरीवाल बनी है । यह मार्ग लोगों के आने जाने वाला रहे, इसके लिये शासन क्या कर रहा है ?

श्री राम सिंह खन्ना —

इन सब चीजों का देखभाल कर फैसला कर लिया जायेगा ।

किंग चार्ज मेडिकल कालेज के पोस्ट मार्टम गृह में एयर कन्डीशनर प्लान्ट की व्यवस्था

***14—श्री यदुनाथ सिंह —**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कालेज में पोस्ट मार्टम गृह में गत 10–12 वर्षों से एयर कन्डीशनर प्लान्ट खराब होने के कारण लावारिस लाशें, खुले में रखी जाती हैं और गर्मी के कारण सड़ जाती हैं और कालिज का वातावरण दुर्गन्धमय हो जाता है ? यदि हां, तो एयर कन्डीशन प्लान्ट कब तक ठीक करा दिया जायगा ?

श्री हरि सिंह—

जी नहीं । आवश्यकता पड़ने पर वर्फ की सिल्लियां लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है । एयर कन्डीशनर प्लान्ट चालीस वर्ष पुराना होने के कारण अब मरम्मत योग्य नहीं रह गया है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर मन्त्री जी का उत्तर किंग जार्ज मेडिकल कालेज के लिये आया, जी नहीं । एयर कन्डीशन प्लान्ट न लगाने से लावारिस लाशें सड़ेगी । एयर कंडीशन बनाने में क्या दिक्कत है, कितना पैसा लगेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

मान्यवर, यह जो प्लान्ट है एयर कंडीशन का वह 40 साल पुराना है । एक कमेटी ने रिपोर्ट दी कि काम करने लायक नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

यह तो साबित हो गया कि लावारिस लाशों के लिये एयर कंडीशन की जरूरत नहीं है । मैं जानना चाहता हूँ कि एयर कंडीशन लगाया गया था इसलिये जरूरत है । यदि लाश सड़ गयी तो पोस्टमार्टम नहीं हो पायेगा । जो स्टूडेंट सीख पाते हैं, सड़ी हुई लाशों से नहीं सीख पायेंगे । क्या ऐसी व्यवस्था, इस साल नहीं, अगले साल करेंगे कि एयर कंडीशन लगायें । 40 साल में जो पैसा लगेगा वह एयर कंडीशन से ज्यादा हो जायेगा, बर्फ का ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का कहना है कि अगले बजट में इसके लिये कोई प्राविधान करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, एक तो कोई लाश लावारिस नहीं होती है और जो लाश होती है उसका पोस्टमार्टम करके बर्फ की सिल्ली में रखा जाता है । इसके लिये संशोधन उपलब्ध होते ही इस प्लान्ट को अवश्य बदलने का प्रयास करेंगे ।

श्री दलगंजन सिंह —

माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब तक उन लाशों को शीत-गृह में रखने की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाती, तब तक क्या उन लाशों को सदन के प्रयोग में लायेंगी ?

श्री अध्यक्ष —

मैं इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं समझता हूँ ।

श्री रियासत हुसैन —

माननीय मन्त्री जी यह देखते हुए कि 40 साल पुराना प्लान्ट था तो उस समय उसकी आवश्यकता थी और हालात को देखते हुए इस समय उसकी आवश्यकता और बढ़ गई है, कम होने का सवाल ही नहीं होता है । माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कब से वह आउट आफ आर्डर हो गया है । आउट आफ आर्डर के समय से उसे रिप्लेस न कराने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

1979 से वह आउट आफ आर्डर है तब से लाशों को बर्फ में रखने की व्यवस्था है । रिप्लेश न करने का कारण एक ही है कि संसाधनों की कमी है ।

श्री यदुनाथ सिंह --

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी जो यह एयर कन्डीशनर की बात कर रहे हैं, शायद वह टेक्निकल आदमी नहीं है । यदि वह इसके लिये किसी इंजीनियर से कहते तो वह एक दिन में उसे ठीक कर देता और उसमें केवल 10 हजार रुपये लगते । क्या इस सरकार के पास 10 हजार रुपये भी नहीं हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

वह बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है ।

जल निगम मुख्यालय, लखनऊ में श्री मो० सफदर अली, कनिष्ठ आलेखक की नैत्यिक लिपिक के पद पर नियुक्ति के आदेश

***15—श्री प्रभूनारायण सिंह —**

क्या सरकार को जानकारी है कि उ०प्र० जल निगम मुख्यालय लखनऊ में तृतीय श्रेणी मिनिस्टीरियल कर्मचारियों में से केवल श्री मो० सफदर अली कनिष्ठ आलेखक प्रालेखक, वैलन्सशीट अनुभाग की वरिष्ठता नियुक्ति आदेश की तिथि से निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो अन्य कर्मचारियों, जिन्होंने प्रत्यावेदन दिये हैं की भी वरिष्ठता निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना —

जी हां । उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय में कार्यरत श्री मो० सफदर अली, कनिष्ठ-आलेखक बैलेन्स शीट अनुभाग की वरिष्ठता नैत्यिक लिपिक के पद पर उनके नियुक्ति के आदेश में जिस क्रम में उनका नाम है, उसी के क्रम में किये जाने के आदेश

पारित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में जिन अन्य कर्मचारियों ने प्रत्यावेदन दिये हैं, उनके वरिष्ठता निर्धारित किये जाने के विषय में जल निगम प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री प्रभूनारायण सिंह—

मान्यवर, समझ में नहीं आता है, समान योग्यताधारी लोग हैं, उनका सेवायोजक भी एक ही है। लेकिन एक आदमी की सेवा नियमित कर दी गई, वरिष्ठता निर्धारित कर दी गई और शेष लोगों से कहा जा रहा है कि उनके प्रार्थना-पत्रों को लिया जा रहा है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब सब लोग समान योग्यताधारी हैं, और उनका सेवायोजक भी एक ही है, तो फिर प्रकार का भेदभाव उनके साथ क्यों किया जा रहा है।

श्री राम सिंह खन्ना

मान्यवर, जिस समय इन लोगों को चयनित कर सर्विस के लिये बुलाया गया था, चयनित क्रम से ही उनको वरिष्ठता दी गई है—वे व्यक्ति निम्न क्रम में हैं :—

श्री हेम चन्द्र नायक (2) मो० सफदर अल्ली (3) श्री छेदी लाल पाण्डेय (4) श्री मुमताज अहमद (5) श्री गिरीश कुमार वर्मा (6) कु० कल्पना बनर्जी। इस प्रकार चयनित क्रम से वरिष्ठता दी जा रही है, जो लोग वरिष्ठ थे, उनको वरीयता दी जा रही है, शेष पर विचार हो रहा है।

श्री प्रभूनारायण सिंह—

यह प्रारम्भ में ही स्वीकार किया गया है कि वरिष्ठता निर्धारण में अनियमितता की गई है और मन्त्री जी यह भी कह रहे हैं कि शेष लोगों पर विचार किया जा रहा है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि श्री मो० सफदर अली में क्या ऐसे गुण हैं और कौन-सी ऐसी योग्यता है, जिसके आधार पर उसकी वरिष्ठता निर्धारित की गई। और वह कौन अधिकारी है जिसने अनियमित ढंग से श्री अली की वरिष्ठता निर्धारित की, क्या उस दोषी अधिकारी के विरुद्ध आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि मोहम्मद सफदर नं० 2 पप और बाकी नं. 3,4 तथा 5 पर। यह कार्य उसी क्रम के अनुसार किया गया है और किसी पर कोई अन्याय नहीं हुआ है।

डा० आर. के. अग्रवाल, नगर महापालिका, लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

***16—श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-5-79 को श्री ध्रुव नारायन सोनकर ने डा० आर०के० अग्रवाल, नगर महापालिका, लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना-पत्र नगर स्वास्थ्य अधिकारी, लखनऊ को दिया था तथा इस शिकायत पर जांच के लिए अ०न० स्वास्थ्य अधिकारी को जाँच दी गई थी ? यदि हां, तो क्या डा० अग्रवाल ने 3-5-79 को जांच अधिकारी को भंडार का निरीक्षण नहीं करने दिया था ? यदि हां, तो इस सम्पूर्ण प्रकरण में जाँच के उपरान्त क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

डा० ध्रुव नारायण सोनकर ने उक्त प्रार्थना-पत्र दिया था तथा इसकी जांच नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपी गई थी और डा०आर. के० अग्रवाल ने जांच अधिकारी को स्टाक बुक तथा औषधियों का स्टोर दिखाने से इन्कार कर दिया था। तत्पश्चात् क्या कार्यवाही हुई इसकी जानकारी अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो पाई है। पूरे प्रकरण में छानबीन करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यह इतना गम्भीर मामला है। ता० 1-5 79 को डाक्टर अग्रवाल के विरुद्ध शिकायत हुई थी और इस शिकायत पर जाँच अधिकारी को सम्बन्धित डाक्टर ने स्टाक बुक तथा औषधियों के भण्डार को दिखाने से इकार कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उसे तत्काल निलम्बित न करने के क्या कारण हैं ? और जैसा कि आपके उत्तर से स्पष्ट है कि तत्पश्चात क्या कार्यवाही हुई इसकी जानकारी अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो पायी है। पूरे प्रकरण में छानवीन करने के आदेश दे दिये गये हैं। तो मैं मा० मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सम्बन्धित(डाक्टर द्वारा जांच से सम्बन्धित)समुचत कागजात जानबूझकर गायब करा दिये गये और दूसरे स्टाकबुक एवं औषधियों के स्टाक को न दिखाये जाने पर तत्काल क्या कार्यवाही आप करने जा रहे हैं, जाँच तो मामले की चलती रहेगी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

उन सब पर कार्यवाही की जायेगी और उन पर जो आक्षेप हैं सम्वधिन्त फाइलें आदि गायब करने का, उस पर भी कार्यवाही की जायेगी और जो भी इस मामले में दोषी पाये जायेंगे, उनको अवश्य कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, मा० मंत्री जी ने यह एडमिट किया है कि ता० 3–5–79 को डा० अग्रवाल ने जांच अधिकारी को जांच नहीं करने दिया, तो मैं मा० मंत्रीजी से जानना चाहूँगा कि उस डा० को मा० मंत्री जी ने सस्पेंड क्यों नहीं किया और दूसरी बात जांच के आदेश जो 79 में दिये गये, जिसे उस डा० ने चेक करने नहीं दिया और कागजात भी उसके गायब करा दिये तो अब कौन-सी तारीख जांच की निश्चित की गयी है ? और वह जांच कब तक अब पूरी हो जायेगी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

यह वाक्या 3-5-79 को जानकारी में आया कि उस डाक्टर ने अपने यहां निरीक्षण कराने से इंकार कर दिया और फिर जब मा० सदस्य के प्रश्न द्वारा बात सामने आयी तो इसके पुनः आदेश 5–2-83 को दिये गये। अब इसकी गम्भीरता को देखते हुए शासन शीघ्र ही सख्त कदम उठायेगी।

श्री रियासत हुसैन—

जैसा कि आपके उत्तर से ज्ञात हुआ कि सम्बन्धित डाक्टर ने जांच सम्बन्धित समस्त कागजात देने से इंकार कर दिया और उसके द्वारा समस्त कागजात भी लापता हो गये तो निश्चित तौर से क्या इस चीज को देखते हुए, उसके खिलाफ टेम्परिंग

औफ इविडेंस के संबंध में कोई एफ. आई. आर. दर्ज कराई गयी या नहीं ? यदि नहीं ? कराई गयी, तो अब क्या करने जा रहे हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, इसकी देखभाल करने के बाद जो उचित होगा और मुनासिब होगा, किया जायगा । इसके लिये मैं आश्वस्त करता हूँ ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह आरोप तो मन्त्री जी ने स्वयं स्त्रीकार किया कि उस डाक्टर ने स्टाक रूम और औषधि का भण्डार चैक कराने से इंकार कर दिया, रिकार्ड भी गायब हैं । क्या मा० मन्त्री जी मामले की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल डाक्टर आर. के. अग्रवाल को निलम्बित करके जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, इसकी गम्भीरता को पूरी तरह से देखकर जो मुनासिब कदम होगा उठाया जायगा ।

रक्तदाता व्यवसायियों की दर में बढ़ोतरी न किये जाने का कारण

*17— **श्री मित्रसेन—**

क्या स्वास्थय मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय रक्त कोष व्यावसायिक रक्तदाताओं को आज भी 32 वर्ष पूर्व निर्धारित दर 25 रु० प्रति बोतल की दर पर भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो रक्तदाता व्यवसायियों की दर में बढ़ोत्तरी न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री हरि सिंह—

जी हां ।

शासन की नीति है कि स्वैच्छिक रक्तदान प्राप्त करने का प्रयास किया जाय और व्यावसायिक रक्तदाताओं को प्रोत्साहित न किया जाय ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैंने सरकार से प्रश्न किया था कि जो रक्त 32 वर्ष पहले 25/, रु० प्रति बोतल में लोग खरीदा करते थे, उसकी कीमत क्यों नहीं बढ़ायी जा रही है । यह सरकार गरीबों के रक्त की कीमत भी नहीं बढ़ाना चाहती । अस्पतालों में खून उपलब्ध नहीं है । ये स्वैच्छिक रक्तदाताओं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, स्वैच्छिक रक्तदाताओं का रक्त उपलब्ध नहीं है । जब व्यावसायिक रक्तदाता रक्त उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो उनको दाम नहीं मिलता है । इस बात को देखते हुए क्या सरकार रक्त की कीमत बढ़ायेगी या नहीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, रक्त अभी प्रदेश में बनता नहीं है । व्यवस्था यह करायी गयी है कि जितना रक्त उस मरीज को चाहिये उतना ही रक्त उस मरीज के परिवार वालों व्दारा

दानकोष में दे दिया जाय । जो व्यावसायिक रक्त दिया जाता है, वह मेडिकल दृष्टि से उतना उपयुक्त नहीं होता । चूँकि रक्तदान इस प्रदेश में प्रचलित है, इसलिये यह व्यवस्था जारी है । रक्त की कीमत बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं उठता । रक्त का संकट कोई संकट नहीं है ।

श्री मित्रसेन —

मान्यवर, कभी–कभी यह देखने में आया है कि परिवार के लोग रक्त देना चाहते हैं, लेकिन उनके रक्त के ग्रुप का मेल मरीज के रक्त ग्रुप से नहीं मिलता, स्वेच्छा से रक्त उपलब्ध नहीं हो पाता । गरीब आदमी अगर रक्त देना चाहता है और पैसा चाहता है, तो उसको पैसा मिलता नहीं है । उस दर को बढ़ाने में सरकार को क्या कठिनाई है । पैसा तो मरीज को ही देना होता है, फिर उसकी दर बढ़ाने में इन्हें क्या कठिनाई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, मा. सदस्य ने यह कहा कि जिस ग्रुप का रक्त चाहते हैं, उस ग्रुप का रक्त नहीं मिलता है परिवार से । यहां पर ग्रुप का संबंध नहीं है । अगर दो बोतल रक्त चढ़ा तो परिवार से किसी भी ग्रुप का दो बोतल दे दें तो कोई परेशानी नहीं होगी । रक्त व्यवसाय को बढ़ावा देने की शासन की नीति नहीं है ।

डा. कृष्ण वीर सिंह कौशल—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जो व्यावसायिक रक्त न लेने की बात उठायी, इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं परन्तु मंत्री जी यह बतायें कि इस मद में जो धनराशि ब्लड बैंक को दी जाती है और आप उसे निरुत्साह कर रहे हैं । उस ब्लड बैंक की साज-सज्जा खरीदने के लिये क्या उस धनराशि का उपयोग हो सकता है ? क्या ऐसे आदेश भिजवाने की कृपा करेंगे ? इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि जैसे आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट में व्यवस्था है कि जब भी कोई व्यक्ति वार्ड में भरती होने के लिये प्रवेश करता है तो उसके घर वालों को एक बोतल ब्लड देना पड़ता है, तो ऐसी व्यवस्था आप अपने यहाँ भी करने की कृपा करेंगे ।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

शासन की नीति रक्तदान की है, न्याय या कानून के द्वारा किसी को बांधने की नहीं है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मंत्री जी के कहने के मुताबिक नये जमाने में खून की कमी बहुत नहीं रह गयी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि घटी हुई खून की कीमत में इस जमाने में क्या 25 रुपए से कम खून की कीमत करने का उनका कोई इरादा है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री गोपी नाथ वर्मा

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जैसे यह बताया कि रक्त की कमी नहीं है लेकिन फिर भी रक्त कोष में रक्त न उपलब्ध कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत व्यापक प्रश्न है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री रियासत हुसैन—

यह देखते हुए कि वालन्टियरी खून की कमी नहीं है तो इस बात को देखते हुए जो आप 32 साल पहले से चला आ रहा 25 रुपए का जो रेट दे रहे हैं, इसको बिल्कुल समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस पर विचार किया जा सकता है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा पी. वी. सी. पाइप के सम्बन्ध में फर्मों को निर्गत किये गये आपूर्ति आदेश

18—**श्री देवेन्द्र पाण्डेय** (अनुपस्थित)—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सामग्री प्रबन्धक, जल निगम, उ० प्र० लखनऊ ने दिनाँक 28-4-1982 को पी. वी. सी. पाइप के सभी आदेश निरस्त कर दिये हैं ? यदि हां, तो आगरा, फर्रुखाबाद एवं आजमगढ़ के डिवीजनों ने इस आदेश के बाद किन-किन निर्माताओं का पाइप किस आदेश के आधार पर खरीदा एवं किसको कितना भुगतान कितने दिन में किया ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं । सामग्री प्रबन्धक उत्तर प्रदेश जल निगम के आदेश दिनाँक 28-4-82 द्वारा पी० वी० सी० पाइपों के सभी आपूर्ति आदेश अग्रिम आदेशों तक स्थापित किये गये थे ।

स्थगन आदेश के जारी किये जाने की तिथि अर्थात् दिनांक 28-4-82 के बाद निर्माण शाखा, आगरा को मै० जिन्दल पेपर मिल्स, गाजियाबाद द्वारा 2,69,669.51 रु० मूल्य के पाइपों की आपूर्ति दिनांक 6-6-82,8-6-82एवं9-6-82 को की गयी जिसका भुगतान दिनांक 19-6-82 को किया गया । इसी फर्म द्वारा अस्थायी निर्माण शाखा, आजमगढ़ को रु० 1,81,021.36 मूल्य के पी.वी.सी, पाइपों की आपूर्ति दिनांक 5-8-82, 6-8-82 एवं 7-8-82 को की गई । जिसका भुगतान 7-8-82 को किया गया । अस्थायी निर्माण शाखा, फर्रुखाबाद को मैसर्स वेविन, इण्डिया लि०, गाजियाबाद द्वारा रु० 72,384.00 मूल्य के पी. वी. सी. पाइपों की आपूर्ति दिनांक 30-4-82 को की गयी जिसका भुगतान दिनांक 17-9-82 को किया गया । यह सभी आपूर्तियां सामग्री प्रबन्धक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

द्वारा दिनांक 28-4-82 से पूर्व में किये गये अनुबन्धों के सापेक्ष फर्मों को निर्गत किये गये आपूर्ति आदेशों के सम्बन्ध में की गयी ।

*19—**श्री हरिवंश सहाय**—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*20—**श्री पन्नेलाल**—

3 रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या– 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट दिये जाने पर विचार

1—श्री मित्रसेन**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डाक्टरों को प्राईवेट प्रैक्टिस की छूट दिये जाने की प्रदेश सरकार की नीति पर केन्द्र सरकार ने आपत्ति की है ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार ने उक्त विषय पर क्या निर्णय लिया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मित्रसेन –

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब डाक्टरों की प्रैक्टिस पर रोक पहले से लगी थी तो उस आदेश को बदलने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, इस सदन का विचार सन 1980 से 1982 तक जब यह रोक लगी थी, माननीय सदस्यों ने बराबर इस बात को उठाया है कि डाक्टर प्रैक्टिस बन्दी का भत्ता भी लेते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं । डाक्टर प्रैक्टिस न करे इसलिये उनको भत्ता दिया गया था । हमारे पास इस प्रकार के संसाधन नहीं है कि दान भी हम दें और दान का कोई काम भी न हो, इसीलिये वह दान देना शासन ने बन्द कर दिया है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द न करने के कारण अस्पतालों में डाक्टर मरीजों को ठीक प्रकार से नहीं देखभाल करते हैं और उनको जिस प्रकार की सेवा और सुविधा मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिल रही है । तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि मरीजों की देखभाल में डाक्टरों की प्रैक्टिस खोल देने से कोई कमी तो नहीं आयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

श्री हुकम सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब एक निर्णय ले लिया गया कि डाक्टरों को भत्ता दिया जायेगा और वह प्रैक्टिस नहीं करेंगे । सरकार अपने इस आदेश का पालन नहीं करा सकी, इसीलिए उसने अपनी नीति को बदल दिया, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप जब डाक्टरों से प्रैक्टिस करा रहे हैं तो क्या उनकी तनख्वाह बन्द कराने पर विचार करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

श्री मोहन सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपके इस आदेश के विरुद्ध डाक्टरों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की और वह वहां पर हार गये, इसके बाद वे उच्चतम न्यायालय में चले गये जहां पर उनकी याचिका पेन्डिग है, तो शासन ने वहां पर अपना क्या मन्तव्य व्यक्त किया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय से भी डाक्टरों का पिटीशन खारिज हो गया है । जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है गलत हो, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे । आप इसी सदन की दो वर्षों की कार्यवाही को देख लें, तो यही माननीय सदस्यों ने इच्छा व्यक्त की है कि यह भत्ता क्यों दिया जा रहा है । अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों के विरुद्ध जाता है तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी । एक डाक्टर की ड्यूटी 8 बजे सुबह से 2 बजे तक रहेगी । वह डाक्टर अपना कन्सलटेशन कर सकता है लेकिन क्लीनिक नहीं खोल सकता है । और अगर कोई डाक्टर इस आदेश का उल्लंघन करता है और माननीय सदस्य किसी डाक्टर के बारे में स्पेसिफिक जानकारी हमको देंगे तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी और वह कार्यवाही यहां तक हो सकती है कि उसको सेवा निवृत्त किया जाय ।

श्री मोहन सिंह —

जब आप पुराने आदेश को ही क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं ···

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको आदेश नहीं दिया है । कृपया बैठें ।

श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि इस सरकार के शासन में आने पर दो-ढाई महीने तक प्राइवेट प्रैक्टिस में छूट दी गई थी । यह मेरी सही जानकारी है और बाद में कौन से आधार थे जिससे प्राइवेट प्रैक्टिस न किये जाने की छूट बैन कर दी गई । दूसरी बात यह है कि हाईकोर्ट में डाक्टरों ने जो याचिका दायर की, उस याचिका में क्या था और उसमें क्या आदेश हुए ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

याचिका खारिज हो गई। हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी स्तर पर पूरे प्रदेश में पी०एम०एस० केडर के जितने भी डाक्टर हैं उन्होंने कभी कोई मांग इस तरह की थी कि उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस खोल दी जाय ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, वह तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे और यह उनको साधिकारिक रूप देने के लिये किया गया।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह देखते हुए कि पहाड़ों में डाक्टरों के लिये यह सम्भव नहीं होता है कि वे चार-पांच मील पैदल जायं और प्रैक्टिस करें। इस परिपेक्ष में इस नियम में ढील करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, अनुभव यह रहा है कि जब प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द थी तो पहाड़ों पर डाक्टर नहीं रहते थे इसलिये वह खोल दी गई और पहाड़ों पर डाक्टर भेजे जा रहे हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी को जानकारी देना चाहता हूँ कि लगभग सभी डाक्टरों ने अपना-अपना क्लीनिक खोल रखा है और वह अस्पतालों में मरीजों को नहीं देखते हैं, अपने क्लीनिक मे देखते हैं साथ ही अस्पताल की सारी मरहम पट्टी आदि अपने क्लीनिक में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से अस्पतालों में मरीजों की उचित देखभाल नहीं हो पाती है। इस पर आप कोई कार्यवाही करेंगे ? यह चीज व्यापक रूप से पूरे प्रदेश में है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

माननीय सदस्य मुझे अगर कोई स्पेसिफिक मामला देंगे तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी। व्यापक रूप से नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि ऐसे बहुत से डाक्टर्स हैं चाहे वह मेडिकल कालेजों में हों, राजकीय अस्पतालों में हों अथवा आपके डाइरेक्टरेट में हों जो कि प्रैक्टिस पहले भी नहीं करते थे क्योंकि उनकी प्राइवेट करने की रुचि नहीं होती और न ही उनको लाइन होती है ? उनके बारे में शासन की क्या नीति है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, सबके ऊपर एक ही नीति है कि प्रैक्टिस करो।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ रोगियों के दिमाग में यह भावना पहले ही से रहती है कि प्राइवेट प्रैक्टिस से फीस देकर डाक्टर अच्छा इलाज करेंगे और मौजूदा प्रैक्टिस में अस्पताल में न दिखाकर उनसे कन्सल्टेशन करके इलाज कराते हैं जिससे अस्पतालों में रोगियों की संख्या कम होती चली जा रही है और लोग प्राइवेट इलाज करवाते हैं ? क्या डाक्टरों का ज्ञापन जो जूनियर डाक्टर हैं उन्होंने लिख कर दिया है कि प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाय जो प्राइवेट प्रैक्टिस का विरोध कर रहे हैं, उस पर क्या निर्णय लिया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि भगवान की ऐसी अनुकंपा है कि अस्पतालों में भीड़ कम नहीं हो रही है। इसीलिए माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूँ कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में सहयोग दें।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है इस सम्मानित सदन के विचारों को सामने रखते हुए जो कि विगत ढाई वर्षों में माननीय सदस्यों के विचार थे उनको दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। आवेदन मिलते हैं और मिलते रहेंगे। लेकिन शासन की नीति यही है कि प्रैक्टिस करो और सरकारी काम करो।

श्री रियासत हुसैन —

मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी को बतलाना चाहता हूँ कि अभी 13 ता० की रात 8 बजे मैं मुरादाबाद सफाखाने में गया था वहाँ बिस्तर के बिस्तर खाली पड़े हैं। आपने जो क्लीनिक खोलने पर प्रतिबंध लगाया है उसमें उन क्लीनिक्स को भी जोड़ देंगे जो डाक्टरों के लड़के, लड़कियों और उनके निकट संबंधियों के नाम पर क्लीनिक खुले हुए हैं और उनकी आड़ में बैठ कर काम करते हैं तो उनको भी इस परिधि में लेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, जहां तक विधि का संबंध है किसी व्यक्ति को जो सरकारी कर्मचारी नहीं है क्लीनिक खोलने पर रोक नहीं है। जहाँ तक सरकारी डाक्टरों का संबंध है अगर वह उस क्लीनिक में जाते हैं तो वे अवश्य दंड के भागीदार हैं।

श्री अध्यक्ष —

(श्री यदुनाथ सिंह आदि कई सदस्यों के खड़े होने पर) इस पर बहुत सवाल हो गये हैं माननीय शंकर सिंह जी कह रहे हैं मेरा सवाल नहीं लिया जा रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह —

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की हर सड़क पर, हर बाजार में फर्जी डाक्टर बने बैठे हैं न आयुर्वेद की डिग्री है न एम.बी.बी.एम. की डिग्री है और न होम्योपैथी की डिग्री है और बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे हैं और यमराज का काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई कार्यवाही करेंगे जो हजारों मौत का कारण बन रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

प्रदेश में तमाम फर्जी डाक्टर बने हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह विषय भारत सरकार के विचाराधीन है, यह राष्ट्रीय प्रश्न है जहां तक मेरी जानकारी है इस पर भारत सरकार शीघ्र ही कोई विधेयक लाने वाली है।

श्री अध्यक्ष—

(श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होने पर) यह आखिरी प्रश्न है इस सवाल का। काफी समय इस प्रश्न में हो गया है।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, एक छोटी-सी मिसाल मेरे रामपुर जिले की है जहां पर प्रैक्टिस बन्द होने से कुछ फर्क पड़ा था। लेकिन अब मरीजों की हालत खराब है। मजबूरन अच्छा इलाज कराना है तो डाक्टरों के घर जाकर दिखाना पड़ता है खासतौर से उन डाक्टरों के जो सरजरी में माहिर हैं। जिनको घर पर नहीं दिखाया जाता है उनका क्या हस्र होता है मैं बताना चाहता हूँ अभी थोड़े दिन हुए एक 17 साल की लड़की जिसकी डिलीवरी होने वाली थी मय बच्चेदानी के बच्चे को बाहर निकाल दिया और उसकी बच्चेदानी कैंची से काटकर अन्दर कर दी गयी और उसके रिश्तेदारों से कहा कि वह मुरादाबाद से खून लेकर आये। इस बीच लड़की मर गयी। उसके बाद लोगों ने घेराव आदि भी किया। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इस बात का पता लगा लें कि प्रैक्टिस पर लगी रोक हटाने के बाद इमरजेन्सी में आने वाले मरीजों की तादाद कितनी हो गयी और उसके पहले कितनी होती थी ? अगर यह तादाद कम हो गयी है, और हाजरी गिरी है तो क्या सरकार इस पर फिर से विचार कर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह व्यापक प्रश्न है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूँ।

प्रदेश में गैर कानूनी बसें तथा मिनी बसें

****2–श्री शंकर सिंह—**

क्या परिवहन मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में हजारों गैर कानूनी बसें तथा मिनी बसें चल रही हैं ? यदि हां, तो इस समस्या को हल करने की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

यह सही नहीं है कि प्रदेश में हजारों गैर कानूनी बसें तथा मिनी बसें चल रही हैं। यह अवश्य है कि कुछ बसों/मिनी बसों को अवसर पाकर अनधिकृत रूप से चलाने के प्रयास किये जाते हैं ऐसी बसों/मिनी बसों की कड़ी चेकिंग की जाती है और उनका नियमानुसार चालान करके मोटर गाड़ी अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार दोषी व्यक्तियों को दण्डित भी किया जाता है। निजी बसों को परिवहन निगम के अन्तर्गत अनुबन्धन की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

श्री शंकर सिंह—

अभी मुश्किल से 3-4 दिन पूर्व सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं यह स्वी-

कार किया कि आजमगढ़ में एक सप्ताह के अन्दर अनियमित बसों को बन्द करने पर लाखों रुपयों का फायदा परिवहन निगम को हुआ। यह केवल एक जिले की बात उन्होंने कही थी। तो माननीय मुख्य मंत्री जी उस घोषणा को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार उसी तरह की व्यवस्था पूरे प्रदेश में करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया था उसी के अनुसार दूसरे जिलों में भी चेकिंग की व्यवस्था की गयी है और अनधिकृत बस चालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है।

श्री पंचानन राय—

क्या यह सही है कि आजमगढ़ में निजी बसों पर लगी रोक हटा ली गयी है और वहां पर निजी बसों का चलना फिर से शुरू हो गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जो बसें आजमगढ़ में अनधिकृत रूप से चल रही थीं उन्हीं को रोका गया है। (व्यवधान)

श्री कवल—

जो बसें बिना परमिट के चल रही हैं उससे सरकार को नुकसान हो रहा है। चेकिंग कराने में भी काफी खर्च होता है। तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जो बसें अनियमित रूप से चल रही हैं उन्हें भी परमिट दे दिया जाय ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, अनाधिकृत रूप से जो मिनी बसें या बसें चल रही हैं उनको रोकने के लिये सरकार पूरा प्रयास कर रही है और जो प्रयास सरकार ने किये हैं उनका ब्यौरा मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ कि 1-4-42 से लेकर 31-12-82 तक जो चेकिंग किया ...

श्री कवल—

मान्यवर, मेरा सवाल दूसरा है और जवाब दूसरा दे रहे हैं। मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि जो बसें अनियमित रूप से बिना परमिट के चल रही हैं, जिनकी चेकिंग में लाखों का नुकसान होता है, तो उनके परमिट देने पर क्या सरकार उदारतापूर्वक विचार करेगी और उनसे टेक्स वसूल करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, अवश्य विचार होगा।

(व्यवधान)

नोट : 1. अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ जायं। मैं बोलने के लिये अनुमति नहीं देता हूँ। मा० सदस्य बैठ जायं।

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है। कृपा करके आप लोग बैठ जायं। (व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खाँ—[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग बैठ जायं।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, इस विषय पर चर्चा करा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

लिखकर आप दे दें। कृपया आप बैठ जायं।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो समय निर्धारित है और जो आपने तय किया है यदि वह समय समाप्त हो जाता है तो मैं किस प्रकार प्रश्न करने के लिए समय दे दूँ।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[20 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित सेवा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 1980 की लोक सेवा आयोग की सूचना

2—श्री राजकुमार राय—

नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की नगरपालिकाओं में रिक्त अधिशासी अधिकारियों एवं अधीक्षकों के पदों के लिए लोक सेवा आयोग को 1977 में लिखा गया था ? और उस विषय में आयोग ने शासन को कोई पत्र 1977 में लिखा था ? क्या शासन ने पत्र का उत्तर भेज दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

लोक सेवा आयोग को ऐसा कोई पत्र 1977 में नहीं लिखा गया था। आयोग ने 1977 में उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली 1966 में प्रोन्नति के लिए प्रणाली निर्धारित करने हेतु लिखा था जो उ०प्र० पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (दशवां संशोधन) नियमावली 1980 में निर्धारित कर दी गई और आयोग को भी इसकी सूचना दे दी गई है।

---

2. [× × ×] यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधायक श्री मोहन सिंह द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

3—श्री शंकर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनाँक 14 अप्रैल, 1982 को विधान सभा सदस्य श्री मोहन सिंह का (स्वास्थ्य विभाग से संबंधित) कोई शिकायती-पत्र मिला है ? यदि हां, तो क्रमवार शिकायतें क्या हैं तथा उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ, शिकायत मुख्यत: यह थी कि मार्च, 1982 के मध्य में लिपिक वर्गीय पदों में 65 नियुक्तियां की गयी हैं, उसमें नियुक्ति संबंधी नियमों एवं शासन के आदेशों की अवहेलना की गयी है। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्ग (सीधी भर्ती) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1979 जो अधिसूचना संख्या 27/2/1974 कार्मिक, 2 दिनांक 11 अक्टूबर, 1979 द्वारा प्रकाशित हुई, को ध्यान में रखते हुये तथा आरक्षण के सम्बन्ध में जारी हुए शासनादेशों को ध्यान में रखते हुए नियुक्तियां की गयीं। नियुक्त व्यक्तियों के के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करते समय यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि वे सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत थे।

संयुक्त निदेशक द्वारा लिपिकीय वर्ग में नियुक्त आरक्षित वर्ग की सूची

4—श्री शंकर सिंह—

द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु० के अता०प्र०सं० 29 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत 65 लिपिकीय वर्ग में नियुक्त आरक्षित वर्ग की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

लिपिक वर्ग में कुल 62 नियुक्तियां की गयीं जिनका विवरण निम्नवत है :—

विकलांग अभ्यर्थियों की संख्या	3
अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या	6
साधारण वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या	43
छटनीशुदा अभ्यर्थियों की संख्या	2
प्रोन्नत किये गये विभागीय चतुर्थ श्रेणी के अभ्यर्थियों की संख्या	5
सेवाकाल में मत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की संख्या	3

पत्रकार श्री देवी दयाल वर्मा द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

5—श्री शंकर सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें जालौन नगर के एक पत्रकार देवीदयाल वर्मा का दिनांक 20 सितम्बर, 82 को भेजा गया रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जिलापूर्ति कार्यालय में पत्रकारों के साथ अन्याय और भीषण भ्रष्टाचार व्याप्त होने की शिकायत की गई है ? यदि हाँ, तो शिकायत के मुख्य बिन्दु क्या-क्या हैं और इस

सम्बन्ध में शासन ने किस अधिकारी से जांच कराई है ? जाँच का निष्कर्ष क्या रहा ? क्या जांच के दौरान शिकायतकर्त्ता को अपनी शिकायत सिद्ध करने का पूरा-पूरा अवसर दिया गया ?

श्री वासुदेव सिंह—

श्री देवी दयाल वर्मा का दिनांक 20 सितम्बर, 1982 का पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । यदि माननीय सदस्य उक्त पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दें तो शासन द्वारा उस पर अपेक्षित क'र्यवाही की जायेगी ।

नगर महापालिका, लखनऊ में अधिवक्ता पैनेल तथा दिये गये केस

6 – **श्री प्रदीप कुमार यादव—**

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नगर महापालिका लखनऊ में वर्ष 1981-82 में कितने वकील पैनल में रखे गये तथा उनमें केसों का आवंटन का आधार क्या नियत किया गया है ? क्या ऐसे भी वकील हैं जिनको अभी तक कोई केस नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो केस न देने का आधार क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगर महापालिका, लखनऊ में फरवरी, 1982 तक 11 अधिवक्ता पैनल में थे । मार्च 1982 में 2 अन्य अधिवक्ताओं को पैनल में सम्मिलित किया गया ।

केसों की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ताओं की नियुक्ति विभिन्न न्यायालियों के लिए की जाती है ।

ऐसे कोई वकील नहीं हैं जिनको कोई केस न दिया गया हो ।

आपरेशन थियेटर टैक्नीशियन्स को निःशुल्क आवास की सुविधा दिये जाने पर विचार

7—**श्री पंचानन राय—**

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 4थे गुरुवार के अता० प्र० सं० 29 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री इस बात की पुनः जांच करायेंगे कि आपरेशन थियेटर टेक्नीशियन को प्रायः आकस्मिक सेवा करनी पड़ती है और इस आधार पर उन्हें निःशुल्क आवास की अनुमन्यता पर शासन विचार करेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जैसा पहले सूचित किया जा चुका है, आपरेशन थियेटर टेक्नीशियन्स को केवल विशेष परिस्थितियों में जब नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी के लिये उपलब्ध नहीं होता है तब आकस्मिक सेवा करनी पड़ती है । अतः उन्हें निःशुल्क आवास की सुविधा दिये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता तथा उनकी शैक्षिक योग्यता

8—श्रीमती गौरी देवी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण में इस समय निर्माण एवं विकास कार्य हेतु तथा भवनों के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान करने के लिए कितने सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता कार्यरत हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

गोरखपुर विकास प्राधिकरण में इस समय एक सहायक अभियन्ता, एक नगर नियोजक और चार अवर अभियन्ता कार्यरत हैं। उक्त अभियन्ताओं की शैक्षिक योग्यता निम्नवत् है :—

सहायक अभियन्ता	बी० एस० सी०, एम० ई० (आनर्स),ए०एम०आई०ई० (इण्डिया)
सहायक नगर नियोजक	एम० ए०, आई०आई०टी० खड़कपुर द्वारा मास्टर आफ रीजनल प्लानिंग में डिप्लोमा
अवर अभियन्ता	इण्टरमीडिएट एवं सिविल इन्जीनियरिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौड़ीराम गोरखपुर के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत की जांच

9—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि गोरखपुर जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्ष 81-82 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली दाइयों को 300 रुपये के स्थान पर 200 रुपया (स्टाइपेन्ड) दिया गया और लगभग 80 हजार रुपया प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सकों, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घपला कर दिया गया ? क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा अगस्त, 82 के प्रथम सप्ताह में एक लिखित शिकायत कौड़ीराम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कौड़ीराम गोरखपुर के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध स्वास्थ्य मंत्री जी से की गयी थी ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा कराई गई और दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

खाद्य विभाग के लेखा संगठन में मुख्य लेखाधिकारी द्वारा स्थानान्तरण एवं गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

10—**श्री रियासत हुसैन**—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग के लेखा संगठन में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्थानान्तरण एवं गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई शिकायती-पत्र दि० 2-7-82 को एवं दिनांक 20-9-82 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हाँ। विधायक महोदय के पत्र दिनांक 2-7-82 तथा 20-9-82 प्राप्त हुए थे, जिनमें मुख्य शिकायतें स्थानान्तरण के सम्बन्ध में इस आशय की थीं कि एक स्थान पर 10 वर्ष से तैनात कर्मचारियों में से कुछ का स्थानान्तरण नहीं किया गया, स्थानान्तरण घूस लेकर किये गये, कतिपय महिलाओं का स्थानान्तरण नहीं किया गया, एक सम्प्रेक्षक का स्थानान्तरण रोका गया।

मामले के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि निर्धारित नीतियों के अधीन ही स्थानान्तरण किये गये। किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी. एम. एस. डाक्टरों की नियुक्ति

11—**श्री कुबेर भण्डारी,**
श्री श्यामनरायन तिवारी तथा
श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी० एम० एस० डाक्टर नहीं हैं, जिनकी पूर्ति हेतु जून-जुलाई, 82 में बुलाये गये अभ्यर्थियों का इन्टरव्यू लिया गया था ? यदि नहीं, तो नियुक्ति हेतु सूची-बद्ध डाक्टरों की नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मन्त्री जी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लोकहित को ध्यान में रखते हुए पी०एम०एस० डाक्टरों की नियुक्ति की अविलम्ब घोषणा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इस समय प्रदेश के 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोई भी साधारण ग्रेड पुरुष चिकित्सा अधिकारी नहीं हैं।

पर्वतीय क्षेत्र के लिए सृजित पर्वतीय उप संवर्ग में रिक्तियों को तदर्थ आधार पर भरने हेतु जून - जुलाई, 1982 में चयन किया गया था। परन्तु इसी बीच लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से पर्वतीय उप-संवर्ग के लिये नियमित चयनित सूची प्राप्त हो गई थी इसलिये लोक सेवा आयोग से प्राप्त सूची में नियुक्तियां कर दी गई हैं।

एम. आर. ओ. द्वारा फर्मों के विरुद्ध पाम आयल बेचने की दर्ज रिपोर्ट

12—**श्री यदुनाथ सिंह**—

क्या खाद्य मन्त्री को ज्ञात है कि फैजाबाद के जिलापूर्ति अधिकारी के आदेश पर

ता0 7-11-81 को ए. आर. ओ. ने फर्मों के विरुद्ध पाम आयल बेचने के विरुद्ध आ. व. अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है । यदि हाँ, तो क्यों इस कार्यवाही के लिये कौन जिम्मेदार है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी, हां ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 7-11-81 को कहीं, बल्कि 18-11-81 को दर्ज कराई गयी थी । फैजाबाद की जिन फर्मों में यहाँ पाम आयल पकड़ा गया था, वे इसका व्यापार करने के लिये अधिकृत नहीं थीं, क्योंकि प्रदेश में आयातित पाम आयल का वितरण करने के लिये केवल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम एवं प्रादेशिक सहकारी संघ को नामित किया गया है । अतः इन तीनों फर्मों क विरूद्ध कार्यवाही नियमानुसार थी और उसके लिये किसी के जिम्मेदार होने या कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

निबन्धक सहकारी समितियां, लखनऊ कार्यालय के जूनियर क्लर्क/टंकक श्री चन्द्र कुमार साधू के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच

श्री राम चरण सिंह —

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र०, लखनऊ कार्यालय के जूनियर क्लर्क/टंकक श्री चन्द्र कुमार साहू के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की शिकायत के कारण उन्हें लखनऊ से स्थानान्तरित किए जाने के आदेश मन्त्री जी ने दिनाँक 13-8-82 को दिए थे ? यदि हां, तो उक्त आदेशों के अनुपालन में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्यमन्त्री (श्री बच्चा पाठक)—

जी हां ।

श्री साहू को अधिष्ठान अनुभाग से स्थानान्तरित किया जा चुका है और इनके विरुद्ध आरोपों की जाँच चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजाजीपुरम आवास एवं विकास परिषद कालोनी, तालकटोरा, लखनऊ में भवनों के आवंटन को निरस्त किये जाने का कारण

श्री राम चरण सिंह -

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजाजीपुरम आवास एवं विकास परिषद् कालोनी, तालकटोरा, लखनऊ में मार्च, 1982 से जून, 1982 तक सभी प्रकार के भवनों को मिलाकर कुल कितने भवनों का आवंटन निरस्त किया गया है ? क्या सरकार प्रत्येक भवन (भवन संख्या सहित) के निरस्त किए जाने का अलग-अलग कारण बतायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना —

राजाजीपुरम आवास एवं विकास परिषद कालोनी, तालकटोरा, लखनऊ में मार्च, 1982 से जून, 1982 तक सभी प्रकार के भवनों को मिलाकर कुल 101 भवनों का आवंटन निरस्त किया गया है ।

एम०आई०जी० —

भवन संख्या एफ-2260 मो० मुजम्मिल द्वारा भवन की किश्तों का नियमित भुगतान न किये जाने के कारण कार्यालय पत्रांक-6675/दिनांक-30.3.82 द्वारा अन्तिम नोटिस जारी की गयी जिसके अनुसार दिनाँक 24.3.82 तक रु० 22,094=50 बकाया थी । कार्यालय आदेश संख्या 8352/दिनाँक 7.6.82 द्वारा प्रदेशन निरस्तीकरण के आदेश जारी किये गये ।

भवन सं०-एफ-1018 (मिनी एम० आई० जी०) श्री सीताराम आवंटी द्वारा स्वयं भवन न लेने की इच्छा व्यक्त की गयी । निरस्तीकरण आदेश कार्यालय पत्रांक-7523/ दिनांक 27.4.82 द्वारा जारी किये गये ।

भवन संख्या-वी-282-

श्री राम अवध सिंह आवंटी द्वारा भवन की किश्तों का भुगतान न किये जाने के कारण दिनांक-9.6.82 तक उनके ऊपर रु० 22109=25 पै० बकाया थे, नोटिस के उपरान्त भी आवंटी द्वारा किश्तों का भुगतान नहीं किया गया । अतः कार्यालय पत्रांक-8978/दिनांक 28.6.82 द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किये गये ।

भवन संख्या-ई-2059

श्री हर नारायन सक्सेना द्वारा भवन की किश्तों का नियमित भुगतान न किये जाने के कारण कार्यालय पत्रांक 5604/दिनांक 25.1.82 द्वारा अन्तिम नोटिस जारी की गयी जिसके अनुसार इन पर बकाया रुपये 7872=55 पैसे अवशेष थे । अतः कार्यालय आदेश संख्या 6507/दिनांक 22.3.82 द्वारा प्रदेशन निरस्तीकरण के आदेश जारी किये गये ।

भवन संख्या एफ-1274 :—

श्री नरसिंह प्रसाद सिंह द्वारा भवन की किश्तों का नियमित भुगतान न किये जाने के कारण उनके ऊपर 29.1.82 तक रु० 10,177=80 पैसे अवशेष के कारण कार्यालय पत्रांक-748/दिनांक 27.4.82 द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किये गये ।

भवन संख्या-एफ-1296 :-

श्री रतन लाल अग्रवाल द्वारा भवन की किश्तों का नियमित भुगतान न किये जाने के कारण उन पर बकाया धनराशि रु०.6804-55 पैसे अवशेष होने के कारण नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी किश्तों का भुगतान नहीं किया गया । अतः कार्यालय पत्रांक-6579/दिनांक 25.3.82 द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किये गये ।

भवन संख्या-एफ-129,161,175,269261,273,357,359,379, 391,401, 413,3014,3032,3032,3248,3254,32,78,3282,ई-3477, 3347, के आबंटियों द्वारा प्रदेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को निर्धारित अवधि में पूरा न किये जाने के कारण निरस्तीकरण आदेश जारी किये गये ।

दुर्बल आय वर्ग—

भवन संख्या-एफ-553,555,561,570,581,640,648,686,699,675,681, 627,685,647,708,706,733,727,709,750,757, 766,734, 734,820, 826, 861,822,897,871,873,889,891, 701,726, 901,913,933,991,770, 783, 784,785,755,801,1011,1798/1, 1794/5, 1798/5, 3931, 3577, 3547, 3491, 3851,3587,3829,3677,3469,3395,3237,3291.3389,3341.3453, 3205,3253,3409, 3403,3355,3401,3309,3327,3339,3307,

उक्त भवन के आविंटयों द्वारा कब्जा सम्बन्धी औपचारिकताओं की पूर्ति एवं अवशेष धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण निरस्तीकरण आदेश जारी हुए हैं।

जिला अस्पताल गोरखपुर में भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों की जांच

15—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला अस्पताल, गोरखपुर के भ्रष्टाचार सम्बन्धी गम्भीर शिकायतों की जाँच दि० 27-28 मई, 1979 को अतिरिक्त निदेशक श्री सक्सेना ने किया था ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाए गये थे एवं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ।

जाँच में डा० एस०के० श्रीवास्तव अधीक्षक, श्री पौहारी शरण श्रीवास्तव, लेखा लिपिक तथा श्रीमती वी०एन० बेन्चुरा, मैट्रन, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर दोषी पाये गये। इन सभी का अन्य जनपदों में स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा इसके विरुद्ध जांच रिपोर्ट के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

प्रशिक्षित दाइयों के नाम एवं पते एवं किया गया भुगतान

16—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से मार्च, 82 तक दाई प्रशिक्षण के नाम पर करीब 7 लाख रुपया का भुगतान दिखलाया गया है ? यदि हां, तो प्रशिक्षित दाइयों का नाम एवं पता क्या है तथा किन-किन तारीखों में भुगतान किया गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री राजपति सिंह, प्रशासक, साधन सहकारी समिति बेलघाट के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जाँच

17—**श्री जनार्दन प्रसाद ओझा**—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला जनता पार्टी, गोरखपुर के अध्यक्ष,

श्री बालेन्द सिंह का दि० 28-7-82 का कोई शिकायती-पत्र श्री राजपति सिंह, प्रशासक, साधन सहकारी समिति, पिपरसण्डी वि० क्षे० बेलघाट (गोरखपुर) के विरुद्ध उन्हें मिला है ? यदि हाँ तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? इस सम्बन्ध में विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बच्चा पाठक —

श्री बालेन्द्र सिंह, अध्यक्ष जिला जनता पार्टी, गोरखपुर का शिकायती-पत्र दिनांक 28-7-82 प्राप्त नहीं हुआ है। श्री बालेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, जिला जनता पार्टी का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें श्री राजपति सिंह, प्रशासक के विरुद्ध मुख्य रूप से वित्तीय अनियमितता करने की शिकायत थी। इस पत्र के प्राप्त होने के पूर्व ही श्री सिंह को प्रशासक पद से हटा दिया गया था। श्री सिंह के विरुद्ध वित्तीय आरोपों की जाँच हेतु आदेश दिये जा चुके हैं।

कोतवाली उरई में कोटेदार श्री श्यामबाबू के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग

18—**श्री दलगंजन सिंह** —

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि० 29-6-82 को कोतवाली उरई में पूर्ति निरीक्षक रफीक अहमद ने दफा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोटेदार श्री श्याम बाबू के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया है ? यदि हाँ, तो कोटेदार के विरुद्ध क्या आरोप थे और क्या इसके पूर्व कोटेदार ने डी०एस०ओ० के विरुद्ध शिकायतें की थीं ? यदि हाँ, तो वे शिकायतें क्या थीं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हाँ। दिनांक 29-6-82 को कोतवाली उरई मे पूर्ति निरीक्षक रफीक अहमद ने श्री श्याम बाबू कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराया। उक्त कोटेदार के विरुद्ध जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी के आदेशों के बावजूद वितरण अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत न किये जाने के आरोप थे।

इसके पूर्व कोटेदार ने जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें की थीं जिसमें पाम आयल/रेपसीड आयल के असमान वितरण तथा 6 कोटेदारों से रु० 200/-- प्रतिमाह माँगने सम्बन्धी आरोप थे जिनकी जाँच प्रभारी अधिकारी आपूर्ति/परगनाधिकारी उरई द्वारा करायी गयी थी जिसमें आरोप निराधार पाये गये इसलिये शिकायतें दाखिल दफ्तर कर दी गयीं।

यू० पी० बैंक इम्पलाईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि० रेडगेट होटल, गोलागंज लखनऊ के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता

19—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० बैंक इम्पलाईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, रेडगेट होटल, गोलागंज, लखनऊ के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता कब से और किस दर से भुगतान किया जा रहा है ? यदि

नहीं, तो सरकार उपरिलिखित सोसाइटी के कर्मचारियों को कब तक उक्त भत्ते उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही पूर्ण करेगी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ। यू०पी० बैंक इम्पलाईज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि० रेडगेट होटल, गोलागंज लखनऊ के पूर्ण कालिक कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य दरों पर मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता दिनांक 1-4-1982 से दिया जा रहा है जो निम्न प्रकार है।

चपरासी जिनका वेतन 340 रु० तक है को 30 रुपया प्रतिमाह तथा शेष कर्मचारियों को जिनका वर्तमान वेतन 340 रु० तथा 600 रुपया के बीच है 60 रुपया प्रतिमाह मकान किराया भत्ता तथा 3 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 25 रु० तक)नगर प्रतिकर भत्ता सभी को दिया जा रहा है। अप्रतर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भोला खेड़ा ग्राम के मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

20— श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले गुरुवार के अता० प्र० सं०—10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980—81 में उपरोक्त मोहल्ले में शासन द्वारा मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत 1-47 लाख रु० की योजना स्वीकृत की गयी थी ? यदि हाँ, तो उसमें से कितने रुपये के कौन-कौन से कार्य किये गये ? शेष रुपये का कौन-कौन-सा कार्य शेष है तथा कब तक शेष कार्य पूर्ण करा दिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना —

यह सही है कि वर्ष 1980-81 में भोला खेड़ा ग्राम के मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत रु० 1-47 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी। इसके अन्तर्गत स्वीकृत योजना के अनुसार प्रस्तावित गलियों में नाली एवं खडंजे का कार्य रु० 88, 168-70 पैसे की लागत का पूर्ण करा दिया गया है। शौचालय, विद्युतीकरण तथा स्नाननागार के कार्य शेष हैं। अवशेष कार्यों को आगमी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराये जाने की सम्भावना है।

सुभाष नगर (भोला खेड़ा) आलमबाग, लखनऊ में खंडजा लगाये जाने की कार्यवाही एवं श्री रमेश चन्द्र यादव, महामंत्री द्वारा दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

21— श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले गुरुवार के अता० प्र० स०—12 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भवनों की कतारों के मध्य जो छोटी—छोटी गलियां छोड़ी गयी हैं, उन पर खड़जा लगाने के सम्बन्ध में दिनाँक-6—10-1982 तक का कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग का

भूमि सम्बन्धी विवाद कुछ माह पूर्व निपट गया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्य सम्पन्न हो जाने की सम्भावना है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सुभाष नगर (भोला खेड़ा) आलमबाग लखनऊ में भवनों की कतारों के मध्य जो छोटी-छोटी पांच गलियां छोड़ी गयी थीं उनमें 6-10-1982 तक खड़न्जा लगाये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि उक्त गलियां महापालिका की सम्पत्ति नहीं हैं। मोहल्ला सुभाष नगर (भोला खेडा) बिना किसी ले-आऊट प्लान के वहीं के लोगों द्वारा बसाया गया था। उस मोहल्ले की गलियां या तो लोगों की व्यक्तिगत सम्पत्ति पर हैं अथवा सिंचाई विभाग की भूमि पर हैं। सिंचाई विभाग का भूमि सम्बन्धी विवाद निपट जाने की सूचना लखनऊ नगर महापालिका में प्राप्त नहीं हुई है।

22 – श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र के 1ले गुरुवार के अता० प्र० सं०–12 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त पत्र में उल्लिखित सात तथ्यों पर क्रमवार नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा दिनांक 6-10-82 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले गुरुवार के अता. प्र. सं.-12 के उत्तर के सन्दर्भ में सात तथ्यों पर नगर महापालिका, लखनऊ, द्वारा 6-10-82 तक की गयी कार्यवाही निम्नवत् है :—

(1) आलमबाग में कानपुर रोड़ से पूर्व एवं पश्चिम में स्थित कई क्षेत्र निचले स्थानों पर होने के कारण वर्तमान समय में वहां जल भराव की समस्या कुछ हद तक दूर की जा चुकी है। फिर भी कुछ क्षेत्रों से पानी निकासी का कोई साधन न होने के कारण एक वृहत योजना तैयार करने के लिये जल निगम से लिखा पढ़ी की जा रही है। उस योजना के कार्यान्वित होने में पर्याप्त समय लगेगा और तभी उक्त समस्या का स्थायी हल संभव हो सकेगा। उस सड़क के किनारे की नालियों तथा कानपुर रोड़ की तरफ ढ़की हुई गहरी नालियों की सफाई महापालिका द्वारा समय-समय पर कराने का प्रयास किया जा रहा है।

(2) प्रश्नगत रोड का निर्माण श्री पुत्ती लाल के मकान के आगे नहर विभाग द्वारा हदबन्दी न किये जाने के फलस्वरूप नहीं हो पाया था। अब हदबन्दी हो गयी है और यह कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में संभव हो सकेगा।

(3) उक्त रोड के एक भाग में नहर विभाग द्वारा हदबन्दी न किये जाने के कारण नाली नहीं बनी थी। अब नहर विभाग ने हदबन्दी करदी है तथा उस भाग में नाली बनाने हेतु अगले वित्तीय वर्ष में प्राविधान किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत क्षेत्र की पाँच गलियों की भूमि विवादित है। उक्त गलियों की भूमि महापालिका की नहीं है और न ही सिंचाई विभाग द्वारा महापालिका को हस्तान्तरित की गयी है। उन गलियों तथा वहां के भूखण्ड किसी ले-आउट के साथ नियमनुसार स्वीकृत नहीं कराए गये हैं और न ही कोई विकास शुल्क इस सम्बन्ध में जमा किया गया है।

(5) ग्राम भोला खेड़ा में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत जो गलियाँ प्रस्तावित की गयी थीं उनका कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(6) 15 स्पेन तार खींचने के लिये लेस से व्यय अनुमान माँगा गया है । उसके प्राप्त होने पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था करा दी जायेगी ।

(7) सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण उक्त क्षेत्र में नियमित सफाई की व्यवस्था अभी नहीं हो सकी है । परन्तु महापालिका द्वारा समय-समय पर विशेष दौरा लगा कर सफाई कराई जाती है ।

लखनऊ कानपुर रोडपर स्थित सुभाष नगर(भोला खेड़ा) मोहल्ले में एक निर्माण का कार्य

23—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरुवार के अता. प्र. सं.–6 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 80 प्रतिशत कार्य जो पूर्ण हो चुका है उसका विवरण क्या है ? तथा शेष 20 प्रतिशत कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा तथा उसका विवरण क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 में जिस कार्य का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने को कहा गया था उसके अन्तर्गत भोला-खेड़ा की गलियों में केवल खड़न्जा तथा नाली बनाने का ही कार्य सम्मिलित था । शेष 20 प्रतिशत कार्य भी इन्हीं गलियों के खड़न्जे एवं नाली से ही सम्बन्धित था । अब यह 20 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण कराया जा चुका है । यह सम्पूर्ण कार्य रुपये 88,168-70 पैसे की लागत का है ।

24—श्री राम आसरे वर्मा—

—[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

बिल ग्राम नगर के राशन कार्डों का सत्यापन

25—श्री नन्दकिशोर सिंह तथा—

श्री राजकुमार राय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के बिलग्राम नगर में किन परिस्थितियों के कारण शासनदेश बावजूद भी अभी तक राशन कार्डों का सत्यापन नहीं कराया गया है ? क्या राशनकार्डों का सत्यापन अविलम्ब कराया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

बिलग्राम नगर में राशन कार्डों का सत्यापन कार्य कराया जा रहा है और लगभग 90 प्रतिशत राशन कार्ड सत्यापित भी किये जा चुके हैं । शेष राशनकार्ड के सत्यापन का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जायगा ।

जनपद हरदोई के सांड़ी नगर में चीनी के दुकानदारों के विरुद्ध शिकायत की जांच तथा व्यक्तिगत शकर डीलरों को चीनी का आवंटन

26— **श्री नन्दकिशोर सिंह**—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के सांड़ी नगर को कुछ भूतपूर्व व्यक्तिगत शकर डीलरों के विरुद्ध जनता की शिकायत पर माह सितम्बर, 198 से शक्कर ब्लैक की जाँच चल रही थी ? यदि हां, तो उक्त जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी, हां ।

जनपद हरदोई के साड़ी नगर के कुछ भूतपूर्व व्यक्तिगत चीनी के दुकानदारों के विरुद्ध जिला स्तर पर माह सितम्बर, 1981 से चीनी की चोरबाजारी की जांच की जा रही थी, परन्तु मुन्सिफ (पूर्वी), हरदोई द्वारा दिनांक 20 अक्तूबर, 1981 को स्थगन आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप जांच स्थगित कर दी गई तथा उक्त न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को अन्तिम निर्णय तक के लिये प्रभावी कर दिया गया। मामला अभी उक्त न्यायालय में विचाराधीन है ।

माह अक्टूबर, 1980 से अप्रैल, 1982 की अवधि में साड़ी नगर के व्यक्तिगत तथा सहकारी समितियों की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को आवश्यकता से अधिक चीनी का कोटा दिये जाने के फलस्वरूप लगभग 1200 कुन्टल चीनी की चोरबाजारी किये जाने तथा इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर भी जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने की शिकायत की जाँच शासन द्वारा अतिरिक्त आयुक्त एवं उपपुलिस महानिरीक्षक (फूडसेल) मे भी कराई गई है। फूडसेल की जांच रिपोर्ट पर शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस चरण पर जाँच के परिणाम बताना जन-हित में नहीं है।

27—**श्री नन्दकिशोर सिंह**—

क्ता खाद्य मन्त्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के सांड़ी नगर में माह दिसम्बर, 1980 में कितने व्यक्तिगत शकर डीलर थे और उनको किस आधार पर उक्त माह में कितनी चीनी दी गयी थी ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद हरदोई के सांड़ी नगर में माह दिसम्बर, 1980 में 9 व्यक्तिगत शकर डीलर थे और उनको उस समय प्रवृत यूनिटों के आधार पर उक्त माह में 152 कुन्टल चीनी दी गई थी ।

सांड़ी में सहकारी शक्कर डीलरों की नव नियुक्त दुकानों को चीनी का आवंटन तथा चेक/शाप रजिस्टर उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही

28—**श्री नन्दकिशोर सिंह**—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के सांड़ी नगर में जनवरी, 1981 में जब वितरण प्रणाली सहकारी क्षेत्र में दी गयी थी तो उस समय सहकारी

शक्कर डीलरों की नव नियुक्त दुकानों को किस आधार पर और कितनी चीनी आवंटित की गई थी ? क्या पुराने शकर डीलरों ने अपने चेक/शाप रजिस्टर नवीन नियुक्त सहकारी डीलरों को उपलब्ध कराये थे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह —

जनवरी, 1981 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहकारी क्षेत्र में दिये जाने के फलस्वरूप जनपद के गांड़ी नगर में सहकारी समितियों को 5 दुकानें आवंटित की गई थीं। इन नव नियुक्त दुकानों को उस समय प्रवृत 17,295 यूनिटों के आधार पर 172 कुन्टल चीनी प्रति माह आवंटित की गई थी। पुराने शक्कर के डीलरों के चेक/शाप रजिस्टर नव नियुक्त सहकारी दुकानों को उपलब्ध नहीं कराये गये। इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

टाउन एरिया कुरावली, जिला मैनपुरी के जनरेटर को चालू कराने का अनुरोध

29—**श्री नन्दकिशोर सिंह —**

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 3रे शुक्रवार के ता० प्र० सं०-11 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया कुरावली, जिला मैनपुरी के जनरेटर को चालू करा दिया है ? यदि नहीं, तो जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना —

जी नहीं। विशेषज्ञ उपलब्ध न होने के कारण सम्बन्धित फर्म से ही विशेषज्ञ भेजकर जनरेटर चालू कराने का अनुरोध किया गया है, किसी कर्मचारी का दोष नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग, गोरखपुर में भ्रष्टाचार तथा प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र, घुघली में एक्सपायरी तिथि की दवाइयों के वितरण की जांच

30—**श्री जर्नादन प्रसाद ओझा —**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिए निदेशालय से जांच के लिये 23 एवं 24 अगस्त, 82 को लिखा था ? क्या यह सच है कि जांच के दौरान प्रायः सभी आरोप सच पाये गये ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के लिये निदेशालय से जांच के लिये कोई निर्देश नहीं दिये गये थे बल्कि चिकित्सा विभाग के विशेष सचिव डा० वी० एन० श्रीवास्तव द्वारा जाँच कराई गई। जांच पर सभी आरोप सत्य नहीं पाये गये। जांच पर ज्ञात हुआ कि उक्त मामले की जांच पहले भी की जा चुकी थी और तद् आधार पर जिला अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक डा० टी० सी० पाण्डे, कार्यवाहक अधीक्षक डा० एस० के० श्रीवास्तव लेखा लिपिक सर्वश्री एम० पी० सिंह तथा पौहारी शरण

श्रीवास्तव, स्टोर क्लर्क श्री अम्बुद श्याम श्रीवास्तव, डा० आर० एस० गोयल, मैट्रन श्रीमती बेन्चुरा, श्री बुद्धि सागर, फार्मेसिस्ट तथा स्टाफ नर्स माया जोसेज को दोषी पाया गया था। उनसे राजकीय धन की क्षति पूर्ति हेतु वसूली की जा रही है तथा डा० गोयल की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं ?

31—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जाँच के दौरान प्रा० स्वा० केन्द्र, घुघली में एक्सपायरी तिथि की दवाईयों के वितरण की बात भी प्रकाश में आई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन व्यक्ति दोषी है एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

गाजीपुर जनपद में सीमेन्ट का आवंटन

32—श्री राम नरायन, एडवोकेट—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक कुल कितनी मात्रा के लिये सीमेंट का निर्धारित कोटा था और कितना सीमेंट इस अवधि में गाजीपुर को दिया गया है तथा किन व्यक्तियों को एक साथ 50 बोरी से अधिक सीमेंट और किस आधार पर दिया गया है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक गाजीपुर जनपद को कुल 11,700 मी. टन सीमेंट का आवंटन किया गया था और कुल ४,728.80 मी. टन इस जनपद में फैक्ट्रियों से प्राप्त हुआ था।

एक साथ 50 बोरी से अधिक सीमेंट की आपूर्ति निम्नांकित प्रकार से चार व्यक्तियों को उक्त अवधि में दी गयी है :

	व्यक्ति का नाम	दी गई सीमेंट की मात्रा (बोरी में)	आधार
1	श्री कृष्ण दत्त सिंह मैदनीपुर, पेट्रोल पम्प, दिलदार नगर	60	पेट्रोल पम्प का निर्माण
2	श्री एस. एच. खान निवासी ग्राम ताजपुर कुर्रा	200	भवन निर्माण
3	श्री विन्ध्याचल राय, एम. एल. सी. निवासी ग्राम- मेहरौढ़	70	भवन निर्माण का नक्शा व प्राकलन
4	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंह निवासी ग्राम तुलसी सागर	75	तदैव

गाजीपुर जनपद के कोटे से श्री एस० एच० खान, जनरल मैनेजर, आई० डी० डी० बाम्बे को दिया गया सीमेन्ट का परमिट

33–श्री राम नरायन एडवोकेट—

क्या खाद्य एवं मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक श्री एस० एच० खान, निवासी ग्राम हर्रा, परगना जमनियां, जनपद गाजीपुर जो आई० डी० डी० (इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट बैंक) बाम्बे के डायरेक्टर हैं के नाम अथवा इनके परिवार के नाम कुल कितनी बोरी सीमेन्ट जनपद गाजीपुर के कोटे की एलाट की गयी और किस आधार पर ?

श्री वासुदेव सिंह—

गाजीपुर जनपद के कोटे से जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक श्री एस० एच० खान, जनरल मैनेजर आई० डी० बी० बाम्बे, निवासी ग्राम ताजपुर कुर्रा, परगना-जमानियां, जनपद-गाजीपुर के नाम केवल 200 बोरी सीमेंट का परमिट भवन निर्माण हेतु 4-12-81 को दिया गया। उनके परिवार के अन्य किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई परमिट नहीं दिया गया है।

गोरखपुर जनपद में सीवेज योजना का प्रारम्भ तथा व्यय

34–श्री पंचानन राय—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर नगर में सीवेज योजना का प्रारम्भ किस वर्ष में हुआ तथा क्या वह अब तक पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि इस सीवर लाइन के निर्माण में अब तक कितना कुल व्यय हुआ है तथा उसे पूरा करने में और कितने धन की आवश्यकता होगी ?

श्री राम सिंह खन्ना —

गोरखपुर नगर में सीवेज योजना वर्ष 1961-62 में प्रारम्भ हुई थी। योजना के अन्तर्गत दक्षिणी क्षेत्र के समस्त कार्य पूर्ण करके स्थानीय निकाय को हस्तान्तरित किये जा चुके हैं। उत्तरी क्षेत्र के कार्य भी पूर्ण हो गये थे किन्तु वर्ष 1971-72 की भयंकर वर्षा एवं बाढ़ के फलस्वरूप मुख्य सीवर लाइन कुछ अंश में क्षतिग्रस्त हो गयी।

इस योजना पर अब तक रु० 49.20 लाख का व्यय हुआ है। क्षतिग्रस्त सीवर को ठीक करने हेतु आंगणन तैयार किये जा रहे हैं।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिला अस्पतालों में दवा की सुविधा

35—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को जिला अस्पतालों में दवा की विशेष सुविधा है और उनके लिए कोई कोटा निर्धारित है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी, हाँ ।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में बी० एच० डब्लू ट्रेनिंग सेन्टर की इन्चार्ज श्रीमती सीता सिंह का स्थानान्तरण

36—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर में बी०एच०डब्लू० ट्रेनिंग सेन्टर के इन्चार्ज श्रीमती सीता सिंह का स्थानान्तरण मार्च, 82 में हुआ था ? यदि हां, तो फिर स्थानान्तरण निरस्त करने का कारण क्या है तथा स्थानान्तरण करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मेडिकल कालेज गोरखपुर में बी०एच० डब्लू० ट्रेनिंग सेन्टर की इन्चार्ज श्रीमती सीता सिंह के स्थानान्तरण आदेश फरवरी 1982 में पारित किये गये थे । उच्च न्यायालय के आदेशानुसार स्थानान्तरण आदेश रोक दिये गये हैं । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मिल्कीपुर सहकारी समिति/सहकारी संघ में आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता की शिकायतें

37—श्री मित्रसेन यादव—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी संघ एवं सहकारी समिति मिल्कीपुर, फैजाबाद से वितरण होने वाले चावल, चीनी कपड़ा और खाद में होने वाली गम्भीर अनियमितताओं एवं गोलमाल तथा गबन के मामले को लेकर दिनांक 24 सितम्बर, 81 को कई हजार स्थानीय जनता में प्रदर्शन एवं घेराव किया था और सेलमैन राज सिंह और अभयराज पाण्डे तथा समिति एवं संघ के सचिवों पर गम्भीर आरोप लगाये थे ? यदि हाँ, तो मांग-पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं उसकी जाँच किससे करायी गयी और दोषी व्यक्तियों के प्रति क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

माँग पत्र में मिल्कीपुर सहकारी समिति/सहकारी संघ से सम्बन्धित चार न्याय पंचायतों में पृथक-पृथक दूकान खोलने, चीनी, मिट्टी का तेल, खाद, नियंत्रित कपड़ा आदि आवश्यक वस्तुओं के वितरण में अनियमितता की शिकायतें तथा गड़बड़ियों के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों को निलम्बित कर विस्तृत जाँच कराने व समिति के कार्यक्षेत्र में वितरित ऋण व खाद का सत्यापन कराने की माँग की गयी थी ।

शिकायती-पत्र की जाँच अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, बीकापुर से कराई गयी ।

जाँच के दौरान दोषी पाये गये संघ के कर्मचारी को निलम्बित कर अनुशासनात्मक

कार्यवाही की जा रही है। साथ ही क्षेत्र के पर्यवेक्षक जो संघ/समिति के सचिव के पद का भी कार्य देख रहे थे, का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

38—श्री मित्रसेन—

[दिनांक 28-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या—71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम तिवारीपुर, जनपद आजमगढ़ में कूड़ाघर बनाए जाने के संबंध में पत्र

39—श्री पंचानन राय—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ संगठित नगर विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम तिवारीपुर, तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ में कूड़ाघर बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री दयानन्द पाण्डेय का पत्र दिनांक 2-2-82 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 4-2-82 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कर्यवाही की गयी है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां।

नगरपालिका द्वारा ग्राम तिवारीपुर में भू-चयन एवं भूअर्जन की कार्यवाही की जा रही थी परन्तु तिवारीपुर ग्रामवासियों के विरोध के कारण जिलाधिकारी आजमगढ़ के आदेश द्वारा भूअर्जन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है तथा अन्यत्र भूअर्जन करने का प्रस्ताव है।

विकास खण्ड अजमतगढ़ की साधन सहकारी समिति, कांखभार के गोदाम का निर्माण

40—श्री पंचानन राय—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि साधन सहकारी समिति कांखभार, विकास खण्ड, अजमतगढ़, आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्रामीण खाद गोदाम निर्माण स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब स्वीकृत हुआ है ? और कब तक निर्माण पूरा कर दिया जायगा ?

श्री बच्चा पाठक—

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अजमतगढ़ की साधन सहकारी समिति कांखभार का गोदाम विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। इसकी स्वीकृति वर्ष 79-80 में हुई थी। अभी तक समिति द्वारा गोदाम निर्माण हेतु उपयुक्त भूखण्ड की व्यवस्था नहीं की जा सकी। गोदाम निर्माण हेतु भूमि मिलने के पश्चात चार माह में गोदाम पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

क्षतिग्रस्त आलू के मुआवजे का भुगतान

41—श्री प्रभू नारायण सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 6ठे गुरुवार के उत्तरित ता०प्र०सं०-18 के उत्तर

के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या क्षतिग्रस्त आलू का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

बीमा कम्पनी से क्लेम अस्वीकृत हो जाने के कारण मुआवजे का भुगतान अभी सम्बन्धित किसानों को नहीं किया गया है। समिति की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है।

42—श्री राजकुमार राय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

जनपद मुजफ्फरनगर को लेवी सीमेन्ट की आपूर्ति तथा विवरण

43—श्री हुकम सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1 जनवरी, 1982 से 15 सितम्बर, 1982 तक मुजफ्फरनगर जनपद को कन्ट्रोल रेट पर कितने बैग सीमेंट सप्लाई किया गया और उसमें से कितना सीमेंट हरिजन एवं निर्बल वर्ग के सदस्यों को दिया गया ? आवंटियों की सूची उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

1 जनवरी, 1982 से 15 सितम्बर, 1982 तक मुजफ्फरनगर जनपद में 1,13,651 बोरे लेवी सीमेंट प्राप्त हुआ।

सीमेंट वितरण के सम्बन्ध में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत सीमेंट के माँग पत्र में जाति अथवा वर्ग को विवरण देना आवश्यक हो। अतएव प्रश्न के शेष भाग की सूचना देना सम्भव नहीं है।

श्री वासुदेव सिंह, प्रोजेक्टर, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के स्थानान्तरण के संबंध में कार्यवाही

44—श्री कुबेर भण्डारी तथा
श्री श्याम नरायन तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दि० 30-9-82 श्री वासुदेव सिंह, प्रोजेक्टर, कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त है। जिसमें श्री सिंह के बहराइच जनपद के ही चौदह वर्ष के कार्यकाल में तीन बार स्थानान्तरण होने के बावजूद तीनों बार पुनः निरस्त कर दिया ? यदि हां, तो प्रश्नकर्त्ता के उक्त पत्र के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नकर्त्ता का कथित पत्र दिनांक 30-9-82 शासन को प्राप्त हुआ है। मामले की जांच उच्च अधिकारी द्वारा कराई जा रही है।

खाद्य पदार्थों के नमूनों में से अपमिश्रित पाये गये नमूनों के विरुद्ध कार्यवाही तथा राजकीय प्रयोगशाला में नमूनों का परीक्षण

45—श्री कुबेर भण्डारी तथा
श्री श्याम नरायन तिवारी—

क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 2रे गुरुवार अता०प्र०सं० 57 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 80 में खाद्य पद्यार्थों के 21351 नमूनों में से 3882 नमूने अपमिश्रित पाये गये ? जिसमें सिर्फ 2134 व्यक्तियों पर ही मुकदमें क्यों चलाए गये ? शेष 1747 व्यक्तियों पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1980 में खाद्य पदार्थों के 43260 नमूनों में से 5018 नमूने अपमिश्रित पाये गये। अपमिश्रित पाये गये 4919 नमूनों से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजना दायर कर दिये गये हैं। शेष 99 मामलों में भी अभियोजन दायर करने की कार्यवाही की जा रही है।

46—श्री कुबेर भण्डारी तथा
श्री श्याम नरायन तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतायेंगे कि वर्ष 1980 में औषधियों के 2124 लिये गये नमूनों में सिर्फ 576 नमूनों की ही जांच की गयी जिसमें से 270 नमूने अपमिश्रित पाये गये औषधि नमूनों से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही से मन्त्री जी सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1980 में औषधियों के 2072 नमूने राजकीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्राप्त हुये जिनमें 65 नमूने टूटे पाये जाने के कारण रद्द कर दिये गये। शेष 2007 नमूनों में से अब तक 1292 नमूनों की जाँच की जा चुकी है जिनमें 218 नमूने निम्न स्तर के पाये गये है। केवल 715 नमूने जांच के लिये शेष हैं।

निम्न स्तर के पाये गये 218 नमूनों से सम्बन्धित मामलों में कार्यवाही निम्न प्रकार की गई है :—

1 निम्न स्तर के ऐसे नमूनों की संख्या जिनमें मुकदमा चलाये जाने के आदेश पारित कर दिये गये हैं ...3

2 निम्न स्तर के ऐसे नमूनों की संख्या जिनसे सम्बन्धित फर्मों के निर्माण लाइसेन्स निरस्त किये गये 4

3 निम्न स्तर के ऐसे नमूनों की संख्या जिनमें पुलिस/सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराई जा रही है 5

4 निम्न स्तर के ऐसे नमूनों की संख्या जिनसे सम्बन्धित फर्में प्रदेश के बाहर स्थित है अतः उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सम्बन्धित प्रदेश के औषधि नियंत्रकों को लिखा गया है।

5	निम्न स्तर के ऐसे नमूनों की संख्या जिनमें उनसे सम्बन्धित निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है	...52
6	निम्न स्तर के ऐसे नमूनों की संख्या जिनमें औषधि अधिनियम के शेड्यूल (वी) के प्रवर्तन की अवधि को भारत सरकार द्वारा बढ़ाये जाने के कारण कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है	...31
7	निम्न स्तर के ऐसे नमूनों की संख्या जिनमें कार्यवाही करने के पहले की आवश्यक जांच पड़ताल की जा रही है	...85.
	कुल	218

खाद्य पदार्थों एवं औषधि सामग्रियों के नमूनों में अनियमितता संबंधी मांग पत्र की जांच

47—**श्री कुबेर मण्डारी तथा**

श्री श्याम नारायन तिवारी—

द्वितीय सत्र 82 के 2रे गुरुवार के अता०प्र०सं० 57 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि उक्त वांछित मांगों के अन्तर्गत मामले की जांच पूर्ण करा ली गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट एवं कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत जाँच अभी जारी है ।

कृषकों से चावल की सीधी खरीद तथा चावल मिलों से कुटवाने में हुआ व्यय

48—**श्री जयदीप सिंह बरार—**

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1ले गुरुवार के अत० प्र० सं 189 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तिम आँकणों के आधार पर वर्ष 1980 में किसानों की सीधी खरीद द्वारा कितना धान खरीदा गया और इस धान से कुल कितना चावल सरकार ने मिलों से कुटवा कर प्राप्त किया है ? धान की खरीद पर एवं चावल निकलवाने पर क्रमशः कितना व्यय हुआ है तथा कुल कितना धन नष्ट हो गया ?

श्री वासुदेव सिंह—

अन्तिम आँकड़ों के आधार पर वर्ष, 1980-81 में धान की कुल खरीद 58,93,642-12-100 कु० हुई जिसे चावल मिलों से कुटवाकर सरकार ने 37,23,227,-34-645 कु० चावल प्राप्त किया । धान खरीद पर प्रासंगिक व्यय सहित रु० 69,69,32,252.49 व्यय हुआ तथा चावल निकलवाने पर हालिंग चार्जेज रूप में रु०86,25,848.84 व्यय हुआ । धान नष्ट होने की कोई सूचना शासन को प्राप्त नहीं हुई ।

उपरोक्त आँकड़े महालेखाकार द्वारा अंकेक्षित (आडिटेड) नहीं है ।

बरेली नगर महापालिका क्षेत्र की जनसंख्या

49—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर महापालिका क्षेत्र की कुल जनसंख्या 1981 की जनगणना के आधार पर कितनी है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

वर्ष 1981 की प्राथमिक जनगणना सार के आधार पर बरेली नगर महापालिका क्षेत्र की जनसंख्या 4,77,213 है । किन्तु यह आंकड़ा अनन्तिम है ।

राज्य भण्डारागान निगम में लाभ प्रबन्धक निदेशक को पुरुस्कृत किये जाने की मांग तथा अन्य नियमों के कार्यकलापों में सुधार लाने की मांग

50— श्री रेवती रमण सिंह तथा —

श्री मुख्तार अनीस—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग सार्वजनिक ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1978-79 में उ०प्र० राज्य भण्डारागर निगम को राज्य के चन्द लाभ मे चलने वाले उपक्रमों के सापेक्ष में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रबन्धक निदेशक को शासन द्वारा पुरस्कृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक —

जी हाँ ।

नहीं ।

शासन यथासंभव इस निगम की वित्तीय तथा अन्य रूप से सहायता करता रहता है । अन्य रूप में व्यक्ति विशेष को पुरुस्कार देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

51—श्री रेवती रमण सिंह तथा—

श्री मुख्तार सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ. प्र. प्र. शासन के राज्य योजना आयोग के संस्थागत वित्त से सम्बन्धित स्टीरिंग ग्रुप ने उ. प्र. राज्य भण्डारागार निगम को आदर्श मानते हुए अन्य उपक्रमों को भी उ. प्र. राज्य भण्डारागार निगम को उदाहरण मानते हुए अपने कार्य-कलापों में इसी तरह सुधार लाने की संस्तुति शासन को भेजी है ? इस उपलब्धि के लिए क्या निगम को पुरुस्कृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

दिनांक 15-12-1979 की बैठक में राज्य योजना आयोग के संस्थागत वित्त एवं आर्थिक सेवाओं से सम्बन्धित स्टीयरिंग ग्रुप के अध्यक्ष ने उ. प्र. राज्य भण्डारागार निगम की स्थिति पर हर्ष एवं संतोष व्यक्त किया था और यह इच्छा व्यक्त की थी कि अन्य राजकीय निगमों और अन्य उपक्रमों को भी इसका उदाहरण अपने सम्मुख रखना चहिए ।

राज्य योजना आयोग की उक्त बैठक के कार्यवृत्ति का व्यापक प्रसार एवं प्रचार आयोग द्वारा हो चुका है। शासन यथासंभव इस निगम की वित्तीय तथा अन्य रूप से सहायता करता रहता है। अन्य रूप में पुरस्कार देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मंडलीय विभाग फैजाबाद में पैथालोजिस्ट का सृजित पद

52— **श्री जंगबहादुर तथा—**

श्री प्रिय दर्शी जेतली—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे फैजाबाद जनपद में मण्डलीय विभाग द्वारा कोई पैथालोजिस्ट का पद सृजित है ? यदि हाँ, तो उक्त पद किन-किन मण्डलों में है तथा सम्बधित अधिकारी के अधिकार व कार्य क्या शासन द्वारा निर्धारित हैं ? उक्त पद पर फैजाबाद मण्डल में कौन-सा अधिकारी और कितने वर्ष से कार्यरत है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मंडलीय विभाग द्वारा कोई पैथालोजिस्ट का पद सृजित नहीं किया गया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

गनेशगंज चिकित्सालय में नियुक्ति एस. बी. एल. जैन का निलम्बन तथा डा. आर. के. अग्रवाल को दिया दिया गया चार्ज

53— **श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महापालिका के अन्तर्गत गनेशगज चिकित्सालय में नियुक्त डा. एस. बी. एल. जैन को 1982 में निलम्बित कर दिया गया था ? यदि हां, तो इनका चार्ज वहां कार्यरत डा. एन. के. जैन को न देकर महापालिका सआदतगंज चिकित्सालय में कार्यरत डा. आर. के. अग्रवाल को दिये जाने का क्या कारण है ? जबकि इन्हीं डा. आर. के. अग्रवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण कुछ समय पूर्व गनेशगंज चिकित्सालय में स्थानान्तरित किया गया था ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हां। डा. एस. बी. एल. जैन के निलम्बन के बाद उनका चार्च गनेशगंज चिकित्सालय में नियुक्त डा. एन. के. जैन को इसलिए नहीं दिया गया कि नगर महापालिका में चार चिकित्साधिकारियों के निलम्बन के कारण अन्य चिकित्सालयों की भी व्यवस्था की जानी थी। चूँकि डा. एन. के. जैन, नवल किशोर रोड़ स्थिति चिकित्सालय एवं गनेशगंज चिकित्सालय का कार्य देख रहे थे, अतः सुविधा की दृष्टिकोण से उनसे गनेशगंज-चिकित्सालय का कार्य हटाकर कर्मचारी चिकित्सालय का भी कार्य दिया गया और डा. अग्रवाल जो सआदतगंज चिकित्सालय का कार्य देख रहे थे उनको नजदीक होने के कारण गनेशगंज चिकित्सालय का भी कार्य प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सौंपा गया था।

विकास खण्ड राजेपुर में साधन सहकारी समिति के सचिव श्री रामस्वरूप का निलम्बन तथा बहाली

54—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड राजेपुर में साधन सहकारी समिति पिथनपुर के सचिव श्री (श्री रामस्वरूप) के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत 1981-82 में एस. डी. एम. सदर द्वारा मुकदमा कायम किया गया और उन्हें निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो जांच पूर्ण होने के पूर्व इन्हें किस आधार पर बहाल कर उसी समिति में नियुक्त किया गया ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ ।

सचिव के विरुद्ध अन्य आरोपों की जांच विभागीय जांच कराई गई । जांच में उक्त सचिव के विरुद्ध आरोप केवल आंशिक रूप से सिद्ध होने के फलस्वरूप उन्हें विभागीय निर्देशों के विरुद्ध कैश वैलेन्स रोककर अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया । तद्नुसार जनपदीय प्रशासनिक कमेटी द्वारा उन्हें निलम्बन काल में 1/3 वेतन देने तथा उनकी चरित्र पंजिका में चेतावनी के आदेश अंकित करते हुए तथा सहकारी देयों की वसूली को ध्यान में रखते हुए उसी समिति में नियुक्त किया गया । श्री दोहरे का इस समिति से स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

मुजफ्फरनगर में स्टेशन रोड पर खोके हटाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

55—श्री मेंहदी असगर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर में स्टेशन रोड पर सिविल कोर्ट के सामने लकड़ी के खोके रखे गए जिनमें दुकानें हैं ? यदि हाँ, तो क्या यह खोके नगरपालिका ने रखाए हैं या दुकानदारों ने खुद ही रख लिए हैं ? क्या सरकार इनको हटाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हाँ । किन्तु जिस भूमि पर खोके रखे हुए हैं जिला न्यायाधीश के अनुसार यह सिविल कोर्ट की है और इसलिये उनकी ही अनुमति से वहाँ खोके रखे गये हैं । खोके हटाये जाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा जिला जज से निरन्तर पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

सिविल चिकित्सालय, डेरापुर जिला कानपुर के चिकित्साधिकारी को अवशेष वेतन का भुगतान

56—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् सिविल चिकित्सालय, डेरापुर, जिला कानपुर के चिकित्साधिकारी को दिनांक 1 नवम्बर, 1973 से इन्ट्रीगेटेड चिकित्साधिकारी घोषित कर दिया गया था ? यदि हां, तो चिकित्सालय के उक्त चिकित्साधिकारी को 1 नवम्बर, 1973 से 14 अप्रैल, 1975 तक का वेतन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बी. पी. पन्त जलकल अभियन्ता, नैनीताल के विरुद्ध आरोपों की जाँच

57—**श्री ओमप्रकाश जिन्दल—**

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या तत्कालीन मण्डल आयुक्त कुमायूं मण्डल (श्री वी. के. चानना) ने श्री बी. पी. पन्त, जलकल अभियन्ता, नैनीताल जो अब महा प्रबन्धक जल संस्थान, देहरादून में हैं, के विरुद्ध गम्भीर आरोप शासन को लिखित रूप में भेजे गये थे ? यदि हाँ, तो वे आरोप क्या थे और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? तथा उनके लिये कौन दोषी है ?

श्री रामसिंह खन्ना -

जी हाँ, उन आरोपों का विवरण निम्नकित प्रकार है :—

1—कार्यालय जलकल अभियन्ता नैनीताल की दिनांक 1-4-1977 से दिनांक 30-11-77 तक कैश बुक के बाद दिनाँक 1-12-1977 से दिनांक 31-5-1978 तक की कैशबुक कुमायूँ जल संस्थान को हस्तगत न किया जाना ।

2—रुपया 2171.30 पैसे के स्थाई उच्चन्त का लेखा न देना ।

3—रुपया 280.00 के अस्थाई उच्चन्त का लेखा न देना ।

4 गोपनीय पत्र संख्या 22778 फाइनेन्स दिनांक 23-7-78 तथा पत्र सं० 2900/-लेखा आडिट दिनांक 21-8-79 में वर्णित अनियमितता ।

2. उक्त आरोप के मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी विधायिका तथा श्री दयाशंकर शुक्ल मंत्री उत्थान समिति जयप्रकाश नगर (पूर्व) आलमबाग द्वारा दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

58—**श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें दिनांक 25-9-82 को श्री दयाशंकर शुक्ल, मंत्री उत्थान समिति जयप्रकाश नगर (पूर्व) आलमबाग, लखनऊ का पत्र श्रीमती प्रेमवती तिवारी सदस्या विधान सभा के पत्र के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो पत्र में उल्लिखित मुख्य-मुख्य बातें क्या है तथा उन पर प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

श्रीमती प्रेमवती तिवारी विधायक के पत्र दिनांक 25-9-82 के साथ श्री दयाशंकर शुक्ल मन्त्री उत्थान समिति जयप्रकाश नगर (पूर्व) आलमबाग, लखनऊ के दो पत्र दिनांक 31-8-82 तथा दिनाँक 25-9-82 को प्राप्त हुए थे । दिनाँक 31-8-82 के पत्र की मुख्य-मुख्य बातें निम्नवत थी ;—

(1) विगत दो-तीन वर्षों से अधूरी निर्मित सड़कों पर खड़न्जा बिछवाकर आवागमन योग्य बनाया जाना ।

(2) रास्ते के गड्ढों को पाट कर सड़क योग्य बनाया जाना ।

(3) पक्की नालियों का निर्माण कराया जाना ।

(4) स्ट्रीट लाईन एवं लाईट की समुचित व्यवस्था कराई जाय ।

(5) सार्वजनिक नलों की व्यवस्था कराई जाय ।

श्रीं दयाशंकर शुक्ल के दूसरे पत्र दिनांक 25-9-82 उस क्षेत्र में स्ट्रीट लाईन व लाईट की व्यवस्था कराने का उल्लेख किया गया था ।

प्रशासक, नगर महापालिका द्वारा की गई कार्यवाही निम्नवत् है :—

(1) जयप्रकाश नगर रोड से घोसी की बगल से विशेश्वर नगर को मिलाने वाले रोड का कार्य प्रगति पर है ।

(2) जय प्रकाश नगर रोड पर स्टार्म वाटर ड्रेन का कार्य प्रगति पर है ।

(3) सरदारी खेड़ा रोड से मधुबन नगर व जयप्रकाश नगर रोड को मिलाने वाली सड़क का निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है तथा सुखलाल अड्डा से मधुबन नगर होते हुए जयप्रकाश नगर तक नाली व फर्श का कार्य कराया जा चुका है ।

(4) जयप्रकाश नगर में रोड कटिंग मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

(5) शक्ति नगर में मकान नं० 551 के निकट गली के निर्माण कार्य हेतु निविदा स्वीकृत हो गयी है । शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ।

(6) जयप्रकाश नगर मधुबन नगर में उमेश्वर मन्दिर के पास सड़क का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है ।

जहां तक सार्वजनिक नलों का सम्बन्ध, है इससे नगर महापालिका लखनऊ का सम्बन्ध नहीं है ।

जहां तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था का सम्बन्ध है, उक्त क्षेत्र में एक स्थान पर तीन पोल सर्विस लाईन के हैं जिन पर तीन स्पेन तार लगवा कर महापालिका द्वारा प्रकाश व्यवस्था का प्रबन्ध कर दिया गया है । अब उक्त लाइन पर ट्यूब फिटिंग लगाई जा रही है । उसके आगे 13 नये पोल लगाने हेतु लेसू से व्यय अनुमान मांगा गया है । पोल संख्या जे. पी. एन. आर./19 के आगे जे. पी. एन. आर./20 से 6 एस. एल. प्वाइन्ट्स लगाने हेतु लेसू से रु० 9,380 का व्यय अनुमान प्राप्त भी हो गया है, जिसका भुगतान करके प्रकाश व्यबस्था की जाने वाली है ।

59—**श्री किरनपाल सिंह**—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

ग्राम लक्षमनपुर, जनपद आजमगढ़ के गोदाम के निर्माण में विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

63—**श्री पंचानन राय**—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लक्षमनपुर, विकास खण्ड तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ में खाद गोदाम पिछले कई वर्षों से निर्माणाधीन है ? यदि हां,

तो उसके पूरा न होने के क्या प्रमुख कारण हैं तथा इसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

ठेकेदार के ठेका छोड़कर भाग जाने के कारण ठेका निरस्त कर दिया गया था । तत्पश्चात् समिति के सचिव को अमानी पर निर्माण कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया । विलम्ब के लिए समिति के सचिव का वेतन रोक दिया गया है तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुप्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

गेहूँ की निकासी के सम्बन्ध में शिकायती पत्रों की जांच

61—**श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री नैनूलाल, भू०पू० सभापति, साधन सहकारी समिति, सरायमीर, आजमगढ़ ने दि० 25-2-81 से 17-12-81 तक जिलाधीश, आजमगढ़ तथा सहायक निबन्धक अधिकारी, आजमगढ़ तथा सहकारिता मन्त्री को कितने प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-1-81 को 40 कुंटल गेहूँ की निकासी के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं ? उनमें कौन-कौन से तथ्य हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

दिनांक 25-2-81 से 17-12-81 तक श्री नैनूलाल से जिलाधिकारी आजमगढ़ को तीन पत्र व दो तार, जिला सहायक निबन्धक आजमगढ़ को एक पत्र तथा सहकारिता मन्त्री जी को एक पत्र प्राप्त हुआ है । उनमें 40 कुन्टल गेहूँ की निकासी के बाद कार्ड-धारकों में वितरण न होकर ब्लैक किया जाना, सचिव द्वारा हिसाब-किताब प्रस्तुत न किया जाना, जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी जांच में विलम्ब होना आदि की शिकायतें की गई थीं । जांच में उल्लिखित शिकायतें सही नहीं पायी गयीं । कपड़े के वितरण सम्बन्धी शिकायत की जांच में दोषी पाये जाने पर समिति के सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है तथा उसका स्थानान्तरण अन्य विकास खण्ड में कर दिया गया ।

जिला चिकित्सालय में सीनियर फिजीशियन की नियुक्ति

62—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या चिकित्सा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि हरदोई जिला चिकित्सालय में एक सीनियर फिजीशियन की नियुक्ति कर दी गयी है ? जबकि इस चिकित्सालय में यह पद ही स्वीकृत नहीं है और यह अस्पताल भी साधारण ग्रेड का है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जिला चिकित्सालय हरदोई में किसी सीनियर फिजीशियन की नियुक्ति नहीं की गई है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिकाओं में भिश्तियों के पद

63—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की जिन नगर पालिकाओं में सीवरेज का व्यवस्था नहीं है वहां भिश्तियों के पद समाप्त कर दिए गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार भिश्तियों के पद पुनः सृजित करने की कृपा करेगी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, सरोजनी नगर, लखनऊ का उद्घाटन तथा क्रय किये गये सामान का भुगतान

64—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० आई हास्पिटल, सरोजनी नगर, लखनऊ का माह जून, 81 में उद्घाटन हुआ परन्तु साज-सज्जा का सामान आदि जो क्रय किया गया है वह जून, 81 के पूर्व किया गया लेकिन वह सामान एस० आई० हास्पिटल में उद्घाटन के समय तक नहीं आया और उसका भुगतान मार्च, 81 में ही कर दिया गया ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी नहीं । कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, सरोजनी नगर, लखनऊ का उद्घाटन 22 अगस्त, 1981 को हुआ था । चिकित्सालय हेतु क्रय किया गया सभी सामान, उपकरण, एवं अन्य साज सज्जा उद्घाटन के समय चिकित्सा में उपलब्ध थी । क्रय किये गये सभी सामान का भुगतान उनकी प्राप्ति के बाद किया गया ।

सहकारी पर्यवेक्षकों की सेवा को राजकीय सेवा घोषित किये जाने का विचार

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी पर्यवेक्षकों की सेवा को राजकीय सेवा घोषित किए जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

श्री बच्चा पाठक—

मामला शासन के विचाराधीन है क्योंकि शासन के विभिन्न विभागों से परामर्श आवश्यक है और यह एक महत्वपूर्ण नीतिविषयक प्रकरण है । अतः इसमें समय लगने की सम्भावना है ।

डा० एस० पी० जैन, रीडर इन सर्जरी जे० के० कैंसर इन्स्टीट्यूट, कानपुर द्वारा मांगी गयी आख्या एवं स्पष्टीकरण

66—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने कृपा करेंगे कि शासन ने डा० एस० पी० जैन, रीडर इन-सर्जरी जे० के० कैंसर इन्स्टीट्यूट, कानपुर से कोई इस तरह की आख्या एवं स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें जो मरीज पैथालोजी रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से पीड़ित न थे लेकिन उनकी शल्य चिकित्सा करने से उनकी मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से मरीज हैं जिनकी मृत्यु हो गयी और शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

डा० एस० पी० जैन से इस प्रकार के कुछ मामलों के बारे में उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है। किन्तु चिकित्सालय के रिकार्ड के अनुसार इनमें से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई है।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सुल्तानपुर घोसी, आजमगढ़ में चिकित्सकों की नियुक्ति

67—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त** –

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, सुल्तानपुर घोसी, जिला आजमगढ़ में 1975 से कोई चिकित्सक न होने का क्या कारण है? चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक हो जायगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

आजमगढ़ जनपद में सुल्तानपुर घोसी नाम का कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोसी आजमगढ़ जनपद में है, जहां दो डाक्टर कार्यरत हैं।

चराकार आश्रम के लिए जल संयोजन हेतु जमा की गयी धनराशि

68—**श्री मित्रसेन यादव**—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चराकार प्रयाग त्रियुगी नारायण चमोली रजिस्ट्रेशन सं० 1278/81-82 ने दि० 25 अगस्त, 81 को चराकार आश्रम के लिए जल संयोजन हेतु गढ़वाल जल संस्थान की ऊंखीमठ कार्यालय में सभी आवश्यक शुल्क, अग्रिम तथा जमानत की धनराशि जमा कर दिया है ? पेयजल सम्पूर्ति न किए जाने के सम्बन्ध में 2-11-81 को अधिशासी अभियन्ता, गोपेश्वर को पत्र भेजकर कोई शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं, गढ़वाल जल संस्थान द्वारा प्रस्तुत रु० 2195.50 पै० के प्राक्कलन के विरुद्ध केवल रु० 259.00 की आंशिक धनराशि पत्रकार आश्रम द्वारा जमा की गई।

जी हां,

प्राक्कलन की धनराशि की मांग अवैध धन की मांग नहीं है ।

69—**श्री हरिवंश सहाय**—

[दिनांक 10-2-83 के अतारांकित प्रश्न संख्या-40 द्वारा उत्तरित]

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम में अप्रेन्टिसशिप के अन्तर्गत क्लर्क के पद पर नियुक्ति

70—श्री हरिवंश सहाय—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय प्रबन्धक, निदेशक उ०प्र० जल निगम–6 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ के प्र०सं० 1941/पी०पी०आर०डी०/अप्रेंटिसशिप/50, दिनांक 27-7-81 द्वारा अप्रेंटिसशिप के अन्तर्गत कितने जनरल क्लर्कों की भर्ती की गयी ? उनके नाम व क्रमांक क्या हैं ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त शिशिक्षुकों की ट्रेनिंग पूर्ण हो गयी है ? यदि हाँ, तो उनकी नियुक्ति नैत्यिक लिपिक के पद पर कब तक कर दी जायगी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्र संख्या 1941/पी.पी.आर.डी./अप्रेंटिसशिप/50, दिनांक 29-7-81 द्वारा अप्रेंटिसशिप के अन्तर्गत केवल एक ही व्यक्ति की जनरल क्लर्क के पद पर भर्ती की गई। उक्त व्यक्ति का नाम श्री महेन्द्र सिंह है। जी हां, इनकी ट्रेनिंग पूर्ण हो गई है। श्री महेन्द्र सिंह की नियुक्ति नैत्यिक लिपिक के पद पर दिनांक 11-11-82 को की जा चुकी है।

71—**श्री पन्ने लाल**—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

72—**श्री पन्नेलाल**—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

73—**डाक्टर शिवानन्द नौटियाल**—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नगरपालिका नवाबगंज में चुंगी वसूल की दर पर तथा टांडा बुनकरों की ओर से दिये गये प्रत्यावेदनों पर कार्यवाही

74—**श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती**—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि नगरपालिका नवाबगंज (बाराबंकी) में चुंगी शेड्यूल रेट की श्रेणी 7 क्रम संख्या 6 (अ) के अन्तर्गत खलीलाबाद, टांडा, गोरखपुर और भागलपुर के पावर लूम के बने कपड़ों की चुंगी की दर 8/- प्रति कुन्तल निर्धारित है ? क्या यह सत्य है कि टांडा (फैजाबाद) के बुनकरों से नगरपालिका नवाबगंज (बाराबंकी) द्वारा पावरलूम के बने कपड़ों की चुंगी रुपया 13.40 प्रति कुन्तल की दर से वसूल की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? उस उक्त सम्बन्ध में टांडा बुनकरों की ओर से एक प्रत्यावेदन दिनांक 31-5-82 को प्रशासक, नगरपालिका नबावगंज (बाराबंकी) को तथा दिनांक 18-6-82 को नगर विकास मन्त्री को प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो उन पर तत्काल क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हाँ ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हाँ ।

उस पर जाँच करायी गई और दोषी कर्मचारियों को दंडित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य विभाग के लेखा संगठन में ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक के पद पर कार्यरत महिलाएँ

75—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य विभाग के लेखा संगठन में कितनी महिलाएँ सम्प्रेक्षक ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक के पद पर कार्यरत हैं ? क्या इनको इस पद पर पदोन्नति करने के उपरान्त मुख्यालय के बाहर के जिलों में अधीनस्थ कार्यालयों का सम्प्रेक्षण करने के लिए भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

खाद्य विभाग के लेखा संगठन में केवल लखनऊ स्थित मुख्यालय पर एक महिला सम्प्रेक्षक तथा एक महिला ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक कार्यरत है । प्रशासनिक कारणों वश महिला सम्प्रेक्षकों को मुख्यालय के बाहर के जिलों में अधीनस्थ कार्यालयों का सम्प्रेक्षण करने के लिये नहीं भेजा गया ।

चकिया में अस्पताल का निर्माण

76—**श्री हरिवंश सहाय**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत चकिया अस्पताल का भवन कब तक बना दिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालयों के भवन निर्माण की योजना न होने तथा संसाधन उपलब्ध न होने के कारण अस्पताल भवन का निर्माण कराया जाना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत मझौली राज टाउन एरिया ने सम्परीक्षा दल द्वारा की गयी आपत्तियां

77—**श्री हरिवंश सहाय**—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत मझौलीराज टाउन एरिया में वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में आडिट दल द्वारा कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति प्रकट की गई ? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी आपत्तियाँ हैं ? क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हां ।

सम्परीक्षा दल द्वारा आपत्तियों के सम्बन्ध में जो रफ शीटें दी गयी थीं उन पर अनुपालन आख्या अंकित करके सम्परीक्षा दल को मूलरूप में वापस कर दिया था । चूँकि प्रश्नगत वर्षों की सम्परीक्षा टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं अतः आपत्तियों का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है ।

पी.सी.एफ. में कार्यरत अभियन्ता श्री शकील अशरफ को उनके पैतृक विभाग में वापस किये जाने की मांग

78—**श्री राजकुमार राय—**

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शकील अशरफ जो पी. सी. एफ. में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अभियन्ता हैं के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र फरवरी तथा मार्च, 1982 में तथा श्री एल०पी० राय, वरिष्ठ प्रबन्धक की जाँच रिपोर्ट तथा फर्टीप्लान्ट के कर्मचारियों के शिकायती पत्र जनवरी फरवरी, मार्च, 1982 में मिलने के बाद और जाँच के दौरान इन्हें उच्च वेतनमान पिछली तारीखों से दे दिया गया ? इनको इनके मूल विभाग में वापस न करने का क्या कारण है ?

श्री बच्चा पाठक—

श्री शकील अशरफ को आदेश दिनांक 14-1-1982 द्वारा उनके योगदान करने की तिथि 21-1-1980 से रेफ्रीजरेशन इन्जीनियर के पद का वेतनमान रु० 700—1250 प्रदान किया गया था जो उनके पैतृक विभाग में अनुमन्य वेतनमान से उच्चतर था । श्री शकील अशरफ को दिनाँक 3-12-1982 के अपराह्न से पी० सी० एफ० द्वारा कार्यमुक्त करके उनके पैतृक विभाग को वापस कर दिया गया है ।

टाउन एरिया, रामपुर, जनपद जालौन के जलकल अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती-पत्र

79—**श्री दलगंजन सिंह—**

क्या सरकार बतायेगी कि टाउन एरिया रामपुर, जनपद जालौन के उपभोक्ताओं व नागरिकों ने वहां के जलकल अभियन्ता के विरुद्ध अनेकों शिकायती प्रार्थना-पत्र मुख्य अभियन्ता, लखनऊ व अधिशासी अभियन्ता, उरई को सन् 1981 से लगातार दिये हैं ? यदि हां, तो शिकायतों की जाँच न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

टाउन एरिया, रामपुर, जनपद जालौन के जलकल अभियन्ता के विरुद्ध शिकायती पत्र अधिशासी अभियन्ता, झांसी डिवीजन, जल संस्थान उरई के कार्यालय में प्राप्त हुये थे ।

शिकायतों की जांच अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान उरई तथा सहायक अभियन्ता (प्रथम) जल संस्थान, उरई द्वारा की गई । अग्रेतर जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम निनावली परगना व जिला जालौन की पेयजल योजना में निर्माण कार्य

80—**श्री दलगंजन सिंह** —

क्या सरकार यह बतायेगी कि ग्राम निनावली परगना व जिला जालौन की पेयजल योजना में अभी तक कितना निर्माण कार्य जल निगम द्वारा किया जा चुका है ? तथा कितना कार्य बाकी है तथा बाकी कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा और कब तक जल आपूर्ति होने लगेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इस योजना के अन्तर्गत अबतक एक नलकूप के खनन का कार्य किया जा चुका है । लगभग 11.00 कि० मी० वितरण प्रणाली हेतु पाईपों व अन्य सामग्री की व्यवस्था की जा चुकी है । इस योजना मे एक नलकूप, एक उच्च जलाशय, 21.7 कि० मी० वितरण प्रणाली, पंप हाउस, स्टाफ क्वाटर इत्यादि के कार्यों का प्राविधान है । योजना के बाकी कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ कराये जा रहे हैं एवं मार्च 84 तक पूर्ण कर जल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है ।

जलकल अभियन्ता, रामपुरा, जनपद जालौन के विरुद्ध शिकायती-पत्र

81—**श्री दलगंजन सिंह**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जलकल अभियन्ता रामपुरा, जनपद जालौन के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 9-6-82 को प्रबन्ध निदेशक, जल संस्थान, झांसी को प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जलकल अभियन्ता, रामपुरा, जनपद जालौन के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 9-6-82 महा प्रबन्धक, झांसी डिवीजन जल संस्थान, झांसी को प्राप्त हुआ था ।

शिकायतों की जांच अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान उरई तथा सहायक अभियन्ता (प्रथम) जल संस्थान, उरई द्वारा कराई गई । जांचोपरान्त जलकल अभियन्ता, रामपुरा के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुये ।

स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध शिकायती-पत्र

82—**श्री केदारनाथ सिंह**—

क्या सरकार बतायेगी कि स्वास्थ्य विभाग के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने दिनांक 2-1-82 को कोई शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री जी को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा शिकायतें क्या हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

पत्र दिनांक 2 जनवरी, 1982 शासन को प्राप्त हुआ था जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है । इस शिकायती-पत्र में उल्लिखित श्रीमती के० के० सक्सेना, स्वास्थ्य निरीक्षका को नगर

परिवार कल्याण केन्द्र, राजेन्द्र नगर, लखनऊ में समायोजित किया जा चुका है। अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ पर।)

नर्सों को बैज दिलाने के सम्बन्ध में उ० प्र० मिडवाइफ एवं नर्सेज काउन्सिल को दिये गये आवश्यक निर्देश

83—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० की नर्सों के रजिस्ट्रेशन के वक्त उ० प्र० मिडवाइफ एवं नर्सेज काउन्सिल बैज देने के लिए रुपया लेता है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि 1974 से 1981 तक कुल बैज के मद में लगभग डेढ़ लाख रुपया काउन्सिल में जमा है ? यदि हां, तो अब तक बैज क्यों नहीं दिया गया ? क्या यह सत्य है कि उक्त जमा धनराशि में से काफी रुपया नियमों के विपरीत दूसरे मदों पर खर्च कर दिया गया ? यदि हां, तो ऐसी अनियमितता करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या नर्सों को बैज दिलाने की तुरन्त व्यवस्था सरकार करेगी।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ। वर्ष 1973-74 से वर्ष 1981-82 तक बैज के लिए लगभग 1,32,900 रुपया जमा हुआ। बैज न दिये जा सकने का कारण यह है कि प्रतिकर्मी रुपया 6.50 एक बैज का निर्धारित मूल्य लिया जाता है। चांदी के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के फल-स्वरूप रुपया 6.50 प्रति बैज के मूल्य पर बैज देना सम्भव नहीं हो रहा है। चूँकि शासन द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में कौंसिल को उ० प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा कतिपय मदों में किये गये कुल व्यय का 1/4 भाग देना पड़ता है अतः बैज के मद में जमा धनराशि में से ही कौंसिल ने अपेक्षित धनराशि फैकल्टी को दे दी है, जिसके लिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। बैज दिलाने के सम्बन्ध में काउन्सिल को आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं।

83—श्री राजेन्द्र कुमार राय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

श्री राधेश्याम पाण्डे, सचिव, कोआपरेटिव सोसाइटी, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध गबन की दर्ज रिपोर्ट तथा जांच

85—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरुवार को उत्तरित अता० प्र० सं० 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर गबन की धनराशि के पूर्ण विवरण क्या है तथा गबन की गयी धनराशियां किन-किन देयकों से संबधित थीं तथा वे देयक कब-कब आहरित किये गये तथा उस समय प्रमुख अधिशासी अधिकारी कौन था जिसके पर्यवेक्षण में श्री राधेश्याम पाण्डेय कार्य कर रहे थे ?

श्री बच्चा पाठक—

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कुल मूल्य 1,21,776.42 रुपये के गबन का मामला दर्ज कराया गया है। सम्बन्धित व्यक्तियों, पद तथा अपहरित धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	सम्बन्धित व्यक्ति का नाम जो दोषी है	पद नाम	गबन की धनराशि (रुपयों में)
1	श्री राधेश्याम पाण्डेय	सचिव (नि०)	1 17,350.18
2	श्री रामचेत	विक्रेता आंकिक	1,868.90
3	श्री सियाराम	विक्रेता	2,557.34
	योग कुल धनराशि		1,21,776.42

गबन की धनराशि निम्न से सम्बन्धित है :—

1	उर्वरक के स्टाक में कमी	10,245.54
2	152 किसानों के नाम फर्जी उर्वरक वितरण तथा अनुदान	88,684.80
3	फर्जी रसीद जारी करके	1,900.00
4	रोकड़ कम दर्शाकर एवं दर्ज न करके व कैश बुक में प्राप्त धन अंकित न करके	16,519.48
5	कपड़े की बिक्री समिति में न जमा करके	2,372.15
6	चीनी का स्टाक चार्ज में न देकर	140.00
7	148 बोरे (खालिया) चार्ज में न देकर	888.00
8	कपड़े का स्टाक चार्ज में कम देकर	1,026.09

गबन विभिन्न तिथियों में वर्ष 1978 से 1981 के बीच किया गया उस समय श्री राम नयन पाण्डेय समिति के सभापति थे, जिनके पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण में श्री राधेश्याम पाण्डेय कार्य कर रहे थे। विभाग की ओर से कार्य श्री जय नारायण लाल श्रीवास्तव, सहकारी पर्यवेक्षक तथा श्री आई० पी० सिंह, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) देखरेख करते थे।

सी० एच० बी० के चयन में बरती गयी अनियमितताओं की जांच

86—**श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के 5 वें गुरु को निर्धारित ता० प्रश्न संख्या 13 के उत्तर में सम्बन्धित मामले की जाँच जो क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य, गोरखपुर मंडल को सौंपी गई, वह क्या है ? क्या मन्त्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत जाँच, सी. एच. वी. के चयन में डा० एस० सी० राय (निलम्बित) पी०एम०एस० अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भनवापुर जनपद बस्ती द्वारा बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में है।

यह जाँच अभी अपूर्ण है। पूरी हो जाने पर ही पूर्ण विवरण उपलब्ध हो सकेगा।

मौहल्ला सिटकहा, हान्डा, जिला फैजाबाद में अवैध कब्जा हटाए जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

87—**श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका टांडा में स्थित नजूल भूमि से अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 9-6-82 का पत्र उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो क्या उक्त नजूल भूमि से अवैध कब्जा समाप्त कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ। मौहल्ला सिटकहा, टांडा, जिला फैजाबाद में स्थित नजूल भूखण्ड सं. 218 पर से अनधिकृत कब्जा एवं अवैध निर्माण को हटाने के सम्बन्ध में नगरपालिका टांडा द्वारा एक नोटिस जनवरी, 10/11-1983 को श्री मो. रोशान पुत्र श्री अब्दुल रज्जाक को दे दी गयी है।

पी० पी० सेन्टर, महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में ए० एन० एम० की नियुक्ति

88—**श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आदेश संख्या 40-क/4-बजट (76-77) 44515-90 दिनांक 13-10-78 के अनुसार पी०पी० सेन्टर, महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में दो ए०एन०एम० की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

संदर्भित आदेश के द्वारा पी०सी० सेन्टर, महिला अस्पताल फैजाबाद में भारत सरकार के पुनरीक्षित पैटर्न के अनुसार स्वीकृत दो ए. एन. एम. के स्थान पर एक ए. एन. एम. तथा दूसरे स्थान पर एक प्रसार शिक्षक कार्यरत है।

जनपद फैजाबाद में श्रीमती कलावती का नाम परिवार कल्याण सम्बन्धी शल्य चिकित्सा के सरकारी अभिलेखों से हटाकर दूसरे का नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

89—**श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में दिनांक 7-5-81 को हुई श्रीमती कलावती पत्नी श्री अंगनू राम निवासी मो० झारखण्डी, शहर फैजाबाद की

परिवार कल्याण सम्बन्धी शल्य चिकित्सा के सरकारी अभिलेखों पर वास्तविक प्रेरक आर. के. श्रीवास्तव, एच. आई., प्रा. स्वा. केन्द्र, सोहावल, फैजाबाद का नाम काट कर प्रसार शिक्षक एस. डी. सिंह ने एक एन. एन. एम. का नाम दर्ज करने के बारे में मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद ने निदेशालय को लिखा है ? यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पी. पी. सेन्टर, फैजाबाद पर कार्यरत प्रसार शिक्षक एस. डी. सिंह आदि के विरुद्ध शिकायती-पत्र

90—**श्री गोपीनाथ वर्मा—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल के संयुक्त स्वास्थ्य निदेशक, डा० ताराचन्द्र तथा महिला चिकित्सालय, फैजाबाद के पी. पी. सेन्टर पर कार्यरत प्रसार शिक्षक एस. डी. सिंह आदि के विरुद्ध मुख्य मंत्री को संबोधित तथा स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री को पृष्ठांकित शिकायती-पत्र फैजाबाद के पत्रकार श्री रमेश कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 23 जून व 26 जुलाई, 1982 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गये हैं ? यदि हां, तो इन शिकायती-पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ, प्रश्नगत शिकायती पत्रों में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई । जांच में आरोप असत्य पाये गये । अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

91—**श्री रामनरायन, एडवोकेट—**

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्रीमती चिलम्मा, पी. एच. एन., जौनपुर का स्थानान्तरण

92—**श्री भोखालाल—**

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के द्वितीय गुरु के अता० प्र० सं० 91 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण, उ. प्र., डा. जी. एन. श्रीवास्तव लखनऊ की जांच रिपोर्ट एवं प्रशासनिक आधार पर श्रीमती चिलम्मा, पी. एच. एन., जौनपुर का जो स्थानान्तरण 14-6-82को पिथौरागढ़ किया गया था वह किन परिस्थितियों में निरस्त किया गया ? क्या सरकार इन्हें अविलम्ब जौनपुर से स्थानान्तरित करने के आदेश देगी ? यदि अहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डा. बी. बी. माथुर, तत्कालीन संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक (चिकित्सा उपचार) की जांच के आधार पर श्रीमती चिलम्मा पी.एच.एन. जौनपुर का स्थानान्तरण पिथौरागढ़ किया गया था । तदुपरान्त बेसिक हेल्थ वर्कर प्रशिक्षण केन्द्र जौनपुर की छात्राओं ने सामूहिक रूप से श्रीमती चिलम्मा का स्थानान्तरण को निरस्त करने की प्रार्थना की थी । इस पर श्रीमती चिलम्मा का स्थानान्तरण रोक दिया गया है । फिलहाल स्थानान्तरण करने का शासन का विचार नहीं है ।

लखनऊ स्थित राजाजीपुरम कालोनी में दुर्बल वर्ग के भवनों का आवंटन तथा अह्यासियों द्वारा कब्जा

93—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि लखनऊ स्थित राजाजीपुरम कालोनी में दुर्बल वर्ग के दिनांक 1-4-80 से 31-12-80 तक आवंटित एक कमरे के भवनों में कितने भवनों के अध्यासियों को कब्जा पत्र निर्गत नहीं किया गया है तथा क्या सरकार इस विलंब के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

लखनऊ स्थित राजाजीपुरम कालोनी में दुर्बल आय वर्ग के दिनांक 1-4-80 से 31-12-80 की अवधि में निर्मित 140 भवनों का आवंटन किया गया जिसमें 77 भवनों के अध्यासियों को कब्जा पत्र निर्गत किया जा चुका है तथा शेष 63 अध्यासियों द्वारा कब्जा संबंधी औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने की स्थिति में कब्जा-पत्र जारी नहीं किए जा सके। इन आवंटियों से वांछित औपचारिकतायें पूर्ण कराने की कार्यवाही की जा रही है। चूँकि इस संबंध में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं हैं इसलिये उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

94—श्री कुवर सिंह नेगी—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

टाउन एरिया कमेटी, मछली शहर, जिला जौनपुर में कर्मचारियों की सेवा समाप्ति तथा बकाया वेतन का भुगतान

95—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेगे कि टाउन एरिया कमेटी, मछली-शहर, जिला जौनपुर में कतिपय कर्मचारियों को जनवरी, 82 से मई, 82 तक वेतन नहीं दिया गया और जब उन्होंने इस संबंध में विभाग / शासन से लिखा पढ़ी की तो उन कर्मचारियों को अवैध रूप से मई, 82 से सेवा मुक्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उनका वेतन भुगतान करने और उनकी गैरकानूनी बर्खास्तगी को समाप्त करने हेतु कार्यवाही करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं।

जी नहीं। इन कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णरूपेण अनियमित थी। सेवा समाप्ति नियमानुसार की गयी है।

बकाया वेतन का भुगतान समिति द्वारा दिनाँक 2 जनवरी, 1982 को कर दिया गया है। सेवा समाप्ति का मामला लोक सेवा अधिकरण के विचाराधीन है अतः इस परिस्थिति में शासन द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के फार्माकालोजी विभाग में प्रवक्ता का रिक्त पद

96—श्री चेतराम गंगवार—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के फार्माकालोजी विभाग में इस समय एक प्रवक्ता का पद रिक्त है ? यदि हाँ, तो उसके अब तक न भरे जाने का कारण क्या है ? क्या इस पद को भरने हेतु माह अगस्त, 1982 में विज्ञप्ति जारी की गई थी ? यदि हां, तो फिर किसी व्यक्ति का चयन क्यों नहीं किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। इस पद के लिए चयन हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा फरवरी, 1982 में विज्ञापन जारी किया जा चुका है परन्तु आयोग से चयन परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है इस पद को भरने के लिए माह अगस्त, 1982 में कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।

साधन सहकारी समिति, अमृतपुर के सचिव एवं सेल्समैन के विरुद्ध शक्कर वितरण में गड़बड़ी की शिकायत

97—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के विकास खंड राजेपुर के अन्तर्गत साधन सहकारी समिति, अमृतपुर के सचिव एवं सेल्समैन के विरुद्ध शक्कर वितरण में गड़बड़ी की शिकायत 1982 में हुई थी जिसकी जांच नायब तहसीलदार सदर तहसील फर्रुखाबाद ने की थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला और क्या कार्यवाही की गई ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ।

जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

फार्मेसिस्टों के लिये निर्मित आवास में आवासित महिला डाक्टर को खाली करने के आदेश के विरुद्ध कार्यवाही

98—श्री राम आसरे वर्मा—

द्वितीय सत्र 82 के 2रे गुरु के अता० प्र० सं० 54 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भित आवास गृह खाली करने हेतु संबंधित महिला डाक्टर को आदेश कब दिये गये और कितने दिनों के अन्दर खाली कर देने को कहा गया है ? आदेशों की अवहेलना करने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, सडीला हेतु लिया गया किराये का भवन

99 – **श्री राम आसरे वर्मा** –

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 2रे गुरु० के ता० प्र० सं० 14 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के संडीला में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय हेतु किराये के भवन हेतु कब और कौन प्रयास किये गये तथा किराये का भवन ढूढ़ने का दायित्व किस अधिकारी पर है ? इस देरी के लिए शासन द्वारा किसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय संडीला हेतु काफी प्रयास के बाद उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम ने एक भवन रु० 800 प्रतिमाह किराये पर देने की सहमति दी जिसे 8-12-1981 को निदेशक ने स्वीकार किर लिया है। इस बीच उक्त निगम ने उक्त भवन के स्थान पर एक दूसरा भवन तीन माह के लिए देने का प्रस्ताव किया। परन्तु तीन माह की शर्त दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित भवन स्वीकार नहीं किया गया और निगम से कम से कम 5 वर्ष के लिए भवन किराये पर देने का अनुरोध किया गया। अन्ततोगत्वा निगम ने 5 वर्ष के लिए एक दूसरा भवन किराये पर देने की सहमति दे दी है जिसके संबंध में यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

भवन ढूढ़ने का दायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई/अपर निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना कानपुर का है। चूँकि उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा उपयुक्त भवन तलाश करने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

नगरपालिका बदायूँ हेतु स्वीकृत योजनायें

100—**श्री मोहम्मद अबरार अहमद**—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, बदायूँ के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ योजनायें वर्ष 80-81, 81-82 में स्वीकृति की गयी थी ? यदि हां, तो वे क्या है और अब तक नगरपालिका द्वारा लक्ष्य के आधार पर कितना कार्य हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शिथिलता वरतने वाले संवधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

भारत सरकार द्वारा पुरोनिर्धारित छोटे एवं मध्यम आकार के नगरों की संगठित विकास योजना के अन्तर्गत बदायूँ नगर की संगठित विकास योजना तथा 'भंगी मुक्ति योजना' वर्ष 1981-82 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। स्वीकृत योजनायें निम्नवत है :—

(1) आवासीय योजना–1
(2) आवासीय योजना–2
(3) आवासीय योजना–3
(4) आवासीय योजना–4

(5) व्यवसायिक योजना–1
(6) व्यवसायिक योजना–2
(7) औद्योगिक योजना
(8) सड़क सुधार योजना–1
(9) सड़क सुधार योजना–2
(10) सड़क सुधार योजना–3
(11) सड़क सुधार योजना–4
(12) मलिन बस्ती सुधार योजना–1
(13) मलिन बस्ती सुधार योजना–2

इन योजनाओं पर निम्न कार्य हो चुका है :—

(1) आवासीय योजना-1 :— योजना की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

(2) आवास योजना 2 : —उपरोक्तानुसार।

(3) आवासीय योजना 3 :—उपरोक्तानुसार।

(4) आवासीय योजना 4 :—उपरोक्तानुसार।

(5) व्यवसायिक योजना 1 :—सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है। डिजायन तथा ले-आउट स्वीकृत किये जा चुके हैं।

आगणन भी स्वीकृत किया जा चुका है। निविदा आमंत्रित की गई है। सबसे कम रेट की निविदा की स्वीकृति की जा चुकी है।

(6) व्यवसायिक योजना-2 :—सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना के डिजाइन तथा ले-आउट तैयार किये जा रहे हैं।

(7) औद्योगिक योजना :—भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

(8) सड़क सुधार योजना-1 :—आगणन (एस्टीमेंट) की जाँच का कार्य प्रगति पर है।

(9) सड़क सुधार योजना-2 :—आगणन तैयार किये जा रहे हैं।

(10) सड़क सुधार योजना 3 :—आगणन की जांच की रही है।

(11) सड़क सुधार योजना 4 :—आगणन की जांच की जा रही है।

(12) मलिन बस्ती सुधार योजना-1 :—सर्वेक्षण कार्य समाप्त कर लिया गया है। डिजाइन तथा ले-आउट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा आगणन की जांच की जा रही है।

(13) मलिन बस्ती सुधार योजना 2 :—सर्वेक्षण कार्य समाप्त किया जा चुका है डिजाइन तथा ले-आउट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आगणन की जांच की जा रही है।

(14) भंगी मुक्ति योजना: योजना के अन्तर्गत बदायूँ नगर के समस्त उठाऊ शौचालयों को स्वच्छ (फ्लश) शौचालयो में परिवर्तित किया जायेगा। निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हुआ है तथा संतोषजनक रूप से प्रगति पर है। अब तक 850 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

योजनाओं का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है और कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जा रही है।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बर्रा क्षेत्र में निम्न स्तर के ईंटो का प्रयोग, अभियन्ताओं के खिलाफ कार्यवाही

101—**श्री मोहन सिंह**—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बर्रा क्षेत्र में निर्बल वर्ग के लोगों के लिए जो एक हजार भवन बनाये गये हैं उसमें निम्न स्तर की ईटों का प्रयोग किया गया है जबकि ठेकेदारों को प्रथम श्रेणी की ईटों का भुगतान किया गया ? यदि हाँ, तो उस पर शासन द्वारा दोषी अभियन्ताओं और ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ।

ठेकेदारों के बिलों से निम्न स्तर की ईटों के प्रयोग हेतु समुचित कटौती तथा दण्ड दिया जा चुका है। अभियन्ताओं के खिलाफ कार्यवाही शासन कर रहा है।

स्वर्गीय श्रीमती सुभद्रा वर्मा, परिवार कल्याण कार्यकर्मी की ग्रेच्युटी, पेंशन, सामूहिक बीमा धनराशि का भुगतान

102—**श्री हरिवंश सहाय तथा**
श्री नन्द किशोर सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के द्वितीय गुरु के अता०प्र०सं० 72 के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर के रावटर्सगंज प्रा० स्वास्थ्य सेवा केन्द्र की स्व० श्रीमती सुभद्रा वर्मा, परिवार कल्याण कार्यकर्मी की ग्रेच्युटी, सामूहिक बीमा की धनराशि तथा पारिवारिक पेंशन कब दी गई ? यदि नहीं, तो बिलम्ब का क्या कारण है ? क्या शासनादेश के मुताबिक उसकी अविवाहित लड़की को सेवा में लिया गया ? यदि नहीं, तो कब तक सेवा मे ले लिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

स्वर्गीय श्रीमती सुभद्रा वर्मा, भूतपूर्व परिवार कल्याण कार्यकत्री की पेन्शन व ग्रेच्युटी का भुगतान उनके वारिसान को माह अगस्त 1982 में किया जा चुका है। उनके सामूहिक बीमा की रु० 25,511.90 की धनराशि की स्वीकृति संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय से 19-1-83 को स्वास्थ्य सेवा निदेशक को प्राप्त हो चुकी है और निदेशक द्वारा उनके वारिसान को उक्त धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। उनकी पुत्री को वर्तमान शासनादेशों के अनुसार दिनांक 15-1-83 से सेवा में ले लिया गया है।

उत्तर प्रदेश बैंक कर्मचारी सहकारी ऋण समिति के कर्मचारियों के प्रत्यावेदन में उल्लिखित मांगे

103—**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें रेडगेट होटल, गोलागंज लखनऊ स्थित उ०प्र० बैंक कर्मचारी सहकारी ऋण समिति के कर्मचारियों का एक प्रत्यावेदन प्रश्नकर्त्ता के ज्ञापन सहित दिनांक 4-9-82 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रत्यावेदन में उल्लिखित मांगे क्या है तथा सरकार ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ ।

मुख्य रूप से मंहगाई भत्ता, एवं नगर प्रतिकर भत्ता हेतु प्रार्थना की गयी थी । उप निबन्धक (केन्द्रीय) सहकारी समितियाँ, उ०प्र०, लखनऊ के द्वारा आवश्यक आदेश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रूखाबाद, विकास खंड राजेपुर में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव

104—**श्री विमल प्रसाद तिवारी**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रूखाबाद जनपद के विकास खण्ड राजेपुर में चार होम्योपैथिक डिस्पेंसरी 1982-83 में खोलने के लिये मंत्री जी ने 1982 में आदेश किये थे ? यदि हाँ, तो यह डिस्पेंसरी कब तक कार्य प्रारम्भ कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

फर्रूखाबाद जननद के विकास खण्ड राजेपुर में (1) किराचिन (2) दारापुर व ग्राम कदहार में राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल खोलने का प्रस्ताव 18-3-82 को स्वीकार किया गया था । परन्तु उसके तुरन्त बाद जिलों में नये अस्पताल खोलने की योजना जिला सेक्टर के अधीन कर दी गई । जनपद फर्रूखाबाद 82-83 के लिये जिला सेक्टर योजना में सम्मिलित नहीं किया गया । इसीलिये कोई नये होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने पर विचार नहीं हुआ । इस जनपद को जब सेक्टर योजना में लिया जायेगा तभी नये होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने पर विचार सम्भव होगा ।

लखनऊ में इन्दिरा नगर विस्तार योजना में कृषकों की अधिग्रहीत की गई भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

105—**श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती**—

क्या सरकार को जानकारी है कि उ.प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा जिला लखनऊ में इन्दिरा नगर विस्तार योजना में जो जमीन अधिगृहीत की गयी है उसका

कब्जा परिषद् द्वारा ले लेने के बावजूद भी एवार्ड बनाकर अभी तक बहुत से कृषकों को मुआवजा नहीं दिया गया है जिसमें उनमें भीषण असंतोष है ? यदि हां, तो एवार्ड बनाकर सभी किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा दिलाने की सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

इन्दिरा नगर विस्तार योजनान्तर्गत चार ग्रामों क्रमशः ग्राम समीउद्दीनपुर बस्तौली, इस्माइलगंज व गाजीपुर की भूमि अर्जन में आती है। ग्राम गाजीपुर मे धारा एल.ए. ऐक्ट की नोटिसें जारी की गयी हैं जिनकी सुनवाई के वाद कब्जे की कार्यवाही की जायेगी तथा कब्जा लेने के उपरान्त 2/3 अग्रिम प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा। ग्राम समीउद्दीनपुर का कब्जा लेकर दिनांक 13 जनवरी, 1983 को एवार्ड घोषित कर दिया गया है तथा प्रतिकर का भुगतान लगातार किया जा रहा है। ग्राम वस्तौली तथा ग्राम इस्माइलगंज में क्रमशः 30 बीघा 13 बिस्वा 10 विस्वांसी व 469 बीघा 5 विस्वा 18 विस्वासी 10 कचवांसी भूमि का कब्जा दिनांक 7-8-81, 11-1-82 व 31-12-82 को लिया जा चुका है। अधिकांश कृपकों को 2/3 अग्रिम प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जा चुका है। एवार्ड तैयार करके मुआवजा दिलाने की सरकार व्यवस्था कर रही है।

विकास खंड राजेपुर के ग्राम पिथनापुर तथा दीहलिया में ए.एन.एम. की नियुक्ति

106—**श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रूखाबाद जनपद के विकास खण्ड, राजेपुर के ग्राम पिथनापुर में बिगत 3 वर्ष से कोई ए०एन०एम० कार्यरत नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या तत्काल इस ग्राम में ए०एन०एम० भेजने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद फर्रूखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर के ग्राम पिथना में श्रीमती चन्द्रशीला, परिवार कल्याण कार्यकत्री कार्यरत थीं जिनको जून 1981 में स्थानान्तरित कर दिया गया था। अब जनवरी 1983 से इस उपकेन्द्र पर श्रीमती कमला सक्सेना की नियुक्ति कर दी गई है जो अभी तक कार्यरत हैं।

107—**श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रूखाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड, राजेपुर के ग्राम दीहलिया में विगत दो वर्ष से कोई ए०एन०एम० नियुक्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या तत्काल इस ग्राम में ए०एन०एम० नियुक्त कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद फर्रूखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर के ग्राम दीहलिया में एक परिवार कल्याण कार्यकत्री सन् 1969 से कार्यरत थी। सितम्बर 1982 से इन्हें नवसृजित उपकेन्द्र रदनपुर नियुक्त कर दिया गया था। अब जनवरी 1983 से पुनः ग्राम दीहलिया में परिवार कल्याण कार्यकत्री को नियुक्त कर दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्सेज का कार्यकाल एवं स्थायीकरण

108—**श्री मोहम्मद अबरार अहमद** –

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में कितनी स्टाफ नर्सेज 15-16 वर्ष की सेवा करने के उपरान्त भी अस्थायी हैं ? क्या यह सही है कि वे स्थायीकरण हेतु आवश्यक शर्तें पूर्ण करती हैं ? यदि हां, तो कितने पद स्थायी स्टाफ नर्सेज के स्थायीकरण हेतु रिक्त पड़े हैं तथा कब से और उन्हें अभी तक रिक्त रखने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

55 स्टाफ नर्सेज 15/16 वर्षों की सेवा करने के उपरान्त भी अस्थायी हैं वे स्थायीकरण हेतु आवश्यक शर्तें पूर्ण करती हैं। इस समय स्टाफ नर्सेज के 291 स्थायी पद रिक्त चल रहे हैं जिन पर पदधारकों को स्थायी किया जाना है। ये स्थायी पद निम्नलिखित अवधि से रिक्त पड़े हैं :—

	अवधि	पद की संख्या
(क)	1-4-1975 से	143
(ख)	1-4-1976 से	44
(ग)	1-4-1977 से	68
(घ)	1-1-1980 से	12
(ङ)	1-12-1982 से	24

विभिन्न कारणों से सम्बन्धित स्टाफ नर्सों के सेवा अभिलेख पूर्ण न होने तथा उनके कार्य व आचरण सम्बन्धी पूरी रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण उक्त 291 स्थायी पदों के विरुद्ध कार्यरत स्टाफ नर्सेज को स्थायी किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

राजकीय टी. बी. अस्पताल, सहारनपुर में कार्यरत वार्ड सिस्टर की वेतन वृद्धि तथा बोर्ड एलाउन्स की बकाया धनराशि

109— **श्री मोहम्मद अबरार अहमद**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय टी०बी० अस्पताल, सहारनपुर में कार्यशील कितनी वार्ड सिस्टर के वर्ष 1973 से दक्षता रोक के देयक तथा पुराने देयक बोर्ड एलाउन्स के अभी तक भुगतान नहीं किये गये है और इतने बिलम्ब का क्या कारण है तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

राजकीय टी०बी० अस्पताल, सहारनपुर में कार्यरत एक वार्ड सिस्टर के वेतन वृद्धि का बकाया देयक दिनांक 1-8-73 से 30-6-76 तक रु० 648/—तथा बोर्ड एलांउस का बकाया देयक दिनांक 1-6-76 से 11-7-76 तक रु०60.95 पैसे का भुगतान नहीं किया जा सका है क्योंकि इस पर प्रि-आडिट की स्वीकृति महालेखाकार उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले के निस्तारण हेतु अधीक्षक, राजकीय टी०बी० अस्पताल, सहारन-

पुर तथा निदेशालय द्वारा महालेखाकार उत्तर प्रदेश से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। महालेखाकार उत्तर प्रदेश से प्रि-आडिट की स्वीकृति प्राप्त होते ही उक्त राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

राज्य सचल खाद्य दल के मुख्य खाद्य निरीक्षक तथा सेनेटरी इन्सपेक्टर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

110—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सचल खाद्य दल के मुख्य खाद्य निरीक्षक (श्री जी.बी.के. श्रीवास्तव) तथा सेनेटरी इन्सपेक्टर (श्री एस. के. वर्मा) की अनियमितताओं तथा करीब दस-दस वर्ष लखनऊ जनपद में नियुक्त रहने के संबंध में श्री मथुरा प्रसाद पाण्डे तथा श्री अम्बिका सिंह, विधायक ने 17-8-82 को शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

जी हां, प्रश्नगत शिकायती-पत्र मेरे कार्यालय में प्राप्त हुआ था तथा अपर निदेशक (स्वास्थ्य) को दिनांक 18 अगस्त, 1982 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था क्योंकि इन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी स्वास्थ्य सेवा निदेशक ही हैं।

ग्राम नकधर, देवरिया में गोदाम का निर्माण

111—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय** —

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि न्याय पंचायत सोहना, विकास खंड भनवापुर, जनपद बस्ती के ग्राम नकथर देवरिया में पिछले 8 वर्षों से कोई सहकारी गोदाम निर्माणधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा कर दिया जायगा ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां।

सहकारी संघ लि., सोहना जो इस गोदाम का निर्माण करा रहा है उसे आर्थिक रूप से इस गोदाम का निर्माण कार्य पूरा करने के लिये सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

लखनऊ नगर महापालिका, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद, लखनऊ के भवनों में रहने वाले अध्यासियों के ऊपर बकाया किराया

112—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय,**—

श्री मलिक मौहम्मद कमाल यूसुफ तथा

श्री दिवाकर विक्रम सिंह —

विधान सभा के प्रथम सत्र 81 के 1ले गुरुवार के अता. प्र. सं. 107 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि नगरपालिका लखनऊ व विकास प्राधिकरण लखनऊ एवं आवास विकास परिषद लखनऊ के भवनों में जो लोग रह रहे हैं (उनके

जिम्मे) उन पर कितना कितना रुपया किराया का बकाया है उसको वसूल करके मकानों में अवैध रूप से रहने वालों को निकालने के लिए किन-किन के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है, किनके-किनके विरुद्ध अभी तक नहीं की गई ?

श्री रामसिंह खन्ना—

लखनऊ नगर महापालिका के भवनों में रहने वाले 56 अध्यासियों के ऊपर जनवरी, 1983 तक रु. 41,742.25 पैसे किराया बकाया था। इन भवनों में 11 व्यक्तियों के अवैध रूप से रहने वालों की सूचना समय-समय पर प्राप्त हुई है। इन व्यक्तियों के विरुद्ध विहित प्राधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के भवनों में रहने वाले 96 अध्यासियों के विरुद्ध दिसम्बर, 1982 तक रु० 1,65,520.95 किराया बकाया था। यह समस्त व्यक्ति अनाधिकृत अध्यासी हैं। इनमें से 33 के विरुद्ध वाद न्यायालय में विचाराधीन है। शेष के विरुद्ध वाद दायर करने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त लखनऊ विकास प्राधिकरण के 156 और भवन हैं जिन पर अनाधिकृत अध्यासन है। इन अनाधिकृत अध्यासियों में से अधिकांश अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी हैं जिन्हें बेदखल करने अथवा विनियमित करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा सामान्य जनता को भवन किराये पर नहीं दिये जाते हैं।

श्री एस' के. जैन अधिशासी अभियन्ता उ. प्र. जल निगम के गाजियाबाद में तैनाती की अवधि

113—श्री सुरेन्द्र कुमार—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता, श्री एस. के. जैन उ. प्र. जल निगम पिछले 10 सालों में कब से तैनात हैं ? यदि हां, तो उनको वहां तैनात करने का क्या औचित्य है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

श्री एस. के. जैन, अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम के गाजियाबाद में विगत 10 वर्षों के तैनाती का विवरण निम्नांकित हैं :—

क्र. सं.	शाखा का नाम	कब से कब तक
1.	चतुर्थ निर्माण शाखा, गाजियाबाद।	3-3-73 से 9-9-75
2.	द्वितीय शाखा दिल्ली का जल सम्पूर्ति योजना, गाजियाबाद।	2-6-77 से 30-6-77
3.	पंचम शाखा, गाजियाबाद।	1-7-77 से 16-8-77
4.	द्वितीय नोयडा निर्माण शाखा, गाजियाबाद।	21-6-78 से 19-5-82
5.	प्रथम प्रकल्प शाखा, गाजियाबाद।	20-5-82 से अब तक

इन्हें कार्यहित में वहां तैनात किया गया है।

श्री बनमाली टन्डन उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यकाल में भवन, कन्ट्रीब्यूट्री भविष्य निधि विनियमों को बनाये जाने की कार्यवाही

I 14—**श्री सुरेन्द्र कुमार**—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बनमाली टंडन, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यकाल में कितने भवन जनता को उपलब्ध कराये गये एवं कितनी भूमि अर्जित की गयी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

श्री बनमाली टन्डन, उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यकाल में 1271 आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय के 4 अल्प आय वर्ग एवं 3 मध्य आय वर्ग भवन जनता को उपलब्ध कराये गये ।

अर्जित भूमि की सूचना एकत्रित की जा रही है ।

115—**श्री सुरेन्द्र कुमार**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 31-7-79 को प्राधिकरण के कर्मचारियों की कन्टीब्यूटरी प्राविडेन्ट फण्ड स्कीम तथा ग्रेच्युटी स्कीम शासकीय नियमों के अनुसार 1-1-79 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय के पश्चात् भी कर्मचारियों को सुविधा क्यों नहीं दी गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

विकास प्राधिकरण की बैठक में $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत की दर से कन्ट्रीब्यूट्री फण्ड स्वीकार किया गया है । योजना को लागू करने हेतु सेवा नियमावली तथा कन्ट्रीब्यूट्री भविष्य निधि विनियमों को बनाये जाने की कार्यवाही को जा रही है ।

सिटी बोर्ड, गाजियाबाद में निलम्बित अधिकारी

116—**श्री सुरेन्द्र कुमार** —

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अगस्त, 82 में सिटी बोर्ड गाजियाबाद में कुछ अधिकारी निलम्बित किये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या आरोप हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां, सिटी बोर्ड गाजियाबाद में निम्नलिखित तीन अधिकारी/कर्मचारी दि० 5-8-82 को निलम्बित किये गये थे । संक्षेप, में उनके बिरुद्ध निम्न आरोप हैं :—

(1) **श्री एस० पी० जैन, अवर अभियन्ता**

नई बस्ती में स्थित नाले के खुले स्थानों के ढकने की कार्यवाही न करना, जिसमें दुर्घटना हो सकती है ।

(2) **श्री दौलत राम मित्तल, स्वास्थ्य निरीक्षक**

उक्त नाले को पूरी तरह ढकने के लिए कोई रिपोर्ट न देना, नाले की सफाई न करवाना । उनकी कर्तव्यहीनता के कारण नाला ओवर फ्लो हो गया ।

(3) **श्री कगना, वर्क एजेण्ट :—**

उक्त नाले की स्थिति के बारे में रिपोर्ट न देने, ढकवाने का प्रयास न करने के प्रति कर्तव्यहीनता ।

श्री हरमेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० जल निगम बरेली द्वारा जनपद हमीरपुर में पेयजल योजनाओं पर व्यय की गयी धनराशि

117—**श्री सुरेन्द्र कुमार** —

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80 में सूखा कार्य में श्री हरमेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम बरेली को जनपद हमीरपुर में श्री जी० सी० राय, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा विशेष रूप से भेजा गया था, उन्होंने हमीरपुर की पेयजल योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की थी ? तथा कितने गांवों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करायी थी ? क्या इनके द्वारा डाली गयी पाईपलाइन में गैप (फासला) है ? यदि हां, तो इस लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामसिंह खन्ना—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद उन्नाव में साधन सहकारी समिति, नेवलगंज के भवन निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के विरुद्ध जांच

118—**श्री नन्दकिशोर सिंह**—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नेवलगंज, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव में साधन सहकारी समिति नेवलगंज के भवन निर्माण कार्य में जो कि वर्ष 1981 में पूरा हो गया था, काफी अनियमितता बरती गई ? यदि हाँ, तो क्या इस की जानकारी गुप्तचर विभाग द्वारा कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ ।

इसकी जांच बैंक द्वारा कराई गई और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की गई । अतः गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

सहायक विकास अधिकारी का कार्यकाल व स्थायीकरण

119—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग में कितने ऐसे सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) हैं जिनकी सेवायें दिनांक 30-10-82 को 15 साल या इससे अधिक हो गई है लेकित अभीं तक वे स्थाई नहीं किये गये हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

ऐसे सहायक विकास अधिकारी 131 (एक सौ इकतीस) है ।

भुवुना बुजुर्ग विकासखण्ड अजमतगढ़ में मिडवाइफ सेन्टर हेतु भवन निर्माण

120 —श्री पंचानन राय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भुवना बुजुर्ग विकास खण्ड अजमतगढ़ (आजमगढ़) में मिडवाइफ सेंटर के निर्माण से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 14-4-82 मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

भुवुना बुजुर्ग विकास खण्ड अजमतगढ़ में मिडवाइफ सेन्टर हेतु भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है । निर्माण शीघ्र कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

जिला सहकारी बैंक, हरदोई में की-परसोनेल वर्ग-1 के पद पर कार्यरत कर्मचारी

121—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक हरदोई में 'की–परसोनेल' वर्ग–1 के कितने पद हैं तथा उक्त पदों पर कार्यरत कर्मचारियों में से कितने सहकारी संस्थागत सेवा मंडल से चयनित हैं तथा कितने सेवा मंडल एवं विभाग द्वारा प्रोन्नति एवं अनुमोदित हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त पदों में से 50 प्रतिशत सेवा मंडल द्वारा चयनित एवं 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति करके विभागीय नियम का अनुपालन बैंक द्वारा नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री बच्चा पाठक—

जिला सहकारी बैंक, हरदोई में की–परसोनेल वर्ग–1 के तीन पद निर्धारित हैं । इन तीनों पदों पर कार्यरत कर्मचारी प्रबन्ध कमेटी द्वारा पदोन्नत किये गये हैं एवं संस्थागत सेवा मंडल से चयनित/अनुमोदित नहीं हैं ।

संस्थागत सेवा मण्डल स्तर पर इन पदोन्नतियों का अनुमोदन अभी लम्बित है ।

विभागीय निर्देशानुसार दो पद पदोन्नति द्वारा तथा तीसरा पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना था। किन्तु बैंक में कार्यकारी अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु प्रबन्ध कमेटी ने प्रस्ताव नहीं पारित किये।

नियमानुसार चयन/पदोन्नति न करने के लिए तत्कालीन प्रबन्ध कमेटी दोषी रही।

ग्राम पिथनापुर एवं खुटिया, जिला फर्रुखाबाद में आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खोलने का विचार

122—**श्री विमल प्रसाद तिवारी**—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद विकास खंड राजेपुर के ग्राम पिथनापुर एवं खुटिया में आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी खोलने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यह डिस्पेन्सरी कब खोली जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं। इस विषय पर जिला योजना समिति फर्रुखाबाद ही निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

श्री शीतल प्रसाद यादव, प्रबन्ध निदेशक, कृषक सेवा सहकारी समिति नेकपुर कलां, जिला फर्रुखाबाद का स्थानान्तरण

123—**श्री विमल प्रसाद तिवारी**—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शीतल प्रसाद यादव, प्रबन्ध निदेशक, कृषक सेवा सहकारी समिति नेकपुर, जिला फर्रुखाबाद का स्थानान्तरण अगस्त, सितम्बर, 1982 में हुआ था ? यदि हां, तो क्या वे कार्यमुक्त कर दिये गये ? यदि नहीं, तो कार्यमुक्त न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बच्चा पाठक—

श्री शीतल प्रसाद यादव, सहकारी निरीक्षक वर्ग–2/प्रबन्ध निदेशक, कृषक सेवा सहकारी समिति नेकपुर कलां, जिला फर्रुखाबाद का स्थानान्तरण 31-7-82 के आदेश द्वारा किया गया था। उन्हें जिला सहायक निबन्धक, फर्रुखावाद के आदेश दिनांक 4-12-82 द्वारा दिनांक 10-12-82 के अपरान्ह से कार्यमुक्त कर दिया गया है।

ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां में उप केन्द्र खोलने हेतु आदेश

124—**श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरुवार के अता० प्र० सं० 47 के उत्तर के संदर्भ में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कि ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां में पक्की सड़क के किनारे है, हर मौसम में वहां यातायात की सुविधा उपलब्ध है, सभी ग्रामों से सम्पर्क मार्गों से जुड़ा है व सभी ग्रामों की दूरी 2 से 3 कि० मी० के बीच है तथा वहां पर समिति के उप केन्द्र को बनाने हेतु जमीन भी उपलब्ध है अतः उसी ग्राम में उप केन्द्र खोलने हेतु आदेश पुनः दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं ।

क्योंकि ग्राम सभा देवरिया बुद्धू खां उस क्षेत्र की ग्राम सभा रामपुर हिरामन पिपरा मदनगोपाल तथा बेलबा के केन्द्र में नहीं है तथा आवागमन से युक्त केन्द्र में स्थित व अधिक आबादी वाली ग्राम सभा पिपरा मदन गोपाल में उप केन्द्र पहले से ही चल रहा है ।

मथुरा नगरपालिका के कैशियर द्वारा गबन

125 —**श्री सरदार सिंह**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा नगरपालिका के कैशियर द्वारा लाखों रुपया का गबन उनकी जानकारी में आया है ? यदि हां, तो गबन की धन-राशि कितनी है और उनके खिलाफ शासन ने क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हाँ ।

रुपया 3,04,,855-74 पैसे ।

गबन से सम्बन्धित कर्मचारियों को निलम्बित करके उनके बिरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई गई । पुलिस द्वारा उनके बिरुद्ध न्यायालय में मुकदमा कायम कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरमहापालिका, वाराणसी, आगरा, कानपुर के परिवार कल्याण केन्द्रों में पद के सृजन का प्रस्ताव

126—**श्री रियासत हुसैन**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि शासकीय पत्र सं० 4286-ए०/11-नप-4-1976 दिनांक 1-7-1976 के अनुसार नगर महापालिका आगरा, नगर महापालिका कानपुर व नगर महापालिका वाराणसी के परिवार कल्याण केन्द्रों व ब्यूरो के कर्मचारियों के लिए स्थायी पद सृजन के आवश्यक प्रस्ताव प्राप्त होने पर भी शासन ने अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की है ? यदि हां, तो स्वीकृति कब तक दे दी जायगी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

नगर महापालिका, बाराणसी तथा आगरा ने पद सृजन का प्रस्ताव भेजा है जो विचाराधीन है । नगर महापालिका कानपुर द्वारा पद सृजन का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है ।

कुमाऊ तथा गढ़वाल मंडलों में जल संस्थान तथा जल निगम को एक ही संस्था बनाने पर निर्णय

127—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडलों में पेयजल को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने हेतु शासन द्वारा जल संस्थान तथा जल निगम को एक ही संस्था बनाने का निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना —

जी हां । मामले के सभी पहलुओं पर तथा कार्यान्वयन के संबंध में शासन स्तर पर विचार हो रहा है ।

उ. प्र. जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच

128—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध किन-किन आरोपों की जांच शासन द्वारा करायी जा रही है व जांच कराने के आदेश कब दिये गये व जांच का परिणाम क्या रहा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

"पिपरवासा ग्राम समूह की पेयजल योजना ललितपुर में हुए कार्य में विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में खुली जांच के आदेश सतर्कता अधिष्ठान को जनवरी, 1982 में दिये गये थे । सम्बन्धित अवधि में उक्त योजना में जो अभियंतागण कार्यरत थे उसमें जल निगम के प्रबन्ध निदेशक (अब सेवा निवृत) भी एक थे । जांच की अन्तिम आख्या अभी प्रतीक्षित है" ।

सहायक अभियन्ताओं की रोकी गई पदोन्नति

129—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश जल निगम के कुछ सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति को शिकायतों के आधार पर वर्ष 79 में रोक दी गयी थी ? यदि हां, तो वर्तमान प्रबन्ध निदेशक की उस पद पर किस आधार पर पदोन्नति कर दी गयी थी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

हां, कुछ सहायक अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामले में उनकी पदोन्नति रोकी गई थी । जहाँ तक प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति का प्रश्न है उ. प्र. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 4(2) (क) के अधीन प्रबन्ध निदेशक का पद स्टेट्यूटरी है, जिस पर नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है । अतएव पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अपने फील्ड हास्टल तथा गेस्ट हाउस के लिये किराये की दरें

130— श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र०जल निगम का लखनऊ में जो फील्ड हास्टल व मुख्यालय पर गेस्ट रूम है उसका दैनिक किराया और अधिक समय तक रहने का किराया किस दर से लिया जाता है व उन दोनों जगहों में वर्ष 1981 से अब तक कौन कौन लोग कब से कब तक रहे है और उनसे कितना किराया लिया गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

उ० प्र० जल निगम द्वारा अपने फील्ड हास्टल तथा गेस्ट हाउस के लिये किराये की दरें कार्यालय ज्ञाप संख्या 81/प्र-1/ज. नि. (अनुपालन) 46.23, दिनांक 18 जनवरी, 1982 के द्वारा निर्धारित की गई हैं जिसकी एक प्रति संलग्न है। उस दिनांक के पूर्व फील्ड हास्टल में रु० 5/- प्रति दिन प्रति सेट तथा गेस्ट हाउस में बड़े सेट का किराया रु० 5/- प्रति दिन तथा छोटे सेट का किराया रु. 2/ प्रतिदिन था। फील्ड हास्टल में कुछ ऐसे भी सेट्स हैं जिनका मासिक किराया संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के वेतन के 10 प्रतिशत की दर से लिया जाता था।

2 मुख्यालय पर जल निगम के अतिथि गृह में दिनांक 1-1-81 से 13-1-83 तक रहने वालों तथा उनके द्वारा दिये गये किराये की †सूची तालिका—1 में दी गई है फील्ड हास्टल में वर्ष 81 से अब तक अलग अलग महीनों में रहने वाले अधिकारियों की संख्या और उनसे वसूल की गई किराये की धनराशि की सूची तालिका 2 और 3 में संलग्न है।

जनपद गोरखपुर के अभावग्रस्त ग्रामों में हैंडपंपों द्वारा पेयजल की उपलब्धि

131—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के अता० प्र० सं० 35 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल के जिन अभावग्रस्त 558 ग्रामों में 1116 हैण्ड पम्प लगाये जाने का प्रस्ताव है वे हैण्डपम्प किस माध्यम से लगाये जायेंगे तथा हैण्डपम्प की कीमत कौन भुगतान करेगा ? उपरोक्त हैण्ड पम्पों को कहां-कहाँ लगाया जाना प्रस्तावित है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

गोरखपुर जनपद में 558 अभावग्रस्त ग्रामों में 1116 हैंडपंपों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। यह हैंडपंप जल निगम के माध्यम से लगवाये जा रहे हैं। यह कार्य केन्द्र सरकार के त्वरित कार्यक्रम तथा प्रदेश सरकार के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कराया जायेगा। इस कार्य हेतु त्वरित कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 75 प्रतिशत धनराशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में एवं 25 प्रतिशत धनराशि जिला परिषद को शासन द्वारा दिये गये ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी।

---

† छापी नहीं गयी।

वर्ष 1972 में किये गये सर्वेक्षण के आधार पर घोषित अभावग्रस्त ग्रामों में हैंडपंप लगाये जाने प्रस्तावित हैं ।

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई निर्माण शाखा, जल निगम, गोरखपुर के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

132—श्री रुद्र प्रताप सिंह —

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के अता० प्र०सं० 38, 39 व 40 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित अभियन्ता के विरुद्ध जाँच के बाद अब तक कौन-कौन से तथ्य प्रकाश में आये हैं ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सम्बन्धित अभियन्ता के विरुद्ध पुनः जांच कराई गई । प्रारम्भिक जाँच के अनुसार अधिशासी अभियन्ता द्वारा गोरखपुर के उनके कार्यकाल में सामग्रियों के क्रय करने में वित्तीय अनियमिततायें किये जाने के तथ्य प्रकाश में आये हैं, जिसके लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है ।

जल निगम के कार्य प्रभारी अधिष्ठान के नियमितीकरण हेतु गठित समिति

133—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के अता० प्र० सं० 78 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम के कार्य प्रभारी अधिष्ठान के नियमितीकरण हेतु जो समिति गठित की गयी है उसके कौन-कौन सदस्य हैं तथा कब तक समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी तथा कार्य प्रभारी अधिष्ठान के जिन 822 पदों के नियमितीकरण की स्वीकृति मिल गयी है, उस पर कब तक नियुक्तियाँ कर दी जावेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जल निगम के कार्य प्रभारित अधिष्ठान के नियमितीकरण के सम्बन्ध में जो समिति गठित की गई है उसमें अपर मुख्य अभियन्ता (पी. पी. आर. डी.) तथा अवर मुख्य अभियन्ता (अप्रेजल) सदस्य थे । यह सदस्य अब मुख्य अभियन्ता (प्र. नि.) एवं मुख्य अभियन्ता निर्माण के पद पर कार्यरत हैं समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिस पर विचार किया जा रहा है । कार्य प्रभारित अधिष्ठान के उन पदों पर नियमित नियुक्तियां उपरोक्त रिपोर्ट पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त की जायेंगी ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में कर्मचारियों का स्थायीकरण

134—श्री रुद्र प्रताप सिंह —

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 79 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शेष कर्मचारियों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी व स्थाईकरण का मुख्य आधार क्या रक्खा गया है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

शेष कर्मचारियों जिनका स्थाईकरण किया जाना था उनमें से कानपुर की तृतीय शाखा की कार्यशाला के स्थाई पदों पर पात्रता क्षेत्र में आने वाले 137 कर्मचारियों का स्थाईकरण किया जा चुका है। झांसी बबीना अनुरक्षण इकाई में उपलब्ध स्थाई पदों पर कर्मचारियों का स्थाईकरण किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही इन पदों के समक्ष भी कर्मचारियों का स्थाईकरण कर दिया जायेगा।

स्थाईकरण का मुख्य आधार निम्नलिखित है :—

1—दो वर्षों का नियमित अधिष्ठान में निरन्तर सन्तोषजनक सेवाकाल।

2—स्थाई पद उपलब्ध होना।

3—वरिष्ठता के अनुसार।

गोरखपुर में जल निगम निर्माण शाखा द्वितीय एवं अस्थाई निर्माण शाखाओं में अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण तथा विभिन्न श्रेणी के अभियन्ताओं व लिपिकों की कुल संख्या

135—**श्री रुद्र प्रताप सिंह—**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दशम शाखा उ०प्र० जल निगम गोरखपुर, प्रथम व द्वितीय अस्थाई निर्माण शाखा उ०प्र० जल निगम गोरखपुर के किन-किन कर्मचारियों या अधिकारियों का स्थानान्तरण वर्ष 1982 में किया गया ? जो कर्मचारियों या अधिकारी स्थानान्तरित किये गये थे, उनमें से प्रत्येक कितने दिनों से गोरखपुर में कार्यरत थे ? उन स्थानान्तरित कर्मचारियों में से किन-किन का स्थानान्तरण आदेश दुबारा निरस्त कर दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना —

दशम शाखा, उ०प्र० जल निगम के अतिरिक्त, गोरखपुर में जल निगम निर्माण शाखा "द्वितीय एवं अस्थाई निर्माण शाखा" नामक शाखाएं कार्यरत है। इन शाखाओं में जिन कर्मचारियों व अधिकारियों का स्थानान्तरण वर्ष 1982 में किया गया उनका विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	स्थानान्तरित कर्मचारियों/ अधिकारियों का नाम	पद	स्थानान्तरण तिथि का गोरखपुर में कार्यरत रहने की अवधि।	
1	2	3	4	
			वर्ष	माह
1	श्री बी. पी. सिंह	सहा. अभि.	4	7
2	श्री ए. के. गुप्त	,,	3	7
3	श्री आर. एन. सिंह	,,	3	9
4	श्री जनार्दन सिंह	,,	3	6

5	श्री बी. के. श्रीवास्तव	,,	1	9
6	श्री पृथेश कुमार	,,	3	—
7	श्री जी. सी. अग्रवाल	अवर. अभि.	—	10
8	श्री एम. पी. श्रीवास्तव	,,	6	—
9	श्री ब्रिजनेश्वरी प्रसाद	,,	2	11
10	श्री राधेश्याम त्रिपाठी	,,	4	10
11	श्री के. पी. मिश्रा	,,	4	5
12	श्री डी. पी. पाण्डे	,,	4	5
13	श्री के. एन. गुप्ता	,,	4	5
14	श्री शिवचन्द्र सिंह यादव	,,	4	4
15	श्री डी. एन. सिंह	,,	4	5
16	श्री ओंकार लाल	,,	5	9

उपरोक्त स्थानान्तरित कर्मचारियों में से श्री के. पी. मिश्रा, अवर अभियन्ता का आदेश निरस्त किया गया। अस्थाई निर्माण शाखा, गोरखपुर में अवर अभियन्ताओं की संख्या-17 के स्थान पर 12 करने के उद्देश्य से पाँच अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किया गया था। बाद में जब यह पाया गया कि एक अन्य अवर अभियंता, श्री ओंकार लाल की गोरखपुर में कुल अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो गयी और उन्हें स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक समझा गया, तो पूर्व में स्थानान्तरित पाँच अवर अभियन्ताओं में से श्री के. पी. भिश्रा, अवर अभियंता के आदेश निरस्त किये गये ताकि शाखा में 12 अवर अभियंता कार्यरत रहें।

136—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० जल निगम गोरखपुर में विभिन्न श्रेणी के अभियन्ताओं व लिपिकों की कुल संख्या कितनी है जिनका वर्ष 1982 में स्थानान्तरण किया गया? उनके स्थानान्तरण कर पुनः स्थानान्तरण निरस्त करने का औचित्य क्या था?

श्री राम सिंह खन्ना—

गोरखपुर में विभिन्न श्रेणी के अभियंताओं व लिपिकों की कुल संख्या जिनका वर्ष 1982 में स्थानान्तरण किया गया, निम्नानुसार है :—

पद	संख्या
सहायक अभियंता	6
अवर अभियंता	10
लिपिक	शून्य

उपरोक्त मे से केवल एक अवर अभियंता के स्थानान्तरण आदेश निरस्त किये गये जिसका औचित्य ऊपर दिया गया है।

जिला देवरिया की तहसीलों में सीमेंट का आवंटन

137—**श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन की दोहरी वितरण प्रणाली में देवरिया जिले के प्रत्येक तहसीलों को अलग अलग 1 मार्च, 1982 से 30 अगस्त, 82 तक कुल कितनी सीमेंन्ट परमिटों पर देने के लिए जिलाधिकारी, देवरिया को आवंटित की गयी ? वितरण का माध्यम व आधार क्या रक्खा गया ?

श्री वासुदेव सिंह—

शासन स्तर से जन-वितरण श्रेणी के अन्तर्गत सीमेंट का जिलेवार त्रैमासिक आवंटन किया जाता है, मासिक आवंटन नहीं किया जाता है, देवरिया जिलेको अप्रैल-जून, 1982 तथा जुलाई-सितम्बर, 1982 के त्रैमासों के लिए क्रमश: 2959 मी० टन तथा 1800 मी०टन सीमेंट का आवंटन किया गया था। इस आवंटन में से विभिन्न तहसीलों को उक्त अवधि में दिये गये सीमेंट का विवरण निम्नवत है :

(मात्रा मी० टन में)

	नाम तहसील	अप्रैल-जून, 82	जुलाई-सितम्बर, 82	योग
1	देवरिया	982	512.5	1494.5
2	सलेमपुर	642	450	1092
3	पडरौना	702	450	1152
4	टाटा	433	337.5	770.5

तहसीलों की जनसंख्या तथा स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा तहसीलों को सीमेंट का आवंटन किया गया है।

जिला देवरिया में सीमेंट का आबंटन

138—**श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया में वर्ष 81 से लेवी की सीमेंट का वितरण किन-किन अधिकारियों के माध्यम से कराया जा रहा है शासन स्तर पर जो नीति निर्धारित की गयी है उसे जिला स्तर पर क्यों बदल दी गयी है ?

श्री वासुदेव सिंह—

वर्ष 1981 से मई, 1982 तक देवरिया नगर-पालिका में जिला पूर्ति अधिकारी तथा अन्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में परगनाधिकारी सीमेंट का वितरण कार्य करते थे। 22 मई, 1982 से ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट का वितरण कार्य खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। जिला स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित नीति में परिवर्तन नहीं किया गया है।

देवरिया सदर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट का वितरण

139—**श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया सदर तहसील में वर्तमान में सीमेंट वितरण किस-किस माध्यम से कराया जा रहा है वर्ष 1981 से अगस्त, 82 तक विकास क्षेत्र देसही देवरिया रामपुर कारखाना पथरदेवा व देवरिया सदर को ग्रामीण क्षेत्रों से कितने भवन निर्माण, भवन मरम्मत, स्कूल भवन निर्माण व मरम्मत के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और कितनों को सीमेंट दी गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

देवरिया सदर तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में परगनाधिकारी द्वारा सीमेंट का वितरण किया जा रहा है ।

वर्ष 1981 से अगस्त, 1982 तक विकास क्षेत्र देसही, देवरिया, रामपुर, कारखाना, पथरदेवा तथा देवरिया सदर को भवन निर्माण, मरम्मत, स्कूल भवन निर्माण व मरम्मत के लिए प्राप्त प्रार्थना-पत्रों तथा उनमें से जितने प्रार्थना-पत्रों पर सीमेंट दी गयी उसका विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "झ" आगे पृष्ठ पर ।)

उच्चाधिकारी प्राप्त समिति द्वारा जल निगम के कार्यों के बंटवारे के सम्बन्ध में की गई संस्तुतियां

140—**श्री रुद्र प्रताप सिंह** —

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के लिए निर्धारित अता०प्र०सं० 46 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में श्री राज बिहारी सिंह, राज्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकारी प्राप्त समिति ने पूर्व स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग व वर्तमान में उ०प्र० जल निगम में कार्यों के बटवारे के संबंध में अपनी जो रिपोर्ट दी थी वह क्या है व उनमें से किन-किन रिपोर्टों (संस्तुतियों) को शासन द्वारा मान लिया गया तथा उसके अनुरूप क्या वर्तमान उ०प्र० जल निगम में कार्य कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

उच्चाधिकारी प्राप्त समिति ने पूर्व स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग व वर्तमान में जल निगम के कार्यों के बंटवारे के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुतियां की गई :—

1—स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के बारे में समिति की राय यह है कि अभी तक विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं को परामर्शदाताओं के रूप में रखने की जो पद्धति है वह ठीक नहीं है और इनको कार्यकारी चार्ज देना चाहिये । यह चार्ज उसी प्रकार से दिया जाय जैसा कि अभी तक सिविल अभियन्ताओं को दिया जाता है ।

जल सम्पूर्ति व्यवस्था के बारे में एक ओर सिविल अभियन्ताओं को और दूसरी ओर विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं का अलग-अलग मन्तव्य था परन्तु योजना में किसी अनुशासन का अभियन्ता अधिक प्रभावकारी और दक्षतापूर्वक कार्य कर सके इस बात की विवेचना करते हुये समिति इस निर्णय पर पहुँची है कि पुरे विभाग में जितना भी काम हो

रहा है उनका कम से कम 20 प्रतिशत काम विद्युत यांत्रिक अभियन्ताओं का है और उसी अनुपात में उक्त स्टाफ की नियुक्ति की जाय ।

प्रश्न के शेष भाग के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ.प्र. जल निगम में अनुरक्षण व अन्य कार्यों हेतु खोली गयी शाखायें तथा प्रशासनिक पदों पर कार्यरत अभियन्ता

141—**श्री रूद्र प्रताप सिंह**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० जल निगम में निर्माण शाखाओं (सिविल व मैकेनिकल) कों छोड़ कर कुल कितनी अनुरक्षण व अन्य कार्यों हेतु शाखायें खोली गयी हैं तथा वर्तमान में उपरोक्त शाखाओं व जल निगम मुख्यालय के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर दोनों संवर्ग के अलग-अलग कितने सहायक अधिशासी, अधीक्षण अभियन्ता व उनके ऊपर के स्तर के अधिकारीगण कार्यरत है ? व किन कारणों से उ०प्र० जल निगम के समस्त प्रशासनिक व उपरोक्त अन्य शाखाओं में शाखाधिकारियों के पदों पर सिविल संवर्ग के ही अभियन्ता कार्यरत है व क्या मैकेनिकल संवर्ग के अभियन्ताओं को भी तरक्की देने हेतु उपरोक्त विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

उ०प्र० जल निगम में निर्माण शाखाओं (सिविल व मेकेनिकल को छोड़कर कुल 62 शाखायें) 2 अनुरक्षण 1 माईक्रोहाईडिल, केन्द्रीय भंडार तथा शेष 58 प्रकल्प, टेरिफ वेल्यूऐशन एवं शोध इकाइयाँ खोली गई है वर्तमान में उपरोक्त शाखाओं में से 61 सिविल अधिशासी अभियन्ता तथा एक विद्युत यांत्रिक अधिशासी अभियन्ता कार्यरत हैं ।

जल निगम मुख्यालय पर विभिन्न प्रशासनिक पदों पर सिविल संवर्ग के दो मुख्य अभियन्ता दो अपर मुख्य अभियन्ता एवं विया संवर्ग के एक अपर मुख्य अभियन्ता कार्यरत हैं । मुख्यालय पर कार्यरत सहायक, अधिशासी एवं अधीक्षण अभियण्ताओ के बारे में सूचना संलग्न सूची के अनुसार है ।

उ०प्र० जल निगम में शाखाओं तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियाँ सिविल एवं विद्युत/यांत्रिक दोनों संवर्गों के अभियन्ताओं विनियमों के अनुसार जिस संवर्ग के लिये पद विशेष स्वीकृत है, की गई एवं कीं जाती है । मेकेनिकल संवर्ग के अभियन्ताओं को भी तरक्की के लिये उक्तानुसार स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की गई है एवं की जाती है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ पर ।)

उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ में कार्यरत अभियन्ता तथा रिक्त पदों पर नियुक्त

142—**श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० जल निगम लखनऊ में कुल कितनी अवर अभियन्ता (सिविल व विद्युत याँत्रिक), सहायक अभियन्ता (सिविल व विद्युत यांत्रिक) अधिशासी अभियन्ता (सिविल व विद्युत यांत्रिक) व अधीक्षण अभियन्ता (सिविल व विद्युत यांत्रिक) की जगहें, जल निगम द्वारा प्रत्येक कैडर में अलग-अलग नियुक्ति हेतु स्वीकृत है तथा वर्तमान में प्रत्येक कैडर में अलग अगल कुल कितने कर्मचारी या अधिकारी कार्यरत है तथा रिक्त स्थानों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

उ०प्र० जल निगम लखनऊ में 2340 सिविल व 347 विद्युत/यांत्रिक, अवर अभियन्ता, 744 सिविल व 101 विद्युत/याँत्रिक, सहायक अभियन्यता, 186 सिविल व 28 विद्युत/याँत्रिक, अधिशासी अभियन्ता तथा 46 सिविल व 7 विद्युत/यांत्रिक, अधीक्षण अभियन्ता की जगहें स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में 2060 सिविल तथा 347 विद्युत/यांत्रिक, अवर अभियन्ता 657 सिविल तथा 87 विद्युत/यांत्रिक सहायक अभियन्ता, 183 सिविल तथा 28 विद्युत/यांत्रिक अधिशासी अभियन्ता एवं 45 सिविल तथा 6 विद्युत/यांत्रिक, अधीक्षण अभियन्ता कार्यरत हैं ।

अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु उ०प्र० जल निगम द्वारा आबश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता का पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है । सहायक अभियन्ता (सिविल) से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु लोक सेवा अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त है । अतः स्थगन आदेश खत्म होने पर ही इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जा सकेगी । अधिशासी अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) का कोई पद रिक्त नहीं है ।

अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के एक रिक्त पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से वापस आने वाले अधीक्षण अभियन्ता से किये जाने का प्रस्ताव है, अधीक्षण अभियन्यता (विद्युत एवं यांत्रिक) के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

उ.प्र. जल निगम में नयी वेतन प्रणाली लागू करने हेतु आदेश

143—**श्री रुद्र प्रताप सिंह—**

क्य नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० जल निगम में नयी वेतन प्रणाली लागू करने हेतु आदेश जारी कर दिये मये हैं ? यदि हां, तो आदेश की प्रतिलिपि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

उत्तर प्रदेश जल निगम में नयी वेतन प्रणाली लागू करने हेतु आदेश अभी जारी नहीं किये गये है । वेतन आयोग की रिपोर्ट जल निगम की अगली बैठक में आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जायेगी ।

चतुर्थ अस्थाई निर्माण शाखा उ.प्र. जल निगम, वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता श्री मदन मोहन श्रीवास्तव के विरुद्ध आरोपों की जांच

144—**श्री रुद्र प्रताप सिंह—**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ अस्थाई निर्माण शाखा उ.प्र. जल निगम, वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता (श्री एम०एम० श्रीवास्तव) के विरुद्ध शासन द्वारा किन-किन आरोपों की जांच हेतु आदेश दिये गये हैं व जांचकर्ता अधिकारी कौन है

तथा शिकायतकर्त्ता कौन-कौन लोग हैं व क्या शासन के किसी मंत्री ने भी उनके स्थानान्तरण एवं आरोपों की जांच हेतु आपको पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उस अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और नहीं, तो कब तक किये जाने की सम्भावना है और नहीं, तो क्यी ?

श्री रामसिह खन्ना —

प्रश्नगत मामले में श्री एम०एम० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कतिपय शिकायतों जो जातिवाद एवं भाई भतीजा बाद, अनियमित तरीके से भुगतान एवं पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में है, के लिए जांच के आदेश दिये गये हैं तथा जाँच अधीक्षण अभियन्ता से कराई गई । शिकायत कर्त्ता श्री राजेश खत्री, महामंत्री, युवा कांग्रेस (आई) वाराणसी एवं श्रीं फूल चन्द्र वर्मा, अध्यक्ष, चतुर्थ एवं कार्यप्रभारित कर्मचारों संघ, उ०प्र० जल निगम संघ, वाराणसी हैं ।

जी हाँ, श्री मदन मोहन श्रीवास्तव का स्थानान्तरण वाराणसी से जौनपुर कर दिया गया है एवं जांच चल रही है ।

अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) श्री एस०एस० अहमद के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

145—**श्री रुद्र प्रताप सिंह—**

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) श्री एस०एस० अहमद जो वर्तमान में मिर्जापुर में उ०प्र० जल निगम में कार्यरत हैं, उनके विरुद्ध अधिशासी अभियन्ता के रूप में जब वे गोरखपुर में व अन्य जगह कार्यरत थे भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुई थीं ? उन पर क्या क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध कुल सात शिकायतें प्राप्त हुई थी । उन पर जांच कराई गई और जांच आख्या के कुछ बिन्दुओं पर स्थिति पूर्णत: स्पष्ट न होने के कारण फिर से जांच कराई जा रहीं है ।

उ.प्र. जल निगम में सिविल व मैकेनिकल संवर्ग में कर्मचारियों का नियमितीकरण एवं स्थाईकरण

146—**श्री रुद्र प्रताप सिंह —**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ.प्र. जल निगम, लखनऊ में 1-1-1979 तक सिविल व मैकेनिकल संवर्ग, के कौन-कौन अवर अभिन्यता अलग-अगल प्रत्येक संवर्गो में नियमित स्थाई व सेलेक्शन ग्रेड के योग्य पाये गये हैं तथा उन अवर अभियन्ताओं के मध्य आने वाले कौन-कौन अभियन्ता दोनों संवर्ग मे ऐसे हैं जिनका नियमितीकरण स्थाईकरण व सेलेक्शन ग्रेड रोक दिया गया है तथा उपरोक्त के रोकने का अलग-अलग कारण क्या है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

उ.प्र. जल निगम में 1-1-79 तक सिविल व मैकेनिकल संवर्ग में नियमितीकरण स्थाईकरण व सेलेक्शन ग्रेड के योग्य पाये जाने वाले तथा इस हेतु रोके गये (विचाराधीन) अवर अभियन्ताओं की संख्या निम्नलिखित है :—

क्रम सं•	विवरण	1-1-79 तक उपयुक्त पाये गये अवर अभियन्ताओं की संख्या		1-1-79 तक रोके गये (विचाराधीन अवर अभियन्ताओं की संख्या	
		सिविल	वि/यॉ	सिविल	वि/यॉ
1.	नियमितीकरण	1417	197	14	1
2.	स्थाईकरण	1126	185	49	10
3.	सेलेक्शन ग्रेड	418	67	17	1

रोके गये मामलों से सम्बन्धित सूचना एकत्र करने में अत्यधिक समय लगेगा।

तृतीय अस्थाई निर्माण शाखा, जल निगम, पिथौरागढ़ का मुख्यालय बागेश्वर किये जाने से तैनात अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

147—**श्री रुद्र प्रताप सिंह—**

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के अता० प्र० सं 36 के उत्तरके संदर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि तृतीय अस्थाई निर्माण शाखा, उ० प्र० (पिथौरागढ़) जल निगम के स्थानान्तरण (बागेश्वर जाने) के पहले उस शाखा में तैनात अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं के क्या नाम थे व प्रत्येक को किन शाखाओं में भेजा गया था व उस शाखा में स्थानान्तरित अवर अभियन्ता (यान्त्रिक) श्री हसनैन खां की नियुक्ति किस आदेश से कहां की गयी और उक्त आदेश उन्हें कब भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

तृतीय अस्थाई निर्माण शाखा (वि० यॉ), उ० प्र० जल निगम पिथौरागढ़ का मुख्यालय पिथौरागढ़ से बागेश्वर किये जाने से पहले उस शाखा में श्री ए. के. सेठ, सहायक अभियन्ता एवं निम्नलिखित अवर अभियन्ता तैनात थे:—

1—सर्वश्री बी. बी. गुप्ता

2—संगम लाल

3—राम कुमार शर्मा

4—खमेन्द्र कुमार

5—ललिता यादव

6—योगेश कुमार त्यागी
7—पी. एन. अरोरा

श्री एन. के. सेठ, सहायक अभियन्ता को इसी शाखा के अधीन पिथौरागढ़ रखा गया।

सर्वश्री योगेश कुमार त्यागी एवं श्री पी. एन. अरोरा,अवर अभिमन्ताओं को द्वतीय निर्माण शाखा हल्द्वानी स्थानान्तरित किया गया। श्री ललिता यादव अवर अभियन्ता को इसी शाखा के अधीन बागेश्वर स्थानांतरित किया गया व सर्वश्री बी. बी गुप्ता, संगम लाल राम कुमार शर्मा एवं खामेन्द्र कुमार अवर अभियन्ताओं कों इसी शाखा के अधीन पिथौरा-गढ़ रखा गया।

श्री हसनैन खाँ, अवर अभियन्ता (वि./याँ) का स्थानांतरण उ. प्र. जल निगम के कार्यालय ज्ञापसंख्या 9549/अ–2/16 (स्था.), दिनांक 17-5-79 द्वारा पिथौरागढ़ के लिये किया गया था, एवं उक्त शाखा में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उन्हें दिनांक 19-5-79 को गोरखपुर से कार्यमुक्त किया गया था, परन्तु उन्होंने पिथौरागढ़ शाखा में कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

श्री हसनैन खां अवर अभियन्ता जल निगम की सेवा समाप्ति के आदेश तथा दिये गये पत्र की जांच

148—**श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के अता. प्र. सं. 50 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित मामलों की जांच कब पूरी करके पूरे परिणाम सदन को मिल जायगा ?

श्री रामसिंह खन्ना—

सम्बन्धित मामलों की प्रारिम्भक जांच रिपोर्ट जल निगम मुख्यालय को प्राप्त हो गई है, जो विचाराधीन है।

अस्थाई निर्माण शाखा, जल निगम, गोरखपुर में रिग मशीन पर व्यय

149—**श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

विधान समा के द्वतीय सत्र 82 के 1ले गुरु के अता. प्र. संख्यां 55 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री वताने की कृपा करेंगे कि जब शासन द्वारा 5000 रु० से अधिक धनराशि खर्च करने पर टेंडर निकाले जाने का प्राविधान रक्खा गया है तो किन कारणों से 29407 रु० उपरोक्त मशीन की मरम्मत पर बिना टेंडर निकले खर्च कर दिया गया व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है।

श्री राम सिंह खन्ना—

प्रश्नगत रिग मशीन की मरम्मत के कार्य नलकूप छिद्रण के कार्य स्थल पर कराये गए। पहली मरम्मत, छिद्रण कार्य करने से पूर्व कराई गई। मरम्मत के कार्यकर्त्ता मशीन की विस्तृत जांच करने के उपरांत ही आफर देते हैं। अतः केवल निकटस्थ मरम्मत कर्त्ताओं

से कोटेशन आमन्त्रित करके कार्य कराया गया। दूसरी एवं तीसरी बार रिग मशीन द्वारा नलकूप छिद्रण के दौरान मशीन में त्रुटियां उत्पन्न होने पर निकटस्त फर्मों से कोटेशन प्राप्त करके मरम्मत कार्य तुरन्त कराया गया अन्यथा नलकूप के क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण संभावना होती। ऐसी परिस्थिति में टेण्डर आमंत्रित करने में समय लगता जो कार्यहित में न होता।

उपरोक्तानुसार रिग मशीन की मरम्मत के कार्य परिस्थितियों के अनुसार कार्य के हित में कोटेशन आमंत्रित/ प्राप्त करके कराए गए। अतः सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

विकास क्षेत्र देसही देवरिया, रामपुर कारखाना व देवरिया में उर्वरकों पर प्रदान को गयी अनुमन्य छूट

150 - **श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के अता० प्र० सं० 30 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 व 1980-81 में में लघु सीमान्त कृषकों को उर्वरक क्रय कर जो अनुमन्य अनुदान (छूट) दी गयी थी ? यदि हाँ, तो उसका पूरा विवरण क्या है।

श्री बच्चा पाठक —

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बुद्ध खां व श्री हसनैन खां, ग्राम व पोस्ट देवरिया द्वारा सीमेंट के आवंटन धोखाधड़ी व अनियमितता के सम्बन्ध में पत्र

151—**श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के अता० प्र० सं० 41 के उत्तर के संदर्भ में क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि सम्बन्धित पत्र मूलरूम में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय मे प्राप्त नहीं हुआ है तो खाद्य तथा रसद अनुभाग--8 उ०प्र० शासन लखनऊ के कार्यालय के पत्र स० 11978/29-8-1 (40) सी/81 दिनांक 11 जनवरी, 82 के सन्दर्भ में जो कि जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से जिलापूर्ति अधिकारी देवरिया के कार्यालय में भेजा गया था व वहाँ के पत्र सं.-130/जि. पू. अ.-सिमेंट/81, दिनाँक 23-1-82 के द्वारा परगनाधिकारी (सदर) देवरिया को भेजा गया था अब तक कूल कितनी सीमेंट दी गयी है ? यदि नहीं, तो आगे के लिये किस मात्रा में सीमेंट देने के आदेश दिये जा रहे हैं ?

श्री वासुदेव सिंह—

मदरसा इसहाकिया अरकिया मुफताहुल उलूम, देवरिया बद्धू खाँ से सीमेंट आवंटन के सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। यह प्रार्थना-पत्र जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा परगना अधिकारी देवरिया सदर को अपने पत्र संख्या--130/जि. पू. अ.--सीमेंट/81, दिनांक 23-1-82 के साथ भेजा गया था जिस पर तहसीलदार को जांच कराने के आदेश परगनाधिकारी द्वारा दिये गये थे। परन्तु 28 फरवरी, 1982 से सीमेंट की दोहरी मूल्य व्यवस्था लागू हो जाने के कारण शैक्षिक संस्थाओं को सीमेंट आपूर्ति जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा ही होने के कारण उक्त पत्र पर सीमेंट आपूर्ति के लिये वांछित अभिलेखों को उपलब्ध कराने हेतु मो. हसनैन खाँ, मेम्बर कार्यकारिणी मदरसा को जिला पूर्ति अधिकारों द्वारा पत्र मेजा गया है ताकि जांचोपरांत उनके द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

उच्चधिकारी प्राप्त समिति की रिपोर्ट द्वारा की गयी संस्तुतियां

125—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के अता० प्र. सं. 34 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समिति ने तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग (अब जल निगम) के निर्माण के संबंध में विभिन्न कार्य व अनुरक्षण (योजनाओं के रख-रखाव) से संबंधित कार्यो के संवंध में क्या रिपोर्ट दी थी व उसकी प्रतिलिपि क्या हैं तथा शासन ने समिति की किन-किन अनुसंशाओं (रिपोर्ट) को मान लिया था ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि अनुरक्षण से संबंधित संस्तुतियों पर अमल नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना —

समिति ने यह रिपोर्ट दी थी कि स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग (अब जल निगम) का 20 प्रतिशत काम विद्युत एवं यांत्रिक अभियंताओं के चार्ज में दिया जा सकता है। संस्तुतियों का साराँश संलग्न है। शासन ने समिति की अनुशसाओं (रिपोर्टों) पर गंभीरतापूर्वक प्रर्याप्त विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया था कि स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के वर्तमान मंडलों तथा निर्माण शाखाँओं में से कम से कम 20 प्रतिशत मंडलों तथा निर्माण शाखाओं को विद्युत एवं यांत्रिक मंड़लों तथा शाखाओं में परिवर्तित कर दिया जाय। शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी ङ आगे पृष्ठ पर।)

अभावग्रस्त ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य तथा जल निगम की सिविल व यांत्रिक शाखाओं से कराये जा रहे कार्य

153—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1 ले गुरु के अता० प्र० सं० 35 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन द्वारा सिर्फ गोरखपुर मंडल के अभावग्रस्त ग्रामों में ही पीने के पानी की व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प लगाये जाने के आदेश दिये हैं या अन्य मंडलों में भी ? यदि अन्य मंडलों में भी आदेश हैं तो उसका विवरण क्या है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में समस्त अभावग्रस्त ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। जहाँ गहरे नलकूप इण्डिया मार्क- II हैण्डपम्प सफलतापूर्वक लगाये जा सकते हैं वहां उनके माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस नीति के अनुसार गोरखपुर मंडल के अलावा मैदानी क्षेत्र के अन्य मंडलों के आभावग्रस्त ग्रामों में भी पीने के पानी की व्यवस्था हेतु जहाँ हैण्डपम्प सफलतापूर्वक लग सकते हैं, लगाये जायेंगे ।

154 श्री रुद्र प्रताप सिंह—

उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हैण्ड पम्पों के लगाये जाने का कार्य पूर्णतया जब यांत्रिक कार्य है तो किन कारणों से उसको

लगाने का कार्य जल निगम की सिविल शाखाओं द्वारा कराया जा रहा है व क्या अब से उपरोक्त शाखाओं के बदले जल निगम की यांत्रिक शाखाओं से उपरोक्त कार्य कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

हैण्डपम्पों के लगाये जाने का कार्य यांत्रिक नहीं है। मैदानी क्षेत्र में हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य "हैण्डबोरिंग" द्वारा जल निगम की सिविल शाखाओं द्वारा कराया जा रहा है। यही कार्य चट्टानी क्षेत्र में रिग मशीनों द्वारा जल निगम की विधुत/यांत्रिक शाखाओं द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। इस प्रकार यह कार्य जल निगम की दोनों सिविल एवं यांत्रिक शाखाओं से उनके अन्य कार्यभार को देखते हुए सम्पादित कराया जा रहा है ।

जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक श्री बिशनोइ की पदोन्नति के विरुद्ध जांच

155—**श्री रुद्र प्रताप सिंह—**

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के अता.प्र. सं. 48 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक (श्री बिशनोई) की पदोन्नति प्रबन्ध निदेशक के पद पर कैसे कर दी गयी, जबकि उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच बिजिलेन्स से शासन द्वारा करायी जा रही थी और नगर विकास सचिव ने उनकी पदोन्नति न किये जाने की स्पष्ट संस्तुति शासन से की थी ?

श्री रामसिंह खन्ना—

उ. प्र. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा- 4 (2) (क) के अधीन प्रबन्ध निदेशक पद एक स्टेट्युटरी पद है जिस पर शासन द्वारा नियुक्ति की जाती है। पदोन्नति को कोई प्रश्न नहीं उठता। जहाँ तक श्री विशनोई (अब सेवा निवृत) के प्रबन्ध निर्देशक के पद पर नियुक्ति का प्रश्न है, उन्हें पिपरवासा ग्राम समूह की पेयजल योजना, ललितपुर से सम्बन्धित विभागीय कार्यवाही में सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दोषमुक्त कर दिये । गये थे और सतर्कता जांच में कोई विपरीत आख्या उनके विरुद्ध प्राप्त नहीं हुई थी

उत्तर प्रदेश जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अनियमितताओं की सर्तकता अधिष्ठान द्वारा जाँच

156—**श्री रुद्र प्रताप सिंह—**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध किन-किन मुख्य आरोपों की जांच, विजिलेन्स द्वारा करायी जा रही है व क्या शासन को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो पूरी जांच रिपोर्ट क्या है उस पर शासन ने क्या निर्णय लिया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

—पिपरवासा ग्राम समूह की पेयजल योजना, ललितपुर में तत्समय तैनात जो अभियंतागण कार्यरत थे उसमें जल निगम के प्रबन्ध निदेशक (अब सेवा निवृत) भी एक थे,

के विरुद्ध योजना के कार्यान्वयन में की गई विभिन्न अनियमितताओं की जांच सर्तकता अधिष्ठान द्वारा कराई जा रही है । जांच की अन्तिम आख्या अभी प्रतीक्षित है ।

उ० प्र० जल निगम मुख्यालय, लखनऊ में कार्यरत अभियन्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जांच

157 **श्री रुद्र प्रताप सिंह** —

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० जल निगम मुख्यालय लखनऊ पर वर्तमान कार्यरत किन-किन अभियन्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं की जांच शासन द्वारा करायी जा रही है व किन-किन की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों व जिन-जिन अभियन्ताओं की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है उनमें प्रत्येक का अलग-अलग पूरा विवरण क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना —

जल निगम मुख्यालय पर वर्तमान समय में कार्यरत निम्नलिखित अभियंताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अन्य अनियमितताओं की जांच कराई जा रही है :—

1—श्री मुश्ताक अहमद, अधीक्षण अभियन्ता
2—श्री सुशील चन्द्र श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता
3—श्री राजकुमार शर्मा, प्रथम अधिशासी अभियंता
4—श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक अभियंता
5—श्री महेन्द्र प्रसाद सक्सेना, सहायक अभियंता
6—श्री श्रीप्रकाश सिंहल, सहायक अभियन्ता

उपर्युक्त अभियन्ताओं के विरुद्ध चल रही जांच का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—श्री मुशताक अहमद, अधीक्षण अभियंता

मुरादाबाद जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण कार्य कराने के लिये इनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है जिसका उत्तर प्राप्त हो गया है जो जल निगम के विचाराधीन हैं ।

2—श्री सुशील चन्द्र श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता

दशम शाखा गोरखपुर में तैनाती के समय की गई अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें से एक आरोप के सम्बन्ध में शासन द्वारा पुनः जांच के आदेश दिये गये हैं । यह जांच क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा कराई जा रही है और जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

3—श्री राज कुमार शर्मा (प्रथम,) अधिशासी अभियंता

सतंकता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था जो जल निगम के विचाराधीन है ।

4—श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक अभियंता

नेवरिया ग्राम में जलाशय के ध्वस्त हो जाने के सम्बन्ध में इनके विरुद्ध जांच

कराई गई थी। जांच आख्या के अनुसार इनके विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये गये हैं और दण्डित करने का मामला विचाराधीन है।

5—श्री महेन्द्र प्रसाद सक्सेना, सहायक अभियंता

इनके विरुद्ध कुनारी पेयजल योजना के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण कार्य कराने के सम्बन्ध में विभागीय जांच के लिये कार्यवाही प्रगति पर है।

6—श्री श्रीप्रकाश सिंहल, सहायक अभियंता

इनके विरुद्ध टाण्डा जलोत्सारण योजना में त्रुटिपूर्ण कार्य कराने के लिये अधीक्षण अभियंता से जांच कराई जा रही है जो अभी पूरी नहीं हुई है।

वाराणसी एवं गोरखपुर मण्डलों में जल निगम द्वारा बनाये गये नल कूपों का रसायनिक परीक्षण

158—**श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के अता० प्र० सं० 35 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर बिकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मंडल व वाराणसी मंडल में वर्ष 1975 से अब तक पीने के पानी के लिए उ० प्र० जल निगम द्वारा बनाये नलकूपों में कुल कितने नल कूपों का जल जीवाणु व रसायनिक परीक्षण के उपरान्त पीने के अनुपयुक्त पाया गया तथा उसे शुद्ध करने के लिए रसायनिक पदार्थों के प्रयोग की सलाह दी गयी तथा उन नलकूपों की औसत गहराई क्या थी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

बाराणसी एवं गोरखपुर मण्डलों के अन्तर्गत नो (9) जिलों में वहाँ 1975 से अब तक पीने के पानी के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा बनाये गये नलकूपों में से 128 नलकूप ऐसे थे जिनके जीवाणु अथवा रसायनिक परीक्षश के उपरान्त उनका पानी पीने हेतु दोषपूर्ण पाया गया। परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला पानी को शुद्ध करने के लिए किसी रसायनिक पदार्थ के प्रयोग की सलाह नहीं देती है। जल निगम क्लोरीन द्वारा पानी शुद्ध करके जलापूर्ति करता है। इन नलकूपों की औसत गहराई 128.20 मीटर है।

प्रथम जल निगम शाखा (विकास प्राधिकरण) गाजियाबाद में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं संबंधी शिकायती-पत्र तथा एस०एम० श्रीवास्तव अधीक्षण अभियंता द्वारा जांच

159—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम जल निगम शाखा (विकास प्राधिकरण) गाजियाबाद के सहायक अभियन्ता (श्री एम०सी० अग्रवाल) द्वारा अप्रैल, 1981 में वहां व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सिलसिले में दिये गये शिकायती पत्र में कितने रुपयों के घोटाले का मामला है और इस गभीर मामले की पूरी जांच में देरी किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

श्री अग्रवाल, सहायक अभियन्ता द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र में उल्लिखित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है। जांच के उपरान्त ही यह ज्ञात हो सकेगा कि कितने रुपये का घोटाला है अथवा नहीं।

जांच में विलम्ब का कारण मामले में प्रत्यक्षतः दोषी पाये गये अधिकारियों द्वारा आरोप पत्र के संदर्भ में अपने बचाव में लिखित वक्तव्य प्रेषित करने में विलम्ब किया जाता है।

160—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रथम जल निगम शाखा (विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद) जो अगस्त, 1982 तक अष्टदश मंडल गाजियाबाद के अधीन रही और अष्टदश मंडल के अधीक्षण अभियन्ता श्री एस० एस० श्रीवास्तव द्वारा उक्त जांच से प्रभावित भ्रष्ट तत्वों से सांठ-गांठ कर जांच में सहयोग देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रताड़ित एवं हतोत्साहित किये जाने की बातें भी प्रकाश में आई हैं ? यदि नहीं, तो क्या जांच कराकर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही पर शासन विचार करेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

प्रथम जल निगम शाखा वि० प्रा० गाजियावाद जो अगस्त 1982 तक अष्टदश मण्डल, उ० प्र० जल निगम गाजियाबाद के अधीन कार्यरत थी उस मण्डल के श्री एस० एस० श्रीवास्तव अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रश्न गत जांच से प्रभावित भ्रष्ट तत्वों से सांठ गांठ करके जांच में सहयोग देने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रताड़ित एवं हतोत्साहित किये जाने जैसी कोई विशिष्ट बात प्रकाश में नहीं आई है। अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

प्रथम जल निगम शाखा (विकास प्राधिकरण) गाजियाबाद में भ्रष्टाचार के संबंध में कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम व उनके स्थानाम्तरण हेतु कृत्त कार्यवाही

161—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम जल निगम शाखा (विकास प्राधिकरण) गाजियाबाद के सहायक अभियन्ता (श्री एम० सी० अग्रवाल) द्वारा अप्रैल, 1981 में उक्त शाखा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सिलसिले में की गई शिकायत पर चार अधिकारियों/कर्मचारियों को जांच को प्रभावित होने से बचाने के लिए दूरस्थ जिलों में स्थानान्तरण के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो अधिकारी/कर्मचारी कौन हैं और उन्हें कहां-कहां स्थानान्तरित किया गया ? क्या यह भी सही है कि जांच निष्पक्षता को देखते हुए दो जूनियर इन्जीनियर (श्री बी० डी० उपाध्याय एवं पी० के० शर्मा) के स्थानान्तरण इसी आधार पर जून, 1981 में क्रमशः वाराणसी एवं लखनऊ के लिए किये गये थे ? यदि हाँ, तो श्री उपाध्याय को पुनः गाजियाबाद स्थानान्तरित किये जाने के क्या कारण है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

श्री एम. सी. अग्रवाल, सहायक अभियन्ता ने 8 अप्रैल, 1981 के पत्र द्वारा प्रथम जल निगम शाखा विकास प्राधिकरण गाजियाबाद में हो रही तथा कथित अनियमितताओं

के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराई थी। शिकायत पर छानबीन के उपरान्त निम्न चार अधिकारियों/कर्मचारियों को गाजियाबाद से उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया था :—

नाम	स्थानान्तरण का स्थान
1— श्री प्रबोध कुमार	प्रथम सर्वे एवं अनु. शाखा, उ.प्र. जल निगम लखनऊ
2— श्री एस. के. गुप्ता	सर्वे अनु. प्र. शाखा उ. प्र. जल निगम चमोली
3— श्री जी. एस. त्यागी-	सर्वे अनु. एव. प्र. नि. शाखा, उ० प्र. जल निगम, उत्तरकाशी।
4— श्री बी. डी. उपाध्याय-	जल निगम यांत्रिक शाखा। द्वितीय, उ.प्र. जल निगम, वाराणसी।

यह सही है कि सर्वश्री बी. डी. उपाध्याय एवं पी. के. शर्मा, अवर अभियन्ताओं को जून/जुलाई, 1981 में क्रमशः वाराणसी एवं लखनऊ के लिये स्थानान्तरित किया गया था।

प्रारम्भिक जांच के अनुसार श्री बी. डी. उपाध्याय, अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई बात न पाये जाने के कारण उनको सितम्बर, 1982 में न्यू ओखला इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथोरिटी में एक वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की अनुमति प्रदान की गई।

162—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त शिकायत के जांच अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक रिपोर्ट के आधार पर शाखा के कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र निर्गत किये जाने थे और कितनों को के विरुद्ध निर्गत किये गये ? क्या शासन इस बात के निर्देश देगा कि प्रारम्भिक रिपोर्ट के आधार पर समस्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोप पत्र देकर दूरस्थ स्थानों पर स्थानान्तरण कर दिये जायं ताकि जांच कार्यवाही प्रभावित न हो सके ?

श्री राम सिंह खन्ना—

प्रारम्भिक जांच आख्यानुसार प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध चार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र निर्गत किये जा चुके हैं। इनको स्थानान्तरित किया जा चुका है। प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट के अनुसार 13 अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध पाया गया है जिनके विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही का मामला उ.प्र. जल निगम में विचाराधीन है।

दुर्बल वर्ग हेतु झांसी मण्डल में भवनों का निर्माण

163—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या आवास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कमजोर वर्ग के लिए झांसी मंडल में कितने आवासगृह बनाये जा रहे हैं और कितने लोगों को आवास 1982 में उपलब्ध हो सकेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना —

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा केवल झांसी नगर में ही आवासीय योजना चलायी जा रही है। मार्च, 1982 तक झांसी नगर में 415 दुर्बल आय वर्ग के भवन, पूर्ण किये जा चुके हैं और वर्ष 1982-83 में 146 अतिरिक्त (दुर्बल आय वर्ग के) भवनों को पूर्ण करने का लक्ष्य है जिसमें से 68 भवन पूर्ण हो चुके हैं तथा 78 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

लखनऊ में राजकीय चिकित्सा संवर्ग चिकित्सालयों में कार्यरत कर्मचारियों का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

164 —**श्री गोपीनाथ वर्मा** —

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद स्थित राजकीय चिकित्सा संवर्ग चिकित्सालयों में कार्यरत ऐसे कितने सहायक अधीक्षक मुख्य अधीक्षक, ज्येष्ठ लिपिक स्टोर लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक हैं जिन्हें एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 5 वर्ष या उससे अधिक हो गये हैं ? क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी ऐसे कर्मचारियों का तत्काल स्थानान्तरण जनपद से अन्यत्र करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

मुख्य अधीक्षक नामक कोई पद नहीं है। अन्य पदों पर पांच वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति निम्नवत् है :—

सहायक अधीक्षक-	एक
ज्येष्ठ लिपिक-	एक
स्टोर लिपिक-	दो
कनिष्ठ लिपिक-	सत्तरह

साधारणतया मध्य सत्र में स्थानान्तरण करने का औचित्य नहीं बनता।

जनपद लखनऊ में कार्यरत चिकित्साधिकारियों का कार्यालय एवं स्थानान्तरण

165 —**श्री गोपीनाथ वर्मा**—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखननऊ जनपद में कार्यरत कितने ऐसे प्रथम श्रेणी के चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं वरिष्ठ अधीक्षक है, जो कि जनपद में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं व स्थानान्तरण पर जाने के पश्चात पुनः 3 वर्ष से पूर्व ही जनपद में वापस आ गये ? क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी तत्काल ऐसे अधिकारियों को जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरित करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

लखनऊ जनपद में कार्यरत प्रथम श्रेणी के 6 चिकित्सा अधिकारी ऐसे हैं जो कि जनपद में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं व स्थानान्तरण पर जाने के पश्चात पुनः 3 वर्ष से पूर्व ही जनपद में वापस आ गये।

यदि जनहित एवं प्रशासनिक कारणों से इन अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करना आवश्यक समझा गया तो इस संबंध में यथा समय विचार किया जायेगा।

बरेली मण्डल के उप निबन्धक (सहकारिता) द्वारा सचिव का चुनाव

166—**श्री जगदीश सिंह**—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल के उप निबन्धक (सहकारिता) ने बर्ष 1981-82 में सचिबों का चुनाव एकाउन्टेन्ट में से किस आधार पर किया था ? तथा इस सूची को निबन्धक (सहकारिता) ने किन कारणों से अस्वीकृत कर दिया ? क्या इस प्रकरण की शासन जांच करायेगा ?

श्री बच्चा पाठक —

वर्ष 1981-82 में उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश बरेली ने एकाउन्टेन्ट में से किसी भी सचिव का चुनाव नहीं किया ।

शेष प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के सिसवा टाउन एरिया के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

167—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के सिसवा टाउन एरिया के कर्मचारियों को अप्रैल, 82 से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो वेतन न मिलने का कारण क्या है और समय से वेतन भुगतान कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मई 82 तक वेतन भुगतान किया जा चुका है ।

टाउन एरिया की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । जिलाधिकारी को बकाया करों की तत्परता से वसूली कराकर वेतन भुगतान करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

गोरखपुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सीमेंट के वितरण में अनियमितता की शिकायत की जांच

168—**श्रीमती गौरी देवी**—

क्या खाद्य मन्त्री को जानकारी है कि वर्ष 81–82 में गोरखपुर जिले के बाढ़ पीड़ितों में वितरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित 40 हजार बोरी सीमेंट अधिकारियों द्वारा काला बाजार में अधिक मूल्य पर बेच दी गई ? क्या इस सम्बन्ध में खाद्य मन्त्री को फरवरी, 82 में गोरखपुर दौरे के समय श्री असरफ आलम खाँ सहित कुछ अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और कोई जाँच करायी गई ? यदि हाँ, तो किसके द्वारा और क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री वासुदेव सिंह—

वर्ष 1981-82 में गोरखपुर जिले को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा

आवंटित 2,000 मी. टन सीमेंट की भारत सरकार से प्राधिकार-पत्र जारी न होने के कारण चुनार फैक्ट्री से उठान नहीं हुई थी। इसलिये उसके वितरण तथा काला बाजार में बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अक्टूबर–दिसम्बर, 1981 के त्रैमास के लिए जिले के नियमित कोटे के सीमेंट की उठान हुई थी और उसका वितरण हुआ। इस नियमित आवंटन के विरुद्ध वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच आयुक्त, गोरखपुर मण्डल से कराई गई। इसी सम्बन्ध में फरवरी, 1982 में गोरखपुर दौरे के समय श्री अशरफ आलम खां सहित एक अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ता का एक ज्ञापन भी प्राप्त हुआ था।

आयुक्त, गोरखपुर मण्डल की जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है, जिसके तथ्य इस चरण पर सूचित करना जनहित में नहीं है।

उत्तर प्रदेश जल निगम में सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति के बारे में आदेश

169 – **श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के पहले गुरु के अता० प्र० सं० 48 व 49 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जांचोपरान्त कौन कौन-सी बातें सही पायी गयीं और सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं के पदोन्नति के बारे में क्या आदेश दिये गये ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सर्वश्री एम. एल. शर्मा, डी. सी. गुप्ता एवं एस. पी. त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता जिनकी पदोन्नति हेतु चयन अनुशासनिक कार्यवाही के कारणों से नहीं किया गया था, के बारे में निम्नलिखित बातें पाई गईं :—

1—श्री एम. एल. शर्मा ;—फिरोजाबाद जलोत्सारण योजना के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण सीवर डलवाने के लिए दोषी पाये गये हैं।

2—श्री डी. सी. गुप्ता :—राही शीर्षस्थ जलाशय के ध्वस्त होने के मामले में इन्हें ड्राइंग की त्रुटि की चेकिंग करके त्रुटि निवारण के सम्बन्ध में दोष मुक्त पाया गया है।

3 - श्री एस. पी. त्रिपाठी :—नन्दगंज सिरोही चीनी मिल के प्राँगण में पेयजल एवं एफल्यूएन्ट डिस्पोजल के कार्यों में अनियमिताताओं एवं अनावश्यक विलम्ब के लिये अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

इस समय सहायक अभियन्ताओं की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति किये जाने पर माननीय लोक सेवा अधिकरण द्वारा रोक लगा दी गयी है। जिसके समाप्त होने के पश्चात ही सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति पर विचार किया जायेगा।

170—**श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र**—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

आजमगढ़ जनपद के ग्रामीण अंचलों में राशनकार्ड पर खाद्यान्न की आपूर्ति न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

श्री अध्यक्ष —

नियम 301 के अन्तर्गत आज कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें मैंने 5 सूचनायें स्वीकार की हैं और 12 सूचनायें अस्वीकार की हैं, इसमें 7 सूचनायें ऐसी हैं जिनमें 200 से अधिक शब्दों के कारण अस्वीकार की गयी हैं जो इन मा० सदस्यों की हैं—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री सरदार सिंह, श्री राम स्वरूप वर्मा, श्री यदुनाथ सिंह, श्री केदार नाथ सिंह और श्री राम लाल वर्मा। इसके अतिरिक्त जिन मा० सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं उनके नाम हैं— श्री खैरुल बशर, श्री रेवती रमण सिंह, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री गोपी नाथ वर्मा और श्री उदल।

जिन मा० सदस्यों की पाँच सूचनायें स्वीकार की गयी हैं उनके नाम हैं—

माननीय दूधनाथ राजभर, श्री नन्दराम व श्री बलवीर सिंह, श्री अकबाल हुसैन, श्री विमल प्रसाद तिवारी श्री भगवती सिंह विशारद।

***श्री दूधनाथ राजभर**—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करना है कि जनपद आजमगढ़ के ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक ग्रामों के ऐसे लगभग पन्द्रह निराश्रित व्यक्तियों के नाम विशेष राशन कार्डों के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री की आपूर्ति कराई जाती रही है, ताकि वे अपना गुजारा कर सकें।

पता चला है किन्हीं कारणों से ऐसे राशन कार्डों पर खाद्यान्न आपूर्ति बन्द कर दी गयी है, जिसकी वजह से निराश्रित व्यक्तियों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग भुखमरी के कगार पर पहुँच गये हैं। कई वर्ष सूखा के कारण जहाँ जनपद के लगभग सभी वर्ग के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, वहीं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा समाज के निर्बल वर्ग के निराश्रित लोगों के समक्ष एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

सूखा तथा बाढ़ आ जाने के समय निराश्रित राशनकार्ड धारकों को विशेष रूप से खाद्यान्न की आपूर्ति कराये जाने का प्राविधान है। किन्तु ऐसा न करने से निराश्रित राशन कार्ड धारकों में भयंकर असंतोष तथा निराशा व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के माध्यम से शासन से मांग करता हूँ कि अविलम्ब व्यवस्था करके निराश्रित राशनकार्ड धारकों को खाद्यान्न आपूर्ति कराकर समाज के कमजोर वर्गों की प्राण रक्षा की जाय।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्र फरीदपुर, जनपद, बरेली के कृषकों से उत्पीड़न के साथ की जा रही राजस्व की वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री नन्द राम**—

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूँ कि बरेली की तहसील, फरीदपुर में किसानों की कृषि एवं राजस्व देयों की वसूली भीषण रूप से की जा रही है। प्रताड़नाएं की कार्यवाही से हाहाकार मचा है।

मान्यवर, वर्ष 1981 में सब फसल सूखे से नष्ट हो गयी थी। वर्ष 1982-83 में सभी क्षेत्र बाढ़ पीड़ित घोषित हुए, जिसके कारण विगत 3 फसलों का लगान अन्य क्षेत्रों की वसूली स्थगित की गयी थी। अतः सभी वर्षों की वसूली एक साथ की जा रही है।

फसल अभी कटी नहीं, गन्ने का भुगतान अभी होता नहीं। ऐसी दशा में वसूली अत्यन्त अन्यायपूर्ण है। लोग भुखमरी की दशा में हैं। पचासों व्यक्ति नित्य हवालात में लाये जाते हैं। सम्पत्ति की कुड़की हो रही है।

अतएव मेरी मांग है कि लगान सहित सभी कृषि देयों की वसूली तत्काल स्थगित की जाये तथा वसूली में की गयी प्रताड़नाओं की कार्यवाही वापस हो।

शासन द्वारा शीत गृहों में आलू रखने के रेट घोषित न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री विमल प्रसाद तिवारी—**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूँ कि प्रदेश में शीतगृहों में आलू रखने का सत्र प्रारम्भ हो गया है तथा शीतगृहों में आलू रखने के रेट अभी तक शासन द्वारा निर्धारित नहीं किये गये हैं जिससे विचित्र स्थिति उत्पन्न हो रही है। शीतगृह अधिनियम के अन्तर्गत यह रेट सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित हो जाना चाहिए। रेट न घोषित होने से प्रदेश के शीतगृह मालिकों को, आलू उत्पादकों के शोषण का अवसर बड़े पैमाने पर प्राप्त हो रहा है। अधिकारी स्तर की इस अकर्मण्यता की भारी कीमत आलू उत्पादकों को देनी पड़ेगी।

अतः आपके माध्यम से मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करता हूँ कि कृषकों के हित में तत्काल शीतगृहों में आलू रखने का किराया घोषित करें।

प्रदेश के जनपदों में शासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन को धनराशी न भेजने से उत्पन्न संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री भगवती सिंह बिशारद—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन लागू है, जिसके अन्तर्गत बूढ़े लोगों को रु. 60-00 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है और इसका भुगतान हर तीसरे महीने होता है, किन्तु इस तिमाही जिसका अन्त दिसम्बर, 82 में हुआ है, का भुगतान पेंशन प्राप्तकर्ताओं को अब तक प्रदान नहीं किया गया है, जिसके कारण हजारों लोगों का उदरपोषण करना कठिन हो गया है। जानकारी करने से विदित हुआ है कि शासन द्वारा श्रमायुक्त, उ. प्र. की ओर उनके द्वारा जिलों को धनराशि नहीं भेजी गयी है।

अतः यह मामला मैं सदन के संज्ञान में लाकर शासन से अनुरोध करता हूँ कि वह शीघ्रतिशीघ्र वांछित धनराशि श्रमायुक्त, उ. प्र. के द्वारा जनपदों को भेजे जिससे वृद्धावस्था पेंशन प्राप्तकर्ताओं को पेंशन प्रदान की जा सके और वह अपनी कठिनाई दूर कर सकें।

[12 बजकर 35 मिनट]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंचाई राज्य मंत्री, गोपाल रामदास पर लगाये गये आरोप के संबंध में उनका स्पष्टीकरण

सिंचाई राज्यमंत्री (श्री गोपाल राम दास)—

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस सम्मानित सदन में मेरे ऊपर जो कुछ समाचार पत्रों को लेकर आक्षेप किया था, उसके स्पष्टीकरण के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मैं इस माननीय सदन का एक पुराना सदस्य हूँ, साथ ही मैं सम्मानित सदन के गौरव का और सदस्यों के सम्मान का भी आदर करता हूँ। मान्यवर, मैं उसी के क्रम में अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूँ।

दिनांक 23 दिसम्बर, 1982 के टाइम्स आफ इंडिया नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार शीर्षक "रोंग रफी" देखकर मुझे आश्चर्य एवं दुःख हुआ। वैसे प्रदेश के कई समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है, किन्तु उनमें मेरा नाम नहीं लिखा गया था। परन्तु "टाइम्स आफ इंडिया" ने मेरा नाम देकर समाचार छापा है। यह एक ऐसा असत्य एवं भ्रामक समाचार है, जिसे जान बूझकर किसी व्यक्ति ने मुझे अपमानित एवं मेरी शासन में छवि धूमिल कराने हेतु प्रकाशित कराया है। मैं स्व. रफी अहमद किदवई साहव की मृत्यु तिथि (वर्षी) जो दिनांक 24 अक्टूबर को पड़ती है, उनके गांव मसौली, जिला बाराबंकी नहीं गया। बल्कि दिनांक 18 से 29 अक्टूबर, 1982 तक में जिला प्लान की बैठक की अध्यक्षता कर बजट को पास करने हेतु पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा होकर चमोली जिलों के दौरे पर था। अतएव 24 अक्टूबर, 1982 के कार्यक्रम में बाराबंकी जाकर भाग लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, उसमें इनका तो कोई नाम ही नहीं लिखा है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह किस चीज की सफाई दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं. उनको कहने दीजिये।

श्री गोपाल राम दास—

"टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार का खण्डन इसी समाचार पत्र में दिनांक 15 जनवरी, 1983 को प्रकाशित हो चुका है। इस पत्र के अतिरिक्त "इंडिया टुडे" के दिनांक 31 जनवरी, 1983 के अंक मे भी एक टिप्पणी "आउट आफ ट्यून:" शीर्षक में की गयी है जो "टाइम्स आफ इंडिया" के समाचार के अनुसार ही भ्रामक एवं असत्य है।

श्री मुख्तार अनीस —

मान्यवर, इनका नाम तो उसमें है नहीं, ये क्यों अपनी सफाई दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उनको कह लेने दीजिए, उसके बाद आपको जो कुछ कहना होगा तब कहियेगा ?

श्री गोपाल राम दास—

मान्यवर, मुझे लगता है कि कोई इस ढंग का षडयंत्र मेरे प्रति रचा जा रहा है जो आधारहीन तथ्यों के आधार पर मुझे बदनाम करने की साजिश में है। मैं उ. प्र. शासन में अनुसूचित जाति के नाते पिछड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इस कारण शासन व जनता में मेरी छवि धूमिल करने के अभिप्राय से यह अनुचित प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार का प्रयास कई बार पहले भी किया जाता रहा है।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गोपाल राम दास—

मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस समाचार-पत्र की जांच कर लें और यदि उचित समझें तो हाउस को भी सूचित कर दें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

पहले मेरी बात सुन लें। यदि किसी मन्त्री या किसी माननीय सदस्य पर कोई लांछन लगाया गया है, यहां सदन में कोई बात कही गई है तो नियमों के अनुसार उनको अधिकार है कि वह अपना स्पष्टीकरण करें। इस संबंध में आपको क्या कहना है ?

***श्री मोहन सिंह—**

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। इस आदरणीय सदन में कोई आरोप लगाया जाता है तो उसका स्पष्टीकरण मंत्री लोग सदन में देते हैं। यदि कोई चीज किसी मन्त्री के खिलाफ समाचार-पत्र में छप गयी, जैसा कि संसदीय कार्य मन्त्री कहते हैं कि सिर्फ अखबारों में छपी चीज पर यहां कार्यवाही नहीं लिया जाता तो या तो मन्त्री जी यहां सफाई बतायें कि उनके बारे में आरोप क्या था और किस माननीय सदस्य ने लगाया था जिसके मुताल्लिक वह सफाई दे रहे हैं। अगर समाचार पत्रों में छपी हुई किसी चीज की सफाई दे रहे हैं तो उसका स्पष्टीकरण बाहर कर सकते हैं।

***श्री रियासत हुसैन —**

श्रीमन्, मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बोलते हुए कहा था, गोपाल राम दास जी के संबंध में यह इशू उठा था और जनवरी के 'इण्डिया टुडे' जो इस वक्त हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी मैगजीन है और जिसकी पब्लिसिटी आल ओवर द वर्ल्ड है। उसके पेज नम्बर 15 पर 'आउट आफ ट्यून' के नाम एक कालम छपा है। उसके अन्दर यह लिखा गया है कि "आउट आफ ट्यून' करने वाले मन्त्री जी गोपाल राम दास जी थे जिन्होंने मोहम्मद रफी के बारे में ट्रिब्यूट पे किया था। सवाल यह उठता है कि माननीय मन्त्री जी को इस सदन के अन्दर स्पष्टीकरण देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर माननीय मंत्री जी की हतक या तौहीन हुई है तो उस मैगजीन के खिलाफ, पब्लिशर और एडीटर के खिलाफ दावा दायर कर दिया होता जिसने उनको डिफेम करने का प्रयास किया था। उसके बाद अगर सूचित करते तो ठीक था। लेकिन माननीय मंत्री जी ने उस मैगजीन के खिलाफ या उस एडीटर के खिलाफ, जिसने यह चीज छापी है कोई कार्यवाही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं की है और माननीय सदन के अन्दर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। यह तो उन्होंने दावा करने से पूर्व ही माननीय सदन में स्पष्टीकरण दिया है यह अनुचित है।

***श्री मुख्तार अनीस—**

मान्यवर, करीब 3 महीने पहले की बात है। राजनीतिक क्षेत्रों में यह बात आयी कि एक मन्त्री गये रफी अहमद किदवई साहब के गाँव में और उन्होंने मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि अर्पित की। 'समाचार भारती' ने काफी बड़े पैमाने पर इसका प्रचार किया। 'इण्डिया टू डे' ने भी समाचार भारती से लिया। मेरा कहना है कि 3 महीने की घटना है। माननीय, मन्त्री जी ' इण्डिया टू डे' को अपनी सफाई भेज सकते थे और समाचार-पत्रों में अपनी सफाई भेज सकते थे। किसी अखबार के हवाले से यहाँ कोई बात कहें, तो उसका स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री जी नहीं दे सकते। आप हमारे अध्यक्ष हैं, आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि इस तरह मन्त्रियों के स्पष्टीकरण मत दिलवायें, उनकी और अकलमंदी यहाँ पर खुल जाती है, ये कितने बुद्धिमान हैं, उसका परिचय हम लोगों को मिला है।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

श्रीमन्, मुझे इस बात पर तीन आपत्तियां करनी हैं और उसके बाद आपसे निवेदन करना है कि जो स्पष्टीकरण पढ़ा गया है, उसको कार्यवाही से निकाला जाय। मान्यवर, आइटम नं०-6 में मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य। इसके तहत स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। मान्यवर, आप नियमावली और करण देखने की कृपा करें। मंत्रियों के विविध वक्तव्य का तात्पर्य यह है कि जो प्रशासन, शासन की नीति, कार्यक्रम सम्बन्धी कोई घोषणाएँ,-तो इसके तहत आते हैं--यह मेरी पहली आपत्ति है। दूसरे, कोई भी वक्तव्य, कोई भी चीज़ लिखित रूप में पढ़ी जायगी, तो उसकी एक प्रति सदन को पहले उपलब्ध करा दी जायेगी। इसकी कापी हम लोगों को नहीं मिली। यह मेरी दूसरी आपत्ति हुई। तीसरे, स्पष्टीकरण काहे का हुआ। स्पष्टीकरण के लिए दो मुद्दे हैं। एक तो कोई चीज समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई है, दूसरे कोई चीज आदरणीय सदन में कही गयी। अगर आदरणीय सदन में कही गयी, तो उसकी सफाई हो सकती है लेकिन प्वाइंट आफ क्लेरिफिकेशन के रूप में उसे अविलम्ब महत्व देकर उठाया जाना चाहिए। मान लीजिए माननीय मंत्री जी उस समय सदन में अनुपस्थित थे उन्हें दो घंटे बाद पता लगता कि उनके बारे में सदन में कोई बात हो रही है तो उन्हें तुरन्त आकर अपनी बात कहनी चाहिए थी, या दूसरे दिन आकर कह सकते थे। लेकिन इतने दिनों पहले माननीय रियासत साहब ने इसे कहा था, इसलिए इतने दिनों बाद आज अपनी बात कहने का कोई औचित्य नहीं है, यह अनियमित है--यह मेरी तीसरी आपत्ति है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य पूरा पढ़ा, हम लोगों ने उसे ध्यान से सुना उसमें कहीं भी विधान सभा में कहे जाने का रेफरेंस कहीं नहीं दिया जो मैंने सुना। मान्यवर, आप पढ़कर देख लें। अगर मेरी पहली आपत्ति गलत है, तो उसकी कापी आपकी मेज पर होनी चाहिए और हमारे पास भी होनी चाहिए। कहीं भी विधान सभा में कथन का रेफरेंस नहीं है। यह मेरा चौथा तर्क है—सदन के बाहर का कोई मामला है तो आप मंत्री हैं, प्रेस कांफ्रेंस करते, आप अपनी बात को उसमें उजागर करते। यह तो इनकी बात है चोर की दाढ़ी में तिनका। नाम नहीं लिया। लेकिन मान्यवर, चोर की दाढ़ी में तिनका हो, इनके मन में हो सकता है, अपने आप चोर प्रकरण हो गया है। माननीय मंत्री जी रफी को मोहम्मद रफी समझे होंगे। मुझे सिनेमा देखने का समय नहीं मिलता है, मुझे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]—

इसकी जानकारी नहीं है। यह मेरी पांच आपत्तियां हैं इसको ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो भी मौखिक और लिखित कहा गया है उसको आप सदन की कार्यवाही से निकलवा दें।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय गोपाल राम दास जी ने एक अपना वक्तव्य दिया। इसी सदन में 9 फरवरी को माननीय रियासत साहब ने अपने भाषण में यह बात उठायी थी। तो जब यह बातें कही जा रही थीं, उस समय माननीय गोपाल राम दास जी यहां पर नहीं थे। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने अभी इस प्रकार की आपत्ति उठायी कि इसको कार्यवाही से निकाल देना चाहिए। मान्यवर, कोई भी माननीय सदस्य चाहे वह इस पक्ष का हो, या उस पक्ष का हो, उसके बारे में कोई बात कही जाती है और वह अपना स्पष्टीकरण यदि देना चाहे यहां पर, दे सकता है तो, मान्यवर, अगर कोई आरोप किसी किताब या अखबार की सूचना को आधार बनाकर इस सदन में किया जाता है तो वह इस सदन की प्रापर्टी बन जाता है। वह केवल रिफरेंस की बात नहीं रह जाती है। वह सदन की कार्यवाही का अंग बन जाती है। और जब अंग बन जाती है तो काज आफ ऐक्शन पूर्ण हो जाता है। जिसके बारे में कोई बात कही गई हो तो उसे अधिकार हो जाता है चाहे आप किसी कानून को पढ़िये···

श्री मुख्तार अनीस—

स्पष्टीकरण इसी सन्दर्भ में होना चाहिए जनरल नहीं···

श्री मोहन सिंह—

उन्होंने बताया नहीं कि स्पष्टीकरण किस बात की दे रहे हैं ?

श्री मुख्तार अनीस—

रियासत साहब के भाषण का हवाला नहीं दिया।

श्री मोहन सिंह—

किस संदर्भ में दिया है वह तो बता दें ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं चाहूँगा माननीय सदस्य प्रक्रिया नियमावली को देख लें और विशेषकर गुप्ता जी से जो नियमावली के पंडित हैं जिनको चोर की दाड़ी में तिनका नजर आता है बड़ी एलरजी है इनको इनकी दाड़ी से···

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपकी दाड़ी से तो नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 291(क) देखें इसमें वैयक्तिक स्पष्टीकरण—कोई सदस्य अध्यक्ष की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुज्ञा से वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेंगे यद्यपि सदन के सामने कोई प्रश्न न हो, किन्तु उस अवस्था में कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं उठाया जायेगा और कोई वादविवाद नहीं होगा। मान्यवर, इसके तहत यह अधिकार दिया गया है सम्मानित सदस्य को। वह अपना स्पष्टीकरण दे सकता है।

श्री रियासत हुसैन—

सी० आर० पी० सी० या आई० पी० सी० में कौन-सा आपने पढ़ा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

1958 की नियमावली देखें।

श्री रियासत हुसैन—

291(क) या 251 ?

श्री अध्यक्ष—

291(क)।

श्री रियासत हुसैन—

यह नहीं है, इसमें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

किस किताब से मंत्री जी रिफरेंस दे रहे हैं उसे हमारे पास भेज दें।

श्री मोहन सिंह—

कोई फर्जी नियम पढ़ दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमन्त्री जी जान बूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

यह तो रफी साहब से बड़ी बात हो गयी।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी बैठे नहीं हैं, इसलिये आपको खड़े होने का अधिकार नहीं है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह कह रहा हूँ मंत्री ने जो नियम 291 पढ़ा, पहले मंत्री जी ने तो रफी साहब की जगह दूसरे रफी की बात कह गये थे यह तो उनसे भी आगे बढ़ गये। ऐसा नियम पढ़ दिया जो किताब में है ही नहीं।

श्री अम्मार रिजवी—

मैं आपके पास भेज रहा हूँ । बाय्यवर, यह बहुत आवश्यक है कि अपटू डेट नालेज रखी जाय । जो अमेन्डमेंट हुए हैं वह भी गुप्ता जी देख लिया करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हमारे पास भिजवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें है । यह मेरे पास है ।

श्री अम्मार रिजवी—

जो पुरानी जानकारी है गुप्ता जी की उसी के आधार पर सारी बहस करते हैं । गुप्ता जी अपटूडेट बातें पढ़ लिया करें । जो रूल्स और रेगूलेशन्स हैं, मुझे उनकी बात नहीं कहनी है जबकि इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है । मुझे नैतिकता की बात यह कहनी है कि यह सदन किसी प्रदेश में, देश में बल्कि इन्टरनेशनल चर्चा यहां पर कर सकता है लेकिन इस सदन के अगर एक माननीय सदस्य अपनी बात की सफाई करना चाहें तो क्या यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उसकी बात न सुनें । एक्स-पार्टी जजमेंट दिया जाय, यह कहां का इंसाफ है, उसे अपनी बात कहने न दी जाय । जब किसी सदस्य की कोई भी बात हो, अपनी सफाई की बात करता है तो उसको सफाई का मौका दिया जाना चाहिए····

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

हम तो केवल सफाई का विषय जानना चाहते हैं । सफाई पर विवाद नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मोहन सिंह जी, या इस तरफ के या उस तरफ के किसी सदस्य के सम्बन्ध में कोई बात गलत कही जाती है या अपमानजनक बात कही जाती है, तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यह अपमान सारे सदन का नहीं है, हम सब का नहीं होता···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें । सुनना चाहिए ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय गोपाल राम दास जी का जिक्र किया गया कि उन्होंने रफी अहमद किदवई के बारे में ऐसी बात कही जो उनसे सम्बन्धित नहीं थी और····

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

यही बता दें कि उन्होंने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । जब वह खड़े हैं, और बोल रहे हैं····

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती । जो गोपाल राम दास जी ने बात कही उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है । जो रूल्स और रेगूलेशन्स हैं, नियम हैं, उसमें उनको इस बात का अधिकार है, अगर नहीं भी होता तो यह हम लोगों का नैतिक कर्तव्य था कि उनको इसका अधिकार देते । किसी प्रकार से उसे कार्यवाही से निकाले जाने का प्रश्न नहीं है उनको इस बात का अधिकार था और आपका संरक्षण प्राप्त है, नियमों में उसे देखते हुए, उन्होंने अपनी बात कही····

(व्यवधान)

(श्री भीखा लाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया बैठें । भीखा लाल जी, क्या कहना है आपको ?

***श्री भीखा लाल—**

अध्यक्ष महोदय, माननीय गोपाल राम दास जी के सम्बन्ध में अगर किसी अखबार में गलत प्रचार हुआ है तो उसके लिए हमको भी हमदर्दी है । उसकी सफाई का अवसर उचित स्थान पर उनको देना चाहिए । मान्यवर, इस सदन में माननीय गोपाल राम दास पर कोई भी आरोप नहीं लगाये गये और न वह सदन की कार्यवाही से संबंधित है । माननीय रियासत हुसैन जी ने "इण्डिया टु डे" का रेफरेंस दिया था, गोपाल राम दास जी ने अगर उसे न पढ़ा हो तो पढ़ लें, अदालत में जा कर उसे चुनौती दें, उसमें मान-हानि का दावा करें । इस सदन की कार्यवाही से उसका कोई संबंध नहीं था । मान्यवर, हमारे संसदीय कार्य मंत्री इस बात में पारंगत हैं कि गलत तथ्यों की कैसे मजबूत वकालत करें । चोर की दाढ़ी में तिनके की बात कहते हुए आपने कहा कि गुप्त जी को दाढ़ी से एलर्जी है । हमें खुशी है कि उन्होंने गुप्त जी की एलर्जी को ध्यान में रखते हुए दाढ़ी नहीं रखी ।

(शोर) (हंसी)

ऐसे तथ्यों को लेंगे जिनका सदन की कार्यवाही से कोई संबंध न हो । हमारे यदुनाथ सिंह जी तड़पते रहे, उनकी बात नहीं सुनी गयी । मजबूर होकर उन्हें नियम तोड़ने पड़े । जिसकी सदन की कार्यवाही से संबंध नहीं है, उसे मान्यता देते हैं ।····

(व्यवधान)

यह गलत है इसको आप कार्यवाही से निकाल दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री माधव प्रसाद—

मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, उस समय भी आपने हरिजन मंत्रियों के खिलाफ बात कही थी····

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

मा० सदस्य बैठें, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(शोर)

आप सभी लोग बैठ जायें ।

श्री रियासत हुसैन--

मैं इस बात की व्यवस्था चाहता हूँ कि भविष्य के लिए आप इस बात पर व्यवस्था दें । जब यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन चल रहा था तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ अखबार के जरिये आरोप प्रत्यारोप लगाये गये, माननीय सदस्य को उसका उत्तर देने का अधिकार है । मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा है, गोपाल राम दास के बारे में, इंडिया टु डे की मैग्जीन का हवाला देकर····

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप अपनी बात कह रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूँ कि मैंने यह नहीं कहा कि हरिजन मन्त्री ···(शोर)

मुझे आपत्ति है कि इस किस्म की बातों को लेकर उत्तेजना पैदा की जाती है ।

श्री अध्यक्ष—

यह सही है आपने कोई हरिजन या नान हरिजन की बात नहीं की थी ।····

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

क्या व्यवस्था का प्रश्न है, मैं समझ नहीं पाता । मैं आपको आज्ञा नहीं देता । आप लोग बैठें । शंकर सिंह जी बैठने की कृपा करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह अध्यक्ष पीठ से फैसला हो चुका है कि अपने भाषणों में जातिगत मामले हम नहीं उठायेंगे। हरिजन या कमजोर वर्ग हमारे सबके लिये श्रद्धेय हैं, वे विशेष अवसर देने के पात्र हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हरिजन नाम देकर मान्यवर, छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चा पाठक के ऊपर आरोप लगा। क्या बच्चा पाठक हरिजन थे? मान्यवर, हरिजन और गैर हरिजन का सवाल नहीं है। माननीय बच्चा पाठक, माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा माननीय श्री श्रीपति मिश्र भी यहां पर हो सकते हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने छोटे मसले पर बहस क्यों हो रही है?

श्री मुईद अहमद—

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे इस व्यवस्था के प्रश्न पर यह जानना चाहता हूँ कि माननीय श्री गोपाल राम दास जी ने एक स्पष्टीकरण पढ़ना शुरू किया और यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि यह हरिजन मंत्री है, इसलिये आरोप लगा रहे हैं। इस पर माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी बिगड़ पड़े और हम माननीय सदस्यों को डाँटते हैं। मान्यवर, इस प्रकार हम एक माननीय सदस्य की डाँट खाते रहे, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

किसी भी माननीय सदस्य को एक दूसरे को डाँटने का अधिकार नहीं है।

श्री शंकर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात कहना चाहता हूँ कि जो उस न्यूज आइटम में हेडिंग था वह आउट आफ टयून है। मैंने भी उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो गया। उसमें लिखा है बाराबंकी (बिहार)। यह तो बिहार का प्रश्न है, हम यहाँ पर क्यों परेशान हों?

श्री अध्यक्ष—

मैंने सारे माननीय सदस्यों की बात सुनी है और जो यह कार्यवाही हो रही है और इसमें जो प्रक्रिया तथा नियमावली का हवाला दिया गया है। मैंने उन सब बातों को देख कर इस पर निर्णय दूँगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

[समय 1 बजकर 2 मिनट]

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 17-2-1983 को नियम–56 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) श्री हरगोविन्द वर्मा का जनपद सीतापुर में डकैती, तथा कत्लों के होने से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में। श्री सरदार सिंह जी का, खीरी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करने के संबंध में (3) सर्वश्री मोहन सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त, कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्रसिंह भण्डारी का भी, खीरी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करने के सम्बन्ध में (4) श्री जटाशंकर सिंह जी का, लखनऊ स्थित हीवेट पालीटेक्निक में विस्फोट होने से एक छात्र की मृत्यु के सम्बन्ध में। श्री रियासत हुसेन तथा श्री अकबर हुसैन का भी यही प्रश्न है। (5) श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र जी का, आजमगढ़ जिले की गोपागंज कस्बे की एक हरिजन बस्ती को नष्ट करने के सम्बन्ध में। (6) श्री नन्द किशोर सिंह जी का, गेहूँ और चावल बिहार होते हुए चीन जाने के सम्बन्ध में। श्री मित्र सेन यादव जी, का भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के धंधे में निरन्तर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। श्री शंकर सिंह जी का, लखनऊ नगर में लखनऊ महोत्सव के नाम पर लाखों रुपये की फिजूल खर्चों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

मैं अब आप लोगों से निवेदन करूँगा कि केवल ग्राह्यता के बारे में किसी भी माननीय सदस्य को दो मिनट से ज्यादा बोलने की आज्ञा नहीं दूँगा। जिसमें बहुत से माननीय सदस्य के नाम लिखे हुए हैं, केवल एक ही सदस्य को बोलने की आवश्यकता है।

***श्री सरदार सिंह—**

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हम कक्षपुरा काण्ड की बातें भूल भी नहीं पाये थे कि यह तीसरा काण्ड सामुहिक हत्या का फिर सामने आया और इसकी इत्तिला पुलिस थाने को थी, जो घटना स्थल के करीब में ही है, वहां पर नर-संहार होता रहा और पुलिस जानबूझ कर वहां पर नहीं पहुँची। मान्यवर, अभी खून के दाम बढ़ाने के बारे में अभी बात आयी, जिस पर मा० स्वास्थ्य मन्त्री जी ने कहा कि इसकी कोई कीमत नहीं बढ़ेगी। तो मान्यवर, आज हर चीज की कीमत बढ़ रही है, लेकिन इस सरकार की निगाह में आज खून की कोई कीमत नहीं रह गयी है और इस प्रकार की घटनाएँ दिन पर दिन आम होती जा रही हैं, इसलिए इस पर शीघ्रता से रोक लगायी जाए और इस विषय पर चर्चा अवश्य कराई जाए।

***श्री मोहन सिंह —**

आज मान्यवर, पूरी तरह से कानून-और व्यवस्था नाम की चीज प्रदेश में नहीं रह गयी है और शासन का दखल अपराधियों के ऊपर से समाप्त हो गया है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग सामूहिक नर-संहार में बहुत बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से इस सरकार के राज्य में पूरे शहर में कत्ले आम हो रहा है और प्रदेश की जनता बेहद भयभीत है। इसलिए, इस सरकार को बर्खास्त करके ही इसी पर कार्यवाही की जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—**

मान्यवर, यह मामला दो व्यक्तियों के बीच दुश्मनी का मामला है, जायदाद बंटवारे के मामले को लेकर, श्रीमती रूपरानी जिनकी हत्या की गयी है, वह अपनी जायदाद अपने दामाद को देना चाहती है, जिसे कुछ लोग पसंद नहीं करते थे। इस पर मान्यवर, पूरी तरह से विवेचना हो रही है, मुल्जिमान में से अभी कोई हाथ नहीं आ सके हैं और यह कोई ला एण्ड आर्डर की प्राब्लेम नहीं है, किसी जाति-विशेष का मामला है, इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को लाने का कोई सवाल नहीं उठता है तथा इस पर कार्यवाही और तत्परता से कराई जायेगी।

(शोर)

***श्री रियासत हुसैन—**

श्रीमन्, हीवेट पालिटेक्निक कालेज, लखनऊ एक प्रमुख कालेज है। इसमें जो प्रधानाचार्य और अध्यापक हैं, उनके खिलाफ गबन एवं कालेज में अव्यवस्था के बारे में जांच चल रही है। और जिस इंजिन पर विद्यार्थी अपना प्रेक्टिकल वर्क किया करते थे, उसके बारे में पहले से लिखित शिकायत विद्यार्थियों की ओर से दी जा चुकी थी, परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और विद्यार्थियों से उसी इंजिन पर पहले की तरह प्रेक्टिकल वर्क कराया जाता रहा है, कारणवश एक दिन ब्रस्ट हो गया, जिसकी वजह से एक लड़के की मृत्यु और 4-5 विद्यार्थी सफाखाने में भर्ती कराये गये। इसलिए विद्यर्थियों में इस बात को लेकर बहुत ही रोष और असंतोष व्याप्त है। इसलिए इस पर किसी न किसी रूप में चाहे नियम 56 के अन्तर्गत या किसी और रूप में चर्चा अवश्य होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की जो समस्याएँ आए दिन हो रही हैं, उन पर रोक हो सके साथ ही जो कार्यवाही प्रधानाचार्य व अध्यापकों के विरुध चल रही है, उस पर भी शीघ्रता से कार्यवाही के आदेश दिए जाएँ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, 11 फरवरी, 1983 को शिवरात्रि के पर्व पर कोपागंज के हरिजनों ने शिव मंदिर को सजाया और पूजा करने लगे। वहाँ के असामाजिक तत्वों ने नाली को साफ करके उसकी गन्दगी को मंदिर में फेंका। इस पर तनाव बढ़ा। हरिजनों के 5 व्यक्तियों को जला दिया गया। एक बूढ़ी की टांग टूट गयी। उन लोगों के सांथ बर्बर व्यवहार किया गया। कल टेलीग्राम मिला है, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम, किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी। असामाजिक तत्वों पर अंकुश न लगाकर वहां की पुलिस ने हरिजनों को ही प्रताड़ित किया। इस हाउस का कार्यक्रम स्थगित करके विचार किया जाय।

***श्री नन्द किशोर सिंह—**

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय हजारों क्विं० गल्ला जिसमें चावल है, गेहूँ है, यह बिहार होकर चीन जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज वहाँ की हालत यह हो गयी है कि 2-3 जिलों में गेहूँ का दाम 350/- रु० से लेकर 400/- रु० प्रति क्विं० तक पहुंच गया है। कोआपरेटिव की दुकानें काम नहीं कर रही हैं। पब्लिक सेक्टर में कोई दुकान नहीं खोली गयी है। खाद्य विभाग और पुलिस के लोगों की सांठ-गांठ है। पिछले महीने में 9 लाख रु० का गल्ला पकड़ा गया। यह गन्ना तमकुही रोड, भाटपारानी, छितौनी होकर बिहार के रास्ते से चीन जा रहा है। देवरिया जिले में 20 लोगों से ऊपर मौत के शिकार हो गये हैं। वहाँ पर भोजन की समस्या खड़ी हो गयी है। मेरा अनुरोध है कि इस मामले को देखें और विधान सभा की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें।

***वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।**

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह) -

मान्यवर, आज मा० नन्द किशोर सिंह जी ने जो सूचना दी है। इसी तरह की सूचना श्री हरिवंश सहाय जी ने 8-2-83 को भी नियम 56 के अन्तर्गत दी थी। मैं जो स्थिति है, उसको स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ।

माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है कि हजारों क्वि० गेहूँ तथा चावल रोड द्वारा बिहार होते हुए चीन जा रहा है। उनके अनुसार फर्जी परमिट बनवाकर बस्ती, गोरखपुर, देवरिया स्थानों से तमकुही रोड, भाटपारानी, छितौनी होकर बिहार के रास्ते से चीन जा रहा है। ऐसी स्थिति में पूर्वांचल के देवरिया जिले में गेहूँ का भाव चार रुपये किलो से ऊपर चला गया है। देवरिया जिले में 20 लोगों की भोजन की समस्या के कारण मौत हो गयी है।

जनवरी के प्रथम सप्ताह में शासन को यह सूचना प्राप्त हुई कि भारत से नैपाल को चावल तथा धान की तस्करी हो रही है जिसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में धान का मूल्य 135/- रु० प्रति कुन्तल था जबकि नैपाल मे 170/- रु० प्रति कुन्तल था। इस कारण नैपाल सीमा से सटे गाँव एवं तस्करी में कार्यरत व्यक्ति दो-दो चार-चार बोरी धान खरीद कर नैपाल सीमा से सटे किसी गांव में रख देते हैं और वहां से साईकिल एवं गठरियों में नैपाल को भेज देते हैं।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचना मिली है कि दिल्ली प्रदेश में चावल पर लेवी न होने के कारण वहां से बाहर चावल भेजने के लिये केवल सेल्स टेक्स (बिक्रीकर) के कागजात ही आवश्यक होते हैं।

अतः वहाँ से सेल्स टेक्स के आवश्यक कागजात तैयार करा कर उनके आधार पर उत्तर प्रदेश में ट्रकों पर माल लादा जाता है। चूँकि ट्रक के साथ दिल्ली प्रशासन द्वारा सेल्स टेक्स के कागजात होते हैं इसलिये उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। उक्त शिकायतें मिलने पर प्रदेश शासन ने इस स्थिति से भारत सरकार के कृषिमंत्रालय एवं खाद्यविभाग को अवगत कराते हुए उनसे इस अनियमितता को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने का अनुरोध किया। साथ ही इस मामले को मुख्य सचिव दिल्ली प्रशासन को भी संदर्भित करके आवश्यक कार्यवाही के लिये अनुरोध किया गया है। प्रदेश सरकार ने मेरठ मंडल के क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक तथा प्रदेश के बिक्री,कर अधिकारी को सतर्कता बरतने तथा समुचित कार्य वाही करने के लिये भी निर्देश दिये हैं।

***श्री भीखालाल**

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो नियम 56 में प्रस्ताव दिया है, वह भी तस्करी के संबंध में ही है। अभी माननीय खाद्य मन्त्री जी ने जिस प्रश्न के सम्बन्ध में कहा वह केवल अनाज के सम्बन्ध में है लेकिन आज नेपाल सीमा पर हमारे प्रदेश के जिलों में बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। पूरे प्रदेश में तस्करी व अवैधानिक माल इधर से उधर और उधर से इधर ले जाया जाता है। तो हैरत की बात तो यह है कि हमारे जो अधिकारी अपनी गाड़ियों मे जाते हैं और वहां से तस्करी का माल वहाँ से लेकर आते हैं। वहाँ की पुलिस का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। इसलिये कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध हो नहीं पाती है। न अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो पाती है और न पुलिस के विरुद्ध क्योंकि किसी न किसी को राज नेताओं का संरक्षण प्राप्त है उनके विरुद्ध भी कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। अजीब स्थिति पैदा हो गयी। तस्करी को रोकने के लिये, व्यापक पैमाने पर जो बढ़ी हुई है, और पनप रही है, इसलिये मैं चाहता हूँ कि आप सदन की कार्यवाही को रोक कर इस चर्चा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वासुदेव सिंह—

तस्करी के तरीकों को माननीय सदस्य ने परिभाषित नहीं किया है । यह तस्करी यदि गेहूँ या चावल से सम्बधित है तो उसके सम्बन्ध म मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारी कार्यवाही हो रही है गोरखपुर और बस्ती जिले जो सरजू के इलाके के हैं, नैपाल और उत्तर प्रदेश के एक-एक गाँव उससे सटे हुए हैं और बहुत लम्बे लगे हुए हैं वहाँ उसको रोकने में कठिनाई जरूर होती है और उसको रोकना संभव नहीं हो पाता है । कोई किसान अगर थोड़ा सा पैसा वहां जाकर ज्यादा पा जाता है तो उसे हम अनदेखा कर देते हैं । किसान अगर गठरी लाद कर ले जाय तो उसे रोकना संभव नहीं है । मैंने यह कार्यवाही की है । हमारे स्टाफ ने कठिन परिश्रम एवं तत्तपरता से खाद्यान्नों के अवैध लेन-देन में संलग्न व्यक्तियों की चेकिंग द्वारा पकड़ कर वैधानिक कार्यवाही की है जिसके कारण दिसम्बर, 1982 से 6 फरवरी, 1983 तक 5,55,840,00 रु० की धनराशि का 2,228 कुन्तल खाद्यान्न पकड़ा गया है । 39 एफ.आई.आर. दज कराई गई है, 39 अभियुक्त बन्द कराये गयेहैं और 18 ट्रक भी पकड़े गये हैं । उनके मंडल में एक मण्डलीय सचल दस्ता तथा उप संभागीय विपणन अधिकारी की देख-रेख में जिले स्तर पर चेकिंग हेतु दस्ते गठित किये गये हैं जो समय-2 पर अवैध संरक्षण की चेकिंग करते हैं । उनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विचार विमर्श कर एवं सहयोग प्राप्त कर रात्रि में रोड चेकिंग, सवारी गाड़ियों की चेकिंग, रेलवे प्लेट फार्म की चेकिंग आदि करायी गयी है जिसके कारण काफी व्यक्ति जो तस्करी में लिप्त थे. बन्दी बनाये गये । इसमें कामयाबी मिल रही है, पूरी नहीं मिल रही है । तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेंत्र में 8 बैरियर स्थापित किये गये हैं और उन पर तैनात कर्मचारियों है निगरानी रखने के लिए अधिकारियों को सतर्क किया गया है । मैंने यह प्रयास किया हैं कि भारत सरकार से हमें अधिक गेहूँ मिल जाय । हम अप्राकृतिक ढंग से चेकिंग करके नियंत्रण करना नहीं चाहते हैं । हम चाहते हैं संभरण की स्थिति पर्याप्त हो जाये और आवश्यकता की पूर्ति हो जाये तो ऐसी चीज नहीं होगी । आपके इस ध्यानाकर्षण के लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं ।

श्री जटा शंकर सिंह—

मेरा मान्यवर, बहुत आवश्यक है । 2 मिनट का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

अगर इस प्रकार से सभी माननीय सदस्य बोलने लगेंगे तो कार्यवाही कैसे चलेगी ?

***श्री शंकर सिंह—**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही समाचार पत्रों में छपा है, पायनियर में, माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण के दौरान यह आशंका व्यक्त की थी कि लाखों रु० का घोटाला हो रहा है । मान्यवर, 50 पैसे का टिकिट जनता से लिया जाता है लेकिन जो अधिकारी वहाँ पर जाते हैं उनसे टिकिट का पैसा नहीं लिया जाता है, उनके साथ उनका परिवार भी जाता है, उस पर भी टिकिट नहीं लगता है, केवल गरीब जनता से ही टिकिट का पैसा वसूला जाता है । होता यह है कि जो जूनियर अधिकारी होते हैं, वह जब सीनियर अधिकारी आ जाते हैं, तो वह खड़े हो जाते हैं और इस उठा बैठकी में पीछे जो जनता बैठी होती है, उसको बड़ी सुविधा होती है । इसी प्रकार से मान्यवर, 26 जनवरी को जब विधान सभा के सामने गवर्नर ने परेड के सामने सलामी ली थी, उस दिन भी मैंने देखा कि अधिकारियों और उनके परिवार को बैठने की पूरी व्यवस्था की गयी थी, परन्तु विधा-

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यक एक बच्चा भी अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। माननीय श्यामलाल बाजपेयी, तथा श्री मती प्रेमवती तिवारी को बैठने का स्थान नहीं मिला था मान्यवर, अधिकारी नियंत्रण के हैं और वह अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चर्चा की मांग करता हूँ कि कम से कम सदन में लैठकर इस पर विचार कर लें कि क्या अधिकारी लोग इस तरह से पब्लिक मनी से खेल सकते हैं और जो हम लोग विधायक हैं, आप है, शासन को उनका ख्याल नहीं है। इसलिये इस पर चर्चा करवा दें।

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में जो सूचनायें प्राप्त हुई थीं···· (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह—

माननीय मन्त्री जी, इस पर कुछ कहना चाहते हैं।

***श्री अम्मार रिजवी—**

मान्यवर, लखनऊ फेस्टिवल गत कई वर्षों से होता चला आ रहा है। माननीय शंकर सिंह ने उसके पासेज के बारे में कहा। पहले उसका टिकिट 1 रुपये का था और अब उसे 50 पैसा कर दिया है। जहाँ तक नियंत्रण का सवाल है, इसकी जानकारी की जायेगी और ऐसे निर्देश दिये जा रहे हैं कि जो लोग देखना चाहें, वे मान्यवर, आपके कार्यालय में सूचना दे सकते हैं, उनके पासेज वहाँ से आ जाय। (व्यवधान) जहाँ तक उसकी व्यवस्था के बारे में आपने जो बात कही, उसको दिखवा दिया जायेगा। जिनके पास पासेज हैं, जिनको बुलाया गया है वे तो जा ही सकते हैं, लेकिन जो वैसे ही जा रहे हैं उनसे पचास पैसे का शुल्क लिया जाता है। रंगरेलियाँ मनाने का सवाल नहीं है।

मान्यवर, बोलने के लिये खड़ा न होता लेकिन जब यह कहा गया तो मैंने बोलने की धृष्टता की। यह हमारी संस्कृति का मामला है। अपने कल्चर को पेश करना यदि रंगरेलियां हो सकती हैं, तो उसके अन्तर्गत बहुत-सी चीजें आ जायेंगी। जो इस देश, प्रदेश और विशेषरूप से लखनऊ का कल्चर है, उसको पेश करना रंगरेलियां में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह विशेष का बजट काटकर ऐसा किया जा रहा है। यह आयोजन पहले से होता चला आ रहा है। नैनीताल में होता है बड़े-बड़े शहरों में होता है, पूरे विश्व में होता है। साल में एक बार होता है। अपनी कला को प्रदर्शित किये जाने के लिये यदि उसे रंगरेलियां मनाना कहा जायेगा तो, यह जनता के साथ और भारतीय संस्कृति के साथ मजाक करना होगा। मेनेजमेंट में खराबी हो सकती है। माननीय सदस्य ने जो कहा, वह देखा जायेगा लेकिन कार्यस्थगन के रूप में यहां पर चर्चा की जाय, ऐसा नहीं होना चहिए।

श्री जटा शंकर सिंह—

मान्यवर, हीवेट पोलीटेक्निक की घटना पर मैंने भी एक कार्य-स्थगन का दिया था····

श्री अध्यक्ष—

जब समय था उस समय ध्यान आकृष्ट नहीं किया। इसलिये आप बैठें।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 में 11 सूचनायें प्राप्त हुई थीं उन सबको में अस्वीकार करता हूं लेकिन जो एक सूचना श्री सरदार सिंह, श्री मोहन सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी ने खीरी में एक ही परिवार में 5 सदस्यों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में, दी थी उसे हमने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। इसी तरह से माननीय नन्द किशोर सिंह की सूचना जो कि गेहूं तथा चावल बिहार होते हुए चीन जाने के संबंध है तथा एक सूचना मित्रसेन श्री भीखालाल जी की थी कि भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के धन्धे में निरन्तर वृद्धि से उत्पन्न स्थति के सम्बन्ध में यह बड़ी गम्भीर बात है इसलिये मैं इनको वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूँ। जहां तक श्री शंकर सिंह की सूचना का सवाल है, मैं उसे शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेजता हूँ कि वह इन चीजों को देखें।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत) †

[समय 1 बजकर 29 मिनट]

***श्री प्रवीन कुमार शर्मा—**

मान्यवर, आपने 83-84 के बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिये मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जब से इस पर यहाँ चर्चा शुरू हुई है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे विरोध पक्ष के जो सदस्य हैं, योग्य साथी हैं, वे हमेशा उसकी आलोचना ही करते रहते हैं। जनता आज यह नहीं चाहती है कि इस सदन का उपयोग केवल आलोचना के लिये ही किया जाय, यहाँ तक हुआ कि यहाँ पर उसकी समालोचना भी नहीं की गयी है केवल आलोचना ही की है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने तो यहां तक कहा कि हम बजट पर जो विचार रखते हैं वह कोई विरोध के भाव से नहीं रखते हैं। वे यहां पर मौजूद नहीं हैं। उन्होने जो हमारे हित की, वही ख्वाह की उसके लिये मैं एक शेर कहना चाहता हूँ :—

यह कहाँ की दोस्ती है बने हैं दोस्त नासेह,
कोई वायदा खवार होता है कोई तो गम गुसार होता है।

माननीय रियासत साहब ने कहा था कि हमारी जो वार्षिक योजना है उसमें बतलाया कि कोई खास बात नहीं है। जबकि मान्यवर पिछले वर्षों से यह योजना जो है। 173 करोड़ ज्यादा है। यह योजना 1375 करोड़ की है। वह अगर यह सवाल उठाते हैं कि यह घाटे का बजट है तो मैं जरूर कहता कि घाटे का बजट लाभप्रद होता है उसमें जनता का हित होता है।

(इस समय 1 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफारान जाहिदी पीठासीन हुए।)

माननीय गुप्ता जी ने इसे दिशाहीन बजट कहा। तो मान्यवर, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह दिशाहीन बजट तो नहीं है, कम खर्च का बालानसी बजट है। इसमें बहुत सारी योजनायें जो हमारी माननीया प्रधानमन्त्री चाहती थीं कि जनता के हित में चीजें हों, वह इसमें लाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ हमने यह भी प्रयास

---

† 16 फरवरी, 1983 की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा]—

किया है कि इसके अन्दर जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो भूले बिसरे लोग हैं, जिनका पिछले जमाने में सुधारात्मक दृष्टिकोण से कोई काम नहीं हुआ, उनके लिए बड़ी-बड़ी योजनायें और संसाधन उसके लिये इसमें जुटाये गये हैं।

श्री मुख्तार अनीस—

क्या आपने पैमाइश की है ?

श्री प्रवीन कुमार शर्मा—

मैं माननीय मुख्तार अनीस साहब से दस्तवस्तूर प्रार्थना करता हूं कि जो बजट आपको दिया गया है उसको थोड़ा पढ़ लें और तब पूछें कि कौन-सा क्षेत्र ऐसा है जिसे छोड़ दिया गया है ?

एक चीज जरूर कहूंगा जो बहुत अजीबोगरीब लगी है वह जो रियायत साहब ने यह कहा कि पुलिस फोर्स को खतम कर दिया जाय, लेकिन जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, सभी हमारे साथी विधायकों का यह अनुभव रहा है कि जब वे अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता उनसे मांग करती है, कि हमारे यहां थाना खुलवा दिया जाय, नयी चौकी खुलवा दी जाय। तो यह कैसा विरोधाभास है इस चीज को मैं नहीं समझ पाया। थोड़ा, जनता की भावना का भी उन्हें आदर करना चाहिए।

जहाँ तक गन्ने की बात है, मैं पिछली बातों पर नहीं जाना चाहता। कई बार सदन में उनका जिक्र हो चुका है। जनता शासन में गन्ने की क्या दशा हुई। रियासत साहब ने एक सवाल उठाया था कि हमने 155.18 करोड़ का भुगतान किया था 1979 80 में, तो हमारी पार्टी ने पिछले वर्ष 1980-81 मे 470-81 करोड़ का भुगतान किया तो आप बतायें कि हमने क्या गलती की ? आपको जानकर ताज्जुब होगा किसान कहता है कि जितना अवशेष था, वह सब हमने दे दिया उतना कोई दे नहीं सकता है, यह किसान का कहना है। अभी 12-13 ता० को मैं अपने क्षेत्र के दौरे में गया था। माननीय मोहन सिंह जी भी अनूपशहर मिल गेट पर मीटिंग कर चुके हैं। तो 12-13 ता० को वहाँ गया तो किसानों ने खुलेआम हमारा स्वागत किया और कहा कि आप श्रीपति मिश्रा की सरकार को बधाई दे दें। और माननीय प्रधानमन्त्री को उन्होंने बधाई दी क्योंकि गन्ने का मूल्य जो पिछले वर्ष दिलाया गया था वही इस वर्ष भी दिया जा रहा है। साथ ही यह भी घोषणा हुई कि जितना भी स्टेट का गन्ना है वह भी खरीद लिया जायेगा और उसका भी नकद भुगतान कराया जायेगा। इसके लिये जनता ने बधाई दी है।

मान्यवर, पिछले वर्ष हमारे देश में उत्पादन वर्ष मनाया गया। हमने अपने कृषकों की सहायता के लिये क्या नहीं किया ? खाद की जो नयी फैक्टरी लग रही है, सीमेंट की जो फैक्टरी लग रही है, ऊर्जा के जो नये श्रोत उपलब्ध कराने की योजना है, क्या इन सभी का लाभ किसानों को नहीं पहुंचेगा ? यह सभी किसानों के हित के काम हैं। यह जन हित के काम हैं और इसके लिए आपको सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। आप (विरोध पक्ष) जनता को केवल गुमराह करने के लिये इस तरह के भाषण देते हैं।

नलकूपों के बारे में जो बात माननीय गुप्त जी ने कही, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि वे बजट को देखने की कृपा करें। सरकार ने नलकूपों के रखरखाव के लिये भी प्रति नलकूप 3 हजार रुपये की व्यवस्था की है। यह पिछले वर्ष से ज्यादा है। इसके लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहिये।

यह कहा गया कि यह पता नहीं चल पाता कि हमारे प्रदेश के अन्दर क्या हो रहा है। सभी माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि भूतपूर्व माननीय मुख्य मन्त्री जी ने, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक योजना विकेन्द्रीयकरण की चलायी थी जिसमें 30 प्रतिशत धन विधायकों की स्वीकृति पर उनके क्षेत्रों में खर्च करने की योजना रखी गयी थी जिसे विकास के कार्यों पर खर्च होना था। उसके लिये जिलों में स्टीयरिंग कमेटी बनी थीं, पर हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्य उसमें जाते ही नहीं थे। जब जायेंगे नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा कि प्रदेश में क्या हो रहा है। हमारे विरोध पक्ष को तो जुलूस निकालने और नारे लगाने से ही फुरसत नहीं है। मान्यवर, हर दृष्टि से यह बजट प्रदेश को समाजवाद की ओर ले जाने वाला, जन कल्याणकारी और सुख समृद्धि की ओर ले जाने वाला बजट है।

***श्रीमती गौरी देवी—**

मान्यवर, कई दिन तक उठने-बैठने के बाद आपने मुझे इस बजट पर सामान्य चर्चा पर बोलने के लिये जो समय दिया उसके लिये मैं बहुत ही आभारी हूं। मैं समझती हूं कि इस बजट से प्रदेश का कतई भला होने वाला नहीं है। इस बजट का सारा पैसा अधिकारियों की जेबों में ही चला जाता है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य अपनी सरकार की बड़ी प्रशंसा करते हैं, मुझे पता नहीं इस सरकार ने क्या और कौन-सा काम प्रदेश में विकास का किया है जिसके लिये उसकी प्रशंसा की जा सके। ऐसा लगता है कि ये सत्ता पक्ष के माननीय विधायक लोग अपने क्षेत्रों में जाते ही नहीं।

मान्यवर, हरिजनों की भलाई करने का यह सरकार बड़ा ढिंढोरा पीटता है। हरिजन बस्तियों की हालत यह है कि अगर बिजली के खम्भे खड़े हैं तो बिजली के बल्ब गायब हैं। मकान ब्लाक स्तर पर जहां बनने वाले हैं वहां नहीं बनाये जा रहे हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र कौड़ी राम में हरिजन और गरीब आकाश के नीचे गुजर-बसर कर रहे हैं, और वहाँ मकान नहीं बन रहे हैं, इसलिये इस तरफ ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र कौड़ीराम जनपद गोरखपुर में काफी जमीन ऐसी पड़ी है, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, जहां ट्यूबवेल हैं, वहाँ नालियाँ नहीं हैं और बिजली के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं, जहाँ बिजली है वहां ट्रान्सफारम नहीं हैं। इसलिये पानी बिना जनता एवं किसानों को काफी असुविधा है जिसकी ओर मा. मंत्री जी अपना ध्यान दें।

मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में लड़कियों के लिये डिग्री कालेज नहीं हैं जिससे लड़कियों को काफी दूर जाना पड़ता है, इसलिये मान्यवर, मंत्री जी हमारे क्षेत्र में डिग्री कालेज की व्यवस्था करायें।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में महाबीर धपरा में एक उच्चीकृत अस्पताल प्रस्तावित था लेकिन अभी तक वह नहीं बन पाया है। इसलिये उसको शीघ्र बनवाने की ओर ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश और प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब एवं जर्जर है जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती हैं। अतः सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी इस ओर अपना ध्यान दें और हमारे क्षेत्र की सड़कों की हालत में सुधार करायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती गौरी देवी]—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में आमी नदी में उनवल और कुसमौल के बीच में एक पुल बनवाने की व्यवस्था करें जिससे वहां के गांव के लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके ।

मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पांडेयपार बाजार गांव है जहां भेड़े काफी हैं, इसलिये मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि वहां कोई कुटीर उद्योग स्थापित किया जाय जिससे वहां के बेकार नवजवानों को रोजगार मिल सके ।

हमारे निर्वाचन क्षेत्र में खोराबार ब्लाक है, वहाँ काफी बेकारी और गरीबी है इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि खोराबार में एक कागज का कारखाना खोला जाय जिससे वहां के नवजवानों को रोजी रोटी मिल सके और बेकारी दूर हो सके ।

मान्यवर, हमारी प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी महिला हैं लेकिन हम महिलाओं की ओर वह ध्यान नहीं देती हैं जिससे महिलाओं के साथ उनके समय में ही, बड़ा अत्याचार हो रहा है । इसलिये महिलाओं के विकास के लिये एक आयोग गठित करने की आवश्यकता है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, आपको धन्यवाद देती हूँ ।

*** श्री चेतराम गंगवार**—

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूँ कि आपने मुझे बजट में सामान्य चर्चा पर बोलने का समय दिया ।

मान्यवर, आप देखें कि यह वर्ष चुनौतियों का वर्ष रहा है । यदि पिछले 20 वर्ष के इतिहास में हम जायं तो प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका इतनी बड़ी कभी नहीं आयी जितनी इस बार आयी कि बाढ़ के पहले सूखा और बाद में भी सूखा । तो मैं कहना चाहता हूँ कि इतने कठोरतम समय में और इतनी आपदाओं के बावजूद अपार क्षमता के साथ इस सरकार ने और मुख्य मंत्री ने सारे जिलों का दौरा करके ईस्ट और वेस्ट में जाकर सर्वे करने का काम किया और उसका मुकाबला किया और अपनी केन्द्रीय सरकार से बहुत बड़ी सहायता 60-65 करोड़ की इस प्रदेश को दिलायी और सरकार ने भरसक प्रयत्न किया और हरिजनों एवं गरीब मजदूरों को उससे लाभान्वित किया ।

मान्यवर, इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ नेता विरोधी दल ने कहा था कि प्रदेश की जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है । लेकिन जब उनकी सरकार आई तब तो उनको इसका ख्याल आया नहीं और अब इस प्रकार का दोषारोपण करते हैं । इस पर मुझे यह शेर याद आता है

है चन्द लोग, लेकिन हम जानते हैं जो गरीबों और हरिजनों के दुखदर्द को अपना दुखदर्द मानते हैं ।

मैं अपने देश की नेता प्रधानमंत्री के प्रति आभारी हूँ जो उन्होंने माननीय श्रीपति मिश्र ऐसे व्यक्ति को, जो दबे-पिसे लोगों के मसीहा और रहनुमा हैं, देश की इतनी बड़ी विशाल जनता में से ढूँढ़कर प्रदेश के मुख्य मन्त्री का कार्य भार सौंपा है । इस तरह से उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है । उधर से बजट के बारे में कहा गया कि इसमें कुछ नहीं है, बजट एक अफवाह है, भ्रान्ति फैलाने वाला है और जनसंघ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दल के नेता ने तो यहाँ तक कह दिया"""(व्यवधान) इस प्रदेश के किसानों को सस्ती, अच्छी और शीघ्र खाद उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने केन्द्र से बात करके चार कारखाने अपने प्रदेश में लगाने का निर्णय किया है। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह चारों कारखाने खाद के बरेली में, शाहजहाँपुर आदि में लगाये जायेंगे। इससे अब यह भावना भी निर्मूल हो गयी है कि यह सरकार केवल पूर्व के विकास के लिए ही काम करती है, पश्चिम के लिए कुछ नहीं करती है। (व्यवधान) जब आप कहते हैं। तो हम सुनते हैं लेकिन जब हम कहते हैं आप नहीं सुनते हैं।"""

श्री अधिष्ठाता—

जब आप दोनों बोलते हैं, तो हम सुनते हैं।

श्री चेतराम गंगवार —

अब मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार आयी तो इन्होंने क्या किया और हमारी सरकार आयी तो हम क्या करें। जब इनकी सरकार आयी थी, तो उस समय यह आपस में लड़ते झगड़ते रहे। इन्होंने अपने समय में भ्रान्तियां फैलाने में कोई कमी नहीं रखी। इन्होंने उस समय में पहले की कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाया था कि देश में डिक्टेटरशिप होगी, चुनाव नहीं होंगे, लेकिन आपने देखा कि सन 77 में चुनाव हुए और यह सत्ता हमने आपको सौंप दी। लेकिन आपने जनहित में काम करने के बजाए आपस में लड़ना शुरू कर दिया और आपने अपने समय में कहा कि अब इंदिरा गांधी विदेश चली जाएंगी और आपने उनका पास पोर्ट रद्द कर दिया। इस तरह से आपने डिमाक्रेसी का हनन किया, लेकिन वह वर्ल्ड फेम की महिला फिर उसके बाद अपने प्रदेश से नहीं, दक्षिण भारत से चुनकर लोकसभा में आ गयीं। फिर भी आपने उनकी सीट छीन ली"""(व्यवधान) आपके चरणसिंह और अटल बिहारी जीते तो हमने यह नहीं किया था। बाद में इन लोगों ने यह कहा कि कांग्रेस ने अपने समय में जो टाईम कैपसूल रखा है, उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने खानदान की हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से बनाकर, बढ़ा चढ़ाकर रखा होगा और आपने उसको उखड़वाया। आपने इसमें पैसा बर्बाद किया, लेकिन देश की जनता ने देखा कि उसमें कुछ नहीं निकला, आपको झक मारनी पड़ी।

यही नहीं, आपके एक नेता ने, हुकमसिंह जी के दल के नेता ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि अब सभापतियों के चुनाव नहीं होंगे, इनका इस पर ज्वायन्ट स्टेटमेंट आया, लेकिन उनके चुनाव हुए। आपने भ्रान्ति फैलाने में कोई कसर नहीं रखी। सभापतियों के चुनाव हुए और मान्यवर, 1 हजार करीब महिलायें चुनी गयीं और 5 हजार से अधिक हरिजन चुने गये। तो ऐसी अनेकों चीजें हुईं। आप यह भी भ्रांति फैलाते हैं प्रदेश में कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मान्यवर, सारी योजनायें आई० आर० डी० स्कीम, एन० आर० पी० की योजना जगह-जगह पर मजदूरों के लिए काम, जगह-जगह पर देहातों में सड़कें, आप जो अधूरा काम छोड़ गये थे, मिट्टी डालने के अलावा और कोई काम नहीं किये थे, उसको हम पूरा कर रहे हैं। माननीय नेता चौधरी चरण सिंह साहब सांप की तरह फन मारे बैठे रहते हैं और आपने बहुत बड़ी कुर्सी उनको प्रदान कर दी थी। मान्यवर, यह कांग्रेस सरकार की देन है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दिया।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करें।

श्री चेतराम गंगवार—

जी, मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूँ ।

श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, अबकी जब होली आयेगी, तो जो अध्यक्ष बनते हैं, तो इन्हीं को बना दीजिएगा ।

श्री चेतराम गंगवार—

हमने कमीशन व्यापार नहीं किया । हमने सारा काम कर दिया । अब आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया, तो मैं एक तालिका पढ़ देता हूँ । आप देखें खाद्यान्न उत्पादन का 79-80 में आपका 214.16 लाख टन था, हमारा है 260 लाख टन, 81-82 का है । तिलहन का आपका है 10.50 लाख टन और हमारा 20.64 लाख टन, सिंचन क्षमता आपके जमाने में थी, 155,77 लाख हेक्टयर, हमारे जमाने में हो गयी 184.1 हेक्टियर हो गयी । विद्युत उत्पादन आपके जमाने में थी, 10 हजार, 124 लाख यूनिट, हमारे जमाने में हो गयी 13 हजार, 934 लाख यूनिट, हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण आपने किया अपने जमाने में, 14 हजार 14 का यानि 14 हजार, 14 पर आप छोड़ गये, हमने कर दिया 18 हजार, 858 का, निजी नलकूप आपने लगाये 3 लाख, 44 हजार, 135 और हमने लगवा दिया 4 लाख 14 हजार, 9431

अब मैं आखिर में एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूँगा । इस सदन में इस बात का तजकिरा होता है कि विधायकों के साथ यहां पर और जिला लेविल पर दुर्व्यहार किया जाता है । कल ही एक विधायक कमीज निकाल कर दिखला रहे थे । तो मेरा कहना है कि चरित्र हनन की प्रक्रिया ज्यादातर अपोजीशन की तरफ से होती है । आपने गोपाल राम जी दास के खिलाफ चार्ज लगा दिया, गलत चार्ज लगा दिया ।

श्री अधिष्ठाता आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ ।

कहूं कैसे मैं दास्तां रंजो गम की,
तुम्हीं से तुम्हारे ही जुल्मों सितम की ।

मान्यवर, इस सामान्य चर्चा पर आपने बोलने के लिये मुझे समय दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

***श्री हुकम सिंह**—

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरे वरिष्ठ साथी माननीय गंगवार जी के विद्वत्तापूर्ण भाषण का मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा लेकिन मैं अपने तरीके से इस बजट पर कुछ विचार रखना चाहूँगा । अभी बजट पेश करने की एक औपचारिकता निभायी गयी । आप भी औपचारिकता निभा रहे हैं और मैं भी औपचारिकता निभा रहा हूँ । इस बजट को तैयार और पेश करने में आपकी और हमारा इन्वाल्वमेंट कितना है, यह सर्वविदित है । शायद आपकी पार्टी की बैठक में भी कोई विचार बजट पर नहीं हुआ और न माननीय विधायकों के विचारों को आमंत्रित किया गया और न उसके अनुरूप कोई सुझाव इस बजट में आ सका । मान्यवर, आज हम और आप बैठकर 4-5 दिन विचार रखते रहेंगे लेकिन क्या उपयोगिता है ? क्या हमारे और आपके विचारों के अनुरूप कोई संशोधन की संभावना

लगती है ? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बजट जो तैयार किया जाता है वह नौकरशाही द्वारा तैयार किया जाता है। जनप्रतिनिधियों का उसमें लेशमात्र भी किसी प्रकार का इन्वाल्मेंट नहीं होता है और हम यहाँ बैठकर इस बजट की वकालत करते रहें जिसमें हमारा इन्वाल्वमेंट या उसको इम्पलीमेंट करने में किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, खासतौर से सत्तापक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूँ कि वह बहुत प्रशंशा करते हैं। कुछ साथियों ने तो इसे क्रांतिकारी बताया, कुछ साथियों ने इसे भ्रांतिकारी बताया, यह क्रांतिकारी किस रूप में लग रहा है। यह मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि जितने भी आपके निगम हैं, कृपा करके उनके कार्यों की विवेचना करें जिनमें इस प्रदेश का रुपया लुटाया जा रहा है। चाहे सीमेंट निगम हो, चाहे चीनी निगम हो, या अन्य कोई निगम हो, प्रदेश के रुपये की निगमों में बरबादी हो रही है। प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपया इनको ऋण के रूप में दिया है लेकिन किसी भी निगम की स्थिति ऐसी नहीं है कि ऋण को वापस कर दें। मजबूर होकर हम लोग उनके ऋण को अंशपूँजी में परिवर्तित करते चले जा रहे हैं। चाहे स्वायत्तशासी संस्थायें हों या निगम हों इनको जो ऋण दिया गया है वह ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि सरकार के ऋण को वापस कर दें।

इन कारपोरेशनों के ऊपर अरबों रुपया लगा हुआ है, इनके कार्यों की आप विवेचना करें और जानकारी करें कि क्यों वहां पर प्रोडक्शन नहीं हुआ और क्यों इनका कार्य संचालन ठीक नहीं हो रहा है। जब तक आप इनकी विवेचना नहीं करेंगे और सुधार लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी प्रोडक्टीविटी या कोई उत्पादन बढ़ने वाला नहीं है, हमारा रुपया बरबाद होता जा रहा है। मान्यवर, बजट की अच्छाई बुराई किस बात पर निर्भर करती है ? यह हमें देखना चाहिये कि कितना रेवेन्यू हमारे पास है और कितना रुपया हम प्रोडक्शन के ऊपर, पूँजीगत परिव्यय, आयोजनागत पर खर्च कर रहे हैं। मान्यवर, यह जो हमारे रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, क्या इन साधनों को हमने इतना बढ़ाया कि उसका कोई अंश हम बचा सकें, ताकि इस प्रदेश में उत्पादन की दर बढ़ सके। मान्यवर, 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जहां तक रिसोर्सेज की बात है, विद्युत पर कर एवं शुल्क, जिस प्रदेश सरकार को फायदा उससे होता है, वर्ष 82-83 में 14 करोड़ 51 लाख रुपया वसूल किया गया, विद्युत करके रूप में। क्योंकि प्रतिदिन के विद्युत के जो बिल हैं, उनकी वसूली में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो रही है। जो बड़े-बड़े लोग हैं, वे बिलों का भुगतान नहीं करते हैं। लेकिन जब आप उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हैं, तो वे लोग हाईकोर्ट में जाकर स्टे ले आते हैं। इसे वर्ष आपने स्वतः 12 करोड़ का अनुमान लगाया है। लेकिन जब वसूली की नौबत आयेगी तो यह 12 करोड़ रुपए से 10 करोड़ 8 करोड़ में पहुँच जायेगा। यह चिन्ता का विषय है। मान्यवर, यह फर्ज नहीं बनता कि जो सोर्सेज हमारी आमदनी के, इनकम के थे, वह सोर्सेज हम क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। कनेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, तो यह शुल्क आमदनी का बढ़ना चाहिए। लेकिन कनेक्शन बढ़ाने के बावजूद श्रीमान, आमदनी जो है, वह कम होती जा रही है यह चिन्ता का विषय है।

इसी प्रकार अभी जो केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलने वाली राशि है। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष क्या अनुमान है इनका केन्द्रीय सरकार से अनुदान का ? मान्यवर, आप पेज-5 पर देखें-सौ करोड़ रुपए कम का अनुदान आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से आपके अनुमान से सौ करोड़ रुपए कम 1983-84 में आयेगा। इसी दल की सरकार प्रदेश में है, और इसी की केन्द्र में, तो जब आपको पिछले वर्ष की अपेक्षा सौ करोड़ रुपया कम मिलेगा तो आपकी स्थिति क्या होगी, कहां से संसाधन आयेंगे, डेवलपमेंट कर पायेंगे, कहां से उत्पादन बढ़ा पायेंगे ? मान्यवर, जहाँ तक शिक्षा के योजनागत व्यय का प्रश्न है, पिछले वर्ष 1982-83 में 34 करोड़ 53 लाख 97 हजार प्रस्तावित था, इस वर्ष घटकर 27 करोड़ 37 लाख रह गया यानि 7 करोड़ रुपये की कमी हो गयी। प्रदेश में

[श्री हुकम सिंह]—

जनसंख्या भी बढ़ी है, जिससे शिक्षा संस्थायें भी बढ़ेंगी, स्कूल भी खोलेंगे लेकिन इसके बावजूद जो इनका अनुमान था, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। इसके क्या कारण हैं ? पिछले वर्ष तो 34 करोड़ था, इस वर्ष 27 करोड़ यह चिन्ता का विषय नहीं तो और क्या है ?

मान्यवर, अब क्षेत्र विकास की बात करना चाहता हूं, 16 पृष्ठ पर आपने देखा होगा पिछले वर्ष क्षेत्र विकास पर 26 करोड़ 42 लाख रुपए था लेकिन इस इस वर्ष 19 करोड़ 95 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, जो भी उत्पादन की, प्रगति की स्कीमें हैं, हर कार्य में, बजाय बढ़ोतरी के हर एक में कमी होती जा रही है। कुल मिलाकर राजस्व और योजनागत व्यय पिछले साल आपका 509 करोड़ रुपए था, इस वर्ष घटकर 496 करोड़, 94 लाख रुपए का कर दिया है। इसी तरह से हर चीज में कमी होती चली जा रही है। यह चिन्तन का विषय है। मान्यवर, इस प्रकार जिन-जिन मदों से हम लोग प्रदेश का उत्थान कर सकते हैं, उत्थान होना संभव है, उन मदों में, उतने रुपयों का प्राविधान क्यों नहीं कर पा रहे है ? चिन्ता का विषय यह होता है कि कौन से कारण हैं कि नान प्रोडेक्ट्रीविटी के आइटमस जो हैं, जो बड़ी मदें हैं, जिनसे प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला है, प्रगति नहीं होती है उन मदों पर हमारा खर्चा बढ़ रहा है। जब तक हम आप बैठकर नौकरशाही को नियंत्रित नहीं करेंगे नान प्रोडेक्टिव खर्च कम नहीं करेंगे तब तक यह चिन्ता बनी रहेगी और देश तथा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकेगा। मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा था हमको आपको बैठकर सोचना पड़ेगा। मान्यवर, आपकी कैपिटल पूँजी क्या है ? सन् 82-83 में 434 करोड़ था कैपिटल आउट ले इस वर्ष यह 402 करोड़ का है। इसको आप देखें आपने जो लिटरेचर दिया उसी में यह है। जो स्थायी निर्माण कार्य आप करेंगे जो प्रदेश में एसेट्स के रूप में रहेगा। इसमें चिन्ता की बात यह रह जाती है कि हम लोग बैठकर विचार करें जिन मदों से प्रदेश का विकास सम्भव है। उसमें खर्च करें नान प्रोडेक्टिव खर्च बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।

श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने सामान्य बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट की सामान्य चर्चा तक सारी बातें सुनते रहे। कुछ विपक्ष के सदस्यों ने बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ और हमको करना भी चाहिए। निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय। मैंने रियासत साहब का भाषण सुना केवल आलोचना के लिये आलोचना, निन्दा करते रहे। इस पर मैं एक शेर कहना चाहता हूँ—

"हरदम तलासे गैर में रहता है आदमी,
डर है कहीं खुद से मुलाकात न हो जाय"

इस सामान्य बजट पर बहुत चिन्तन हो चुका बहुत विवेचना हुई। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। एक दो बात कहना चाहता हूँ। विनियोजित विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया बहुत ही अच्छा काम है इसके लिये सरकार की प्रशंसा करनी चाहिये। इससे सिद्ध होता है कि हमारी योजना अच्छी है। इससे जिले में जितना बजट जायेगा विधायक, चाहे किसी पार्टी का हो सब को सामान्य अवसर मिलेगा यद्यपि हमारे हक में यह ठीक नहीं है। मान्यवर, बजट के अनेकों बिन्दुओं पर विचार हुआ। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का नाम ले लिया तो वह रामायण है विकास की।

श्री अधिष्ठाता—

साकेत जी, एक बिन्द पर भी ख्याल रखें कि समय भी बहुत निश्चत होता है।

श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती—'

हमारी जो समस्या है, महात्मा गाँधी से लेकर इंदिरा गाँधी तक, एक ही है। वह है गरीबी, पिछड़े वर्ग के लोगों, हरिजनों, अविकसित पिछड़े गांवों के विकास करने की और यह समस्या हमेशा रही है और रहेगी···

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय जाफरी साहब, जो समय भाषण के बीच में व्यवधान में जायेगा, उतना समय मैं उनका बढ़ाऊँगा।

श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती—

10 करोड़ रुपया हिन्दी के विकास के लिए दिया गया तो उसको बिजली वालों ने 4 प्रतिशत पर कर्ज पर ले लिया है। यह कोई बुरी बात नहीं है। 40 लाख रुपया सूद सालाना मिलेगा और उसी से हम कई वर्ष तक हिन्दी का विकास करते रहेंगे। मंगला प्रसाद पारितोषित पुरस्कार है, इसी तरह से हम पुरष्कार देते रहते हैं।

दो-एक सुझाव हैं, उनको देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे गाँव में मुख्य सड़कों से, जो लिंक रोड़ है, वह कहीं भी नहीं मिल रही है। सब जोत लिये गये हैं, जो चक छोड़े गये थे। इसलिए सुझाव है कि इस पर विशेष अदालतें हों और नियम हों कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उनसे जुर्माना लेकर उसी से सड़क की पटाई करा दी जाये। इस तरह से सड़कों की पटाई हो जायेगी। जो आवंटन का काम हुआ है, उस तरफ भी सरकार का ध्यान मैं आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूँ। सरकार इसमें और तेजी करे और जिन लोगों ने जमीने हड़प रखी हैं, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे और कठोर कदम उठाये।

इस साल की क्या बात है, कई सालों से आलोचना सुनता आ रहा हूँ। कुछ अच्छी हैं, कुछ ग्रहण करने वाली हैं, कुछ नहीं हैं। लेकिन इन आलोचना करने वालों के नाम पर 4 पंक्तियां पेश कर रहा हूँ—

हम नमस्कार-नमस्कार किये जाते हैं,
ये तिरस्कार-तिरस्कार किये जाते हैं।
ये सदा व्यंग ही करते हैं हम पर,
फिर भी हम इनको सदा प्यार किये जाते हैं॥

***श्री मुख्तार अनीस—**

मैं बहुत देर से सत्तारूढ़ दल की बातों को सुन रहा हूँ और मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि किस आधार पर इस बजट भाषण का ये समर्थन कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि····

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। सामान्य चर्चा मान्यवर, इस बजट पर हो रही है और कोई कैबिनेट रैंक का मंत्री मौजूद नहीं है। वित्त मंत्री नहीं हैं, हमारे सुझावों को, भाषणों को कौन नोट कर रहा है ?

श्री मुख्तार अनीस—

मेरे खड़े होते ही मंत्री पलायन कर गये। यह सरकार दिशाहीन है, इसके पास संकल्प शक्ति की कमी है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, मंत्री इधर हैं, जिधर से एतराज किया गया है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इन्हीं लोगों ने मुझे रोक लिया था जो एतराज कर रहे हैं।

[2 बजकर 15 मिनट]

श्री मुख्तार अनीस—

इनका इरादा उत्तर प्रदेश का कुछ भी हित करने का नहीं है। यह सरकार नारों के आधार पर आई है और नारों पर ही चली जायेगी इनके अन्दर प्रशासन को सुधारने की, अपनी आवश्यकतायें जुटाने की, शान्ति व्यवस्था को बनाकर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की क्षमता नहीं है। यह मंत्रिमंडल बटा है, इनकी दौड़ मुख्य मन्त्री बनने तक है। दिल्ली जाकर कभी किसी आदमी को, कभी किसी प्रधान मन्त्री के रिश्तेदार को, कभी किसी ऐसे आदमी को जो पहले कभी कुछ था, खुश करने का काम रह गया है। रफली तौर पर यह बजट तैयार किया गया है।

सबसे पहली बात जो बताई जा रही है वह यह है, कि जनता के ऊपर टैक्स नहीं लगाये जायेंगे। ट्रान्सपोर्ट पर टैक्स लगाया जायेगा। बिजली की दर बढ़ाई गयीं, देश में मंहगाई बढ़ रही है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, इसी संदर्भ में सारे बजट को देखना चाहिये। यह पहले ही दो-दो बार टैक्स को बढ़ा चुके हैं, अब क्या बढ़ायेंगे। 40.13 करोड़ रुपये का घाटा है। इसको किस तरह से पूरा करेंगे, स्पष्ट नहीं कहा गया। मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने विभागों में, जो घाटा हो रहा है, जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, जिस प्रकार से बिजली विभाग, ट्रान्सपोर्ट विभाग, सिंचाई विभाग चल रहा है, उस पर नियन्त्रण करें तो सारा घाटा पूरा ही न हो जाय बल्कि बजट फायदे का हो जायेगा।

2200 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग के ऊपर लगा है, राज्य का और केन्द्र सरकार को सहायतार्थ। अब तक सिंचाई विभाग में 121 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। आप उस विभाग को पैसा देते चले आ रहे हैं। उसके अधिकारियों पर आपका कोई अंकुश नहीं है। सिंचाई मंत्री का एक काम है कि राजीव गांधी, अरुण नेहरू कैसे खुश रहें। अब श्रीमन्, एक बात है उत्तर प्रदेश गरीबी की सीमा में बिहार और उड़ीसा के बाद तीसरा प्रदेश है। 83 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। कृषि से संबंधित औद्योगिक उत्पादनों को बढ़ाकर, लघु उद्योग लगाकर, कृषि के अतिरिक्त उन्हें नौकरी देने की बात होनी चाहिये। बिजली विभाग के ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ। 200 करोड़ रुपया इस गरीब और कंगाल प्रदेश का दे चुके हैं। 100 करोड़ का घाटा होता है, इसको

रोकने के लिये क्या हो रहा है दो सालों से ? विश्वनाथ प्रतापसिंह मुख्य मन्त्री थे, मिश्रा जी को तो पूरे प्रदेश के बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं। बात करते-करते सो जाया करते हैं। 869 करोड़ का घाटा बिजली विभाग में दो वर्षों में हुआ है। आपकी सरकार इस प्रदेश की जनता की कंगाली की सीमा से नीचे ले जाने को तैयार बैठी है।

ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट को देखें आपकी बसें समय पर नहीं चल रही हैं, रास्ते में रुक जाती हैं, डीजल की चोरी होती है। सीतापुर में एक वर्कशाप कारपोरेशन ने बनाया है, 6 किलो मीटर दूर है वह। डीजल डलवाने के लिये 150 बसें जाती हैं प्रतिदिन। कितना घाटा होता है। आज यह स्थिति है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का कोई विकास होने वाला नहीं है। आपके तहत जो निगम चल रहे हैं, उनकी ओर हुकम सिंह जी ने इशारा किया, मैं अधिक नहीं कहूँगा।

सार्वजनिक उपक्रमों की 56 बड़ी कम्पनियां चल रही हैं, 100 सहयोगी हैं जिन पर जनता का सहयोग है। वर्ष 1978-79 में जो रिपोर्ट आयी है और उसके बाद वर्ष 1982 की जो रिपोर्ट आयी है, उसके अन्दर यह है, उसको पढ़ लीजिये और देख लीजिये, कि 60 लाख रुपए का इनको प्रतिदिन का घाटा हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार से इस प्रदेश के संसाधनों को कैसे बचाया जाय और प्रदेश को इससे कैसे मुक्ति दिलायी जाय। ताकि मुक्ति दिलाकर वह पैसा उद्योग-धन्धों में लगे।

हमारे माननीय सार्वजनिक मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, उनको विदेश घूमने का शौक है। वह ईराक में कई बार चले गये हैं। मान्यवर, ईराकी सरकार ने 8 करोड़ रुपया आज तक नहीं दिया है। मैं कहता हूँ कि क्या जरूरत है वहां पुल लगाने की, और एक ऐसा देश जो नौन-एलाइनड कन्ट्री के ऊपर हमला करे, वहां तानाशाही की सरकार है, हम उसका काम क्यों करें लेकिन इसके बावजूद भी आपका आधा डिपार्टमेंट रहता है, फलस्वरूप आज उत्तर प्रदेश में कोई पुल नहीं बनता है। 8 करोड़ रुपया ईराकी सरकार से क्यों नहीं माँगा जाता ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि ईराकी सरकार का काम क्यों किया जाता है।

मान्यवर, इस तरह से और विभागों को देख लें। आज हालात क्या हैं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की यहां पर चर्चा की जाती है और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के ऊपर विस्तार से बात की जाती हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो सन् 1980 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम था। उसमें 1983 में संशोधन किया गया। 1980 में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था, उसमें श्रमिकों की उद्योग-धन्धों में साझेदारी होगी, किन्तु 1983 में इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्दर से श्रमिकों की साझेदारी को हटा दिया गया और प्रधानमन्त्री ने साफ-साफ कह दिया कि श्रमिकों को उद्योग धन्धे में साझेदारी नहीं होगी। आपकी जो आ०आर०डी० स्कीम है, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की योजना है, ये सब बिना कमीशन के नहीं चल रही हैं।

मान्यवर, आज स्थिति क्या हो रही है ? आज सिंचाई विभाग से लोगों को पीने के लिये पानी नहीं मिलता, और दूसरी तरफ हजारों एकड़ जमीन सीतापुर में जल-मग्न है सीपेज के कारण। तो मान्यवर मैं कह रहा था कि आज ग्रामों में विकास के बारे में कोई काम नहीं हो पा रहा है। मैं कहता हूँ कि जब तक आप कृषि को उद्योग से नहीं जोड़ेंगे, तब तक यह प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता है।

श्री ओमप्रकाश जिन्दल—

मान्यवर, आपने मुझे, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उस पर जो बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर,

[श्री ओमप्रकाश जिन्दल]—

मैं किसी छीटा-कशी में न जाकर इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मान्यवर, हमारे वित्तमन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें कोई नया कर न लगाकर एक बहुत बड़ी बात की है। इस प्रकार नये कर न लगाने से करोड़ों लोगों को इससे फायदा हुआ है, निश्चय ही यह एक क्रान्तिकारी बजट है।

मान्यवर, हरिजन, समाज विभाग के अन्दर पहले बड़ी-बड़ी धाधलियां थीं, उसमें बहुत गड़बड़ियां थीं, उसकी नियुक्तियों में और उसकी जाली संस्थाओं को चलाकर जो लोग लाखों रुपया कमा रहे थे तो हमारी सरकार ने उस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। मान्यवर, हमारी सरकार ने 40 जाली संस्थाओं पर छापा मारकर उनको पकड़ा और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है, इस तरह, की कार्यवाही आज तक कभी भी इस हरिजन समाज विभाग में नहीं हुई थी। मान्यवर, जिस विभाग में एडहाक नियुक्तियां हो जाती थीं, जिसका किसी को पता नहीं चलता था, पहली बार इस सरकार ने नियुक्तियों हेतु एक चयन समिति बनाई है। और उसी चयन समिति के माध्यम से नियुक्तियाँ की गयो हैं जिससे किसी को एतराज न हो और उनके नियमों में कुछ तब्दीलियां की गयीं जिससे कोई भ्रष्टाचार न कर सके। साथ ही मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अपराधों की संख्या में भारी कमी आयी है, लेकिन हम मानते हैं कि कुछ अपराध हो जाते हैं, उसका कारण है, कि हमारी पुलिस की संख्या जो आज से 20 साल पहले थी, उतनी ही आज भी है, उनकी संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी है, लेकिन उनके कामों में बहुत बढ़ोत्तरी हो गई है। कहीं कोई दंगा हो जाय उसमें इनकी जरूरत, चाहे विपक्षियों के आंदोलन हों, चाहे कहीं पर वी० आई० पीज के आने की बात हो और चाहे किसी स्कूल में छात्रों की हड़ताल की बात हो, पुलिस को यह सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिये हो सकता है कि कहीं पर कोई बात को समय से टेकिल न किया जा सका हो। ढिलाई हुई हो। इसलिए आज इस बात को देखते हुए इसकी आवश्यकता है कि हमारे प्रदेश में पुलिस फोर्स के बढ़ाए जाने के लिए बजट में कोई स्पेशल प्राविजन किया जाए जिससे अपराधों की रोक-थाम अच्छी तरह से की जा सके।

मान्यवर, मैं आगरा से आता हूँ जहां पर सुप्रसिद्ध ताजमहल है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग देश-विदेश के आते हैं जो हमारे यहां विदेशी वी० आई० पीज आते रहते हैं, उनकी देख-रेख में फोर्स तैनात रहती है, जिसकी वजह से आगरे में कोई बात हो जाती है तो वहां से फोर्स को नहीं हटाया जा सकता है। इसी तरह से और भी जितने हिस्टारिकल टाउन हैं, वहाँ पर भी फोर्स रहती है। इसलिये मेरा इस ओर सुझाव है कि ऐसे स्थानों पर वी०आई० पीज पुलिस फोर्स के नाम से एक अलग फोर्स रखी जाए जो केवल इसी कार्य को करे।

दूसरे मान्यवर, हमें यह भी देखना है कि इनका मनोबल नहीं गिरने पाये और जरा-2 सी बातों को लेकर इनके मनोबल को गिराया जायेगा, और हतोत्साहित किया जायेगा तो उचित बात नहीं है। जहां पर कहीं ऐसी बात हो तो टीका-टिप्पणी करना जायज है, परन्तु जहाँ पर इन्होंने बहादुरी के काम किये हों, वहां पर इनकी सराहना भी आवश्यक है। दस्यु उन्मूलन को आप देखें, जो पुलिस ने वहाँ पर जो कार्य किये, वह बहुत ही सराहनीय हैं, और अधिकतर डाकू दलों का सफाया हो चुका है और कुछ रह गये हैं, वह भी जल्दी ही काबू में आ जायेंगे। फूलन देवी का मध्य प्रदेश में आत्म-समर्पण इस बात का सबूत है कि वह जानती थी कि अब उत्तर प्रदेश में हमारा भी वही हाल हाल होगा जो अन्य डाकुओं का हुआ है। श्री विश्वनाथ मंदिर की चोरी को दो दिन के अन्दर पकड़ा जाना पुलिस की सफलता का एक अच्छा उदाहरण है। मान्यवर, एक सुझाव सेल्सटैक्स के बारे में कहना चाहता हूँ, मान्यवर, हम जानते हैं कि जो छोटे-छोटे

व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनको किसी का प्रोत्साहन न मिलने के कारण बेरोजगारी की समस्या बहुत उत्पन्न है ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है, लाबी के अन्दर एक हरिजन विधायक को पीटना कहां तक उचित है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप कृपया बैठ जाइए ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

मैं सैल्स टैक्स के बारे में सुझाव देना चाहता हूँ कि जो छोटे - छोटे व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए । हमारे साथी केवल आलोचना करना जानते हैं कोई सुझाव देना नहीं जानते हैं । उन्होंने वायदा किया था कि हम बिक्री कर को समाप्त कर देंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ऐसा कोई वायदा नहीं किया है कि बिक्री-कर को हटा देंगे । लेकिन हम यह अवश्य चाहते हैं कि उसका सरलीकरण होना चाहिए । वर्ष 1977-80 में एक समिति बिक्रीकर का सरलीकरण करने के लिये बनी थी । उसमें जो भी सिफारिशें हों, उनको लागू करना चाहिए जिससे व्यापारी की उलझने दूर हो सके ।

श्री अधिष्ठाता -

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल—

बस मान्यवर- एक मिनट और लूंगा ।

हमारे यहां आगरा के अन्दर खाद्य विभाग के अन्दर आटे में गड़बड़ चल रही है, उसको भी सरकार को देखना चाहिये । जो आटा जनता को सप्लाई करना है, ब्लैक में बेच कर खा जाते हैं । जाँच करके ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए तथा यमुना नदी पर बैराज बनाने का कार्य शुरु करना चाहिये जिससे पीने के पानी की समस्या का निदान हमेशा के लिये हो सके तथा उत्तर प्रदेश में घाटे में चल रहे निगमों को तुरन्त समाप्त करना चाहिये ।

श्री धर्मवीर सिंह—

मान्यवर, वर्ष 1983-84 के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया । उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ ।

आज देश को आजाद हुए काफी लम्बा अरसा हो गया है, 36-37 साल हो गये । मुतवातिर कुछ दिनों को छोड़कर बराबर कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में और देश में रही है । आज देश जैसा भी है, वह इन्हीं की देन है । उधर के लोगों ने बराबर अपने भाषणों में उन सारी चीजों को स्वीकार किया है, जिसके लिये मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ । शायद ही कोई माननीय सदस्य रहे हों जिन्होंने यह न कहा हो कि 50 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है । 1977 में 30 करोड़ आदमी ऐसे थे, जिनकी ढ़ई रु० रोज की आमदनी थी । इस बीच में गरीब और अमीर का अन्तर बढ़ा है । गरीब और गरीब

[श्री धर्मवीर सिंह]—

होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ी है। जब मा० सदस्य अपनी कास्टीटुएन्सी में जाते हैं तो लाइन लगी रहती है बी०ए० और एम० ए० पास लोगों की, जो चपरासी की नौकरी के लिए घूमते-फिरते हैं। हो सकता है कि हाउस में यह लोग इस बात को न मानें लेकिन यह असलियत है। जब तक पैदावार नहीं बढ़ायी जायगी, जब तक टैक्नालाजी को गाँव के स्तर तक नहीं ले जाया जायगा, जब तक लोकतन्त्र की प्रक्रिया लागू नहीं की जायगी।

श्री धर्मवीर सिंह—

चौधरी चरण सिंह की काटेज इण्डस्ट्री का प्रोग्राम आप गांव में नहीं लगायेंगे तो मैं गारन्टी से कह सकता हूँ कि इसके अलावा और कोई हल नहीं है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की काटेज इण्डस्ट्री तो क्या यह कोई खास इण्डस्ट्री है ?

श्री धर्मवीर सिंह—

मान्यवर, यह हमारा आर्थिक प्रोग्राम है। दूसरे देशों के मुकाबिले में माननीय नेता विरोधी दल ने काफी विस्तार से बताया था कि हमारे देश में गरीबी बराबर बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही सामूहिक हत्याएं, डकैतियों में तथा दूसरे अपराधों में भी बराबर बढ़ोत्तरी हो रही है। अभी एक माननीय सदस्या कह रही थीं कि महिलाओं की रक्षा के लिये एक ट्रब्यूनल बनाया जाना चाहिये। आज महिलायें अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं, कहीं उनके गले से चेन खींची जाती है सड़कों पर रिक्शे पर, गाड़ियों में। इस दफा मैं पांचवी बार इस विधान सभा का लगातार सदस्य चुना गया हूँ लेकिन आप प्रोसीडिंग उठा कर देख लीजिये कि जितनी चोरी की, डकैती की, हत्याओं की बातें अबकी बार यहां उठायी गयी हैं, या उठायी जा रही हैं, उतनी कभी नहीं हुई।

आपने हमेशा गरीबों की उपेक्षा की है। 80 प्रतिशत आदमी जो कि गांव में रहता है, उसके उत्थान के लिये आपने बजट में कोई प्राविधान नहीं रखा है। ट्रैक्टर के लिये जो आप लोन देते हैं उसके लिये आप किसानों से कितना इन्टरेस्ट लेते हैं और इण्डस्ट्रियलिस्ट से 4 परसेन्ट का इन्टरेस्ट लेते हैं तो मेरा कहना है कि किसानों को सस्ता लोन क्यों नहीं दिया जाता है ? 80 फीसदी आदमी आपके गाँव में रहने वाला है उनका आरक्षण आप क्यों नहीं करते हैं ? 80 प्रतिशत आदमियों को जो कि गाँव का रहने वाला हो उसे आपकी नौकरियों में रखना चाहिये। जब तक आप ऐसा नहीं सोंचेगे तब तक बेरोजगारी को आप नहीं दूर कर सकते हैं।

किसान जो पैदा करता है उसके लिये कीमत तय करने के बारे मे जैसे गन्ना, गेहूँ, चावल है, इन सबकी कीमत आप क्यों नहीं तय करते। इसे आपको देखना चाहिये कि इसकी लागत कीमत कितनी है और इस पर मुनाफा कितना होना चाहिये। हमारे जो कृषि के विश्वविद्यालय हैं जैसे कि पन्तनगर यूनीवर्सिटी है, और भी इसके जो कमीशन्स बैठे हैं, उसकी रिपोर्ट को आप देखें उसमें कहा गया है कि किसानों को बहुत कम मूल्य दिया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय धर्मवीर सिंह जी, अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री धर्मवीर सिंह—

बस मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ । मेरा समय चेतराम गंगवार ने बहुत बरबाद कर दिया है, इसका भी आप ध्यान रखें । अब मैं हिन्डन कृष्णा दोआब योजना के बारे में कहना चाहता हूँ कि आपकी यह योजना बहुत सुस्त चल रही है इसमें तीव्रता लायी जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त अमरूद जो एक अच्छा फल है, के बाग को आपने सीलिंग की परिधि से हटा दिया है । तो मेरा कहना है कि अमरूद के बाग को भी सीलिंग की परिधि में लाया जाय । इसके साथ ही एक प्रोवर्ब कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि :—

Mildness in a serpent...

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, क्या अंग्रेजी में पढ़ियेगा ?

श्री धर्मवीर सिंह—

नही, मैं बाद में इसकी हिन्दी कर दूँगा ।

माइल्डनेस इन ए सर्पेन्ट
ट्रूथ इन ए ड्रंकर्ड
फ्रेन्डशिप इन ए किंग
डिसेन्सी इन ए सेकेण्ड पोलिटिशियन

उसी तरह से कांग्रेस सरकार से गरीबों का कल्याण असम्भव है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय धर्मवीर सिंह जी, अब आप बैठे, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री सतीश अजमानी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे 1983-84 के बजट पर बोलने का मौका दिया है, मैं आपका आभारी हूँ । आज कई दिनों से यही एक बात बजट भाषण में हो रही है, सब विरोधी दल के लोग मिल कर एक ही बात को कह रहे हैं कि बजट बिलकुल दिशाहीन है । सबसे पहली बात यह है कि विरोधी पक्ष की ओर से केवल एक बात यही दोहराई जाती है कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह दिशाहीन है । मैं पूछना चाहता हूँ कि यह पहले अपनी दिशा बता दें कि यह लोकदल (च) में है या लोकदल राजनरायण के साथ है या श्री बहुगुणा के साथ जनता पार्टी में हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ या यह यहां पर स्वतन्त्र रूप से बैठे हुए हैं । पहले यह अपनी दिशा बता दें । फिर यह जान पायेंगे कि बजट की क्या दिशा है ।

माननीय, अध्यक्ष महोदय, अभी आन्ध्र प्रदेश में और कर्नाटक में चुनाव हुए । उन चुनावों में इन्द्रा जी की पार्टी की हार हो गई, तो सभी विरोधी लोग उनसे इस्तीफा मांगने लगे । मान्यवर, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले यह अटल जी के बारे में बतायें जिन्होंने दिल्ली में जनता पार्टी की हार हो जाने के फलस्वरूप इस्तीफा दे दिया, परन्तु वह उस पर दृढ़ नहीं रहे । उन्होंने इस्तीफा तो दुनिया की नजरों में दे दिया और जनता

[श्री सतीश अग्रवाली]—

की नजरों में अच्छे बन गये लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वह चरित्रवान थे, उनमेंसे नैतिकता थी तो लोक सभा से इस्तीफा दे देते। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अडवानी जी ने उसको माना नहीं। अगर वह इस्तीफा देना चाहते थे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरह से इस्तीफा देते जिन्होंने इस्तीफा सीधे गवर्नर को भेज दिया था। अटल जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं उस पर जरूर अमल करुंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हरिजनों की बहुत बात यह लोग करते हैं। मैं कहता हूँ कि जब दिल्ली में चुनाव होरहे थे जहां पर सभी प्रदेशों के गरीब हरिजन रहते हैं, उनके घरों में कांग्रेस का झण्डा लहरा रहा था, इन्दिरा गांधी का झण्डा लगा हुआ था लेकिन जितनी भी बड़ी-बड़ी कोठियां थीं, वहां पर जनता पार्टी का झण्डा लगा हुआ था और यह लोग यहां पर बैठकर हरिजनों की बात करते हैं। रही बात फूलन की, कहा जाता है कि उसने मध्य प्रदेश में आत्म समर्पण किया लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं किया। फूलन छविराम से या किसी दूसरे ड़ाकू के आत्म समर्पण से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था 'पाप से घृणा करो पापी से नहीं।' उसके कर्मो से घृणा करों, यह मेरा अपना कहना है और अपना विचार है। पाप खत्म हुआ चाहे उसने आत्म समर्पण द्वारा, चाहे उसको मार देने से। उसकी कद्र करना चाहिए। श्री जयप्रकाश नारायण ने ही तो यह दिशा दी थी कि आत्म समर्पण होना चाहिये आप न तो अपने पूर्वजों पर आचरण करते हैं ओर न हमको करने देते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य का भाषण हो रहा है, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन में अपनी पालिसी का उल्लेख किया है कि डाकुओं को लिक्वीडिएट करने का उत्तर प्रदेश सरकार की पालिसी है। इस समय जो भाषण हुआ है यह उचित होगा कि इस भाषण के सम्बन्ध में क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इसको स्वीकृत देते हैं।

श्री सतीश अग्रवाली—

मैंने यह कहा कि मेरा अपना विचार है, यह बात शायद आपने नहीं सुनी। 1977 में कांग्रेस पार्टी हार गयी अच्छा हुआ। अगर न हारती तो यह 30-35 वर्ष का नाटक धरती को आसमान पर ले जायेंगे और आसमान को धरती पर ले आयेंगे, एकबार हमें राज दे दो। इस तरह इन्होंने 77 में एकबार राज ले लिया। मान्यवर, कहा जाता है कि अगर किसी झूठ को 100 बार बोला जाय तो वह सच लगने लगता है। ढ़ाई साल के अपने शासन काल में इन्होंने अपना-अपना हिस्सा बाँट लिया और चले गये। जनता को इनकी असलियत का पता चल गया है कि कितना बढ़िया शासन करने वाले इन्सान हैं। जनता पार्टी वाले विरोधी दल के लोगों, एक बार गल्ती कर ली जनता ने, दुबारा गल्ती नहीं हो सकती। अगर आपका जनता को कोई गुमराह करने का ख्याल हो, तो यह आपकी बड़ी भूल होगी।

मान्यवर, संजय गांधी के जन्म दिन पर 14 दिसम्बर को 44 दिन तक 911 किलोमीटर पदयात्रा मैंने अपने क्षेत्र में की और उस दरमियान में जिन लोगों से मिला, जो मैंने उनकी परेशानियाँ देखीं उनके बारे में मैं अपने शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।... (व्यवधान)। अभीतक जितनी भी बातें विरोधियों के द्वारा कहीं गई वह एक भी ढंग की नहीं कही गई, यह मैं देख रहा था। (लालबत्ती होने पर) मान्यवर दो मिनट में अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूँ। हमारा जनपद गन्ना प्रधान क्षेत्र है। वहां बहुत गन्ना पैदा

होता है। पिछले वर्ष भी वहां से गन्ना नहीं निकाला गया। मेरी शासन से मांग है कि वह इसको देखे। मेरे क्षेत्र से किसी तरह से गन्ना निकलना चाहिए। अन्त में मैं बजट पर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आभारी हूँ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है। अभी एक माननीय सदस्य ने यहां के माननीय सदस्य के लिये कि "ये ये हैं और ये ये हैं"। तो मेरा कहना यह है कि आप अपने कक्ष में दोनों माननीय सदस्यों को बुलवा लें और परीक्षण करवा दें कि कौन क्या है ? ताकि किसी को गलतफहमी न हो।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया बैठें।

श्री सतीश अजमानी—

अगर ये तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट पर सामान्य चर्चा में बोलने के लिये मौका दिया। मान्यवर, यह जो बजट आया है इससे गरीबी और बेरोजगारी में इजाफा होगा''' (व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

जिस दल के जितने लोग हैं, उसके हिसाब से ही उनको बोलने का मौका दिया जायेगा।

***श्री मसरूर जाफरी—**

मान्यवर, पिछले साल कहा गया था कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जायेगा लेकिन पुराने टैक्स को नये टैक्स में रिमूव कर दिया गया। 119 करोड़ का घाटा दिखाया गया है। इससे मालूम होता है कि पिछले साल की प्रक्रिया दोहरायी जायेगी। जहां तक भूमिहीनों की बात है, कम से कम अगर विशारद कमेटी की रिर्पोट को ही लागू कर दिया जाय तो सत्ता पक्ष से लिपटे हुये जो लोग हैं, जो हजारों हेक्टियर भूमि के जो मालिक हैं, उनकी जमीन निकल सकती थी और वह बांटी जा सकती है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उस रिर्पोट को लागू करेंगे। मान्यवर, पूर्वांचल में 15 जिले आते हैं जिनमें देवी आपदाओं से दो लाख पचास हजार की फसल, मवेशी और मकान तबाह हो गये हैं। किसानों से 4/4 साल की तकावी और लगान जो वाजिब है, वह वसूल की जा रही है। वहां पर भुखमरी की स्थिति है।

मान्यवर, मैं पी० डब्लू डी० मन्त्री से कहना चाहूँगा कि इस विभाग में हमारे यहां सबसे बड़ा घोटाला है। विजिलेंस की रिर्पोट के आधार पर जितने अधिकारी ऊपर से नीचे उतारे गये थे, उन सब को ऊपर लाया जा रहा है। एक मिसाल दे रहा हूँ श्री नरेन्द्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मसरूर जाफरी]

नाथ सिंहा, अधीक्षण अभियंता, 44 वां वृत सार्वजनिक निर्माण विभाग, बनारस के विरुद्ध विजिलेंस द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गये लेकिन उनको फिर प्रमोशन दिया जा रहा है। सेक्रेटरी, पी० डब्लू० डी० ने तमाम विजिलेंस की रिपोंट को बलायेताक रख दिया है।

संसदीय कार्यमन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मुझे एक चीज का स्पष्टीकरण करना है माननीय मसरूर जाफरी साहब ने एक आरोप लगाया किसी अधिकारी के खिलाफ और कहा कि श्री सिन्हा के बारे में विजिलेंस की रिर्पोट है। मान्यवर, यह घोटाले की बात करते हैं इनको घोटाला ख्वाब में भी नजर आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि न तो किसी अधिकारी को जिसके बारे में विजिलेंस में जाँच हो रही है, प्रमोशन दिया गया है और न ऐसी कोई योजना बनाई जा रही है, न पत्रावली में इस प्रकार की कोई नोटिंग हो रही है। जो सजा किसी को मिलनी है, वह मिलेगी किसी प्रकार की कोई ढिलाई की बात नहीं है। सिर्फ इनका यह ख्याल है जिसका कोई आधार नहीं है।

श्री मसरूर जाफरी—

श्रीमन्, आई०आर०डी० स्कीम पूरे प्रदेश में इनकी फेल हो चुकी है। इसके बर-अक्स जनता शासन में एक स्कीम चलाई गयी थी अंत्योदय की, उसमें एक विशेष बात यह थी कि जितनी सहायता हरिजन को मिलनी होती थी, उसमें वहीं पर निर्णय हो जाता था, कागज में 50 प्रतिशत छूट का आदेश वहीं पर कर दिया जाता था लेकिन यह जो आई० आर०डी० की स्कीम है इसमें बैंक लोन नहीं देते हैं, गरीब हरिजन को 6-6 महीने बैंक के चक्कर लगाता है, ब्लौक के चक्कर लगाता है, तब जाकर कहीं उसको छूट मिल पाती है। तो यह आई०आर०डी० की स्कीम कमप्लीटली फेल हो चुकी है।

बिजली में हर वर्ष घाटा हो रहा है। 8 सौ करोड़ का घाटा इस वर्ष है। आपने बिजली के दाम भी बढ़ा दिये फिर भी यह घाटा है। तमाम अधिकारी ऊपर से नीचे तक डकैती डाल रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूँगा कि वे वेष बदल कर अपने जिले में जायं और देखे कि जहां एंगिल सप्लाई किये जाते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण की स्कीम में जितना सामान जाता है, वह सब काला बाजार में बिकता है। गौंडा में भी यही हो रहा है।

मान्यवर, पुलिस के बारे में बात आई सिसवां, आजमगढ़ मेरठ के कांड साबित करते हैं कि प्रदेश की पुलिस पर कोई अंकुश नहीं रह गया है। पूरे प्रदेश में पुलिस राज कायम है। गृह सचिव को इन सबकी जानकारी थी लेकिन कोई ऐक्शन नहीं लिया। मैं चाहूँगा कि न्यायिक जांच आप करायें तो इसमें बहुत से लोगों के चेहरे सामने आ जायेंगे। मेरठ के अंदर कोई हिन्दु मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, वह सब पुलिस करा रही है। आप वोट मांगने के लिए जब अक्लियत के पास जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जब उनका मामला आता है तो निगाह मोड़ लेते हैं। उर्दू के बारे में कहा कि दूसरी भाषा बनायेंगे लेकिन जो फारमूला लाया जा रहा है उसमें वह दूसरी जबान नहीं बनेगी।

ग्राम समाज की जमीन फर्जी रूप से बड़े बड़े लोगों को दी जा रही है। सीलिंग से बचाने के लिए बड़े-बड़े जमीदारों के फर्जी चार्ट बनाकर जमीन का बँटवारा कर दिया जाता है। सिंचित भूमि को असिंचित दिखा कर हरिजनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं हमारे आजमगढ़ में ऐसे बहुत से मामले हुए हैं। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को पत्र भी लिखा। फर्जी

अराजी पट्टे कागज पर लोगों को दे दिये जाते हैं 25 प्रतिशत लोगों को जमीन मिल पायी है 75 प्रतिशत लोगों को कब्जा नहीं मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में हालत यह है कि हमारे क्षेत्र में 54-54 किलोमीटर तक लड़कियाँ के लिये कोई हाई स्कूल नहीं हैं। कोई व्यक्ति आज कल के जमाने में अपनी नवजवान लड़कियों को इतनी इतनी दूर पढ़ने के लिये कैसे भेज सकता है।

इसी प्रकार हमारे यहाँ अस्पताल भी बहुत कम हैं। बहुत कम दूरी पर अस्पताल हैं। अगर कोई मर रहा है, जिसे आक्सीजन तथा शीघ्र दवा आदि देकर, मरने से बचाया जा सकता है, अस्पताल न होने के कारण वह मर जाता है।

आज गन्ने की हालत यह हो गयी है कि जलाने की लकड़ी गन्ने से तेज भाव पर बिक रही है।

एच० बी० टी० आई० में पांडेय जी की अराजकता और धांधली के कई मामले सामने आ चुके हैं। उसकी जाँच के लिये भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने एक कमेटी भी बिठायी थी, पर वह आज बट्टेखाते में पड़ी है।

गोंडा में छोटे गन्ना किसानों को पुर्जी नहीं मिलती है। 4-4 वर्ष का लगान और तकावी जबरदस्ती वसूल की जा रही है, जबकि गन्ना किसानों को पिछला बकाया मिल नहीं रहा है। मैं इस बजट से बिलकुल मुतमइयन नहीं हूँ।

[समय 2 बजकर 58 मिनट]

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, इस बजट पर समान्य चर्चा के समय आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1983-84 का जो बजट प्रस्तुत किया है, इसे देखकर यह विश्वास होता है कि हमारे प्रदेश का सर्वांगीण विकास निश्चित है। यह आशंका उठाई गयी कि यह घाटे का बजट है, मगर जब कोई कर का प्रस्ताव आता है तो उसका भी विरोध होता है। प्रदेश के विकास के लिये आर्थिक दृष्टि से प्रदेश को सक्षम होना बहुत आवश्यक होता है। एक दूसरे पर दोषारोपण करने की अपेक्षा आवश्यकता आज इस बात की है कि आप बजट पर चर्चा करें और उपयोगी सुझाव दें।

जो भी बजट आता है उसमें विकास की बात कही जाती है। विकास तभी सम्भव है जब जिस मद के लिये जो रुपया रखा जाय, वह उसी मद पर और उसी उद्देश्य के लिये व्यय हो जिसके लिये वह रखा जाता है। यह हमें देखना चाहिये कि उसका कार्यान्वयन किस सीमा तक होता है। अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो उस ओर हमें सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिये।

ग्राम विकास के लिए जिला स्तर पर बजट का 60 प्रतिशत व्यय किया जायेगा और वह रुपया जिलों में वहाँ के जन प्रतिनिधियों की राय से खर्च होगा, इससे अच्छी और क्या बात बजट में हो सकती है। इसके लिये जिलों में जो कमेटी होंगी उसमें केवल सत्ता पक्ष के ही विधायक नहीं होंगे, जहां-जहाँ विरोध पक्ष के विधायक हैं वहां उन विधायकों को भी उसमें रखा जायेगा और उनकी सलाह से योजना पर रुपया व्यय होगा। अब कोई भी मा० सदस्य यह नहीं कह सकते कि मा० मुख्य मन्त्री या विभाग के मन्त्री ने कोई विशेष योजना को जिले के खास विधायक के कहने पर दिया है, बल्कि हमारे मुख्य मंत्री जी इस बात के आँकड़े मंगवा रहे हैं कि प्रदेश का कौन जिला कितना पिछड़ा है और उसमें कौन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुराज प्रताप उपाध्याय]—

ब्लाक कितना पिछड़ा है, उसको क्या देना है, इसका एक मानक बना दिया गया है जिसके आधार पर जिले की योजना तैयार की जाय, ऐसे निर्देश दे दिये गये हैं।

मान्यवर, सरकार के फिजूलखर्ची के संबंध में जो कहा गया है, तो मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि सरकार यदि कोई योजना न लाये तो कहा जाता है कि कोई कार्य नहीं किये जा रहे हैं और यदि योजना सरकार लाती है तो कहा जाता है कि अर्थ व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चूँकि योजना लाने से यह जरूरी है कि कोई टैक्स बढ़ाना पड़ सकता है। इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी के समक्ष एक सुझाव रखना चाहता हूँ कि जहां तक टैक्स बढ़ाने की बात हो तो चूँकि हमारी आवश्यकतायें तीन प्रकार की होती हैं- एक आवश्यक आवश्यकता की चीजें जिनकी रोज आवश्यकता होती है, उन पर टैक्स न लगाया जाय, दूसरी आवश्यकता आरामदायक चीजों की होती है और तीसरी विलासिता की चीजों की आवश्यकता होती है। तो जो विलासिता संबंधी चीजें हैं, उन पर टैक्स पहले बढ़ाया जाय और यदि उनसे पूरा न हो तो अधिक से अधिक आरामदायक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाना चाहिये।

मान्यवर, दूसरा आय बढ़ाने का तरीका होता है कि जैसे घड़े में पानी भरें और उसमें सुराख हो तो घड़ा नहीं भरेगा, उसी प्रकार भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची पर हमको रोक लगाना होगा। हम मान लें कि 100 रुपये आय है और उसमें फिजूलखर्ची यदि बढ़ती है तो उस पर रोक यदि नहीं लगाते हैं तो हमारी आय में कमी आ जायेगी।

इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से मा० मुख्य मंत्री जी से मेरा सुझाव है कि जब बजट आये तो उसके प्रस्तुत होने से पहले विधान मंडल दल की एक बैठक हो जिसमें एकमात्र विषय हो कि प्रदेश की आय किस प्रकार बढ़ायें, वहां सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के नेताओं से अनुरोध किया जाय कि वह अपने सुझाव दें और उन सुझावों को ध्यान में रखकर बजट को अमली जामा पहनाया जाय।

मान्यवर, विरोध पक्ष के मा० सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी विदेश जाने के शौकीन हैं और ज्यादा गये हैं। तो वह यह भूल गये कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री विदेश किसलिये गये और उनके विदेश जाने से जो कार्य सेतु निर्माण निगम और राजकीय निर्माण निगम को मिले हैं जिनसे प्रदेश को काफी फायदा होगा और विशेष ख्याति प्रदेश को मिली है, और पिछले बजट सत्र में, जो इस विभाग को प्रसंशा के पत्र विदेशों से मिले थे, वह मा० मन्त्री जी ने यहां सदन के पटल पर रखे थे। इन्हीं शब्दों के साथ जो बजट प्रस्तुत हैं, उसका मैं हृदय से स्वागत और समर्थन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि विरोध पक्ष के भाईयों को ईश्वर सद्-बुद्धि दे।

श्री मित्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता जी, सामान्य बजट की चर्चा में आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन जिस सरकार ने यह बजट पेश किया है, वह तो भर्त्सना के लायक है। यह तो कोई अपनी आर्थिक सरंचना प्रदेश को दे नहीं सके हैं। किसी भी देश या प्रदेश में आर्थिक उत्पादन जिनके हाथ में होता है, आर्थिक साधन जिनके पास होते हैं, सत्ता और आर्थिक सरंचना पर भी उन्हीं का अधिकार होता है। चूँकि हमारे देश में आर्थिक उत्पादन के समस्त साधन पूंजीपतियों के पास हैं, इसलिए आर्थिक सरंचना भी वही लोग अपने हिसाब से बनाते हैं और सत्ता पर भी उन्हीं का अधिकार है। ऐसी दशा में देश की आर्थिक सरंचना यह सरकार नहीं कर सकती है।

जैसा हम बोयेंगे, वैसा ही काटेंगे। हम बबूल के पेड़ से आम की आशा करें तो यह गलत होगा। उसी तरह से यदि हम इन पूँजीपतियों से यदि यह आशा करें कि वह कोई नई सरंचना देकर गरीबी और अमीरी की खाई को पाट देंगे तो यह नामुमकिन होगा।

सन् 77 में जब एन०डी० तिवारी उधर बैठे थे और जिस समय केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी और तिवारी जी ने देखा कि अब भविष्य में उनकी सरकार यहीं बनने वाली है तो उन्होंने बिजली का रेट 15 रु० प्रति हार्सपावर से घटाकर 13 रुपया कर दिया था। साथ ही उन्होंने 3 एकड़ तक के किसानों का लगान माफ कर दिया था और तमाम प्रकार के कर मुक्त कर दिये जाने की घोषणाएं की गई। लेकिन जब उनकी सरकार आयी और जमकर यह बैठ गये तो इन्होंने 13 से 15 रुपया हार्सपावर कर दिया और बढ़ाते-बढ़ाते आज वह साढ़े 22 रुपया आ गया है। इनकी उत्तर प्रदेश के किसानों को यह पहली देन है कि इन्होंने कम से कम 64 करोड़ रुपये का बोझ हमारे किसानों पर लादा। आपने यह जो घाटे का बजट पेश किया है, और जिसके बारे में यह कहा है कि बाद में इस घाटे को पूरा किया जाएगा। तो उसके अन्तर्गत सुल्तानपुर की जनता पर कम से कम 2 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। आप अपने प्रदेश में शिक्षा, विद्युत, सिचाई आदि विभागों के लिए आर्थिक साधन जुटाने की बात कहते हैं लेकिन सवाल यह है कि इनको जुटाने के बाद, उसका लाभ किसको मिलेगा ? जब हम इस पर गौर करते हैं, तो पाते हैं कि उसका 75 प्रतिशत जनता को, एक अंश का लाभ भी नहीं पहुँचेगा। उसे या तो इनके कर्मचारी खा लेते हैं या यह लोग उसे अपनी मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं। देखने में यह आया है कि इस प्रदेश की सरकार को दोहरी मूल्य नीति के कारण किसान और मजदूर आज भी बुरी तरह मारे जा रहे हैं। चाहे चीनी हो, चाहे सीमेंट हो और चाहे गेहूँ हो, सब पर दोहरी मूल्य नीति लागू है, उसके फलस्वरूप गरीब किसान और मजदूर पिस रहे है। सरकार के बड़े आदमी के लिए हर चीज कोटा परमिट से मिलेगी और गरीब आदमी को खुले बाजारे में बढ़े हुए मूल्य पर मिलेगी। गरीब आदमी को अगर बाजार में सीमेंट 62 रुपया बोरा में मिलेगी तो अमीर आदमी को 42 रुपये में मिलेगी।

इनके शासन में कानून और व्यवस्था की भी बड़ी खराब हालत है। इनकी पुलिस ने सचिवालय में और आजमगढ़ में जो कांड किये हैं, उसके अलावा भी हर जिले में पुलिस द्वारा हजारों कांड हुए हैं। जिस सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था सौंपी जाती है, वही उसका उल्लंघन करती है तो किससे न्याय की अपेक्षा की जाए ? जब पुलिस ही अपराध करती है तो वह दूसरों के अपराध क्या रोक सकती है ? पुलिस जब अपराध करती है तो उसे सजा देने के नाम पर यह कह कर रोका जाता है कि इससे हमारी पुलिस डिमार-लाईज हो जाएगी, उसका मनोबल गिरेगा। मुख्य मन्त्री के ही जतपद और चुनाव क्षेत्र सुल्तानपुर के ग्राम ठगिया में रामलखन यादव नामक व्यक्ति को पुलिस के दो सिपाही शराब पिलाने के बहाने ले गये और शराब पिलाने के बाद उसे मारा और उसे मारते-मारते उन्होंने उसका अन्त कर दिया। शराब पिलाने और मारने के बाद दूसरे दिन पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। इस संबंध में एस०पी ने स्वयं कहा है कि उसकी मौत पुलिस कस्टडी में हुई, लेकिन कुछ दिन पहले वह अपराधी था। वास्तबिकता यह है कि 4-5 साल पहले उसकी किसी मामले में जांच-पड़ताल चल रही थी, लेकिन मुकदमें में कोई सजा नहीं हुई थी। लेकिन पुलिस उसे बराबर सता रही थी कि तुम बदमाश हो, हमें पैसा दो नहीं तो जेल भेज देंगे। नतीजा यह हुआ कि दो सिपाही उसे पकड़ कर ले गये और शराब पिलाया और मार डाला और यह दिखाया कि यह आदमी शाम को एक आदमी के घर में चोरी करने गया था और उसके घर पर नकबजनी की थी। पुलिस ने उसके घर पर बनावटी नकब निशान भी बना दिया।

[श्री मित्रसेन]—

और नकबजनी बना कर उस आदमी की जिन्दगी ले ली गयी और यह कहा जा रहा है कि अगर तुम मुख्य मंत्री और पुलिस कप्तान से कहोगे, तो तुम्हारे परिवार को भी मार दिया जायगा। श्रीमन् इसी तरह का मामला मेरे क्षेत्र का है। ये कहते हैं कि हरिजनों को हम जमीन आबंटित करा रहे हैं। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक गांव मुनीसपुर है, प्रधानों का चुनाव हुआ, पुराने प्रधान हार गये, नये प्रधान चुनकर आये। पुराने प्रधान ने एक व्यक्ति को जमीन मकान बनाने के लिए आबंटित कर दिया। जब वह मकान बनाने लगा, तो गाव वालों ने और नये प्रधान ने विरोध पैदा किया। कांग्रेस कार्यकर्त्ता उसके पक्षधर थे जब उस गांव के लोगों ने एतराज किया, और उसके घर में डकैती डलवा देने का फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप इस सदन के पुराने सदस्य हैं, आपको समय से एक मिनट और आगे दिया। आप बैठ जाइये।

श्री मित्रसेन—

मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। मान्यवर, लेकिन एक मिनट हमें और समय दे दें, मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह सामान्य बजट की चर्चा है कि व्यक्तगत गाथा ?

*श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन्, आपने मुझे सामान्य बजट पर चर्चा का अवसर दिया, उसके लिए मान्यवर मैं आपका आभारी हूँ। श्रीमन् किसी भी प्रदेश की अर्थ व्यवस्था के पहले यह देखना आवश्यक होता है कि उसके ऊपर किस वातावरण का प्रभाव पड़ा है। श्रीमन्, आपने देखा होगा कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मंदी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और कुछ वर्षों से जारी है। अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है कि जब मंदी बढ़ती है, तब मूल्यों में गिरावट आती है। मान्यवर, आपने देखा होगा कि इस मंदी के बावजूद भी कुछ चीजों में गिरावट नहीं है। जैसे कालीन का उद्योग है, उसके मूल्यों में गिरावट नहीं आई। इसी तरह से जब मंहगाई बढ़ती है, तो उस चीज़ की मांग कम होती है। आपने श्रीमन्, देखा होगा कि कोयले के सीमेंट के दाम बढ़े, लेकिन इसकी मांग में कमी नहीं हुई। जो इस बात का द्योतक है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी। जहां पर परचेजिंग पावर विकास का द्योतक है, वहीं पर मंदी में कमी न आना, मंहगाई में कमी न आना अर्थशास्त्र के सिद्धान्त के बिलकुल विपरीत है।

सरकार को एक आर्थिक आयोग का गठन करना चाहिये और उस आयोग को इतना व्यापक अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह प्रदेश के मूलभूत कुछ बुनियादी मामलों को लेकर उसके ऊपर विशाल पर्यवेक्षण करके सदन में पेश किया जाय और सरकार उसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुसार एक निश्चित अर्थ नीति तैयार करे। उदाहरण के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज बड़ी जोतें मैंनेजेबिल नहीं हैं, उसी प्रकार से छोटी जोतें भी लाभकारी नहीं हैं। छोटी जोतों के किसानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और उनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है जिससे किसान अत्याधिक घाटे में आता जा रहा है। किसानों की स्थिति लगान न देने की, आवपाशी न देने की है। ट्रेक्टर पार्ट्स, डीजल की कीमतें, बिजली की कीमतों के आधार पर उनकी कास्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा आती है परन्तु उतना उनको उत्पादन मूल्य नहीं मिलता है। मेरे कहने का आशय यह है कि अगर आप 200 या 300 रुपये क्विंटल उनके गल्ले का दाम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन दाम फिक्स करते समय आप सोचेंगे उपभोक्ताओं के बारे में तब निश्चित रूप से एक लिमिट से ज्यादा आप उनकी चीजों की दाम नहीं बढ़ा सकते। तो इस स्थिति में सोचने की बात है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन किस तरह से कम की जाय इसके लिये एक आयोग के द्वारा इसका सर्वेक्षण कराना चाहिये। क्योंकि प्रदेश की 83-85 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है जिसकी आज अजीबोगरीब स्थिति है।

मैं तो मुख्य मन्त्री जी से मांग करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने नगर-पालिकाओं के ऊपर जो 80 करोड़ रुपया बकाया था, उसको माफ कर दिया है उसी प्रकार से किसानों के ऊपर जो ऋण है, उसको न सही तो कम से कम ब्याज तो माफ कर दें तो बड़ा उत्तम होगा। क्योंकि किसानों की देयता शक्ति समाप्त हो चुकी है। श्रीमन, इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि इस आयोग में जो भी सदस्य बनाये जायें वे न तो पूंजीवादी व्यवस्था और न मार्क्सवादी व्यवस्था के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होने चाहिये क्योंकि जो पुराने मूलभूत सिद्धान्त हैं, वह अब बेमानी से लग रहे हैं। निश्चित रूप से नये सिद्धान्तों को प्रचारित करके एक नयी व्यवस्था को चालू करना चाहिये।

श्रीमन, आपने देखा होगा कि यह बजट अत्याधिक सुन्दर होकर भी इस बजट में कुछ मजबूरियां भी हैं कि 119 करोड़ रुपये को घाटे का बजट बिना टैक्स का है। सरकारें ओवर ड्राफ्ट या केन्द्र सरकार से अनुदान लेकर काम चलाती हैं। सरकार की मजबूरी है कि उसकी स्वयं की जो आय है उससे ज्यादा उसको सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च करना पड़ता है। सरकार को कारपोरेशनों का घाटा वहन करना पड़ता है। तो यह जो घाटा होता जा रहा है उसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि सरकार नये टैक्स लगाने की बात सोचे। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आपने श्रीमन, देखा होगा कि शहरों में बहुत-सी दूकानें बन रही हैं वह दूकानें 2, 2 हजार रुपये किराये पर हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर आय की दर के हिसाब से नया कर लगाना चाहिये। शहरी क्षेत्र में अत्याधिक जमीन खाली पड़ी रहती है। उस जमीन की एक सीमा निर्धारित करके बाकी जमीन के ऊपर टैक्स लगाना चाहिये। कुछ बातें मैं और कहना चाहता हूं, टैक्स के लिये हो सकता है आगे आने वाले विपक्ष के वक्ता उसको आधार बनाकर मुझे और मेरी पार्टी को उछालें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सट्टा आज एक जन चरित्र बन चुका है। पुलिस की कोशिश के बाद भी समाप्त नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सट्टे के ऊपर टैक्स लगाकर सरकार को आय कमानी चाहिये। मान्यवर, इसी प्रकार समाज में आपने देखा होगा हर मुहल्ले में, हर गली में, हर देहात में छोटी-छोटी नाजायज शराब उतारने वाली भट्टियाँ बनी हुई हैं, उस शराब को पीने से हर बार हजारों-सैकड़ों आदमियों की मौत हो जाती है। तो क्यों न इन शराब वालों को लाइसेंस इश्यू करके सरकार को अपनी आय करनी चाहिए, इससे डिस्ट्रेलाइजेशन भी प्रापर हो जायेगा। इसी प्रकार जिला परिषदों की चिट फंड और इन्वेस्टमेंट कम्पनियों के लाइसेंस देने चाहिये। इन्हीं सुझावों के साथ, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री अकबाल हुसैन—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, यह बजट ही माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने यहां पेश किया है, जैसी कि पहले से आशंका थी, इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसी तरह से इस प्रदेश की विकास की दर कम हो जायेगी। आज हमारे प्रदेश की विकास की दर 4·6 प्रतिशत है, जबकि हमारे देश की विकास की दर 5.2 प्रतिशत है। मान्यवर, इसी प्रकार से सन् 1979-80 में हमारी प्रदेशीय प्रति व्यक्ति आमदनी में और राष्ट्रीय आमदनी में 185 रुपये का अन्तर था अब 1983-84 में वह 230 रुपये हो जायेगा। इस तरह से जो हमारे प्रदेश की विकास दर है और जो हमारे देश की विकास दर है, उसकी खाई बहुत बढ़ जायेगी। प्रदेश हमारा गरीब रह जायेगा, पीछे का पीछे रह जायेगा। तो सुझाव के रूप में मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री जी इसी सदन में मौजूद हैं कि कम से कम इन्वेस्टमेंट इस प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा किया जाय। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जायेगा, तो प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगी और पूरे प्रदेश का विकास हो जायेगा। जो यह बजट पेश किया गया है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट एमाउंट है, वह बहुत ही कम है। तो जब तक इस इन्वेस्टमेंट के एमाउंट को नहीं बढ़ाया जायेगा, तब तक विकास की जो दर है, वह राष्ट्रीय गति पर नहीं आ पायेगी। इसी के साथमैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी हर सालों में अन्य जगह पर बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे प्रदेश में नाममात्र ही हो रही है। 1979-80 में हमारे प्रदेश मे प्रति व्यक्ति आय 962 रुपया, 1980-81 में मान्यवर, 1272 रुपया रही और 1981–82 में 1309 रुपया हुई। इस तरह से पहले साल में 310 रुपये और उसके बाद पिछले साल के बित्त वर्ष में केवल 37 रुपये की ही बढ़ोत्तरी हुई है। इस तरह से मान्यवर, देखें कि आज से दो साल पहले 300 रुपया प्रतिवर्ष बढ़ती थी प्रति व्यक्ति आमदनी, लेकिन पिछले साल केवल 37 रुपया ही बढ़ पायी है। इसलिए देखें कि बजाय इस प्रदेश को आगे ले जाने के, यह सरकार, पीछे धकेलती जा रही है। इसलिए आशंका है कि हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी घटती जायेगी, हमारे प्रदेश की गरीबी बढ़ती चली जायेगी मान्यवर, यह इससे चरितार्थ होता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज खाद्यान्न की हमारे प्रदेश में कमी है। खाद्यान्न को ले लें। वर्ष 1980-81 में मान्यवर, 249.48 लाख मीट्रिक टन हुआ था और 1981-82 में 244.27 लाख मीट्रिक टन हुआ। इस तरह से मान्यवर, मात्र 5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की पैदावार में अन्तर आया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि खाद्यानों की पैदावार बढ़ायेंगे, तो हम प्रदेश को आगे बढ़ा सकेंगे, खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर हो पायेंगे। आज जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी हिसाब से खाद्यान्न की पैदावार नहीं बढ़ रही है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में भी खाद्यान्न संकट है, खाद्यान्न की बहुत बड़ी कमी है। आप 1983-84 के बजट में देखें उसमें 274 लाख मीट्रिक टन की उपज की बात है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1974-75 में 270 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न पैदा हुआ था उसके पहले, आज 8 साल हो गये तब से बड़ी-2 नहरें बन गयीं, कई हजार टियूबवेल लग गये, सिंचाई के साधन बढ़ गये, बहुत से उर्वरकों में वृद्धि हुई, इन सब के बावजूद आज हमारे खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आयी है तो इसका एक ही नतीजा निकलता है या तो इनकी योजना में कमी है या यह आंकड़े गलत देते हैं। गलत आँकड़े देने का सवाल नहीं उठता है। क्यों हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है बल्कि पीछे जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा लक्ष्य ही जब कम रखा जायेगा, इस वर्ष के लिए 274 का लक्ष्य रखा गया है जिस लक्ष्य को हम 74-75 में प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थिति में इस तरह की योजनायें अगर बनाई जायेंगी तो प्रदेश और देश आगे जाने वाला नहीं है यह गरीबी की दलदल में फँसा रहेगा और हमारा प्रदेश कल्याणकारी प्रदेश नहीं बन सकेगा न कल्याण होगा प्रदेश का।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें पिछले साल कितना खर्च किया था, 5 सौ प्राईमरी स्कूल और 152 मिडिल स्कूल खोले गये थे। इस वर्ष 444 प्राईमरी और 130 मिडिल स्कूल खोलने की बात है। मान्यवर, आजादी के 38 वर्षों के बाद प्रदेश में ऐसे 36 विकास खण्ड हैं जहां पर अभी भी कोई मान्यता प्राप्त हाईस्कूल नहीं है, कोई राजकीय हाईस्कूल नहीं है और न प्राईवेट ही है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ 26 विकास खण्डों में स्कूल खोलने के लिये बजट में कमी करके माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और वित्त मंत्री जी जब जबाब देंगे, तो अन्य विकास खण्डों के समान इन 36 विकास खण्डों को लाने के लिए घोषणा करें। ताकि अगले वित्तीय वर्ष में यह खुल सकें। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारा ग्रोथ रेट कम होगा तो उसका नतीजा यह होता है कि उर्जा के उत्पादन में हमको वृद्धि करनी होगी, उद्योग के विकास में वृद्धि करनी पड़ेगी, सिंचाई के साधन में वृद्धि करनी होगी। हमारे विकास के लिए, उत्पादन की बढ़ोत्तरी के लिए सड़कों की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिए यदि इन 4 चीजों पर रुपया खर्च किया जाय तो उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। उसका नतीजा होगा प्रदेश का विकास होगा।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आज हमारे प्रदेश में पिछले वर्ष मेरठ में जो हुआ, उस मेरठ के साम्प्रदायिक दंगे से आज हमारे प्रदेश का ही नहीं, बल्कि राष्ट्र का सिर झुक जाता है। माइनारटीज के ऊपर अगर अत्याचार होगा वह अपने को असुरक्षित समझेगा और रक्षक ही जब भक्षक बन जायेगा तो कल्याण नहीं हो सकता है। जैसा माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह और हमारे राष्ट्रपति माननीय ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था कि एक ऐसे दल का निर्माण किया जायेगा ऐसे फोर्स का निर्माण किया जायेगा जो साम्प्रदायिक जगहों पर संवेदनशील जगहों पर रहेगी। उस दल का निर्माण किया जाना चाहिये। पी०ए०सी० पर सन्देह हो गया है। मेरा सुझाव है मैं चाहता हूँ कि ऐसे दल का निर्माण अवश्य होना चाहिए। पी०ए०सी० में सुधार अवश्य होना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक को विश्वास हो सके। उस दल पर किसी को सन्देह नहीं होगा।

[समय 3 बजकर 30 मिनट]

*श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर आपने मुझे इस सामान्य चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसका मैं आभारी हूँ और माननीय वित्त मंत्री जी इसलिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए कोई कर नहीं लगाये हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है वरना इनका एकमात्र यही लक्ष्य होता, उसकी आलोचना करना जबकि प्रदेश या देश के विकास के लिए यह जरूरी होता है कि जितना भी आवश्यक हो, कर लगाये जायें। इस प्रदेश के विकास के लिए जो भी सर्वांगीण विकास का प्राविधान किया गया है, वह प्रशंसनीय है।

गत तीन वर्षों का समय दैवी आपदाओं का रहा है। विरोधी दल के साथियों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आर्थिक समीक्षा करके देखें तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है। वर्ष 1970-71 के स्थाई भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय जब आप देखते हैं तो 79-80 में 426 रुपया प्रति व्यक्ति थी। 80-81 में यह बढ़ कर 515 हो गई और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सिंह]—

81-82 में 522 रुपया हो गई। यह भी आप जानते हैं कि यह प्रदेश कितना बाढ़ग्रस्त रहा है, भयंकर सूखा पड़ा, ओलावृष्टि हुई फिर भी प्रति व्यक्ति आय हमारे प्रदेश की बढ़ती जा रही है। यह इस बात का द्योतक है, प्रतीक है कि हमारी सरकार के समय में हमारा प्रदेश आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत से साथियों ने बहुत से आरोप लगाये। कहा कि यह बजट दिशाहीन है। मैं उन से कहना चाहता हूँ कि हमारे पूज्य महात्मा गांधी के चरणों में बैठ कर, जवाहर लाल नेहरू के निर्देशन में, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में आवाह्न किया है कि देश, समाज को अग्रसर करें।

आप जानते हैं, गरीबी और अमीरी के फर्क का अगर विचार किया जाय, तो 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा करके आप देखें, उसमें सारे का सारा प्राविधान विकास के लिए किया गया है। चाहे आई०आर०डी स्कीम हो, चाहे छात्रों का मामला हो, छात्रवृत्ति देने की बात हो, वीकर सैक्शन को किस तरह से उभाड़ा जाय, इस बजट में सारा प्राविधान किया गया है। आप देखते हैं, एक क्रान्तिकारी निर्णय लिया गया है, आने वाले वर्षों में गरीब बच्चों को उनकी पोषाक का प्राविधान करने जा रहे हैं। मान्यवर, अमीर लोगों के बच्चे अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं और गरीबों के बच्चे फटे-पुराने कपड़े पहन कर। इसलिए उनमें हीन भावना पैदा होती थी। आप देखते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम में प्राविधान किया गया है।

20 करोड़ वृक्ष नवम्बर, 81 तक लगा दिये गये हैं जो कि एक कीर्तिमान है और इस तरह से स्टरलाइजेशन के केसेज जो दूसरी उपलब्धि है यह कीर्तिमान है। सेन्ट्रल में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में।

जितने कम्युनल राइट्स की बात कही गयी, कोई उदाहरण आप नहीं दे सकते कि कांग्रेस का कोई सदस्य इस तरह से कम्युनल राइट्स में इनवाल्व था। आर०एस०एस० के हों चाहे जमायते-इस्लामी के हों, दूसरे लोग हो सकते हैं लेकिन हमारे दल के लोग नहीं। हम जवाहर लाल नेहरू के निर्देशन में, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, शान्ति मिशन के रूप में हमारी पार्टी काम कर रही है। चाहे मेरठ की बात हो, चाहे मुरादाबाद की हो, जो कांग्रेस पार्टी है उसने सर्वांगीण काम किया है। आर०एस०एस० के लोगों ने जो ज्वाला भड़काने का काम किया है, वह बहुत निन्दनीय है। इस प्रकार की बातें जो बहुत से लोग विरोधी दल के करते हैं, मैं समझता हूँ, नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक बात आई कि तीन सालों में कुछ नहीं हुआ। 77 के बाद 80 तक आप लोगों को जगह मिली, आपने क्या किया, इस बात की परीक्षा 80 में हुई। मैं समझता हूँ 77 प्रतिशत मार्क्स हमारी पार्टी को मिले और 23 प्रतिशत मार्क्स पूरे अपोजीशन दल को मिले। यदि हम लोगों की उपलब्धियां न होंगी तो 85 के और दूसरे चुनाव इस बात के द्योतक होंगे।

मा० पी० डब्लू० डी० मन्त्री जी से मैंने निवेदन किया था भगवानपुर में सोलानी नदी और मऊनदी से आइस लैंड बन जाता है। वहाँ किसी प्रकार की सुविधायें नहीं हैं, मेडिकल एड की सुविधायें नहीं हैं। बहुत-सी महिलायें जिनकी डिलीवरी बरसात में होती है, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। बार-बार निवेदन करने पर भी पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वह पूर्व की ओर देखते हैं। पश्चिम की ओर नहीं देखते। पुल बनाये जाने के संबंध में निवेदन किया, आज तक नहीं बन सका। तलियर एक धार्मिक स्थान है, अजमेर शरीफ के बाद यह बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। वहां पर पर्यटन मन्त्री ने शिलान्यास किया था, लेकिन बजट में प्राविधान नहीं किया गया है। मैं निवेदन करूँगा कि इन स्थानों की महत्ता को देखते हुये, उनका विकास निश्चित रूप से होना चाहिये।

वर्ल्ड बैंक की बात आयी, पिछले वर्ष हमारे यहां कोआपरेटिव मिनिस्टर गये थे, मैंने स्थलीय निरीक्षण कराया था, गोदामों को मा० मन्त्री जी ने स्वयं देखा था। थर्ड क्लास की ईंटें लगी हैं, सीमेंट का रेशियो ठीक नहीं है, जो प्राविधानित था, वह नहीं है, लिंटर भी टूट गया है। इक्जीक्यूटिव इंजीनियर वहीं पर है, उसे स्थानान्तरित नहीं किया गया। मा० विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो मान्यतायें स्थापित की समस्याओं से संघर्ष करने के लिये, उन्होंने जो फायदा पहुंचाया प्रदेश को, वह पूरे प्रदेश को ज्ञात है। उन्होंने प्रदेश को बनाने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी। न हम कोई कसर छोड़ेगें। इन शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र

मान्यवर, सामान्य आय-व्ययक की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मान्यवर, यह देश, प्रदेश गांवों का देश प्रदेश है। गांव घटते जा रहे हैं। शहर सिमिटते जा रहे हैं। यह बात भाषण की नहीं है। मैं आपको आंकड़ो से समझाता हूँ। कुछ ग्राम सभाएँ-टाउन एरियाएं हो गयीं। टाउन एरिया नगरपालिका एवं नगरपालिकाए नगर महापालिकाएं। ये बदले स्वरूप गाँव जो अपनी संज्ञा गवांकर शहर का रूप पा जाते हैं, शहरी सुविधा नहीं पाते हैं। बड़े लोगों का उपहास का पात्र बनकर झुग्गी को झोपड़ा कहा जाता है। गांवों के लोग शहरों की ओर निकल पड़े हैं शहरों की एक निश्चित सीमा है। दिनों दिन बढ़ती शहरी आबादी के कारण, लोगों के दबाव से शहर सिमट रहे हैं। इसके भी दबाव सहन करके की एक निश्चित सीमा है।

शहर और देहात की खीचतान में किसान गुजरता रहा है। आज मजबूरी में किसान खेती कर रहा है, यदि वह खेती न करे तो मर जायेगा और बिक जायेगा। शायद यह सोच कर कि कल उसका भी चमकता और उजला दिन आयेगा, इस प्रकार वह दिन प्रति दिन घुटते-घुटते और मरते-मरते आगे बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार शहर और गांव में तनाव की स्थिति बनी है। मान्यवर, जब तक इस बजट का प्रारूप ग्रोमोन्मुखी नहीं होगा, तब तक इस देश और प्रदेश का किसान नहीं उठेगा और इस देश का सम्मान नहीं उठेगा। बजट के प्रारूप के देखने से ऐसा लगता है कि यह किसान विरोधी बजट है। मँहगाई को बढ़ाकर लक्ष्मी के ऊपर काला परदा डाल दिया गया है। लक्ष्मी धन की देवता हैं, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। देवता के ऊपर काला परदा डालकर अपनी कालिमा को छुपानी को आपने इस बजट के माध्यम से दुस्साहस किया है जो इस देश और प्रदेश के लिये कलंक है। आप इसकी वास्तविकता को स्वीकार करें। किसान के उत्पादन का उचित मूल्य, जब तक आप नहीं देगे, तब तक इस प्रकार के बजट के प्रारूप आते रहेंगें, और जाते रहेंगे इससे समाधान निकल नहीं पायेगा। आश्चर्य तो इस बात का है कि किसान गेहूँ पैदा करता है लेकिन बेचता सस्ता है और इसके बदले स्वरूप मैदा मँहगा खरीदता है, जूट पैदा करता है इसके बदले स्वरूप बोरे को मँहगा खरीदता है, कपास पैदा करता है, कपड़ा मँहगा खरीदता है और गन्ना पैदा करता है चीनी मँहगी खरीदता है। किसान जो पैदा करता है वह बिकता सस्ता है और जब वह खरीदने जाता है तो मँहगा खरीदता है, अपना उत्पादन सस्ता-बेचकर खरीद मँहगाकर वह टूट जाता हैं। यह है आपका वित्तीय व्यवस्था का स्वरूप। अपने को किसानों का हमदर्द कह कर आप किसानों को धोखा दे रहे हो। अभी श्री आजवानी जी बड़े जोश-खरोस के साथ कह रहे थे। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूँ कि बिजली की कीमत क्या देहात के लोगों ने बढ़ाई है, किसी व्यापारी ने बढ़ाई है। सीमेन्ट की कीमत किसी व्यापारी ने बढ़ाई है, डीजल की कीमत किसी व्यापारी ने बढ़ाई है। मिट्टी तेल की दुर्वव्यवस्था, शहर के मजदूर लोग खाना बनाने के लिये तेल चाहते हैं, गांव के लोगों को आप बिजली के धुधले प्रकाश की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, वह कैन्डिल जलाता है और मिट्टी तेल की आपूर्ति काले बाजार में खुले आम लोग करते हैं, इसकी कीमत आपने बढ़ाई है। मँहगाई बढ़ने के कारण तो आप हैं।

[श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र]—

मान्यवर, आश्चर्य तो इस बात का है कि हर मा० सदस्य सत्ता पक्ष ने इस बजट को क्रान्तिकारी कहा है। श्रीमन्, अजस्र शक्ति के श्रोत युवा के लिए इस बजट में कोई निश्चित रास्ता नहीं दिया गया है। इस प्रकार नौजवानों की उपेक्षा करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सोचते हैं तो इससे बड़ा मिथ्या और क्या हो सकता है। आंतरिक शांति सुरक्षा नहीं रह गई है, बसें लूटी जा रही हैं, ट्रेनों में डकैतियां हो रही हैं। मान्यवर, श्री ओम प्रकाश राय, निवासी खुखुन्दू थाना खुखुन्दू को थाने से 75 मीटर की दूरी पर 31 जनवरी को साढ़े छः बजे गोली से मार दिया गया लेकिन थाने का थानाध्यक्ष वहां जाता नहीं। अफसोस इस बात का है कि सी० ओ० सर्किल, श्री बीरेन्द्र सिंह ने मृतक के परिवारीगण को साहस धैर्य तथा अपराधियों को पकड़ने की बात न करके मृतक श्री ओम प्रकाश राय की पत्नी पर चारित्रिक कीचड़ उछाला। सी० ओ० एवं स्थानीय पुलिस को अपराधियों की जानकारी है। श्री ओम प्रकाश राय अपने पीछे विधवा पत्नी की गोद में दस माह का बच्चा छोड़ गये हैं। पिता थाईलैण्ड में है। आज उस परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस वास्तविकता पर पर्दा डालकर अपराधियों को बचाने का सतत प्रयास कर रही है।

रमौली, बभनौली, तिलौली, धेंधवार तथा खरका की डकैती एवं रावत पार तथा राम नगर की चोरियां लार के दरोगा के गले का हार बनी हुयी हैं। ग्राम समरी, थाना मोतीपुर जनपद बहराईच में 21/22 जनवरी की रात में डकैती पड़ती है, इस मामले की जानकारी माह नवम्बर से ही दी जानी शुरू कर दी गयी थी, कि

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया, कृपया बैठिये. दो मिनट का वक्त आपको ज्यादा दिया गया था, उसे भी आप इस्तेमाल कर चुके हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

अपराधी बराबर वहां वालों को धमका रहे हैं, लेकिन इसे वहां की स्थानीय पुलिस प्रशासन बराबर नकारता रहा, जिसके कारण स्थिति यह पैदा हुयी कि राजमंगल का सारा माल लूट लिया गया मामले की रपट किये जाने पर सारे लोगों को थाना अध्यक्ष द्वारा अपमानित करके भगा दिया गया।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बजट मा० वित्त मंत्री जी ने पेश किया है वह गतिशील है। (शोर) मान्यवर, 1977 से लेकर 1980 तक इस हमारे प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार रही। इस अवधि में जो बजट प्रस्तुत किया, जिसे वह लोग शायद भूल गये कि उस समय गन्ना का भाव 3 रु० प्रति क्विन्टल था और आज गन्ने के दाम 21-50 प्रति क्विन्टल के हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। तो किसान विरोधी और मजदूर विरोधी यह सरकार है या वह सरकार थी? जबसे कांग्रेस सरकार ने दुबारा सत्ता संभाली है, तभी से इसके भाव में बढ़ोत्री हुयी है और मजदूरों के लिए मिनीमम वेजेज एक्ट भी इसी सरकार के हाथों पास हुआ और चीनी उद्योग में लगे हुए श्रमिकों के वेतन बढ़ाने की बात इसी सरकार ने ही की है और जबकि हमारे कुछ भाई कहते हैं प्रति व्यक्ति आय पर कुठाराघात हुआ है। बल्कि, वह स्वयं कुठाराघात करते हुए यह भूल जाते हैं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सन् 1952 में यह नारा लगाया था कि "उत्पादन बढ़ाओ या खत्म

हो जाओ।" तब से देश और प्रदेश इस ओर अग्रसर हुआ और वह हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा चाहे कम्यूनिटी डवलैपमेंट द्वारा हुआ हो, चाहे खाद्यान्न ग्रामीणगार योजना द्वारा हुआ हो। तो हमारे इस बढ़े हुए उत्पादन ने यह साबित कर दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश, और प्रदेश आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहा है।

जो लोग लोकतंत्र में विश्वास न करते हों और जिन्होंने 1977 से 1980 तक जो चुनी हुई जिला परिषदें और ग्राम पंचायतें थीं, उनको भंग किया हो, वह आज लोकतंत्र के हिमायती बनते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है, यही सरकार सही मायने में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की हामी है और सन् 1977 से 80 तक जो सरकार सत्ता में थी, वह लोकतंत्र की हामी नहीं थी।

मेरठ के दंगे के बारे में बड़ी चर्चायें हुईं और मैं यह कहना चाहता हूँ कि चाहे वहाँ 10 आदमी भी मरे हों तो वह निन्दा की बात है चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों। कुछ राजनीतिक दल इसका फायदा उठाना चाहते हैं और कम्युनल राइट्स में जो पार्टियां अपनी पोकेट्स बनाना चाहती हैं, वे ऐसा नहीं कर पायेंगे। हिन्दू, मुसलमान नहीं लड़ते, शैतान लड़वाने वाला होता है। अगर वह शैतान न लड़वाता तो मेरठ ऐसा न होता चाहे दंगा पहले मुरादाबाद में हुआ हो या अलीगढ़ में हुआ हो। मेरठ में कम्युमल राइट हुआ तो उसको दबाने के लिए प्रदेश के मुख्य मंत्री दो बार वहां गये और 29 और 30 तारीख को जो घटनायें वहां हुईं, दुर्भाग्यपूर्ण रहीं। इसके बाद हमारे देश की नेता प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी इसी फरवरी में 5-6 तारीख को वहां गयीं और माइनारिटीज को यह आश्वासन दिया कि माइनारिटीज के हितों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे और वह कर भी रही हैं। उन्होंने अपने दौरे के समय हिन्दू और मुसलमान दोनों से मुलाकात की। यह कहना कि हमारे देश की नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी माइनारिटीज के हितों की रक्षा नहीं कर रही हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गरीबों, हरिजनों, मजदूरों, किसानों और माइनारिटीज की रक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी ही कर सकती हैं और कर रही हैं। मैं मा० वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रत्येक ब्लाक में राष्ट्रीय एकीकृत योजना के अन्तर्गत 8 लाख रु० दिये हैं और इन 8 लाख रुपयों से प्रत्येक ब्लाक में हर गांव में खड़न्जा, हरिजन बस्तियों में खड़न्जा लगाने का कार्यक्रम स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत चल रहा है। हो सकता है वह काफी न हो लेकिन हरिजनों का जीवन स्तर उठाने का प्रयास हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में किया जा रहा है।

पंचायतों के चुनाव इस प्रदेश की सरकार ने कराये और महात्मा गांधी का सपना था कि इस प्रदेश में पंचायत राज को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास करेंगे, उसे पूरा किया। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो नये प्रधान चुनकर आये हैं, उनके अधिकार बढ़ाये जायं और न्याय पंचायतों के चुनाव अतिशीघ्र कराये जायं। प्रधानों को यह अधिकार दिया जाय कि ब्लाक डेवलपमेण्ट का कार्य प्रधान से पूछकर जैसे खड़न्जा इत्यादि लगाये जायं, तभी पंचायतों को सुदृढ़ बना सकते हैं। आज हालत यह है कि किसी भी ग्राम पंचायत के पास पैसा नहीं है, जो प्रधान चुनकर आता है 2,000 आदमियों के वोटों पर, उसको एस० डी० एम० एक पी० सी० एस० आफीसर जब चाहे सस्पेण्ड कर सकता है। वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि एस० डी० एम० उस प्रधान को सस्पेण्ड न कर सके, जो इलेक्ट होकर आता है, ऐसी व्यवस्था वे कर दें।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक मिल है राम लक्ष्मण शुगर मिल, पिछले साल मई, जून तक चीनी मिलें चलीं, रिकार्ड चीनी का उत्पादन हुआ और इसी चीनी मिल को 7 करोड़ रु० आधुनीकरण के लिये दिया गया। मान्यवर, उस मिल का तो आधुनीकरण हो रहा है परन्तु मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां का जनरल मैनेजर जो है, उसने अपनी आमदनी के

श्री दामोदर शर्मा—

लिये लूट खसोट मचा रखी है, उससे वहां के किसान ही नहीं, मजदूर भी बहुत दुखी हैं और 7 करोड़ रुपया जो उसे आधुनीकरण के लिये दिया गया है, वह उसको नहीं करेगा। इस लिये मेरा अनुरोध है कि राम लक्ष्मण शुगर मिल की ओर माननीय मन्त्री जी ध्यान दें।

इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर जो 4 उर्वरक के कारखाने लगाने की बात माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कही है कि वे बरेली, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर तथा बदायूँ में लगाये जायेंगे। मैं मानता हूँ कि इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा परन्तु साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि किसी स्थान को चेन्ज करके एक कारखाना मेरठ में भी लगाया जाय क्योंकि मेरठ में सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूँ इत्यादि का होता है। अन्त में मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

***श्री राम स्वरुप वर्मा**—

मान्यवर, यह बजट पेश करते हुए माननीय वित्त मन्त्री जी ने आँकड़े दिये हैं कि इस सूबे की आय बढ़ी है। इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक लाला जी थे, उन्हें नदी के उस पार जाना था तो उन्होंने पूछा कि नदी कितनी गहरी है। तो मल्लाह ने उत्तर दिया कि यही कोई दो-तीन या चार-पाँच फीट गहरी है। तो लाला जी ने मन ही मन उसे जोड़ा कि $2+3+4+5=14$ हुए तो इसका औसत हुआ दो या तीन फीट, तो इस तरह से सब पार हो जायेंगे, डूबेगा कोई नहीं। उनके साथ में उनका बच्चा व पत्नी भी थीं। यह हिसाब लगाकर वे नदी में अपने कुनबे के साथ उतर पड़े, उसे पार करने के लिये आगे बढ़ते गये, धीरे-धीरे बच्चा और पत्नी डूब गये और लाल जी बच गये क्योंकि वे पाँच फीट लम्बे थे। तो वही हिसाब वित्त मन्त्री जी का है कि प्रदेश का आय बढ़ गयी। आप यह नहीं देखते कि जो गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले हैं वो और धनी सम्पन्न लोगों के मुकाबिले में कितने हैं, यह नहीं देखा और औसत निकाल कर सोच लिया कि प्रदेश की आय बढ़ गयी। मान्यवर, यह भी फर्क नहीं किया कि शहर की आमदनी और देहात की आमदनी कितनी है, यह कुनबा डूब जायेगा या बचेगा भी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट पेश किया गया है, यह दिवालिया बनाने के लिये है।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्य थम्मन सिंह गहलोत यहां अखबार पढ़ रहे हैं तो क्या यह कोई रीडिंग रूम है ?

श्री अधिष्ठाता—

ऐसी कोई चीज सामने नहीं आयी है जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, राम स्वरूप वर्मा जी आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राम स्वरुप वर्मा—

मैं यह कह रहा था कि यह बजट प्रदेश का दिवाला निकाल देगा। किसी भी प्रदेश की अर्थ व्यवस्था का सबसे पहला नियम है कि जो आमदनी है उसका आधा खर्च हो प्रशासन पर और आधा खर्च हो परिसम्पत्ति बनाने पर। मान्यवर, परिसम्पत्ति की यह परिभाषा अर्थशास्त्र में दी गयी है वह यह है कि मूलधन और ब्याज मुनाफे से अदा हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर इस दृष्टि से आप इस बजट को देखे तो इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है इस प्रदेश के बजट में राजस्व प्राप्तियां प्रशासन पर व्यय हो रही है। जो यह उधार ले रहे हैं या जो केन्द्र से ले रहे हैं, उससे योजनायें बनाते हैं, यानी परिसम्पत्ति बनाते हैं। 25 अरब रुपया लेकर 53 उद्योग धन्धे खोले और मैं कहना चाहता हूँ कि अपट्रान को छोड़कर एक भी निगम मुनाफे पर नहीं चल रहा है, बल्कि वे सभी घाटे पर चल रहे हैं। आपकी परिसम्पत्ति कहां गयी ? आपका परिवहन है, बिजली है और जो सीमेंट है यह सब कहां गया ? मैं कहना चाहता हूँ कि किसी का भी ब्याज अदा होने वाला नहीं है, मूलधन भी नहीं अदा हो पा रहा है। परिवहन घाटे पर है तो ब्याज अदा करने का सवाल कहां है और यह ऋणों के बोझ से दबे जा रहे हैं। इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है कि परिसम्पत्ति बने। सारा प्रशासन पर व्यय हो रहा है। इस दृष्टि से अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि यह दिवालिया बजट है।

माान्यवर, वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ 4 पर उल्लेख किया है कि संशोधित सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अक्तूबर, 1982 तक प्रदेश में 2.64 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा लिया जा चुका है जिसमें से 2.36 लाख एकड़ भूमि का बन्दोबस्त 1.93 लाख व्यक्तियों को कर दिया गया है। इनमें से 1.43 लाख व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति के हैं जिन्हें 1.40 लाख एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। अब आप इसी हिसाब को देख लीजिए। सरकार ने जितनी सीलिंग से जमीन आयी उसमें से 1.43 लाख व्यक्तियों को बांटी गयी। हरिजनों को पौन एकड़ जमीन दी और 50 हजार लोगों को 2 एकड़ जमीन दी और यह हरिजनों के हिमायती बनते हैं। हमारे पास सारे आंकड़े मौजूद हैं। उधर से चिल्लाहट होती है कि यह बजट हरिजनों के हित में है और सबसे अधिक लाभ उसको मिलना चाहिए, जिससे उसको तरक्की करने का अवसर मिल सके। आप निरादर को निरादर की दृष्टि से मत देखिए। आप तरक्की का तो नाम लेते हैं परन्तु उनकी दरिद्रता का नाश नहीं हो रहा है। तो आप जो कहते हैं वह बिलकुल तर्क से परे है। इस बात मे आपका मोह भंग होना चाहिए कि इस सरकार के द्वारा अनुसूचित जातियों का कल्याण होने वाला नहीं है।

मान्यवर, दो बातें कहकर मै अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक तो प्रशासन को चुस्त होना चाहिए और चुस्ती का मतलब है कि प्रशासनिक योजनाये ठीक से बनायी जाय। हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बैठे हुए हैं। हमारे यहां पर सिकन्दरा से बिल्हौर की 44 मील की सड़क 1967 में स्वीकृत हो गयी थी लेकिन वह बन नहीं रही है। जब पूछा गया तो माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि सन् 1982 तक सब पुल बनवा दिए जायेंगे, मैं कहना चाहता हूँ कि 3 नदियां है तो उनमें से एक का भी ठेका नहीं हुआ है। तो 44 मील सड़क का क्या उपयोग है। जनता की सारी सुविधा भंग है। तो पहले सिद्धान्त बना लो। "लैट दि कन्ट्री बी ओपेन्ड"। देश को खोल दो। पहले आप सड़कों के लिये पुल बना दो, नहरें बना दो तब उस पर पक्की सड़क बनाओ। ताकि लोगों को उसका लाभ जल्दी मिल सके। मन्त्री जी ने सन् 82 में मेरे प्रश्न का उत्तर दिया था कि पुल बना देंगे किन्तु वह अभी तक आश्वासन समिति में पड़ा हुआ है।

हमारे अमराहट क्षेत्र में पानी का नितान्त अभाव है वहां पर किसानों ने इसके लिए सत्याग्रह किया था। यहां पर उस समय माननीय बहुगुणा जी मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने सत्याग्रहियों से कहा कि सत्याग्रह वापस ले लो। उसके बाद सत्याग्रह वापस ले लिया गया और कहा गया है कि 2 साल में हम बना देंगे। दो साल की जगह आज सन् 83 हो गया है कुछ नहीं हुआ है। माननीय सिंचाई मन्त्री ने भी सदन में कहा था कि हम इस अमराहट पम्प कैनाल योजना को पूरा कर देंगे। इस योजना के पूर्ण हो जाने पर वहां 20 हजार क्विंटल अधिक अनाज पैदा होता। शुरू में यह योजना 86 लाख की आंकी गई थी लेकिन

[श्री राम स्वरूप वर्मा]—

सन्82 में यह योजना 2 करोड़ 32 लाख में पूरी हो सकेगी, यह कहा गया था। किंतु सन्83 चल रहा है अभी तक वह योजना नहीं बनी है। पता नहीं कब तक यह योजना बनती है। इतना लम्बा समय लगने पर इस योजना का कोई रूप नहीं रह जाता है। अतः मैं शासन से मांग करता हूँ कि वह हमारे क्षेत्र की इस योजना को पूरी करायें। साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जिन योजनाओं को चलाना चाहती है, न वे योजनायें बनती हैं और उसको सरकार का ही समर्थन मिलता है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

श्रीमती पुष्पा चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अत्यधिक आभारी हूँ कि आपने मुझे वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का समय दिया। निश्चित रूप से यह बजट प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने वाला बजट है और इसमें समाज के हर वर्ग की उन्नति के लिये गम्भीरता से सोचा गया है। साथ ही इसके अन्तर्गत ऐसी विकासशील योजनायें बनायी गयी हैं जिससे ऊँची सूझ-बूझ का परिचय मिलता है। अनुसूचित जाति के लिये, अनुसूचित जन जाति के लिये, निबंल वर्ग के लिये, और पिछड़ी जातियों के स्तर को ऊँचा करने के लिये जितना स्पष्ट और सक्षम बजट बनाया जा सकता था, वह बनाया गया है और उसके अन्तर्गत प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाने वाली योजनायें बनायी गई हैं। वैसे तो प्रत्येक विभाग ही समाज की उन्नति के लिए आवश्यक होता है और इसमें हर विभाग के लिए सोचा गया है और जितना अधिक से अधिक व्यय सुनियोजित योजनाओं के लिए है, वह दिया गया है। लेकिन विशेष रूप से यातायात की उन्नति के लिए तथा ऊर्जा के लिए, किसानों के हित में सिंचाई के लिए अधिक से अधिक धन देकर अच्छी-अच्छी योजनायें बनायी गई हैं। महा- महिम राज्यपाल के भाषण से लेकर मैं नियमित रूप से गम्भीरता से इस बात को देख रही हूँ। और यह मैं उम्मीद कर रही थी कि हमारे साथी विरोध पक्ष के लोगों का ढ़ंग सुधरेगा, उनका रवैया बदलेगा लेकिन वही ढाक के तीन पात। उनके बोलने का स्तर अनुशासन के स्तर बद से बदतर होता चला गया। वैसे तो मुझे बिलकुल भी आश्चर्य नहीं होता इस बात पर, क्योंकि हम उनकी ऐसी बातों को सुनते आये हैं। उनमें कोई सुधार होने वाला नहीं है।

मैं माननीय नेता विरोधी दल का सम्मान करती हूँ लेकिन जहाँ तक सिद्धान्त का सवाल है, उस समय मुझे सचमुच ही दुःख होता है जब माननीय नेता विरोधी दल द्वारा कोई ऐसी बात उठाई जाती है जो सदन को भ्रम में डालती है। मान्यवर, उनका ध्यान मैं आपके माध्यम से दिलाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि बजट पर बोलना चाहिए लेकिन आपकी लालबत्ती हो जाती है और हमें पूरा बोलने का मौका नहीं मिल पाता है। इतने कम समय में हर विभाग का, हर विकास की योजना का स्पष्ट विवरण नहीं दिया जा सकता। इसलिये केवल उन्हीं बातों का जो सदन में उठायी गई हैं, सदन के माध्यम से ही उनका जबाब देना चाहती हूँ।

मान्यवर, जब-जब इस देश के ऊपर विदेशी ताकतों ने सिर उठाया है उस समय हमारे यहाँ की महिलायें सबसे आगे आयी हैं। महारानी लक्ष्मी बाई का इतिहास में नाम आता है। तब भी यह प्रश्न नहीं आया कि वह ग्रामीण थीं, या शहरी थीं। आज भी अपनी अपनी डफली पर अपना अपना राग अलापने वाले यह लोग देश की प्रगति को गढ्ढे में ले जाने वाले यह लोग जब राजनीति के मैदान में उतरते हैं तो इस शक्ति के मैदान में आने से पहले ही यह लोग सिर पर पैर रख कर भाग जाते हैं।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

राना जी अपनी ढपली अपना राग अब मत अलापिये।

श्रीमती पुष्पा चौहान—

जैसे रात के काले अंधियारे में तारों के झुण्ड टिमटिमाते हैं और आने वाले दिन के मनसूबे बनाते हैं लेकिन सुबह की एक किरण से पहले ही गायब हो जाते हैं। इनकी हिम्मत नहीं होती सामने आकर मुकाबला करें। और वह किरण, श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं और महिला माननीय नेता विरोध दल इस बात को भूल गये कि कभी भी यह प्रश्न नहीं उठा है कि वे किसी ग्राम की हैं या शहर की हैं। मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ संवेदनशीलता में यदि माननीय नेता विरोधी दल एक कदम आगे आवे तभी वे उन्हें जीत सकते हैं। त्याग तथा लगन की दुधारी तलवार ने महिला को राज्य तथा देश की सीमाएं काटकर विश्व में प्रथम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया है। शहर तथा ग्राम की बात तो बहुत छोटी है।

ग्रामीण और शहरी महिलाओं की बात पैदा करके उन्होंने अपने पद की शोभा नहीं बढ़ाई है। श्रीमती इन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की महिला हैं। मैं तो उनको अन्तर्राष्ट्रीय से भी ज्यादा मानती हूँ क्योंकि आने वाले इतिहास में वह एक उदाहरण हैं जो कभी मिटेगा नहीं। मैं उनका ध्यान एक बहुत छोटी-सी बात की तरफ ले जाना चाहती हूँ। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी जब उधर से लोग बोलते हैं तो मेरी एक भी आवाज नहीं आती, क्योंकि मैं अनुशासन में विश्वास करती हूं, यह सदन अनुशासन की जगह है, हम तो साधारण रूप में समाज में भी अनुशासन जरूरी समझते हैं। इसलिये उनसे अपेक्षा करती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ तो वे अपनी खोखली आवाज में न हँसें और जो मैं कह रही हूँ उनको सुनें अगर कोई बात गलत लगे तो उसका जबाव आपसे समय लेकर दें।

1980 में जब माननीय नेता विरोधी दल चुनाव लड़े थे तो उनका मुकाबला एक विधवा महिला से था और ऐसी महिला से था जिसके कोई पुत्र भी नहीं था और पति की चिता की आग ठंडी भी नहीं हो पायी थी और दूसरी तरफ माननीय नेता विरोधी एक प्रमुख शक्ति थे और सिंचाई मन्त्री थे। उस वक्त बारह सौ मतों से जीतकर आ ही गये तो वह कोई जीत नहीं। इस कुर्सी को सुशोभित कर ही दिया तो कोई ऊंची जीत नहीं। दूसरी बात, जब 1980 में चुनाव हुआ, जनरल इलैक्शन की बात जाने दें, उप चुनाव हुआ तो प्रत्याशी सिकन्दराराऊ से लड़ी, वह एक महिला थीं जो दूर शहर से जाती थीं और दूर शहर से आती थीं सारा क्षेत्र देखता था, सारे गांव देखते थे, हो सकता है किसी गांव से उसका सम्बन्ध जोड़ेंगे लेकिन—वह महिला मैं थी। वो तो उस गांव तक चुनाव में पहुँच भी नहीं पायी थीं। (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर लाल बत्ती से क्रम टूटने का डर लगता है थोड़ा-सा समय बढ़ा दें क्योंकि जो तारतम्य चल रहा है, वह इससे टूट जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप दो मिनट में अपनी बात खतम करें।

श्रीमती पुष्पा चौहान—

और न जाने उनका प्रत्याशी गांव में रहकर कौन से फावड़े चला रहा था कौनसे परोसे डाल रहे थे। जिनके लिए माननीय नेता विरोधी दल भी एक शहर से आती महिला के समक्ष अपने ही जनपद में घूम गये। उन्होंने ग्रामीण महिला और शहरी महिला की

[श्रीमती पुष्पा चौहान]—

बात करके अपने पद की शोभा नहीं बढ़ाई । किसी माननीय विरोधी दल सदस्य ने कर्नाटक और आंध्र के चुनाव का जिक्र नहीं किया लेकिन वह उस दल के नेता होकर भी इस बात को ले आये कि कर्नाटक और आंध्र में क्या हुआ । आखिर 35 साल की उम्र में एक बार कोई बच्चा अपनी मां से मचल जाय तो क्या यह कोई हँसी की बात है ?

मान्यवर, मैं पूछती हूँ आपके माध्यम से क्या कर्नाटक आंध्र का चुनाव ये जीते थे ? या जितने ये विरोधी दल सामने बैठे हैं, वे जीते थे ? और इस प्रश्न को वे उस वक्त ला रहे थे जब दिल्ली की जनता उनको जवाब दे रही थी । जो लोग श्रीमती इंदिरा गांधी से त्याग पत्र मांग रहे थे, वे स्वयं मैदान छोड़ कर भाग रहे थे ।

लखनऊ में जो आजकल महोत्सव पर्व चल रहा है, उसकी भी आलोचना कुछ माननीय सदस्यों ने की । जब-जब देश में शान्ति होती है और देश प्रगति करता है, तब-तब जनता का ध्यान उस प्रगति की ओर आकर्षित करने एवं कला के प्रति आकृष्ट करने के लिये इस तरह के कार्यक्रम किये जाते रहे हैं। मैं इसका समर्थन करती हूँ और इस तरह के महोत्सव होने चाहिये । अन्त में मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करती हूँ ।

[4 बजकर 16 मिनट]

*श्री सन्त बख्श रावत—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया । माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है यह खोखला और किसान विरोधी बजट है । आज प्रदेश की जनता इस समय भूख से तरस रही है । यहीं दूसरी ओर लखनऊ शहर में रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है । आज किसान उपयोगी सभी वस्तुओं के दाम इतने अधिक हो गये हैं जिसके कारण प्रदेश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है । यह सरकार बराबर उत्पादन बढ़ाने की बात करती है । मगर जनता सरकार के जमाने में जिस यूरिया खाद के दाम 70 रुपये बोरी था, आज उसके दाम 123-124 रुपये हो गये हैं । इस कारण किसान अपने खेतों में खाद का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है । इसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ रहा है ।

यह सरकार हरिजनों की बड़ी दुहाई देती है, पर उनके लिये कुछ नहीं किया गया है । भिन्न-भिन्न स्कीमों के हरिजनों के लिये पैसा रखा भी जाता है, नउ तक नहीं पहुँच पाता, और वह सारा रुपया अधिकारियों और कर्मचारियों की जेबों में चला जाता है ।

(इस समय 4 बजकर 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

जिन हरिजनों के लिये रुपयों की व्यवस्था की जाती है वह उन तक पहुँच ही नहीं पाता है । इसके कारण आज हालत और नीचे गिरती जा रही है । हरिजनों का बार-बार नाम लेकर यह सरकार उनके साथ उपहास करती जा रही है । स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, आई० आर० डी० तथा अन्य योजनाओं के द्वारा जो लाभ हरिजनों को मिलना चाहिये । वह नहीं मिल पा रहा है ।

सिंचाई के बारे में यह कहा गया है कि इतना क्षेत्रफल बढ़ गया है । मेरे क्षेत्र में शारदा सहायक परियोजना निकली है, पर उसका टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परिणामस्वरूप 20 किलोमीटर की जमीन में हमारा मोहनलाल गंज क्षेत्र असिंचित रहता है। शारदा सहायक परियोजना बनने से 5 हजार एकड़ जमीन हमारे क्षेत्र में सीपेज से प्रभावित रहती है जिसका न तो इस सरकार ने सीपेज का मुआवजा दिया और न उसके निदान की ही कोई व्यवस्था किया है। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि पाँच वर्षों से जो किसान अपनी फसलों को उगा नहीं पा रहे हैं उनको सीपेज का मुआवजा दिया जाय।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक गांव चौरहिया है जहां 10 वर्षों पूर्व अस्थायी रूप से भूमि का यह कहकर अधिग्रहण किया गया था कि एक मीटर गहराई तक की मिट्टी निकालने के बाद किसानों को वापिस कर दी जायेगी लेकिन एक मीटर की जगह 3 मीटर गहराई से मिट्टी निकाल ली गई जिससे वह खेत तालाब बन गये है किन्तु इसके बावजूद भी उन किसानों से लगान लिया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। इसलिये मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें।

मान्यवर, लखनऊ जनपद में हमारा क्षेत्र सबसे पिछड़ा क्षेत्र है और चिराग तले अंधेरे वाली कहावत चरितार्थ होती है क्योंकि हमारे क्षेत्र मोहनलाल गंज और गोसाईगंज में एक भी उद्योग नहीं है। इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में विकास खंड, मोहनलाल गंज और गोसाई गंज में एक एक-एक भारी उद्योग लगायें ताकि वहाँ की 48 प्रतिशत जनता जो हरिजन और पिछड़े वर्ग एवं गरीब किसान है, उनको लाभ मिल सके।

मान्यवर, आज शिक्षा की दशा बड़ी दयनीय है। लखनऊ में आज स्थिति यह है कि 70 प्रतिशत अध्यापक स्कूलों मे नहीं जाते हैं, और 30 प्रतिशत जो जाते हैं उसका सम्मान नहीं किया जाता है। बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षकों स्कूलों का निरीक्षण करने नही जाते हैं इसलिये इस ओर शिक्षा मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 70 प्रतिशत स्कूल भवनविहीन हैं जिससे गांवों में शिक्षा सुचारु रूप से नहीं चल रही है। इस सरकार ने शहरों में विशेष रूप से यूनीवर्सिटीज और डिग्री कालेजों की स्थापना की है लेकिन हमारे क्षेत्र और खासकर ग्रामीणअंचलों में जहां लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वहां डिग्री कालेज न होने से वह शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। इसलिये सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक डिग्री कालेज की स्थापना करें ताकि ग्रामीण अंचल के लोग, जो शहरों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ने के लिये भेज पाते हैं, उनको उच्च शिक्षा मिल सके।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 3 सालों से चकबन्दी का काम हो रहा है स्थिति यह है कि चकबन्दी में लगे लोग पैसा खा रहे हैं और गरीब लोगों को जो कि 90 प्रतिशत हैं, उनको अच्छी जमीन नहीं मिल रही है और बड़े-बड़े लोगों को अच्छी जमीन चकबन्दी में दी जा रही है।

मान्यवर, जल निगम के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र गोंसाई गंज अमेठी में 1978 में पानी की टंकी का निर्माण हुआ था जिसमें मानक के अनुसार सामग्री नहीं लगायी गयी थी, जिससे पाईपलाईन दूषित है और उससे पानी निकलता है, परिणाम-स्वरूप नागरिकों में भारी असंतोष है, इसलिये मंत्री जी इसकी जांच करायें।

मान्यवर, लखनऊ के गन्ना किसानों का, लखनऊ केन यूनियन का, पिछले वर्ष और इस वर्ष का, 12 लाख एवं 15 लाख जो कुल 27 लाख रुपया होता है, बाकी है जबकि रायबरेली शुगर मिल ने वहां के और कानपुर के गन्ना किसानों का पिछले और इस वर्ष

[श्री सन्तबख्श रावत]—

जनवरी तक का गन्ने मूल्य का भुगतान कर दिया है। इसलिये खेद के साथ कहना पड़ता है कि लखनऊ के गन्ना किसानों का पिछले और इस वर्ष का 27 लाख रुपया क्यों नहीं दिया गया है ?

श्रीमन्, मैं अपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि गन्ना किसानों को यह सरकार शीघ्र भुगतान कर दे। इसके साथ-साथ किसान पिछले दो फसलों से बराबर नुकसान उठा रहा है और वह आज लगान और दूसरे बकायों की वसूली में बन्द हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिनके खेतों में दो तीन वर्षों में फसल नहीं हुई है, उनका उत्पीड़न न किया जाय। इस सरकार में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति भी काफी बिगड़ चुकी है, हमारे निर्वाचन क्षेत्र के गोसाईगंज में कोई दिन ऐसा नहीं जाता है, जिस दिन कोई चोरी या डकैती की घटना न हो। हमारे क्षेत्र में एक चौकी निगोहा है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, थाना मोहनलाल गंज और नगराम में इतनी दूरी पड़ती है कि वहाँ के निवासियों को बहुत परेशानी होती है और पुलिस को भी अपराध व्यवस्था पर नियन्त्रण पाने में दिक्कत होती है, इसलिए सरकार चौकी निगोंहा को थाने में परिणत करने की कृपा करें।

हरिजन कल्याण की व्यवस्थाओं के बारे में अभी वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इस वर्ष से उत्पीड़ित हरिजनों के लिए जो सहायता की धनराशि है, वह पांच हजार से 10 हजार रुपया कर दी जाएगी। यह प्रसन्नता की बात है। लेकिन हरिजन निर्धन बालिकाओं के लिए, उन पर व्यय के लिए जो धनराशि पिछले बार ली गई थी, आजतक उससे हरिजनों को कोई सहायता नहीं दी गयी है। लाता है कि इसी तरह से यह सरकार इस वर्ष भी हरिजनों के नाम पर पैसा लेती रहेगी, लेकिन हरिजनों को उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि वह जिनके लिए पैसा लेते हैं, उनके ऊपर वह उसका समुचित सदुपयोग करें।

*श्री मुइद अहमद—

वित्त मंत्री जी द्वारा यह वर्ष 83-84 का जो बजट रखा गया है, उसकी सामान्य चर्चा पर जो मुझे, मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कई दिनों से यह चर्चा चल रही है। आरोप और प्रत्यारोप काफी हद तक उसमें देखे गये। जहां तक उधर से सुझाव की बात थी कि इस बजट पर उनकी ओर से कोई ठोस सुझाव आते, वह जीरो और नगण्य रहे हैं। जो आरोपों की बात है, उस ढ़ाई वर्ष के किसी समय की बात का हवाला यदि दे दिया गया है तो उन्होंने कहा कि आप ढ़ाई साल की बात का रोना रो रहे हैं, आप उसको भूल जाइये और इसको देखिए। लेकिन जब उधर के लोगो को अवसर मिला, तो उन्होंने उसके विपरीत स्वयं टीका टिप्पणी और आलोचना में ही सारा समय लगा दिया। इसके अलावा उन्होंने न कोई सुझाव दिए और न हमारी सरकार के किसी अच्छे काम के लिए उसकी सराहना ही की। आज जिन प्रतिकूल परिस्थितियों और भीषण दैवी आपदाओं के चलते यह जो बजट रखा गया है, वह वास्तव में सराहनीय है, गरीबों के लिए हितकर है, और वह गरीबों व किसानों आदि को राहत देने वाला है। जहां तक आलोचना की बात है, आलोचना तो छोटी-छोटी बात पर हो जाती है। अभी विरोधी दल के किसी सदस्य ने कहा कि यह लखनऊ का लखनऊ महोत्सव गलत हो रहा है। इसमें गलत क्या है, इससे तो संस्कृति को और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बढ़ावा मिल रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर्यटन की बात कही जाती है। यदि पर्यटक बाहर से यहां नहीं आएंगे तो इस देश की विदेशी मुद्रा कहां से मिलेगी ? हर चीज के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, लेकिन इनको न कोई उद्देश्य नजर आता है और न लाभ नजर आता है। यह बजट जो 1375 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना का है, यानी पिछले साल की अपेक्षा 173 करोड़ रुपये अधिक का है। यह बजट बहुत अच्छा है। बीस सूत्री कार्यक्रम गरीबों और हरिजनों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। जो सरकार की आई०आर०डी० और स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान आदि स्कीमें हैं, उनसे गरीबों, हरिजनों और जो पात्र व्यक्ति हैं, उनका बड़ा लाभ होगा। उनके लिए यह बहुत बड़ा वरदान है, उससे उनका हित होगा।

मान्यवर, अभी बताया गया कि कोई भी हरिजन व्यक्ति अगर किसी उत्पीड़न से मरेगा, तो उसको, कमाने वाला व्यक्ति है, तो उसको 5 हजार रुपया सरकार देती थी और अगर न कमाने वाला व्यक्ति है, तो उसको एक हजार रुपया देती थी, हमारी सरकार ने अब उसको बढ़ाकर 10 हजार रुपया कर दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति मरेगा, तो उसको दस हजार रुपया दिया जायगा। क्या इस बात से यह नहीं सिद्ध होता है कि यह गरीब हितैषी सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने खुद इस प्रदेश के एक प्वाइंट पर बड़ी सराहना की है। यह नियोजन प्रक्रिया का जो विकेन्द्रीकरण है जिले में जो योजना बने, वह जिले में ही अपने विकास के कार्यक्रम को देखे और जिले में ही जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे वह किसी भी पार्टी का सदस्य है, अगर वह विकेन्द्रीकरण योजना के माध्यम से जिले की योजनाओं में बैठेगा, तो वह अपने क्षेत्र के बिकास का कार्य करवायेगा। हमारी सरकार का यह एक सराहनीय कार्य है, जिसके लिए जो अफसरशाही के ऊपर आरोप लगाते हैं, वह उनकी तथ्यहीन बातें हैं। हमारी सरकार का यह एक सराहनीय कार्य है। इस कदम को देखते हुए भारत सरकार की योजना आयोग ने स्वयं कहा है कि अन्य प्रदेशों को भी, उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से विकेन्द्रीकरण की योजना चलाई है, देखना चाहिए, उस पर चलने के लिए अन्य प्रदेशों की भी हिदायत आयोग ने की है कि जाइये उत्तर प्रदेश से सीखिये। जब भारत सरकार की योजना, उत्तर प्रदेश की योजना को स्वयं तारीफ कर रही है और अन्य प्रदेशों को भी हिदायत दे रही है, तो उधर के लोगों को इसकी तारीफ करना चाहिए।

मान्यवर, हर क्षेत्र में, चाहे सिंचाई का हो, उद्योग का हो, शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में मान्यवर, तरक्की हुई है और हर क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से गरीबों को, जनता को ज्यादा राहत पहुँचाने का कार्यक्रम किया गया है। मान्यवर, सिंचाई के क्षेत्र में 2,200 नये नलकूप की योजना है, और 750 रु० प्रति नलकूप के मेंटीनेंस के लिए रखा गया। बिजली में पिछले वर्षों की तुलना में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज किसानों को 10 घण्टे बिजली मिल रही है जब कि उन ढाई वर्षों में 5 घंटे और ढाई घंटे बिजली ये नहीं दे पाते थे। हमारे शासन में 13. 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। (व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

आप सुल्तानपुर की बात कर रहे हैं कि सभी जिलों के बारे में बता रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ (व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

फैजाबाद में भी यही नियम लागू हुआ है, गोपीनाथ जी।

श्री मुईद अहमद—

जहां तक शिक्षा की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में 1983-84 में 421 स्कूल और 130 मिडिल स्कूल प्रस्तावित है। 1 करोड़ रु० जहां बिल्डिंग की मरम्मत के लिए स्वीकृत किया गया था, 3.16 करोड़ रु० बिल्डिंग की मरम्मत के लिए स्वीकृत किया गया है। यह एक अच्छी और सराहनीय बात है शिक्षा जगत के लिए। जितने ज्यादा हम स्कूल बनवायेंगे, जितनी अच्छी हम व्यवस्था करेंगे, उतना ही अधिक प्रदेश का उत्थान होगा। जहां तक चीनी उद्योग की बात है, खुद किसान के दिल से पूछिये, ये लोग जाकर अपने क्षेत्र के किसानों से पूछें कि जो राहत 81-82 में गन्ना पैदा करने वाले किसानों को मिली थी, शायद उनको अपनी कृषि के इतिहास में उन कृषकों को उतनी बड़ी राहत कभी नहीं मिली होगी। उतना मूल्य उन्हें कभी नहीं मिल रहा होगा जो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार ने दिया था। मान्यवर, उतनी राहत इनको कभी भी नहीं मिली होगी। जहां तक गल्ले की कीमत के बकाये की बात है, हमारी सरकार ने 90 प्रतिशत बकाया उतार दिया है। करोड़ों रुपया जो बाकी था, उसको सरकार ने अदा किया है और जो बाकी है उसको धीरे-धीरे अदा किया जा रहा है। 468 करोड़ रुपये बकाया था और आज 25 करोड़ रुपये बकाया है। तो कितना अन्तर आया है बकाये को चुकाने में। एक बात मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि जो आई० आर० डी० और स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की स्कीमें हैं, उसके माध्यम से गड़बड़ियां भी होती हैं। इसमें कर्मचारी और अधिकारी किसान को परेशान करते हैं और लोग जब कर्जा लेने जाते हैं, तो कमीशन की बात करते हैं। ग्रामीण बैंक से लेकर ब्लाक तक के कर्मचारी उसको परेशान करते हैं और कमीशन की बात की जाती है तो इसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये और लोगों को हिदायत होनी चाहिये कि जो ऋण सुविधा किसानों की दी गयी है, उनसे, जो बीच में दलाली करके कमीशन की बात की जाती है, उस पर रोक लगनी चाहिये।

जहां तक बजट की बात है, यह बजट एक सराहनीय बजट है। इसमें दैवी आपदाओं के लिये अधिक से अधिक व्यवस्था की गयी है। आप स्वयं जानते हैं कि जब जब चाहे वह शीत लहरी हो, चाहे बाढ़ हो या चाहे सूखा हो, प्रत्येक प्रकार की राहत सरकार ने पहुँचायी है। मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना में 62 सौ करोड़ रुपये रखे गये और उत्तर प्रदेश के लिये अधिक से अधिए प्राविधान किया गया जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। राजनीतिक दल के नाते, उधार बैठने के नाते, यह कर्तव्य नहीं होता है कि सरकार की उपलब्धियों को भूल जायं और हमारे कार्यक्रमों को भूल जायं। शासन की नीतियों को कार्यान्वित कराने के लिये चाहे इस दल के आप विधायक हों या उस दल के विधायक हों, सहयोग करना चाहिये ताकि जनता तक हमारी नीतियों का लाभ पहुँचे और प्रदेश की तरक्की हो। इस पर आप लोगों को सोचना चाहिये। अन्त में मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री फखरे आलम—

नालये बुलबुले की शेदा तो सुना हंस हंस कर
अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आयी।

मान्यवर, मैं दोनों तरफ की बातें बहुत देर से सुन रहा था। मैंने इस पक्ष की बातें भी सुनीं और उस पक्ष की बातें भी सुनीं। मैं यह समझ रहा था कि यह बजट जो वित्त मन्त्री ने सामने रखा है, उसमें किसान के फायदे की बात कोई कही जायगी, गरीब के फायदे की कोई बात कही जायगी, हरिजन तथा अल्पसंख्यकों के फायदे की कोई बात कही जायगी। मगर मैंने इस बजट में कोई ऐसी चीज नहीं पायी। मैं आंकड़े पेश नहीं करना चाहता हूँ, मैं उन आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता हूँ जो इस बजट में लिखे हैं।

लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर यह बजट किसान के फायदे के लिये बनाया गया है तो मुझे बताया जाय कि इस बजट में किसान के फायदे के लिये क्या है ? किसान को इस बजट से क्या फायदा हो रहा है ? मान्यवर, आपने इस बात को देखा, गेहूँ की मिसाल ले लीजिए। गेहूँ जब पैदा हुआ तो आपने 130 रुपये में उसको खरीदा। तो जो गेहूँ 130 रुपए में खरीदा गया, वह गेहूँ 300 रुपए में बिक रहा है। इसके माने यह हुए कि किसान को 130 रुपए मिले और खाने वाले को 300 रुपए क्विंटल में मिला। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 170 रुपया किसकी जेब में गया। 170 रुपया बिचौलियों के पास गया। वह रुपया किस-किस में बँटा। एक दूसरा उदाहरण गन्ने के बारे में देना चाहता हूँ। बहुत-सी बातें कही गयीं। गन्ने के बारे में बहुत जोर-शोर से कहा जा रहा है कि 21 रुपए पूर्व और साढ़े 21 रुपए पश्चिम में, भाव कर दिये। लेकिन सरकार इस बात को भूल रही है, सतारुढ़ पक्ष के लोग इस बात को भूल रहे हैं कि जो 21 रुपए और साढ़े 21 रुपए का भाव निर्धारित किया गया है, वह किन के वास्ते किया गया है। मान्यवर, किसान अपनी गाड़ी लिए हुए 12-12-घंटे चीनी मिल के लिए खड़ा रहता है, सेंटर के बाहर 12-12 घंटे खड़ा रहता है। उसके गन्ने का 2-2 साल तक पेमेंट नहीं होता है। उस किसान को 21 रुपए और साढ़े 21 रुपए का भाव दिया जा रहा है। मान्यवर, आप हिसाब लगायें दो साल तक उसके रुपये का इन्टरेस्ट उसको नहीं मिला। दो साल तक उसका भुगतान रुका रहा।

मान्यवर, जो गन्ना लिया जा रहा है, उसकी क्वांटिटी किसी तरीके से 22 परसेंट से ज्यादा नहीं है। 22 परसेंट गन्ना आप ले रहे है, 78 परसेंट गन्ना जो है, वह आप उसी के लिए छोड़ रहे हैं ताकि उसे 5 रुपये या 6 रुपये में यह क्रेशर वाले उसे ले लें। कह रहे हैं किसान का बजट है तो यही किसान के फायदे की बात कर रहे हैं ? क्या इससे किसान को लाभ पहुँच रहा है ? उसका गन्ना सड़ रहा है, खराब हो रहा है और वह 12-12 घंटे लाइन में खड़ा रहता है अपना गन्ना देने के लिए। दो साल तक उसके पैसे का पेमेंट नहीं हो रहा है। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जो यह सब्जी की खरीद हो रही है। उसमें गोभी को ले लीजिए। किसान के खेत से पैदा होने वाली गोभी को 25 रुपये क्विंटल में खरीद रहे हैं और खाने वाले को वही गोभी 100 रुपये क्विंटल में, 200 रुपये क्विंटल में मिल रही है। इसके माने यह हुए कि किसान उसे 25 रुपये क्विंटल में बेच रहा है और खाने वाला, उसे 200 रुपए क्विंटल में खरीद रहा है, तो यह 175 रुपए की क्विंटल किस की जेब में जा रहा है यह आप बता दीजिए ? सरकार इस बात का जवाब दे। सरकार जनता की अदालत में खड़ी होकर इस बात का जवाब दे कि यह 175 रुपये कहां जा रहे हैं ?

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, यह सदन को भ्रामक सूचना दे रहे हैं। यह कह रहे हैं कि 130 रुपये में गेहूँ खरीदा गया, जबकि 142 रुपए का रेट था।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, यह माननीय विधायक महोदय बहुत बड़े काश्तकार हैं, बहुत बड़े फार्मर हैं। इतने बड़े फार्मर हैं कि जिस प्रकार से इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स होते हैं। इनका सोने का गेहूँ रहा होगा जो 182 रु० बिका होगा। हमारे किसान का गेहूँ 130 रु० में बिका। अब मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट के बारे में। मान्यवर, यहाँ ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मुझे अफसोस है कि हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री यहां इस वक्त नहीं हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी ट्रांसपोर्ट

[श्री फखरे आलम]—

में 54 करोड़ रुपये घाटे में चल रहा है। हमारे पांच हजार नौकर ऐसे हैं, इस डिपार्टमेंट में जो बगैर कामकाज के, घर बैठे तनख्वाह पा रहे हैं और इस बात का इकरार माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने अभी हाल में बरेली में अपने भाषण में किया। जो बात मैं कह रहा हूँ वह आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूँ, आंकड़ों के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ। और 2 हजार 270 बसें बेकार हैं 6 हजार बसों में। यह हमारे परिवहन विभाग की हालत है। मैं अपने जिले की बात जानता हूँ बदायूँ से दिल्ली तक एक प्राईवेट बस चलती है जो 5 सौ रुपया रोजाना ऊपर के लोगों को जाता है। जो रोजाना 5 सौ रुपया देकर बस चलाता है फायदा किसको पहुँचेगा। यह पैसे कहां जाता है यह सभी जानते हैं। यह परिवहन विभाग की हालत है। हमारे पास मिसालें और भी हैं लेकिन समय कम है इसलिये मैं देना नहीं चाहता हूँ।

हमारे यहां ला एण्ड आर्डर की क्या हालत है ? आजमगढ़ में वकीलों के ऊपर दमन किया गया। पुलिस ने उनके ऊपर हमला किया जिसकी मिसाल हिन्दुस्तान की तारीख में, जुडीशियल इतिहास में नहीं मिलेगी। वहाँ पर मुख्य मंत्री जी गये लेकिन तब गये जब सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के बार एशोसियेशन ने यह निर्णय कर लिया कि इनकी इनरोलमेंट समाप्त कर दी जाय बहैसियत एडवोकेट। मान्यवर, "हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, यह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता" माननीय मुख्य मंत्री जी आजमगढ़ पहुंचे लेकिन तब जब सब घटना हो गई। ऐसी 1-2 घटना विश्वनाथ प्रताप के जमाने में भी हुई लेकिन वह तुरन्त वहाँ गये और तुरन्त ऐक्शन लिया। हमारे मुख्य मन्त्री जी को मौका नहीं मिला कि पहुंचे। और जब पहुँचे तो उनका जो बयान आया मुझे अफसोस है और ऐसे मुख्य मंत्री का बयान जो एडवोकेट हैं कि डी०आई०जी० कहते हैं कि अगर पुलिस के खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा तो पुलिस का मनोबल गिर जायेगा। अगर यही बात है तो पुलिस को घर जलाने दो, गोलियों से लोगों को भूनने दो, लाठी चार्ज करने दो, उनका मनोबल न गिरने पाये। क्यों नहीं आप पुलिस राज्य कर देते आखिर क्या अन्तर है पुलिस राज्य में और इस राज्य में ? मैं इसका जबाब चाहता हूँ। मान्यवर, बड़े जोर शोर से कहा गया कि मेरठ में बड़ी व्यवस्था की गयी, बड़ा इन्तजाम किया गया अभी हमारे एक माननीय सदस्य दामोदर शर्मा....

श्री अध्यक्ष—

श्री फखरे आलम साहब आप अपना भाषण जारी रखेंगे।

गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के बोर्ड में कार्य करने हेतु निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को सूचना देनी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की सभा में कार्य करने के लिए प्रत्येक के वास्ते पांच-पांच सदस्यों,

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था के प्रशासकीय बोर्ड के लिए तीन सदस्यों जिनमें एक महिला भी होगी तथा

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड के लिए दो सदस्यों,

के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी के लिए दिनांक 18 फरवरी, 1983 के अपराह्न 4 बजे तक का समय तथा निर्वाचन होने की दशा में मतदान का समय दिनांक 2 मार्च, 1982 को नियत किया गया था।

उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी की तिथि 18 फरवरी, 1983 से बढ़ाकर 10 मार्च, 1983 तथा निर्वाचन हेतु मतदान 2 मार्च, 1983 से बढ़ाकर 18 मार्च 1983 तक रखे जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचेतक कांग्रेस दल (आई) तथा माननीय नेता विरोधी दल की प्रार्थना पर अब उक्त विश्वविद्यालयों तथा बोर्डों हेतु नामों की वापसी की तिथि 10 मार्च, 1983 तथा मतदान की तिथि 18 मार्च, 1983 निर्धारित की गई है। तद्नुसार अब उक्त विश्वविद्यालयों की सभाओं तथा बोर्डों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी की तिथि 10 मार्च, 1983 को अपराह्न 4 बजे तक तथा निर्वाचन हेतु मतदान यदि आवश्यक हुआ तो दिनांक 18 मार्च, 1983 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे माननीय सदस्यों की इस प्रकार हैं। श्री नन्द किशोर सिंह की लखीमपुर खीरी में एक ही परिवार के कई लोगों की हत्या करने के संबंध में है। यही सूचना श्री मित्र सेन, श्री भीखालाल, श्री लल्लू सिंह चौहान, श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन की थी। दूसरी सूचना सरदार सिंह की है—लखनऊ स्थित हीवेट पालिटेक्नीक में इंजन फटने से एक छात्र की मृत्यु तथा कई लोगों के घायल होने के संबंध में। इसी में राजेन्द्र कुमार गुप्त जी का भी नाम है। छठी सूचना श्री मोहन सिंह की है—इटावा नगर के नीलकंठ मंदिर के नीचे कबीर सत्संग मन्दिर में डाकुओं द्वारा लूटपाट करने के संबंध में। 7वीं सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की है— देवरिया जनपद में भूख से 24 लोगों के मरने के संबंध में है। 8वीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की है—लौह पुरुष सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा को मिर्जापुर में न लगाने के संबंध में उत्पन्न असंतोष।

श्री रियासत हुसैन—

मैंने इसमें वक्तव्य के लिए माननीय नन्द किशोर सिंह, श्री मित्र सेन, श्री भीखा लाल, श्री लल्लू सिंह चौहान, श्री रियासत हुसैन, श्री अकबर हुसैन की लखीमपुर खीरी में एक परिवार के बारे में जो है, को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। दूसरी जो सरदार सिंह, की है शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है। बाकी मैंने, जो भी प्राप्त हुई हैं, अस्वीकार किया है।

श्री रियासत हुसैन—

वक्तव्य की तारीख बता दें।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

22 फरवरी, मान्यवर।

[समय 4 बजकर 50 मिनट]

गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता श्री ओंकार सिंह की हत्या के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

हरिजन तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम मूँजडीहा थाना कप्तानगंज, देवरियां के चौकीदार ने दिनांक 31-12-82 लगभग 10-30 बजे दिन थाना कप्तानगंज देवरियां में एक मुकदमा अपराध संख्या 230/82 धारा 302 भा० द० वि० का दर्ज कराया कि गांव के पूरब उत्तर बसन्तपुर गांव के सिवान में एक आदमी की लाश पिपराइच जाने वाली सड़क के किनारे पश्चिम तरफ मार के फेंकी गयी है। उसके बदन पर चोट लगी है, कपड़ा खून से लथपथ है और मौके पर काफी भीड़ है और लाश पहचानने में नहीं आती। लाश देखने से मालूम होता है कि कहीं से मार के कोई फेंक गया है। उक्त सूचना पर मुकदमा कायम हुआ और विवेचना उप निरीक्षक थाना कप्तानगंज को दी गयी।

2—विवेचना से ज्ञात हुआ कि मृतक ओंकार सिंह एवं अभियुक्त अशोक कुमार सिंह एक ही गांव के निवासी हैं। अशोक कुमार सिंह के सर्व श्री छेदी पुत्र बहादुर, उमेश पुत्र रंजीत सिंह, उपेन्द्र पुत्र फतेह बहादुर सिंह, राणा प्रताप सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह, तथा दया शंकर पटेल पुत्र राजदेव पटेल साथी है। राणा प्रताप सिंह, अशोक कुमार सिंह के मामा का लड़का है। उक्त घटना के 13 माह पूर्व इस मुकदमें के मृतक ओंकार सिंह ने दिनांक 21-11-81 को अपने सहयोगियों की मदद से बोदरबार बाजार में अशोक कुमार सिंह को बुरी तरह मारा एवं बेइज्जत किया। पुन: 23-11-81 को मृतक ओंकार सिंह ने अपने साथियों की मदद से अशोक कुमार सिंह को घेर कर चाकू से मारा जिसके सम्बन्ध में थाना कप्तानगंज में मुकदमा अपराध संख्या 200/81 धारा 324 भा.द.वि. पंजीकृत किया गया एवं बाद विवेचना अभियुक्तगण का चालान करके आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया, जो अब भी विचाराधीन है।

3—उक्त घटनाओं के फलस्वरूप अशोक कुमार सिंह ने ओंकार सिंह से गहरी मित्रता की।

4—दिनाँक 30-12-82 को अपरान्ह अशोक कुमार सिंह तथा उनके अन्य साथी ओंकार सिंह के साथ राणा प्रताप सिंह की जीप में घूमने निकले तब अशोक कुमार सिंह तथा राणा प्रताप सिंह ने ओंकार सिंह को कट्टे से गोली मार कर चलती जीप में हत्या कर दी और जीप रोककर लाश को सड़क के किनारे खेत में डाल दिया। जीप पर फर्जी नम्बर लगा कर उसका प्रयोग किया गया था।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी अभियुक्त नामांकित नहीं था। जांच में निम्न अभियुक्त प्रकाश में आये हैं :—

1—अशोक कुमार सिंह

2—छेदी

3—उमेश

4—उपेन्द्र

5—राणा प्रताप सिंह

6—दया शंकर पटेल

उपरोक्त सभी अभियुक्त जेल में हैं और कोई जमानत पर नहीं छूटा है। यह मामला हत्या का है और धारा 302/120 बी/149/201 भा०द०वि० के अन्तर्गत आरोप-पत्र 1-2-83 को न्यायालय भेजा गया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

थानाध्यक्ष कप्तानगंज का ओंकार सिंह की हत्या में हाथ होने के आरोप जांच में सही नहीं पाए गए।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया इस तरह से न बोलें।

श्री सुग्रीव सिंह—

यह सदन को गुमराह करने के लिये अधिकारियों ने दिया है, घटना इस प्रकार है···

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न पूछिये, घटना बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुग्रीव सिंह—

मेरा कहना है कि ओंकार सिंह की हत्या नौरंगसिंह थानाध्यक्ष ने की है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठ जाँय।

संक्षेप में आइये, समय कम है।

श्री सुग्रीव सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा० मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इसके विषय में सी०बी०आई० द्वारा जांच कराई गई? मैंने मुख्य मंत्री जी को यहां दिया था, आई०जी० को दिया था। यदि सी०आई०डी० से जांच हो गयी होती तो सारे तथ्य सामने आ जाते।

श्री गुलाब सेहरा—

प्रश्न क्या किया है समझ में नहीं आया। प्रश्न तो हुआ नहीं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

ज्यादा प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है। नियमों के अनुसार केवल स्पष्टीकरण ही दिया जा सकता है।

डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र—

मान्यवर, मैं आपके संरक्षण में मा० मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि श्री ओंकार सिंह, छात्र नेता ने कोई दरख्वास्त इस प्रकार की दी थी कि उसके मारे जाने का खतरा है ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां, ओंकार सिंह के पिता ने एक दरख्वास्त दी थी इस आशय की जिसकी जांच सी०ओ०, हाटा ने की।

श्री केदार नाथ सिंह—

क्या मा० मंत्री जी बतायेंगे कि हत्या के पहले तस्करी के मामले को लेकर थानाध्यक्ष के खिलाफ ओंकार सिंह ने आवेदन-पत्र दिया था ? उसमें उसने अपने इस खतरे से आगाह किया था कि उसकी हत्या थानाध्यक्ष द्वारा की जा सकती है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने इसके पूर्व बताया कि इस आशय की शिकायत उनके पिता ने की थी।

डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र—

मा० मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या श्री ओंकार सिंह ने इस प्रकार की दरख्वास्त न्यायालय में भी दी थी कि मेरी जान का खतरा है ? नौरंगसिंह के खिलाफ न्यायालय में क्या मुकदमा चल रहा है ?

श्री गुलाब सेहरा—

इसकी मुझको जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर अधिक प्रश्न नहीं हो सकते।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह बहुत जल्दी सब-जूडिस कर दिया गया जबकि इतनी जल्दी नहीं होता। क्या इस परिप्रेक्ष्य में, यह देखते हुए कि यह अन्तिम घटना कुछ पहले की घटनाओं से सम्बन्धित घटना है, क्या 107 और 116 की कार्यवाही, उनकी दरख्वास्तों के भेजने के बाद भी, क्यों नही की गई ?

श्री गुलाब सेहरा—

इससे पहले तो मैंने कहा कि थानाध्यक्ष की शिकायत की थी।

श्री रियासत हुसैन—

इस स्टेटमेंट से जाहिर है कि उससे दुश्मनी थी, जब दुश्मनी से उसे नहीं मार सके तो दोस्त होकर उसे मारा। इस सिलसिले में दरख्वास्त भी दी गई थी कि मेरी जान माल का खतरा है, पुलिस ने दुश्मन न बनकर दोस्त बनकर मारा, तो मैं पूछ रहा था कि 107/116 की कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने कहा कि उन्होंने दिनांक 12-11-1982 को मुख्य मंत्री और पुलिस महा-निरीक्षक को दरख्वास्त भेजी थी कि मेरी जान-माल का खतरा है।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

श्रीमन्, एक चीज माननीय सत्ता पक्ष ने बताई कि दरख्वास्त में उसने लिखा है कि दरोगा के कारण ही हमारी जान-माल का खतरा है और माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष भी वही कह रहे हैं कि उस दरोग ने उस लड़के को जान से मरवाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस बिन्दु पर भी जाँच करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

कौन से केस की जॉच करा ली जाय ?

श्री गौरी शंकर भैय्या—

मान्यवर, सत्ता पक्ष ने सदन को सूचना दी कि उस लड़के के बाप ने मुख्य मंत्री जी को दरख्वास्त दी और उसमें आशंका व्यक्त की कि हमारी जान-माल का खतरा संबंधित दरोगा से है और माननीय सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सदन में कहा कि उस दरोगा ने उस लड़के को मरवाया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या दरोगा के इस बिन्दु पर भी आप जांच कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

थानाध्यक्ष का वहां से पहले ही स्थानान्तरण हो चुका है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, जब उस लड़के ने दरख्वास्त दे दी थी कि उन्हें दरोगा से जान-माल का खतरा है तो उसके जान-माल की सुरक्षा सरकार ने क्यों नहीं की ? इससे पता चलता है कि सरकार ने उसको मरवाया।

श्री अध्यक्ष—

श्री विष्ट जी आपको मैंने नहीं बुलाया है कृपया आप बैठ जायं।

अब इसके लिये समय नहीं है। 5 बजे दूसरी मद शुरू होनी चाहिये थी। इसमें अगर माननीय सदस्य प्रश्न करना चाहते तो एक प्रस्ताव लाकर इसके समय को 5–10 मिनट बढ़ा देते। जब समय समाप्त हो गया तो कौन से नियम के अन्दर मैं अवसर दूं ?

श्री पंचानन राय—

हम प्रस्ताव करते हैं कि इस हो रही चर्चा पर स्पष्टीकरण के लिए 10 मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय ।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, इस वक्तव्य में जो माननीय सदस्यों की रुचि है, उसको देखते हुए जैसा मा० पंचानन राय जी ने 10 मिनट के बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि इतना वक्त बढ़ा दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि इस चर्चा के प्रति मा० सदस्यों की रुचि को देखते हुए जो मा० पंचानन राय जी ने प्रस्ताव किया है और मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने समर्थन किया है । स्पष्टीकरण पूछने का समय 10 मिनट बढ़ा दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि श्री ओंकार सिंह, जिनकी हत्या हुयी है, वह मूल निवासी कहां के थे ? और दूसरी बात जो अभियुक्तगण हैं, चाहे वह विद्यार्थी हों, तो क्या ऐसे विद्यार्थियों का नाम विश्वविद्यालय से काट दिया गया है ?

श्री गुलाब सेहरा —

वह किस थाने के निवासी हैं, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष —

जब उनके पास इस आशय की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो क्या हम उन्हें मजबूर करें ?

श्री मारकण्डेय चन्द—

12-11-82 को जब मृतक द्वारा वहां के एस०एस०पी० को सूचना आवेदन-पत्र के द्वारा दी गयी तो आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही उनके बचाव की की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा —

जब इस आशय का शिकायती-पत्र पुलिस महानिरीक्षक को मिला तो मामले की जानकारी के लिए सी०ओ०, हाटा को सुपुर्द किया गया तथा जांच में कोई तथ्य सही नहीं पाये गये ।

श्री मारकण्डेय चन्द—

यह थानेदार गेहूँ की तस्करी बिहार के बार्डर से करता था, श्री ओंकार सिंह ने इस तस्करी को रोकने के प्रयास में एक बार दरोगा साहब को रंगे हाथों बिहार के बार्डर

पर माल को पार कराते समय देखा। तभी से वह थानेदार उसके पीछे पड़ गया, जिसकी सूचना वह बराबर देता रहा, क्या इस प्रकरण की आप जांच करायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

इसकी जाँच करा लेंगे।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए इस ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इस मामले के दो पक्ष हैं एक तो तस्करी से संबंधित और दूसरा आरोप है जान से खतरा होने की सम्भावना पर पहले से सूचना आयी, उस पर क्या कार्यवाही हुयी ? क्या सरकार इन दोनों पक्षों की जानकारी अलग से सी०आई०डी० द्वारा करायेगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, जितनी जल्दी चार्जशीट दी गयी, उससे यह संदेह पैदा होता है और दूसरे यह कि जैसा कि वहां के छात्रों द्वारा संबंधित दरोगा के प्रति तस्करी मे सम्मिलित होने की बातें कहीं और वहां के शहरियों ने भी इस आशय के पत्र लिखे तो सारी पृष्ठभूमि को देखते हुए शासन इसकी गम्भीरता को समझती है, हम यहां पर इस कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठे है कि अधिकारियों को बचाएँ दोषी होते हुए भी। जनता की भावनाओं का आदर करते हुए और इस आदरणीय सदन की भावनाओं को देखते हुए आश्वासन देते है इस केस की इंक्वायरी हम सी०आई०डी० द्वारा अलग से करायेंगे।

(तालियों की गड़गडाहट)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि अभी एक प्रश्न की सूचना में माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि उसकी जांच करायी गयी और थानेदार निर्दोष पाया गया। यदि वह निर्दोष पाया गया, तो उसे हटाया क्यों गया ?

श्री गुलाब सेहरा—

जो शिकायतें की गयी थीं, क्षेत्रीय पुलिस ने ही उनकी जाँच की थी और एक विरोध का वातावरण था, इसलिये उसे वहां से हटा दिया गया।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, भूतपूर्व गृह राज्य मन्त्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जो वर्तमान कार्यवाहक राज्य मन्त्री हैं उनसे इतनी जानकारी चाहता हूँ कि एक आदमी ने अपनी सुरक्षा के लिये आई०जी० को प्रदेश के मुख्य मन्त्री को प्रार्थना-पत्र दिया और उसने जो आशंका व्यक्त की, वह सही सिद्ध हुई। मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री को प्रार्थना-पत्र देने के बाद और आई० जी० को प्रार्थना-पत्र देने के बाद उस व्यक्ति की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया ?

श्री गुलाब सेहरा—

जिस वक्त प्रार्थना-पत्र दिया गया था, उसकी जांच की गयी, जो रिपोर्ट आयी, वह यह आयी कि जान-माल के खतरे की बात गलत है।

श्री साधक प्रसाद—

मान्यवर, मा० मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, जो अशोक कुमार ने प्रार्थना-पत्र मुख्यमंत्री जी को दिया, उस पर जांच करायी गयी, लेकिन उसकी सुरक्षा की क्या कार्यवाही की गयी और उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, जिन्होंने जांच रिपोर्ट दी थी ?

श्री गुलाब सेहरा –

मैंने कहा कि पूरा केस सी०आई०डी० को दिया जा रहा है, जो दोषी होगा उसको दण्ड मिलेगा ।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्ता पक्ष के ही विधायकों और देवरिया के विधायको ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध बहुत गम्भीर आरोप लगा दिया है, जिसको विवश होकर मा० मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना पड़ा कि हां, सी० आई० डी० से जांच करायेंगे । एक सर्वविदित तथ्य है कि सी० आई० डी० में वही पुलिस के लोग जाते हैं । इसलिये सी० आई० डी० विभाग पर विश्वास नहीं किया जा सकता । मैं यह जानना चाहूँगा कि एक थानाध्यक्ष के विरुद्ध जो इतने गम्भीर आरोप हैं कि वे तस्करी भी करते थे और वे काफी अरसे से श्री ओंकार सिंह को जान से मरवाने के लिये प्रयत्नशील भी थे । यह सब होते हुए भी प्रार्थना-पत्र शासन को आये, डी० आई० जी० साहब को आये, आई० जी० साहब को आये, उसके बावजूद भी आज जो जवाब दिया है, वह बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही शर्म की बात है । एक ऐसा वक्तव्य आया, जिसको मा. सदस्यों ने बताया कि भ्रमात्मक है, गलत है और झूठा है । ऐसी हालत में मैं मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि इस मामले की जांच क्या सी. बी. आई. से अथवा सदन की कमेटी बनाकर कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा—

मैंने श्रीमन्, अपने पुराने और विद्वान मित्र देहलवी साहब से कहा कि इसकी सी. आई. डी. इन्क्वायरी इसलिये करा रहे हैं कि तथ्य उजागर हो सकें और जो इसमें शामिल हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।

श्री हरदेव –

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जब मृतक व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा के लिये शासन से अनुरोध किया और अधिकारियों से अनुरोध किया । बावजूद उसके उसकी सुरक्षा नहीं हो सकी तो क्या मेरी सरकार और यह शासन उस मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता देगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री कुबेर मण्डारी—

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बाजार लगता है, वहां पर तोलने के लिये कांटा भी लगाया जाता है । पुलिस और कांटे वालों के बीच में बराबर झगड़ा होता रहता है क्योंकि वे उसकी तुलाई 10 रुपया कुन्तल लेते हैं तो क्या मंत्री जी कांटा की प्रथा वहाँ पर समाप्त करने का कष्ट करेंगे ?

श्री मुईद अहमद—

इससे इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री कुबेर मण्डारी—

यही तो झगड़े की जड़ है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने प्रश्न को स्पष्ट करें ।

श्री कुबेर मण्डारी—

आप सुनने और समझने की कोशिश ही न करें तो मैं क्या करूं ? मण्डी समिति के माध्यम से हमारे यहाँ बाजार में तौलाई के लिये कांटा लोग खड़ा किये हुए हैं तो उसके कारण पुलिस और कांटा वालों के बीच में झगड़ा होता रहता है ।

श्री अध्यक्ष —

माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर आपकी समझ में आया हो तो आप इसका उत्तर दे दें ।

श्री गुलाब सेहरा—

(ने अपने स्थान पर बैठे ही बैठे नकारात्मक उत्तर में अपना सिर हिला दिया ।)

आजमगढ़ के वकीलों के ऊपर कथित पुलिस ज्यादतियों के विरुद्ध वकीलों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा

***श्री खैरूल बशर—**

मान्यवर, आजमगढ़ में तो ऐसी घटनायें घटीं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

इस चर्चा के लिये केवल एक घण्टे का समय निर्धारित है, इसलिये माननीय सदस्यों के बोलने के लिये 5-5 मिनट का समय है । मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग बहुत संक्षेप में अपनी बातों को कहें ।

श्री खैरूल बशर—

मान्यवर, मुझे 10 मिनट दे दीजिये । तो मैं कह रहा था कि आजमगढ़ में दो घटनायें ऐसी शर्मनाक हुई हैं जिसमें पहली घटना 25-1-83 को साढ़े चार या पाँच बजे सिविल कोर्ट, आजमगढ़ में घटीं । एक नाजिर द्वारा घूँस माँगने पर और वकीलों द्वारा उस पर प्रतिरोध करने पर वहाँ की पुलिस ने वकीलों को मारा-पीटा । इस पर कमलाकर सिंह,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री खैरुल बसर]—

एडवोकेट जो कि बार एसोसिएशन की प्रेसीडेन्ट भी है, उसने जाकर डिस्ट्रिक्ट जज से कहा और उन्हें बुला लाया और जज ने उसमें हस्तक्षेप किया कि झगड़ा बन्द करा सकें। इस पर आर. आई. और सी. ओ. नौटियाल अपने दल बल के साथ कचहरी में घुस आये और वहां के कर्मचारियों को उन लोगों ने पीटना शुरु किया और साथ ही जनता को भी मारना-पीटना शुरु किया। और इतनी भयंकर पिटाई की गयी कि दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, लोगों का सामान लूटा गया, ब्रीफ केस लूटा गया जिसके कारण वकीलों को अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करना पड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अपील पर सारे उत्तर प्रदेश की अदालतें बन्द हो गयीं और 4 तारीख को प्रोटेस्ट का दिन था और उस दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था, वकील लोग बार काउन्सिल के सामने चबूतरे पर मीटिंग कर रहे थे, उसी समय आजमगढ़ के एस. एस. पी. चन्द्रभान सत्पथी, सादी वर्दी में पुलिस के लोगों के साथ कचहरी में आये, कचहरी का ताला तोड़ कर हल्ला बोल दिया। लगभग 200 वकील बार लाइब्रेरी में छिप गये। उसमें आग लगाने की कोशिश की। अगर डिस्ट्रिक्ट जज को न लाया जाता तो कई वकीलों की जान चली गयी होती। कई स्कूटरों में आग लगायी गयी, मोटर साइकिलों में आग लगायी गयी, साइकिलों में आग लगायी गयी, तमाम सामान लूटा गया और करीब-करीब एक हजार कुर्सियां जहाँ पर मीटिंग हो रही थी, तहस-नहस कर दी गयी। अगर जज साहब न आये होते तो वकीलों की जान न बचती और जलियांन वाला सीन आ गया होता। डिस्ट्रिक्ट जज को एस. एस. पी. से कहना पड़ा, प्लीज गेट आउट। एस. एस. पी. के साथ वहाँ के डी. एस. पी. भी थे और रोडवेज के थानेदार वहां पर गये थे और पुलिस के सिपाही भी उनके साथ थे। इतनी बुरी तरह से वकीलों को मारा गया, उसको कहा नहीं जा सकता है। मान्यवर, एक लाख 85 हजार का नुकसान हुआ है। दरवाजा तोड़कर वकीलों की फाइलें और मिसलों को लूटा गया और उनमें आग लगा दी गयी और जजों की अदालत में घुस कर चपरासियों को मारा गया, वहां के कर्मचारियों को मारा गया और वहां के पेशकार को मारा गया। आजमगढ़ के राम सिंह राय को मारा गया, दूसरे सीनियर वकीलों को मारा गया।

(सत्ता पक्ष की ओर से और, और, और की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें।

श्री राम आसरे वर्मा—

या तो और-और करने दीजिए या माननीय सदस्य को भाषण ही कर लेने दीजिए।

श्री खैरुल बशर—

इस घटना में एस. एस. पी. के साथ डी. एम. थे, और उनकी मौजूदगी में इतनी मार धाड़ की गयी और लूट पाट की गयी, सामान नष्ट किया गया। मैं इस घटना की निन्दा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि वहां के डी० एम० और एस. एस. पी. को मुअत्तल किया जाय और उनको वहाँ से हटाया जाय तथा इनके खिलाफ मुकद्मा चलाया जाय। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पुलिस विभाग में न रहने दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री दूधनाथ राजभर—

मान्यवर, आज जिस कांड के ऊपर सदन में चर्चा हो रही है।

श्री रियासत हुसैन —

श्रीमन् इस विषय पर जो चर्चा आपने मंजूर की है, मुझे जहां तक याद है यह करीब-करीब नियम 52 के रूप मे चर्चा होती है। ऐसा होता है कि जब मूव हो जाता है तो स्पष्टीकरण भाषण के लिये सत्ता पक्ष की तरफ से मन्त्री जी को बोलना चाहिए ताकि सरकारी पक्ष की बात भी मालूम हो जाय।

श्री अध्यक्ष —

मैं बहुत देर इस बात को देखता रहा। जब चर्चा आरम्भ होती है तो पहले भाषण के बाद मुख्य मन्त्री को यदि वे कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हों तो उन्हें कहना चाहिए था। मैं देख रहा था किन्तु किसी कारणवश वे खड़े नहीं हुए इसलिये मैंने माननीय दूधनाथ राजभर को बुला लिया।

***श्री दूधनाथ राजभर —**

मान्यवर, जो घटना हुई है उसके सम्बन्ध में यहां पर चर्चा हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 25 जनवरी को 5 बजे शाम को आजमगढ़ में जो शुरुवात हुई एक वकील और एक कोर्ट नाजिर के बीच, में उसकी तफसील में नहीं जानना चाहता हूँ लेकिन उसके बाद जो आगे घटना का क्रम चला और जिस ढंग से पुलिस के लोगों ने वहाँ पर निहत्थे लोगों पर लाठी का प्रहार किया गया है उसके सम्बन्ध में हमारे प्रशासन की तरफ से मुख्य मन्त्री जी ने जिस तरीके तुरन्त ऐक्शन लिया है····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

कृपया शांत रहे।

श्री दुधनाथ राजभर —

जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था वकीलों के संगठन की तरफ से जो उनकी डिमान्ड्स रखी गई 'थी' उसे हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और हमारे प्रशासन ने जिस चुस्ती के साथ ऐक्शन लिया है, मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के शासन में इस तरह का प्रोम्प्ट ऐक्शन कभी नहीं लिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी असेम्बली 2 तारीख से बन्द हो गई थी, और हमारे विधायक अपने क्षेत्रों में जा चुके थे, मैं बीमार था 16 तारीख को 9 बजे रात में मुख्य मन्त्री जी दौरे से लौटे। उन्होंने टेलीफोन पर मेरे साथ पौन घन्टे तक बात की। उनको इस बात की बहुत चिन्ता थी और कह रहे थे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैंने उनसे आग्रह किया कि हम वहां पर जाकर देखें और उसके बाद जो उचित समझें कदम उठायें। मान्यवर, मैं दुहाई देना चाहता हूँ और अपने मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ कि 7 तारीख को सवा बजे हम आजमगढ़ के 7 विधायक आजमगढ़ पहुँचे और डाक बंगले से अकेले बिना पुलिस के संरक्षण के मुख्य मन्त्री जी उनके बीच में पहुँचे और सारी घटना को देखने के बाद 25

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दूधनाथ राजभर]—

हजार का अनुदान वकीलों को दिया। जो चार तारीख को घटना हुई थी, वकीलों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि वकीलों के संघ ने, एडवोकेट जनरल और बार कौंसिल के अध्यक्ष तथा हमारे जिले के वकीलों ने जो शर्तें रखीं थीं, प्रशासन ने उनको स्वीकार किया है और कहा है कि यह वकीलों की तौहीन है, पुलिस ने ज्यादती की है उनकी माँगे मानकर वहां के एस० पी० और कलेक्टर को हटाया गया और इस तरह से प्रशासन को चुस्त किया गया। सारी व्यवस्था को कंट्रोल में किया गया। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि इस तरह से जितनी जल्दी मुख्य मन्त्री जी ने इस पर ऐक्शन लिया है, पहले कभी नहीं ऐसा हुआ था। इसके लिये हम सब लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि इस तरह का ऐक्शन पहले नहीं लिया गया और न ही सुना गया है।

*श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर, मैं घटना की गम्भीरता के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को जो घटना हुई है, वह इस सरकार के लिये एक कलंक का टीका है। वकीलों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस ने उनके ऊपर डंडे बरसाये। यह बहुत शर्मनाक बात है। एस० पी० और डी० एम० के नेतृत्व में किया यह बड़ी शर्मनाक बात है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री के साथ कई विधायक गये। अगर उनकी नियत साफ होती तो नेता विरोधी दल से कहते मेरे साथ आजमगढ़ चलिये। इनकी नियत बिलकुल साफ नहीं थी। नियत साफ होती तो किसी विरोधी दल के नेता से कहते कि हमारे साथ वहां चलिये। अगर यही हाल रहा तो अदालतों में न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस चौकियों और थानों में न्याय मिलेगा। यहाँ जो हुआ वह एक बरबर और बहसियानापन था, एस० एस० पी० और डी० एम० का। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से चाहता हूँ कि अगर आप न्यायपालिका को फ्री रखना चाहते हैं तो एस० एस० पी० और डी० एम० को पहले टरमिनेट कर दीजिये और उसके बाद जाँच कराईये। आपकी नियत बिलकुल साफ नहीं है। आप चाहते हैं कि इस देश और प्रदेश में न्यायपालिका पर आपका अंकुश लग जाय। आपकी मर्जी के मुताबिक डंडे चलाये गये, लाठियों की शुरुवात की गयी। मैं इसकी निंदा करता हूँ। आप सबसे पहले एस० एस० पी० और डी० एम० को सस्पेंड कर दें।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, 25 ता० की जो घटना हुई और 4 ता० की जो घटना हुई दोनों के लिए सबको दुख होना चाहिये। जनतंत्र में जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, उसमें पक्ष और विपक्ष के हिसाब से नहीं देश और प्रदेश के हित को ध्यान में रख कर विचार किया जाना चाहिये। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को और सरकार को इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने 25 ता० की जो घटना हुई, उसके लिए पहली तारीख को रिजर्व पुलिस के इंसपेक्टर को निलम्बित कर दिया तथा डी० वाई० एस० पी० कोतवाल का ट्रांसफर कर दिया। 4 ता० की घटना के लिए भी समुचित कार्यवाही की गयी। जो टूटफूट हुई थी उसके लिए 25000 रुपया अनुदान दिया गया। इसके अलावा जहाँ हमारा न्याय में विश्वास है, हम उसी के आधार पर जनतंत्र को जलाना चाहते हैं। इसलिए न्यायिक जांच के आदेश भी सरकार ने कर दिये। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 25 ता० की घटना स्पोन्टेनियस हो सकती है लेकिन 4 तारीख की घटना एक सुनियोजित षडयंत्र का परिणाम है। हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका वहां पर स्थानीय स्तर पर प्रभाव है और ये दल जातिवाद में पनपे हैं। उन लोगों को हरिजनों का वोट नहीं

मिलता है। इससे इस दल के लोग हरिजनों के विरुद्ध रहते हैं। जब कभी कोई डी० एम० हरिजन जाता है तो यह उनके गले नहीं उतरता है। वह कोई न कोई परिस्थिति पैदा कर देते हैं जिससे वह हटाया जाय। उसमें हमारे चाहे वह इन्द्रजीत यादव की पार्टी के हों या लोकदल के हों या भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी के साथी हों वे हमेशा ऐसी परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जिससे आमगढ़ का प्रशासन उस समय न चले। वहां पर यह लोग हरिजन को जिलाधीश के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते हैं यह निश्चितरूप से सही दिशा नहीं कही जा सकती है दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के इतिहास में शायद ही ऐसी कोई दूसरी घटना हुई हो कि कहीं पर बार एसोशियेशन ने किसी पुलिस अधीक्षक का अभिनन्दन किया हो। आजमगढ़ की बार एसोसियेशन ने उस एस० एस० पी० का अभिनन्दन किया था जिसको आज खराब बताया जा रहा है। (व्यवधान) उसने जब से वहां कार्यभार संभाला तभी से जो ऐंटी सोशियल एलीमेंट, क्रिमिनल इसके विरुद्ध थे। दूसरे जो लोग प्राइवेट बस आपरेटर्स हैं जिसके विरुद्ध उसने एक महीने पहले कार्यवाही की इन सबने मिलकर ऐसी परिस्थति पैदा कर दी। मेरी वकीलों से हमदर्दी है, वह बुद्धिजीवी हैं। उन्हें न्याय मिलना चाहिये। न्यायपालिका के अधिकारों की रक्षा करना हमारा सबका कर्तव्य है। लेकिन वकील इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। उसी क्रिमिनल, एन्टी-सोशियल एलीमेंट तथा प्राइवेट बस आपरेटर और हरिजन विरोधी राजनीतिज्ञ इसमें शामिल हो गये हैं उन्होंने एक अराजकता की स्थिति पैदा कर दी।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जन भावना का आदर किया है और जो फैसला किया है उतना बड़ा फैसला इतिहास में कभी नहीं हुआ। गोरखपुर की जेल में, जनता पार्टी की सरकार के समय अध्यापकों के ऊपर जो लाटी चार्ज किया गया था और अध्यापकों का उसमें कितना खून बहा था, उसके सम्बन्ध में आपकी पीठ पर उस समय के अध्यक्ष श्री बनारसी दास ने कहा था कि आजादी के बाद इतना बड़ा लाठी चार्ज जेल के अन्दर उन्होंने नहीं देखा है लेकिन फिर भी उन्होंने न्यायिक जांच नहीं कराई थी जबकि हमारी सरकार से इसमें न्यायिक जांच बिठायी है जिसके लिये मैं पुनः अपनी सरकार को बधाई देता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

व्यवस्था का प्रश्न है कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव पिछले दिन जो दिये गये थे और उसमें जिन-जिन घटनाओं का जिक्र किया गया था, उसको देख लें, उसमें दिये गये नामों को देख लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं नामों को मैंने देख लिया है।

श्री जटा शंकर सिंह—

मान्यवर, आजमगढ़ में जो घटना हुई, दो घटनायें हुई, उनके सम्बन्ध में पूर्व वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और अपने अपने विचार प्रकट करते हुए घटनायें भी बतायी हैं। मान्यवर, स्थिति कुछ ऐसी है, हम यहां महसूस कर रहे हैं कि जिस माहौल में चर्चा को प्रारम्भ किया, उधर से जो आवाजें हुई पहले और बाद में

[श्री जटा शंकर सिंह]—

इधर से तो यह चर्चा की गंभीरता को और वहां पर हुई घटना की गंभीरता को कम करके दिखा रही हैं। इसलिये ध्यान में रखना चाहिये कि यहां हम सभी सदन में बैठकर जो करते हैं उसको दीर्घाओं में बैठी जनता देखती है और हमारे कृत्यों को पत्रकार भी समाज में उजागर करते हैं। इसलिये सवाल है कि जो वहाँ हुआ उसको न तो सत्ता पक्ष पर थोपने की आवश्यकता है कि सत्त पक्ष पुलिस का एक वकील बनकर यहाँ बैठा है यह मान-कर चलने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ सत्तापक्ष को भी यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि पुलिस प्रशासन उसका जरूर है लेकिन पुलिस के अन्दर निहित स्वार्थ अथवा किसी दुर्भिसन्धि में शामिल होकर गलत काम करने वाले पुलिस के लोगों को संसक्षण नहीं मिलना चाहिये, यह मानकर इस सदन में व्यवहार करने की आज आवश्यकता है। सवाल राजनीतिक दलों के स्वार्थ का नहीं है बल्कि सवाल यह है कि पुलिस के अन्दर कुछ तत्व ऐसे हैं। जिनका एकमात्र उद्देश्य है कि पैसा कैसे वसूला जाय, आज यह पुलिस का लक्ष्य बन गया है। आई० जी०, डी० आई० जी० और ऐसे ही अधिकारियों की एक फौज खड़ी हो चुकी है जिसको एक बहुत बड़ा बजट देते चले जा रहे हैं लेकिन स्थिति यह होती जा रही है कि आज मा० सदस्य, वकील और बुद्धजीवी लोग सुरक्षित नहीं हैं और कभी कभी पुलिस द्वारा किये गये गलत कृत्यों को सही साबित करने में उनके अधिकारी मिलकर गलत (तथ्य से परे) बयान दे देते हैं और यहाँ मंत्री जी उनके गलत बयान पर स्टेंड करने की कोशिश करते हैं तो यह कदापि ठीक नहीं है।

चूँकि यहाँ हम पुलिस का विरोध या समर्थन करने के लिये चुनकर नहीं आये हैं बल्कि यहां हम जनता के सही अधिकारों को दिलाने, उनकी स्वतन्त्रता एवं जानमाल की रक्षा करने और उनके रहन सहन की ठीक व्यवस्था की जिम्मेदारी लेकर आते हैं और इस बात को ध्यान में रखें तो आजमगढ़ में जो कुछ भी हुआ है, वह निश्चित रूप से वकीलों के साथ अन्याय हुआ किन्तु दोनों घटनाओं में पहली घटना वैसी और दूसरी 25 जनवरी की घटना सुनियोजित कहने की आवश्यकता नहीं हैं बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस के लोगों ने पहले जो किया वह पैसे उगाही के लक्ष्य को सामने रखकर किया, दूसरी घटना प्रतिशोधजन्य है। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह पैसे उगाही का सवाल नहीं है बल्कि कानून और शांति व्ववस्था एवं न्याय का सवाल है। पुलिस के सामने आज लक्ष्य धन वसूली का है चाहे 5 रुपया हो या 20 रुपया हो उसका लक्ष्य लेकर, इस छोटी-सी घटना को लेकर पुलिस के चन्द लोगों ने इकठ्ठा होकर वकीलों पर जिस प्रकार से निर्ममतापूर्वक प्रहार किया और जिला प्रशासन इस घटना को गम्भीरता के साथ नहीं ले सका। इस काण्ड के लिये पुलिस और प्रशासन की जितनी निन्दा की जाय, कम है। मैं यह नहीं कहता कि इस घटना के बारे में मुख्य मन्त्री ने कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन इस दायित्व का निर्वहन उन्होंने देर में किया। यदि यह इसे 25 जनवरी के पहले कर दिये होते और उसे जिला प्रशासन ने गम्भीरता से लिया होता और निश्चित रूप से स्थिति का सही आकलन कर लिया होता तो यह परिस्थिति सामने न आई होती। इसलिए हम विपक्ष के लोग बड़ी विनम्रता से मुख्य मंत्री जी से मांग करते हैं कि इस प्रकार की घट-नाओं में, जिसमें पुलिस का किसी प्रकार का गलत हाथ हो, दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। आशा है मुख्य मंत्री जी इसके लिए सदन में वचन देंगे और भविष्य में इसे ध्यान रखेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कि आपने चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

*श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, 25 जनवरी को आजमगढ़ दीवानी न्यायालय में जो घटना हुई, आज वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इतिहास के पन्नों में सुरक्षित है। एक कोर्ट नाजिर और वकील का झगड़ा होता है, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, इस बात का फैसला अभी होना है। तब तक रिजर्व पुलिस लाईन में सायरन बजाता है– जैसे कि किसी शहर में आग लग गयी हो या बाहर के लोग आकर शहर को लूट रहे हों। रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर अपने आदमियों के साथ वह चाहे वर्दी पहने हों या बिना वर्दी में हों, जो डण्डे व हाकियों आदि से लैस थे, जिला न्यायालय के प्रिमिसेस में आता है और बिना इस बात का ख्याल किये हुए कि किस वकील से झगड़ा हुआ, उस वकील की क्या गलती थी या सिपाही की क्या गलती थी, वह सारे वकीलों को—जिसमें 70-80 साल के वृद्ध वकील भी थे, सभी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। इन पिछले वालों में कितने आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अफसरों, प्रिंसिपल और मास्टरों के पिता लोग थे। उनको बेरहमी से हाकियों द्वारा मारा गया, मार कर ढेर कर दिया गया। इस पर दोनों पक्षों की ओर से क्रास एफ० आई० आर० हुई। मुख्य मंत्री जी के समक्ष यह मामला लाया गया। आजमगढ़ के वकीलों ने एक तरफ हड़ताल का नारा दिया और उनका साथ न केवल आजमगढ़ के वकीलों और जनता ने, बल्कि पूरे प्रदेश और सारे देश के दूसरे न्यायालयों के वकीलों ने दिया। और उन्होंने कहा कि जो हुआ यह ठीक नहीं हुआ और मुख्य मन्त्री जी से भी बार की ऐक्शन कमेटी के सदस्य मिले। तो उसमें मैं भी था, उन्होंने बहुत गौर से हमारी बातों को सुनकर जो सबसे अच्छा फैसला हो सकता था, शीघ्रता से निपटाने के लिए, किया। यह मानते हुए उन्होंने फैसला दिया कि आर० आई० का यह जूरिस्डेक्शन नहीं था, उनका इसमें कोई दायित्व नहीं था, और उसने बिना गुण-दोष देखे हुए वहाँ जाकर हाकियां चलवाईं। उन्होंने उसमें बहुत सख्त ऐक्शन लिया, उस आर० आई० को निलम्बित करके बाकी लोगों का ट्रांसफर कर दिया।

इस तरह से और वकीलों को समझा बुझाकर उन्होंने बहुत ही उचित कदम उठाया और वकीलों ने भी अपने संगठन बल का कभी फायदा नहीं उठाया। जैसा ट्रेड यूनियन करती है, वैसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने न्याय का रास्ता अपनाया। और संगठन अपने संगठन बल पर बड़े विकृत ढंग से काम करते हैं। वहाँ के वकीलगण और संबंधित लोग जब बार कौंसिल के सदस्यों और दूसरे वकील संगठन के सदस्यों के साथ–सुल्तानपुर, बलिया, गाजीपुर आदि के लोग स्थिति पर विचार कर रहे थे और एक फैसला कर रहे थे, उस आहाते में जो कुछ हुआ है, उसे मैं बताना चाहता हूं। वह विचार कर रहे थे कि जो कुछ हुआ है उस पर हमारे प्रशासन ने हमारी बात को सुना है, और उसने सही मौके पर सही ऐक्शन लिया है, तो हमारा कर्त्तव्य है कि हम अपनी हड़ताल को, अपने ऐक्शन को वापस ले लें, इस बात का वह फैसला ले रहे थे, उसको डिमोकेटिक रूप दे रहे थे कि हम अपनी हड़ताल को काल-आफ कर दें। मान्यवर, वहीं यह दूसरी घटना 4 फरवरी को हुई और ऐसे लोगों से हुई, उनको नीचता का प्रमाण इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने हमारे मस्तिष्क में भी विष भर दिया और आज सदन में कहने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। वहाँ के एस० एस० पी० ने अनएथोराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन बन्द करा दिया था। उनकी फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट के अनुसार चूँकि वकीलों ने इधर के जाने वाले लोगों को रोका था, मान्यवर, कहा यह जाता है कि अनएथोराइज्ड आपरेटर्स नाराज हो गये थे, इसलिए यह सारा काम हुआ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि गाड़ियां अगर किसी तरह से मुख्य मन्त्री जी या परिवहन सचिव या परिवहन मंत्री के आदेश से बन्द कर दी गयी थीं, तो इसमें पुलिस का घाटा था। जहां पर हजारों रुपये लेकर गाड़ियां वे चलवाते थे और यह कहा जाय कि गोंडा, बहराइच जाने वाले यात्रियों पर दो हजार वकीलों ने प्रहार

[श्री राज कुमार राय]—

किया था। अगर इसको मान लिया जाय कि 25-1 को घटना हो चुकी थी, माननीय मुख्य मंत्री का आदेश है, ट्रान्सफर का, सस्पेंशन का, प्रशासन ने इन सारी घटनाओं को गम्भीरता से लिया है। जहाँ पर मान्यवर, वे मारने आते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर वे मारने के लिये आये थे, तो पुलिस वहाँ क्या कर रही थी ? एस० एस० पी० सिगरेट पीकर कह रहे थे कि कहिये जज साहब फायर बिग्रेड मंगवा दें, तो वहां की पुलिस क्या कर रही थी ? किस को पकड़ा ? किसी का असलहा पकड़ा ? वहां पुलिस क्या कर रही थी ? अगर पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही थी, तो यह पुलिस की साजिश थी कि उसमें अनएथोराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन का बहाना लेकर यह करवाया ?

मान्यवर, इस तरह से जो कुछ हुआ, जहां हरिजन ही डी० एम० की बात है, वह निश्चित ही हरिजन हैं, मान्यवर, डी० एम० के प्रशासन में यह सब हो रहा था और डी० एम० चुप बैठा रहा। वहां के वकीलों का डेलीगेशन माननीय मुख्य मन्त्री से मिला। चीफ जस्टिस की रिपोर्ट मुख्य मंत्री जी को आ गयी। इधर-उधर चुगली खाने वाले लोग भी मिल गये। जिले का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है, उसने अपनी रिपोर्ट एस० एस० पी० के साथ ज्वाइन्टली भेजी। तो उस रिपोर्ट में अगर सारी खूबी एक जगह हो, तो भी मुझे उसमें खामी नजर आती है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने जाकर मौके पर देखा है। विरोधी दल के नेता माननीय राम नरेश यादव, वहाँ पर थे, माननीय राम धनी वर्मा, माननीय चन्द्रजीत यादव वहां पर थे। किसी भी विरोधी पार्टी का आदमी ऐसा नहीं है जो वहां न रहा हो और जिसने वहां पर लगी आग में अपनी रोटी सेंकने का काम न किया हो। वह लोग इसमें चाहते थे कि हम इसी में सबको प्लान्ड वे में सान दें। माननीय मुख्य मन्त्री स्वयं अपने अधिकारियों के साथ और जितने विधायक उपलब्ध थे, दो हेलीकाप्टर के साथ वहाँ पर गये। कुर्सियाँ वहां पर टूटी पड़ी थीं, दरवाजे तोड़े गये थे। सबसे पहले माननीय मुख्य मन्त्री ने 25 हजार रुपये उस फर्नीचर को ठीक करवाने के लिये स्वीकार किये और कहा कि पहले आप अपनी कुर्सी ठीक करवा लें। मान्यवर, यहां पर जब भी माननीय मुख्य मन्त्री ने वकीलों का प्रतिनिधि मण्डल मिला है, उन्होंने सही काम उनकी बातें सुनी और आश्वासन दिया।

मान्यवर, कांग्रेस के लोगों के बाजू में कूबत है, हाथों में ताकत है। वह न्याय करना चाहते हैं और चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वह सोचता है, न्याय के साथ नहीं करना चाहता है तो पूरी तरह से निपटना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राज कुमार राय—

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(मेजों के थपथपाने की आवाजें)

[समय 5 बजकर 50 मिनट]

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आजमगढ़ की शर्मनाक घटना के बारे में जो तथ्य और जो भाव पक्ष

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों ने प्रदर्शित किये हैं उन पर किसी तरह का विवाद नहीं है। बुनियादी प्रश्न वह होता है कि आज पूरे प्रदेश में न्यायपालिका से संबद्ध लोग चाहे वह अधिवक्ता हों या न्यायाधीश हों, उनके विरुद्ध पुलिस की निरंकुशता देखने को मिल रही है। यह सारे प्रदेश के लिये बुनियादी प्रश्न बन सकता है। मैंने अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव में संकेत भी किया था। 2 दिसम्बर को जो घटना हुई, हजरत गंज के चौराहे पर एक ट्रैफिक का कांस्टेबिल एक रिक्शे वाले को बेरहमी से पीट रहा था। उधर से अधिवक्ता गुजरते हैं, वह रुक जाते हैं और कहते हैं कि यह ज्यादती क्यों कर रहे हो रिक्शे वाले के साथ, तो कोतवाली से पुलिस आ जाती है और अधिवक्ताओं को और रिक्शे वाले को गालियाँ देते हुए कोतवाली ले जाते हैं। हाईकोर्ट के जस्टिस श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव जी भी वहाँ से गुजर रहे थे, उनको भी भद्दी-भद्दी गालियां दी गयीं। जिससे हाई कोर्ट के वकीलों में रोष व्याप्त हो गया और बार एशोसियेशन की बैठक हुई और तीन-तीन बार उनका प्रतिनिधि मंडल मुख्य मन्त्री जी से मिला इस आशा से मिला कि मुख्य मन्त्री जी हम पेशावर हैं उनकी तकलीफ को बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ, उसके बावजूद भी कोई राहत मुख्य मंत्री जी नहीं दे सके। प्रतिनिधि मण्डल पुलिस अधिकारियों से भी मिला लेकिन उन्होंने कोई राहत नहीं दी। तो इस सिलसिले में आजमगढ़ भी जुड़ गया। मैं आजमगढ़ के बारे में कुछ चित्र माननीय मुख्य मन्त्री जी के सामने भिजवा दूँगा। क्योंकि मुख्य मन्त्री जी वहां बाद में गये। यह उसके पहले के चित्र हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि जो कार्यवाही की गयी। उससे हो सकता है कि सत्ता पक्ष और शासन के लोग सन्तुष्ट हों, लेकिन प्रदेश की जनता, बुद्धिजीवी वर्ग को संतोष नहीं है।

मुख्य मंत्री आजमगढ़ गये थे तो यह बातें सुनने के बाद, वह भी एक एडवोकेट हैं, बार काउंसिल के सदस्य हैं, जब यह देखा कि बार काउंसिल से उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है, आज मुख्य मंत्री हैं, कल न रहें, इसी पेशे में जायेंगे दूसरा पेशा नहीं है, उस पेशे में जाने लायक नहीं रहेंगे, यह खतरा जब आ गया तो मुख्य मंत्री आजमगढ़ गये।। मैं आपका ध्यान घटनाक्रम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हरदोई में भी ऐसी घटना हुयी। वहां पर पुलिस की निरंकुशता बढ़ गयी, जिन मकानों में एडवोकेट रहते हैं, उनको मकान खाली कराने के लिये एडवोकेट्स को गिरफ्तार किया गया और हथकड़ी लगाकर जेल भेजा है। तो यह एक सिलसिला कायम हो गया है।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह आज बुनियादी प्रश्न के रूप में यह प्रश्न आ रहा है, इसका समाधान निकालने की आवश्यकता है। आजमगढ़ की घटना से पूरे प्रदेश में कई दिन अदालतों का कामकाज बंद रहा और प्रदेश भर में अशांति पैदा हुयी। इस घटना ने इस प्रदेश में अशांति की लहर पैदा की है। यह सवाल ऐसे हैं जो सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच मतभेद के नहीं। मान्यवर, जब-जब प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कोई भी प्रयास किये जाते हैं, सत्ता पक्ष की ओर से,मैं समझता हूँ विरोध पक्ष कोई व्यवधान पैदा नहीं करता है और न उसमें अवरोध करता है। आज मैं इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी से अश्वासन चाहूँगा कि जो जगह-जगह घटनाएं हुई हैं, लखनऊ की घटना का मैंने जिक्र किया है उसके संदर्भ में, जितनी घटनाएं हो रही हैं, न्यायपालिका पर पुलिस की निरंकुशता का हमला हो रहा है, उस हमले को रोकने के कौने से उपाय उनके पास हैं, इस बात से इस सदन को अवगत करा दें।

***श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—**

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आजमगढ़ की सम्पूर्ण दुर्भाग्यिपूर्ण घटना पर सत्य बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं। श्रीमन् जो चीजें आयी हैं, उनको मैं संक्षेप में कहूँगा। अगर एक-आध मिनट ज्यादा लग जाय, तो समय बढ़ा दीजिएगा। उसमें सत्यता यह है कि 25 तारीख को एक दुर्घटना हुई पुलिस और वकीलों के साथ। उसके बाद वकीलों ने अपने ढंग से उस चीज के निराकरण हेतु प्रयत्न शुरू किये। 27 तारीख को श्रीमन् बीस सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग थी, बच्चा पाठक जी भी गये थे। लेकिन उस समय हम लोगों ने इस घटना से दुखी होकर उस मीटिंग को रद्द कर दिया कि जो आज वहाँ पर वकीलों के साथ हुआ, उनको जो कष्ट पहुँचा है, उसके सम्बन्ध में उनसे मिला जाय और मिलने के बाद कोई समझौते का रास्ता निकाला जाय। हम लोग उनसे मिले, और जो कुछ घटित हुआ था, उस पर हम लोगों ने उनसे विचार-विनिमय किया। हम लोग ने उनसे मिलकर समस्या का समाधान कराया। जज साहब के पास भी हम लोग गये, उनसे पूरी घटना सुनी। बच्चा पाठक जी भी मौजूद थे। वहां पर वकील लोग इकट्ठा हुए थे, वहां मैं, बच्चा पाठक जी और श्री पंचानन राय जी गये, उनकी सारी मांगों और उनकी सारी व्यवस्था को सुना और देखा और उनके दुख के साथ अपने को सम्बद्ध किया। इसके बाद यह किया गया, बच्चा पाठक जी ने कहा कि मारी रिपोर्ट हम आज ही मुख्य मंत्री जी को सुपुर्द करते हैं और आपके प्रति हमें सहानुभूति है, उसको हम प्रदर्शित करेंगे। 11-12 बजे रात को बच्चा पाठक जी ने मुख्य मंत्री जी को टेलीफोन किया और कहा कि सारी व्यवस्था आपके अधिकार के लिए छोड़ दी गयी है। इसके बाद यहां से गये। गृह सचिव जैसा व्यक्ति, अगर कोई मर जाय तो 2-4 दिन में जबाब देते हैं।

फिर दूसरी घटना 4 तारीख को हुई। लेकिन एक बात को सोचना है आपको कि यह जो घटना हुई, वकील पढ़े लिखे सीधे-साधे आदमी होते हैं तो उसको ठीक तरह से सुलझाना चाहते थे, मैं सत्यतापूर्वक कह रहा हूँ कि वहां की लोकल पार्टियां इस घटना के बाद से सक्रिय हो गयीं। कितने लड़कों को लेकर सामने आते थे कभी रामनरेश जी का लेक्चर हुआ, कभी चन्द्रजीत का भाषण हुआ, और कभी कम्युनिस्टों का प्रदर्शन हुआ। यह सारी बातें उस बीच में घटी। इसके बाद जब वहाँ मुख्य मंत्री जी गये, हम लोग चाहते थे कि वे मालिक हैं, और वे इसका निपटारा करें। सारी चीजें उनके सामने रख दी गयीं। एक अच्छे से अच्छा निर्णय जो हो सकता था, उसको मुख्य मंत्री जी ने किया और यथोचित व्यवस्था वहां करायी। मैं यह कह रहा हूँ कि कौन-सी बात सही है, कौन सी गलत बात है, कौन आगे मारा, कौन पीछे मारा, तो इस पर न्यायिक जांच चल रही है। उसको मैं नहीं समझता हूँ कि सदन में रखा जाय। हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने उसी गलती के नाते अधिक से अधिक वकीलों की मनोभावना और जन भावना का आदर करते हुए बड़े से बड़ा निर्णय लिया है। मैं कह रहा हूँ कि 25 और 4 तारीख की घटना के पहले वहाँ के जिलाधिकारी और एस०पी० ने जो जन सेवा की है उसके बारे में किसी वकील को कोई शिकायत नहीं थी। इसको भूलना नहीं होगा आजमगढ़ ऐसी जगह है जहाँ सामाज्य आपका है वहाँ की चोरी डकैती और सारी वारदातों को रोका। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उनको दण्ड न दिया जाय। उन्होंने गलती किया उसके नाते माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको दण्ड दिया। यह बात सही है वहाँ पर वकील यह प्रयास कर रहे थे कि मामले को ठीक तरह से सुलझाया जाय। लेकिन आजमगढ़ में जनसंघ, लोकदल और जनता पार्टी के वकील मौजूद हैं। वह सही तरीके से काम करना चाहते थे लेकिन वह लोग करने नहीं देना चाहते थे। मैं पूछ रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यम से मैं पुलिस की गलती 25 और 4 तारीख की स्वीकार करता हूं और उसी के नाते दण्ड दिया गया है लेकिन जनसंघ, लोकदल और कम्युनिस्ट के लिये यह तमाशा हो गया, उन्होंने इसको उभारा है। उन्होंने लड़कों को उभारने का काम किया। किन्तु हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने और अधिकारियों ने उनकी भावना को देखते हुए उचित से उचित सहायता दी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष—

इसको 6 बजे समाप्त होना था··· ?

श्री रियासत हुसैन—

10 मिनट के लिये बढ़ा दें नियम 56 में जो नोटिस दी गई, उस पर हर पार्टी के एक-एक सदस्य को सुन लें क्योंकि हर पार्टी पर अलग आरोप आ रहा है।

श्री अध्यक्ष —

मेरे पास प्रस्ताव नहीं आया है।

श्री रियासत हुसैन —

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस विषय पर चर्चा के लिये सदन का समय 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय।

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र) —

आपके 10 मिनट के प्रस्ताव का मैं अपनी तरफ से स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि इस विषय पर चर्चा के लिये सदन का समय 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री रियासत हुसैन —**

आजमगढ़ में श्रीमन्, गम्भीर घटना हुई है। उसमें कोई दो राय नहीं है उस घटना की गम्भीरता को देखते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो काम किया है इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। परन्तु मुख्य मंत्री जी 4 बिन्दु उठते हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस घटना के सम्बन्ध में माननीय राजकुमार राय ने काफी विस्तार मे कह दिया है, इसको दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पहला बिन्दु यह है कि क्या पूरे प्रदेश में जो मुलजिम की रिहाई का परवाना जारी होता है। मुलजिम का वकील प्रयास करता है कि मुलजिम जल्दी जेल से बाहर आये, वह पैरवी करता है। यह साढ़े 4 बजे की घटना है। कोर्ट नाजीर द्वारा आजादी का परवाना देने में देरी होने के बाद यह उपद्रव हुआ। तो क्या आप इस चीज को कि रिहाई का परवाना कोर्ट मुहर्रिर या कोर्ट नाजिर को जो अधिकार है, 20 या 50, जैसा भी हो, उसको नियमित करने जा रहे हैं ताकि आगे इस तरह के झंझट न उठें।

---

* वक्ता ने भाशण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]—

दूसरी चीज, संविधान के अन्दर जो देश के हर आदमी को शान्तिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट करने का अधिकार प्राप्त है, तो इस देश के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे बिरादरी को, जो वकील हैं, एडवोकेट हैं आप का भी सम्बन्ध है, क्या उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार, शान्तिपूर्वक ढंग से, देंगे या नहीं ?

तीसरी चीज, इससे यह निकलती है कि आपने अपने आर्डर से वहां के एस.एस.पी. को जो सतपथी हैं, ट्रांसफर कर दिया । तो क्या इस तरीके की घटनाओं के बाद आपकी यह पालिसी है कि जो भी अधिकारी पुलिस के इस तरह से घटनायें करें, वहां से तो हटायेंगे लेकिन प्रमोशन अवश्य देंगे ? इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आजमगढ़ के एस०एस०पी० जब गोरखपुर के एस०एस०पी० बनाकर भेजे जाते हैं तो यह प्रमोशन है या डिमोशन ? यह सोचने की बात है कि जो भी पुलिस का अधिकारी प्रमोशन लेना चाहे, अच्छी जगह जाना चाहे, इसी तरह की घटनायें कर दे और उसके कारण जो एक्जीक्यूटिव है, आप का प्रशासन है, आपके संरक्षण से और उसे तरक्की की जगह मिल जाय । अगर यह प्रथा सोचने की उठी पुलिस कर्मचारियों में तो बड़े दुःख की बात होगी । तिसाल के तौर पर एस०एस०पी० की बात है । आपको याद दिलाऊ मेरे थाने में आर०पी० सिंह को 12-14 घण्टे के अन्दर हटाने के आदेश दिये, हटा दिये गये, परन्तु जिले के अधिकारियों ने, जिसके खिलाफ दो-दो विजिलेंस की इन्क्वायरी चल रही है, प्रमोशन दे कर दूसरी जगह का इंचार्ज बना कर भेज दिया । थानेदार की भी मिसाल सामने है । तो जो सजा देते हैं वह प्रमोशन की शकल में देते हैं या डिमोशन की शकल में ? इन चार चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इंगित करना चाहता हूँ ।

*श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बहुत थोड़ी-सी कुछ बातें कहना चाहता हूँ । सर्वप्रथम तो मैं यह निवेदन करूँगा कि इस घटना की न्यायिक जांच, उच्च न्यायालय के स्तर के न्यायाधीश से कराने के आदेश हो चुके हैं । इसलिए इस घटना पर, कैसे घटना घटी, क्या सन्दर्भ है, क्या बात है, सारी जांच चूँकि न्यायिक जांच में आ गयी है, उस संबंध में कुछ सही कहूँगा ।

दूसरी बात, कुछ कहने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे तो हर माननीय विधायक जिस तरह से चाहे अपनी बात कह सकता है लेकिन यह कहना कि मैं इस डर से गया कि बार कौंसिल से मैं निकाल दिया जाऊँगा, मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं इतने तरह के काम में लगा हुआ हूँ कि मैं, खेतिहर हूँ, मैं बेंच में रह चुका हूँ, बार में रह चुका हूँ, मैं आपकी जगह बैठ चुका हूँ, इस जगह पर बैठ चुका हूँ, मुझे दुनिया से कहीं भी निकाल दिया जाय, मुझे इसका डर नहीं है ।

दो-तीन बातें कही गयी हैं । घटना जो भी हुई, उस की मैं आज आप सब के साथ पूरे सदन के साथ, उसे दुर्घटना कहता हूं, उसकी निन्दा करता हूं । साथ ही साथ कोई भी घटना होने के बाद क्या किया जा सकता है । प्राम्पटली, तत्काल उचित कदम उठाया गया । मैं नहीं, इसको आप पर छोड़ते हैं कि आप इसका निर्णय लें कि घटना की सूचना मिलते ही शासन ने हर कदम उठाया या नहीं । घटना न हुई होती, बहुत संभव था, इसके लिये एक चीज को उठाने की जरूरत है, वह है नैतिकता । उसको उठाना आपके, हमारे बस में नहीं है, अन्यथा घटना न हुई होती । यह बात ही नहीं होनी चाहिये जहां पर घटना शुरू हुई ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी बात हमारे नेता, जनता पार्टी ने कोर्ट मुहर्रिर के सम्बन्ध में कहा। जहां तक न्यायालय के प्रकरण का संबंध है, कोर्ट मुहर्रिर अदालत की इस मदद के लिये होता है कि जो कार्य पुलिस से संबंधित या पुलिस के प्रासीक्यूशन विभाग से संबंधित हों, उनको अदालत के सामने लायें और जो कार्यवाही अदालत की हो, उसकी सूचना, उसके आदेश पहुँचाये। कहीं भी वस्तुतः रिहाई को रोकने या भेजने में उसके अधिकार नहीं हैं। यह सत्य है कि वह परवाना वह जारी नहीं करता है लेकिन वह ले जाने में तेज चल सकता है, धीरे चल सकता है, जल्दी भाग सकता है। इसमें जो भ्रष्टाचार की प्रक्रिया है, वह इतनी बारीक है और इतने लोग शामिल हैं कि सबको इसमें निकाला जाना, बन्द किया जाना, कायदे कानून से सम्भव नहीं। नैतिकता का प्रश्न है।

मैं कहना चाहता हूँ कि आज की जो स्थिति है उस स्थिति में वास्तव में कोई नामदार वकील, जो अपने को समझता है, वह इस तरह से छुड़ाने का काम मजबूर होकर करता है, नहीं तो हाथ नहीं देता। मुकदमा आगे बढ़ता है तब उसमें पड़ता है। ऐसे कामों की प्रक्रिया दुरुह हो गयी है, खराब हो गयी है। सवाल उठाया है कि अधिकारी ऐसा करेगा तो आप उसका प्रमोशन करेंगे, बड़ी जगह चला जायेगा। तो इस तरह से क्या प्रोत्साहन देते हैं मुझको इतना कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है। डेढ़ दो वर्षों तक यह अधिकारी जो वहां कार्य करता रहा, शासन की निगाह में, जनता की निगाह में, इसकी प्रसंशा होती रही। हो सकता है किसी कोने से उनकी बुराई आई हो, लेकिन काम के आधार पर उनकी प्रशंसा थी। इस हालत में एक दुर्घटना हुई। जहांतक कलेक्टर का प्रश्न है जितनी सारी रिपोर्टें थीं कहीं कलेक्टर का नाम नहीं था कि कलेक्टर ने कुछ किया है। असावधानी का दोषी था। जहांतक एस०एस०पी० की बात है, इस सम्बन्ध में, जैसा कहा हमारे माननीय सदस्य ने ऐसी बात बताई कि वह सिगरेट पीता रहा। आपसे भी और सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ गया, जिस परिस्थिति में यह घटना हुई, उस दिन एक मन्त्री मौजूद थे, विधायकों के साथ वहाँ गये और उन्होंने समाधान करने का प्रयास किया।

मुझे सूचना मिली। सूचना मिलते ही, यह माननीय राजकुमार राय मेरे पास आये और कहने लगे कि एक साहबान आपसे मिलना चाहते हैं और तत्काल मैं उनसे मिला। और जो साहबान मिलना चाहते थे, मैं यह कहूँगा कि उन्होंने बात बहुत गम्भीरता से रखी, बहुत ढंग से रखी बावजूद इसके कि उनका सम्पर्क विरोधी पार्टी से भी था। जो प्रेसीडेन्ट थे व विरोधी पार्टी के थे। वह दूसरे मिलने जो आये थे वह भी विरोधी पार्टी के थे। वहां कांग्रेस के लोग भी थे और विरोधी पार्टी के लोग भी थे, एक बहुत सन्तोषजनक हल निकला और हल निकलकर चला गया।

दूसरी घटना हुई, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मैं बार काउन्सिल से निकाल दिया जाऊँगा। आप यह बतायें कि आप मामला सुलझाने गये थे। एक वकील वहां आमरण अनशन पर बैठा है, जो 10 वर्षों से आजमगढ़ में नहीं है, वह इलाहाबाद चला गया, परन्तु वह आमरण अनशन के लिये आया और आमरण अनशन पर बैठ गया और एक छात्र नेताओं का जमघट लगा दिया। दूसरी पार्टी के नेता वहां के बोले कि हम क्या करते, जब वह बोल रहे थे, हम सोच रहे थे कि ये बोलकर चले जायं तब हम अपना मामला तय कर लेंगे। हम तो उसे सुलझाने में लगे परन्तु कुछ लोग उसे उलझाने में लगे रहे। जब मैं वहां गया हूँ तो एक जलूस निकल रहा था। मैं नहीं जानता कि वह भीखा लाल जी का था, सी०पी०आई० का था, परन्तु वहां पहले से ही हलचल थी।

श्री भीखा लाल—

7 फरवरी को हमारा जलूस पूरे सूबे में था।

श्री श्रीपति मिश्र—

जब मैं हेलीकाप्टर से गया हूँ तो पहले मेरा यह प्रोग्राम था और यही बात तय हुई थी कि हम डॉक-बंगले में जायेंगे और वहां ऐक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और वहीं उसका निर्णय करेंगे। लेकिन उलझाने वालों ने वकीलों के दिमाग में एक बात डाल दी कि आप डॉक बंगले में क्यों जावेंगे। मुख्य मंत्री को गरज होगी तो मुख्य मंत्री स्वयं आयेंगे। वहाँ से जो लोग मेरे पास आये और कहने लगे कि वहां आपको चाहते हैं और आप चलें और वहीं बात कर लेंगे। तो मैंने कहा कि एक तो मैं मुख्य मंत्री हूँ और मेरे जाने पर कुछ पुलिस और दूसरे लोग भी मेरे साथ चलेंगे और वह आपकी उत्तेजना का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि फलाँ-फलाँ को आप नहीं ले चलिये और आप चलिये। हमारी जिम्मेदारी होगी अगर कोई बात हो। मुझे इतना विश्वास हो गया कि मैं अकेला चला गया और उसके बाद जब हम वहाँ गये तो उन्होंने खुदही कहा कि आप कुछ आदमी चले जांय, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। उन वकीलों और उसकी ऐक्शन कमेटी और उसमें कुछ विपक्षी दलों के लोग होते हुए भी उन्होंने अपनी बात संयम से रखी, बहुत अच्छी तरह से रखी हमने अपनी बात कही, किन्तु इसके बाद हमारे कुछ दूसरे लोग उसे सुलझाना नहीं चाहते थे। 25 हजार की बात जब आयी तो उनके अध्यक्ष ने कहा कि मैं सब कुछ करता परन्तु मेरी कुर्सी टूटी है, सारा दफतर बिखरा हुआ है मैं अगर इसको ही बताने में लग जांऊ तो मेरा 25 हजार इसी में लग जायेगा।

मा० विधायक जी उस समय मौजूद थे, तब हमने उनसे कहा सारा निर्णय तभी होगा, जब आप मौजूद रहेंगे। और जहाँ तक तत्काल दुरुस्त करने का सवाल है, उसमें आपने जो 25 हजार रु० का खर्च बताया, वह आपको देते हैं ताकि तुम्हारा यह मामला किसी तरह सुधर जाए। तो इस पर हमारे मेहरबानों ने यह कहना शुरू कर दिया कि 25 हजार रु० में वकील खरीदे जा रहे हैं। तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई विशेष संघ या संस्था नहीं खरीदी जा सकती है, व्यक्ति खरीदे जा सकते हैं। जब यह सारा मसला हल हो गया तो इस बात से हमारे भाई राम आसरे वर्मा जी संतुष्ट जरूर हुए कोई और हुआ हो या नहीं, तभी इन्होंने इस मसले को न उठाकर हजरतगंज में रिक्शे वाले से हुए झगड़े की बात को उठाया।

श्री राम आसरे वर्मा—

तो इस रिक्शे वाले मसले पर भी प्रकाश डाल दीजिए।

श्री श्रीपति मिश्र—

उन घटनाओं का भी जिक्र होगा, परन्तु इस तरह की हर छोटी-2 घटनाओं को अगर इस तरह बढ़ा चढ़ाकर रूप देने का प्रयास किया जायेगा तो उन्हीं घटनाओं को महत्व दिया जाएगा, जो महत्व देने के योग्य होंगी। और जो प्रमोशन की बात आपने कही तो उन्हें गोरखपुर और फैजाबाद भेजा गया है, उनकी जुडीशियल इन्क्वायरी चल रही है हाईकोर्ट जजेज द्वारा, और इसमें जो भी अपराधी पाये जायेंगे उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही होगी और अगर वह अपराधी सिद्ध नहीं हुए तो कोई भी यह चाहे कि फिर भी उनके प्रति कार्यवाही की जाए तो ऐसा अन्याय यहां नहीं होने वाला है। मुख्य प्रश्न यह है कि आप लोगों का सहयोग चाहिए मामला कोई भी हो। यह नहीं होना चाहिए कि घटना को दुर्घटना बनाकर मामले को बढ़ाया जाए तो हम आपका साथ नहीं दे पायेंगे, केवल निवेदन ही आपसे कर सकते हैं कि ऐसा न करें। (शोर एवं तालियों की गड़गड़ाहट)

श्री खैरूल बशर—

मान्यवर, आजमगढ़ रोडवेज कर्मचारियों की समन्वय समिति का वुकला समर्थन कर रहे हैं और पूरे आजमगढ़ की 35-36 लाख जनता ने इसके विरोध में सारे बाजार को बंद रखा। माननीय मुख्य मंत्री जी की नियत पर कोई संदेह नहीं करते हैं। परन्तु वहाँ आजमगढ़ और फैजाबाद में जो दोनों अधिकारी रक्खे गये हैं, उनसे जनता बहुत उत्तेजित है, इसलिए इन दोनों अधिकारियों को वहाँ से हटाने के लिए अवश्य विचार किया जाए यदि ऐसा नहीं हो सका तो वहां की उत्तेजित जनता और उग्ररूप में उत्तेजित होकर सामने आ सकती है। इसलिए इसका हल समय रहते निकाल लिया जाए, तो अच्छा रहेगा। (शोर)

श्री मसरूर जाफरी—

ऊपर से कलेक्टर की नियुक्ति जनपद फैजाबाद में की जा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 12 से सम्बन्धित माननीय सदस्य यहां इस समय नहीं हैं, इसलिए यह चर्चा समाप्त की जाती है और अब हम उठते हैं, कल 11-00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
17 फरवरी, 1983।

भालचन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1348 पर ।)

संलग्नक

कुष्ट सेवा आश्रम गोरखपुर एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था है । इसका प्रबन्ध एक ट्रस्टी बोर्ड द्वारा होता है । जिलाधिकारी द्वारा करवाई गयी जाँच में यह पाया गया कि ट्रस्टी बोर्ड के सदस्यों में आपस में मतभेद हैं तथा दो गुटों में सदस्यगण विभाजित हो चुके हैं । इस कारण इस आश्रम का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है । जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर इस आश्रम की कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवा निदेशक को अपने किसी विभागीय अधिकारी द्वारा जाँच कराके रिपोर्ट भेजने के लिये लिखा गया । स्वास्थ्य सेवा निदेशक की जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1400 पर)

प्रतिलिपि

केदारनाथ सिंह, 63 रायल होटल,
लखनऊ।

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री जी,

उ० प्र० शासन, लखनऊ।

विषय—स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार एवं अनियमितता को दूर करने हेतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तत्काल त्याग-पत्र लेने हेतु।

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भित विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ उदाहरण आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ—यथा—

1—मैंने एक पत्र दिनांक 13-8-1981 को अपरान्ह 3 बजे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की सेवा में उनके कार्यालय में श्री अमरजीत सिंह टाईपिस्ट कांग्रेस अर्स विधान मण्डल दल कार्यालय के द्वारा भेजा था और श्री सिंह टाईपिस्ट को निर्देश दिया था कि माननीय मंत्री जी के कार्यालय में मुख्य पत्र देकर उसकी दूसरी प्रति पर प्राप्त करने का प्रमाण लिखा लें जैसा कि अन्य कार्यालयों में होता है। माननीय मंत्री जी के वैयक्तिक सहायक ने श्री सिंह से कहा कि विधायकों के पत्रों की भी यहाँ प्राप्ति की रसीद नहीं दी जाती है इसलिए बिना प्राप्ति की रसीद लिये यदि पत्र देना चाहते हो तो दे दो। श्री सिंह ने कार्यालय में आकर वैयक्तिक सहायक के इस आचरण से हमें अवगत कराया। मैं भी गया परन्तु मेरे जाने पर भी वैयक्तिक सहायक अपनी बात पर अड़े रहे। विवश होकर उसी पत्र पर उसी रोज इस प्रकार की टिप्पणी लिखकर रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेज दिया। टिप्पणी के द्वारा मैंने नीति विषयक "रजिस्टर्ड" डाक तो मंत्री जी के कार्यालय को रिसीव करना ही होगा तो फिर सीधे पत्रों को न रिसीव करने का क्या औचित्य है। कृपया इस सम्बन्ध में क्या नीति बनाई गई है हमें भी अवगत कराने की कृपा करें। स्पष्टीकरण की मांग की।

इसका उत्तर मूल विषय से हटकर माननीय मंत्री जी ने हमें दिनांक 17-9-81 को दिया कि "जहां तक पत्र रिसीव करने की बात है विधायकों के पत्रों की प्राप्ति अलग से मेरे हस्ताक्षर युक्त पत्र से यथा सम्भव दी जाती है।"

माननीय मंत्रियों की तरफ से उत्तर आना तो पत्र की प्राप्ति की रसीद स्वयं हो जाती है परन्तु उसके पूर्व प्राप्ति की रसीद कार्यालय से प्राप्त करने का अधिकार हम विधायकों को है अथवा नहीं। मूल प्रश्न यह है। कई पत्रों का जबाब हमें नहीं मिला इसलिए यह शंका उत्पन्न हुई कि माननीय मन्त्री जी का कार्यालय पत्रों को या तो दबा लेता है अथवा गायब कर देता है और ऐसी स्थिति में यदि प्राप्ति की रसीद हमारे या किसी अन्य विधायक के पास होती तो पूरा कार्यालय कर्तव्यहीनता के दोष से मुक्त नहीं हो पाता। यही कारण है कि अपने कर्तव्यहीनता को छिपाने के अभिप्राय से मन्त्री जी एवं उनका कार्यालय दूर भाग रहा है। यह

है माननीय विधायकों के साथ व्यवहार। यहां कहना अनुचित न होगा कि स्वयं माननीय मन्त्री जी अपने गुरुत्तर कर्तव्यों को वहन करने में सक्षम न हो पा रहे हैं और इसी का अनुचित लाभ वर्तमान वैयक्तिक सहायक भरपूर उठा रहे हैं ।

2— माननीय मन्त्री जी एवं विभागीय अधिकारीगण निजी स्वार्थ की पूर्ति एवं अनुचित धन के प्रलोभन में स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति एवं नियमों को बिल्कुल समाप्त कर दिया है। उदाहरण के लिए मेरे समक्ष आये निम्न मामलों को प्रकाश में लाना चाहता हूँ :—

(क) श्रीमती के० के० सक्सेना, स्वास्थ्य निरीक्षिका, माल, लखनऊ का स्थानान्तरण 2 माह में 5 बार किया गया जिसके सम्बन्ध में मैं अपने पत्र दिनांक 13-8-81 के द्वारा माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। महत्वपूर्ण है कि उक्त महिला का रिटायरमेंट दो वर्ष के अन्दर ही होने वाला है यह भी तमाशा पैसा लेकर ही किया गया।

(ख) डा० वी० डी० त्रिपाठी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपराईच जनपद गोरखपुर के विरुद्ध ग्राम महराजी के निवासियों ने कुछ शिकायत प्रस्तुत किया था जिसे जांच हेतु मैंने श्री पी. एन. शुक्ल, प्रधानाचार्य बी. आर. डी. मेडिकल कालेज, गोरखपुर जो सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जांच के पश्चात् प्रधानाचार्य जी ने अपने पत्रांक 11546/पी. आर. जी./एम. सी. "81, दिनांक 17-2-198। के द्वारा हमें सूचित किया कि जांच में सत्यता पाई गई इसलिए संयुक्त निदेशक गोरखपुर मण्डल को स्थानान्तरण हेतु लिख दिया गया है। इसके बाद भी डा० त्रिपाठी पैसे के बल पर स्थानान्तरण रोकवाये रखे।

माह जुलाई, 81 में मैंने प्रधानाचार्य जी का उक्त पत्र स्वयं जाकर संयुक्त निदेशक गोरखपुर मण्डल को दिखाया अन्ततः डा० त्रिपाठी का स्थानान्तरण विभाग को करना ही पड़ा। इसके बाद डा० त्रिपाठी ने माननीय मंत्री जी के एक खास व्यक्ति को जो विधायक नहीं है, को दो हजार रुपया देकर अपना स्थानान्तरण रुकवा लिया। सम्भवतः कुछ लोग माननीय मंत्री जी के पास इसी कार्य हेतु (धन उगाही हेतु) रक्खे गये हैं। पिपराईच में एक प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी ने चार्ज भी ले लिया था परन्तु उसका भी ध्यान नहीं दिया गया जिसकी शिकायत अपने पत्र दिनांक 25-8-81 द्वारा हमने निदेशक को कर दिया है।

(ग) श्री रामबूझ सेनेटरी इन्सपेक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरदार नगर जनपद गोरखपुर का स्थानान्तरण दिनांक 30-6-81 से 5-9-81 के बीच सरदार नगर गोरखपुर से हरैया आजमगढ़ व हरैया आजमगढ़ से सरदार नगर गोरखपुर दो ही जगहों के बीच आधे दर्जन बार हुआ तथा दिनांक 13-10-83 को हरैया आजमगढ़ से पिपराईच गोरखपुर दिनांक 17-10-81 को गोरखपुर जनपद में ही पिपराईच से खजनी, दिनांक 23-10-81 को खजनी से पिपराईच, दिनांक 10-11-1981 को पिपराईच से खजनी तथा पुनः दिनांक 27-11-81 को खजनी से पिपराईच हो गया। इस प्रकार 30-6-81 से 27-11-81 के बीच 5 माह से भी कम अवधि में 10 बार स्थानान्तरण किया गया। यह भी पैसे का ही खेल रहा।

इस स्थानान्तरण का परिणाम यह हुआ कि एक दूसरे स्वास्थ्य निरीक्षक श्री राम विनय सिंह जो अभी हाल ही में पिपराईच कार्य भार ग्रहण किये हुए है, को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। महत्वपूर्ण है कि पिपराईच व खजनी दोनों की दूरी गोरखपुर शहर से लगभग बराबर है परन्तु पैसा खर्च करने वाले इस विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी स्थानान्तरण अपनी कठिनाई को ध्यान में रखकर करा ही लेते हैं। कुछ तो उससे भी आगे बढ़कर अपनी रुचि के स्थान पर भी अपना स्थानान्तरण कराने में सफल हो जाते हैं। यह मामला अपने में ऐसे कार्यों का उदाहरण है। श्री त्रिपाठी स्वास्थ्य निरीक्षक को इतने पर भी सन्तोष नहीं है दिनांक 27–11--1981 को स्थानान्तरण आदेश जारी होने के पश्चात भी दिनांक 25-12-1981 तक सरदार नगर से कार्यभार ग्रहण ही किया क्योंकि अभी तो उनका यह प्रयास जारी है कि सरकार नगर में ही रह जाय। श्री त्रिपाठी विभागीय प्रशासन में चार चांद लगाने की चेष्टा कर रहे हैं और हो सकता है कि विभागीय अधिकारियों एवं मंत्री जी का आलोभन उन्हें ऐसा करने में सफल कर दे। श्री रामविजय सिंह स्वास्थ्य निरीक्षक पिपराईच गोरखपुर जिन्होंने पिपराईच में दिनाँक 14-10-81 को कार्यभार ग्रहण किया भयंकर संकट में पड़े हैं क्योंकि उनके बच्चों ने स्थानीय विद्यालय में प्रवेश ले लिये हैं। इससे बढ़कर भ्रष्टाचार का नमूना अन्यत्र नहीं मिल सकता है।

(3) सर्वदलीय जनकष्ट निवारण समिति गोरखपुर के मन्त्री श्री विजय प्रताप ओझा ने जिला चिकित्सालय के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डा. गोयल के विरुद्ध यह शिकायत थी कि रात्रि में वार्ड में अपने ड्यूटी पर उपस्थित न रहने के कारण एक रोगी अबोध बालक को स्वास्थ्य सहायता नहीं कर सके जिससे उक्त बालक की मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं मृत्यु प्रमाण-पत्र भी समय से उसके परिवार वालों को नहीं मिल सका। इस शिकायत को माननीय मन्त्री जी के समक्ष मैंने अपने पत्र दिनाँक 13-5-81 के द्वारा प्रस्तुत किया था परन्तु ऐसे गम्भीर मामले भी दबा लिये गये।

इसी प्रकार डा. ए. बी. सिंह प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटहट जिला गोरखपुर के विरुद्ध एक गम्भीर शिकायत को माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के समक्ष रखा था परन्तु उसे भी वर्षों तक दबाया गया और जब मैंने विधान सभा में प्रश्न उठाया तो उसकी जांच हुई। जांच में क्या निष्कर्ष निकला वह भी ज्ञात नहीं है।

इस पत्र में जो मामले दिये गये हैं उसकी छानबीन कराये तो स्वास्थ्य विभाग में मन्त्री जी से लेकर नीचे के स्तर तक के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार स्वेच्छाचारिता कर्तव्यों की उपेक्षा आदि का स्वयं पर्दाफाश हो जायेगा। अतः अनुरोध है कि जांच कराकर स्वास्थ्य विभाग को स्वच्छ करें तथा माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से त्याग-पत्र लें। जनहित में त्याग-पत्र न देने की स्थिति में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मन्त्रीमण्डल से बरखास्त करायें सहयोग के लिए धन्यवाद।

भवदीय
ह०--केदार नाथ सिंह

सेवा में,
प्रतिलेपि तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित :—
महामहिम राज्यपाल महोदय, उ०प्र० लखनऊ।

ह०/--केदार नाथ सिंह
2/1/82

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 139 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1425 पर)

प्रार्थना-पत्रों का विवरण

नाम विकास क्षेत्र	भवन निर्माण		भवन मरम्मत		स्कूल भवन निर्माण		स्कूल भवन मरम्मत	
	प्राप्त प्रार्थना पत्र	प्रार्थना-पत्र जिस पर सीमेंट दिया गया	प्राप्त प्रार्थना पत्र	प्रार्थना-पत्र जिस पर सीमेंट दिया गया	प्राप्त प्रार्थना पत्र	प्रार्थना-पत्र जिस पर सीमेंट दिया गया	प्राप्त प्रार्थना पत्र	प्रार्थना-पत्र जिस पर सीमेंट दिया गया
1	2	3	4	5	5	7	8	9
देसही देवरिया	300	91	721	607	20	10	5	4
रामपुर कारखाना	277	194	922	802	26	17	8	5
पथरदेवा	655	201	1075	983	48	39	9	7
देवरिया	316	161	1107	995	19	9	7	4

प्रतिलिपि सभा

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 141 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1426 पर।)

उत्तर प्रदेश जल निगम (मुख्यालय) लखनऊ में कार्यरत (सिविल) अभियन्ताओं की सूची

क्रम सं०	पद नाम	संवर्ग स्तर	कार्यरत अभियंता का नाम
1	मुख्य अभियन्ता (निर्माण)		श्री सर्वेश्वर नाथ माथुर
2	मुख्य अभियन्ता (प्र०/नि)		श्री एस० के० शर्मा
3	अपर मुख्य अभियन्ता (अप्रेजल)		श्री जी० सी० राय
4	अपर मुख्य अभियन्ता (पी०पी०आर०डी०)		श्री धर्मपाल सिंघल
5	सचिव (व्यवस्था)	अधीक्षक अभियन्ता	श्री हरीशंकर चौरासिया
6	सचिव (प्रशासन)	स्तर के पद	श्री आसुतोष त्रिपाठी
7	मैनेजर (मानीटरिंग)	,,	श्रीमती हीरा शर्मा
8	अधीक्षण अभियन्ता (गुणता-नियंत्रण एवं तकनीकी जाँच इकाई)	,,	श्री एस०पी० अरोरा
9	मैनेजर (अप्रेजल)	,,	श्री नरेश्वर सहाय माथुर
10	—तदैव—	,,	श्री यदुनन्दन
11	—तदैव—	,,	श्री एस०सी० बनर्जी
12	—तदैव—	,,	श्री अनिल कुमार गुप्ता
13	—तदैव—	,,	श्री फूल चन्द जैन
14	अधीक्षक अभियन्ता (निर्माण) एवं अपर मुख्य अभियन्ता (अप्रेजल) के० वै.सहा०		श्री एस०पी० सक्सेना
15	अधीक्षण अभियन्ता (इंसपैक्शनविंग)		श्री बेद प्रकाश जिन्दल
16	मैनेजर (ट्रेनिंग)	,,	श्री आर०एन० गुप्ता
17	अधीक्षक अभियन्ता (प्रकल्प सिविल) एवं अपर मुख्य अभियन्ता (पी.पी.आर.डी.) के वै. सहा.		श्री मुश्ताक अहमद
18	अधीक्षण अभियन्ता		श्री वीरेन्द्र कुमार (द्वितीय)
19	सामग्री प्रबन्धक	,,	श्री जी. पी. सिंह

20	उप सचिव (शिकायत)	अधिशासी अभियंता स्तर	श्री डी. के. गोयल
21	उप सचिव (प्रशासन)	,,	श्री अवतार कृष्ण कौल
22	अधि.अभि. एवं मुख्य अभि. (निर्माण) के वै. सहा. (तकनीकी)	,,	श्री आर.के. शर्मा (द्वितीय)
23	उप प्रबन्धक (अप्रेजल)	,,	श्री पी.सी. गोविल
24	उप प्रबन्धक (अप्रेजल)	,,	श्री डी. डी. सक्सेना
25	—तदैव—	,,	श्री सै. मो. हम्माद
26	—तदैव—	,,	श्री ए. सी. नागर
27	अपर अभियन्ता के (इन्सपेक्शन विंग) के वै० सहायक	अधिशासी अभियन्ता	श्री पी० के० श्रीवास्तव
28	अधि० अभि० एवं मुख्य अभि० (नि०) के वै० सहा० (पर्वतीय) मानीटरिंग		श्री डी० पी० शर्मा
29	अधि० अभि० एवं मु० अभि० (नि०) के वै० सहा० (पश्चिम) (मानीटरिंग)		श्री एस० सी० कुदेशिया
30	अधि० अभि० गुण नियन्त्रण एवं तकनीकी जांच इकाई		श्री जी० एम० मेहरोत्रा
31	उप मैनेजर (मानीटरिंग)	,,	श्री आर० के खन्ना
32	—तदैव—	,,	श्री सुशील चन्द्र श्रीवास्तव
33	उप मैनेजर (रिपोर्टिंग)	,,	श्री डी० एन० चतुर्वेदी
34	अधि० अभि० (मुख्यालय)	,,	श्री आर० एन० डे
35	उप सचिव (नियोजन)	,,	श्री महेन्द्र कुमार
36	अधि० अभि० (विनिदर्शन)		श्री रणवीर सिंह
37	अधि० अभि० एवं अपर मुख्य अभि० (पी०पी०-आर०डी०) के वै० सहा०		श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल
38	अधि० अभि० एवं मुख्य अभि० (प्र/नि) के वै०सहा० तकनीकी		श्री सुरेश चन्द्र नायक
39	अधि० अभि० एवं मुख्य अभि० (प्र/नि) के वै० सहा० (पूर्व) मानीटरिंग		श्री डी० एन० भार्गव
40	अधिशासी अभियन्ता (क्रय)		श्री महेन्द्र सहाय

उत्तर प्रदश जल निगम (मुख्यालय), लखनऊ में कार्यरत (वि० यॉ०) संवर्ग के अभियन्ताओं की सूची ।

1	अपर मुख्य अभियन्ता (इन्सपेक्शन विंग)	श्री सीता राम अग्रवाल
2	अधीक्षण अभियंता (इन्सपेक्शन विंग)	श्री चन्द्र शेखर मालवीय
3	अधिशासी अभियन्ता वि०/या० (इन्सपेक्शन विंग)	श्री चन्द्र मोहन श्रीवास्तव
4	अधि० अभि० (वि/यॉ) गुणता नियंत्रण एवं तकनीकी जांच इकाई	श्री आर० एल० शाह

विधान भवन

मुख्यालय में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं की सूची

क्रमांक	सहायक अभियन्ता का नाम
1	श्री जमीर अहमद उसमानी
2	श्री राधेश्याम
3	श्री एम. पी. सक्सेना
4	श्री एम. के. गुप्ता
5	श्री ए. ए. खान
6	श्री असरार अली
7	श्री एस. के. संगल
8	श्री रईश अहमद
9	श्री स. आफाक अहमद (वि. या.)
10	श्री कामेश्वर सहाय
11	श्री कमला सिंह
12	श्री डी. के. साहनी
13	श्री ओ. पी. श्रीवास्तव
14	श्री हरीशचन्द्र श्रीवास्तव
15	श्री वी. एन. यादव
16	श्री जहीरुल हसन
17	श्री पी. एन. शुक्ला
18	श्री शांति सागर
19	श्री हरीश चन्द्र पाण्डे
20	श्री जे. एच. रिजवी (वि. याँ.)
21	श्री एस. सी. गुप्ता
22	श्री बृजराज प्रसाद
23	श्री श्रीप्रकाश सिंघल
24	श्री अनिल कुमार अग्रवाल
25	श्री एम. पी. श्रीवास्तव

नोट :—क्रमांक 9 एवं 20 पर अंकित सहायक अभियन्ता विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग के हैं शेष 23 सहायक अभियन्ता सिविल संवर्ग के हैं ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 152 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1432 पर)

विद्युत एवं यांत्रिक अभियन्ताओं में व्याप्त बेरोजगारी तथा उनकी प्रोन्नति की समस्याओं पर विचार करने के लिये श्री राज बिहारी सिंह तत्कालीन राज्य मंत्री सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग से सम्बन्धित संस्तुतियों का सारांश ।

(1) स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के बारे में समिति की राय यह है कि अभी तक विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं को परामर्शदाताओं के रूप में रखने की जो पद्धति है वह ठीक नहीं है और इनको कार्यकारी चार्ज देना चाहिये । यह चार्ज उसी प्रकार दिया जाय जैसा कि अभी तक सिविल अभियन्ताओं को दिया जाता है ।

(2) जल सम्पूर्ति व्यवस्था के बारे में और सिविल अभियन्ताओं को और दूसरी ओर विद्युत/यांत्रिक अभियन्ताओं का अलग-अलग मन्तव्य था परन्तु योजना में किसी अनुशासन का अभियंता अधिक प्रभावकारी और दक्षता-पूर्वक कार्य की विवेचना करते हुये समिति इस निर्णय पर पहुँची है कि पूरे विभाग में जितना भी काम हो रहा है उसका कम से कम 20 प्रतिशत काम विद्युत यांत्रिक अभियंताओं का है और उसी अनुपात में उक्त स्टाफ की नियुक्ति की जाय ।